

५५०

पंचदश माला, खंड 4, अंक 25

गुरुवार, 6 अगस्त, 2009

15 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



Gazettes & Debates Series
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G' 77
Acc. No.
Dated... 7 April 2011

(खण्ड 4 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

25/3/11

h

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)
अंक 25, गुरुवार, 6 अगस्त, 2009/15 श्रावण, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461	4-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 462 से 480	9-68
अतारांकित प्रश्न संख्या 4486 से 4666	69-322
सभा पटल पर रखे गए पत्र	322-324
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	324
(एक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री सुबोध कांत सहाय..... 324-325	
(दो) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री सलमान खुशीद..... 325-348	
नियम 377 के आधीन मामले	
(एक) आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर के आचार्य रंगा कृषि विश्वविद्यालय के लैम एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म में मिर्च और हल्दी बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए जाने और इस संबंध में आवश्यक निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री रायापति सांबासिवा राव..... 348-349	
(दो) कोलकाता पत्तन पर पड़ी आयातित दालों का स्टॉक प्रापण किए जाने की आवश्यकता श्री जगदम्बिका पाल..... 349	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय

कॉलम

(तीन)	केरल में अनन्नास उद्योग का पुनरुद्धार करने तथा इसके विकास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.टी. थॉमस	349-350
(चार)	राजस्थान के भरतपुर में स्थित न्यूनतम बोली लगाने वाले अर्थात् मेसर्स सिमको बिरला लिमिटेड, को रेल वैगन्स के निर्माण का कार्य सौंपने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रतन सिंह	350-351
(पांच)	भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए नयी न्यूनतम कारबार शर्तों से संबंधित दिनांक 9-7-2009 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के.सी. वेणुगोपाल	351
(छह)	आन्ध्र प्रदेश के आलमपूर में जोगुलाम्बा रेलवे हाल्ट को पूर्ण रूप से रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	351-352
(सात)	केरल और कर्नाटक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 पर रात्रि के समय वाहन यातायात चलाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम.आई. शानवास	352-353
(आठ)	झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आई.टी.आई. खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री सुदर्शन भगत	353
(नौ)	बिहार में पटना के समीप तारेगना को खगोल विज्ञान के अनुसंधान व अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधा मोहन सिंह	353-354
(दस)	हिमाचल प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	354
(ग्यारह)	मकानों के निर्माण हेतु बीड़ी कर्मकारों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री वीरेन्द्र कुमार	354-355

(बारह)	उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयदराजा और जमानिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामकिशुन	355
(तेरह)	लोक सभा के ऐसे सदस्यों, जिनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले की संस्तुति करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	356
(चौदह)	बिहार के खगड़िया जिले में नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री दिनेश चन्द्र यादव.....	356
(पंद्रह)	तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे प्रभावित मछुआरा समुदाय को राहत देने के लिए समुद्री अपरदन को राष्ट्रीय आपदा/प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	356-357
(सोलह)	उड़ीसा के कंधमाल जिले में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रुद्रमाधव राय.....	357-358
मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009		
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	358-360
	श्री एस. जयपाल रेड्डी.....	360-363
	खंड 2 से 16 और 1	363
	श्री लालू प्रसाद.....	363-364
	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	364-365
	श्री राकेश सिंह	365-366
	श्री सुदीप बंदोपाध्याय	366-367
	श्री मुलायम सिंह यादव	367-368
	श्री शरद यादव.....	368-369
	श्री तथागत सत्पथी	369-370

विषय

कॉलम

श्री टी.आर. बालू.....	370-371
श्री बसुदेव आचार्य.....	371-375
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा.....	375-377
श्री महाबल मिश्रा.....	377-378
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी.....	378-379
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी.....	379-381
श्री एस. जयपाल रेड्डी.....	381-388

पारित करने के लिए प्रस्ताव.....	388
---------------------------------	-----

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009

विचार करने के लिए प्रस्ताव.....	388
श्री पृथ्वीराज चव्हाण.....	388-390
श्री पवन कुमार बंसल.....	390-396

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि.....	396
श्री बसुदेव आचार्य.....	396-403
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन.....	403-413
डॉ. के.एस. राव.....	413-424
श्री शैलेन्द्र कुमार.....	424-429
श्री लालू प्रसाद.....	429-436
श्री राधा मोहन सिंह.....	436-439
श्री भूदेव चौधरी.....	439-442
श्री सुदीप बंदोपाध्याय.....	442-444
श्री भर्तृहरि महताब.....	444-447
श्री गणेश सिंह.....	447-449
श्री दारा सिंह चौहान.....	449-451
श्री अनंत गंगाराम गीते.....	451-456

विषय**कॉलम**

श्री एस. सेम्मलई	456-457
श्री अर्जुन राम मेघवाल	457-459
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	459-464
श्री के. नारायण राव	464-465
श्री महाबल मिश्रा	465-470
श्री राकेश सिंह	470-472
डा. रतन सिंह अजनाला	472-476
श्री प्रबोध पांडा	476-477
श्री एस.एस. रामासुब्बू	478-479
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	479-481
श्री नृपेन्द्र नाथ राय	481-482
श्री बंस गोपाल चौधरी	482-483
श्री टी.के.एस. इलेंगोवन	484-485
श्री मनोहर तिरकी	485-490

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	491-492
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	492-498

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	500
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	500-502

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कडिया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एस. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 6 अगस्त, 2009/15 श्रावण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, हमने प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था।...(व्यवधान)

डा. रतन सिंह अजनाला: अध्यक्ष महोदया, हमने प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह सब कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपने 4 तारीख को शून्य प्रहर में बोलने के लिए नोटिस दिया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप शून्य प्रहर में अपनी बात कहिए। आप प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप जीरो ऑवर में अपनी बात उठाइए। आपको 4 तारीख को भी इस मुद्दे को हाउस में उठाना था, लेकिन आप किसी कारणवश हाउस में नहीं थे। आप आज जीरो ऑवर में इस मुद्दे को उठा लीजिए, लेकिन अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इस बात को जीरो ऑवर में उठा लीजिए। जो भी आपका इश्यु है, उसे आप जीरो ऑवर में उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने इस बारे में मुझसे बात की थी और मैंने कहा था कि 4 तारीख को इस इश्यु को मैं जीरो ऑवर में उठाने दूंगी। उस समय आप किसी कारणवश सदन में नहीं थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। आज भी मेरे पास प्रश्नकाल के स्थगन का नोटिस नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सदन की बैठक के केवल दो दिन बचे हैं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद आप अच्छी तरह से इस इश्यु को जीरो ऑवर में उठा लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, आप इनकी भावना को समझिए।

अध्यक्ष महोदया: मैं इनकी भावना समझ रही हूँ। आप प्रश्नकाल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न-461, श्री नवीन जिन्दल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इस इश्यु को जीरो ऑवर में उठा लीजिए। आप प्रश्नकाल के बाद इस इश्यु को तुरंत उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अजनाला जी, आप प्रश्नकाल के बाद इस इश्यु को तुरंत उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय डॉ. रतन सिंह अजनाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप अपनी सीट पर जाएं। प्रश्नकाल सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, आप इस विषय को उठा लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल सस्पेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मैं समझती हूँ किन्तु प्रश्नकाल को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, सरकार को स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिये...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): यदि आप स्थायी रूप से प्रश्नकाल नहीं चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है; आप स्थायी रूप से प्रश्नकाल को स्थगित कर दें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा के नेता कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रतन सिंह अजनाला: यह सिख माइनोरिटी की बात है।...(व्यवधान) बाएफर्केशन करना चाहते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप शांत हो जाइए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डा. रतन सिंह अजनाला: हरियाणा सरकार सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बनाना चाहती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपको चार तारीख को बुलाया था अगर इतना जरूरी मैटर था तो आप क्यों नहीं आए?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.31 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 461 - श्री नवीन जिन्दल।

हवाई यातायात में वृद्धि

*461. श्री नवीन जिन्दल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में भारत में हवाई यातायात में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत के विमानन क्षेत्र के विनियामक तंत्र तथा सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु एक प्रभावी रणनीति विकसित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

वर्ष	विमानों का आवागमन	यात्री	माल भाड़ा
2004-05	11.88	21.53	19.67
2005-06	16.80	23.71	09.29
2006-07	28.60	31.40	11.00
2007-08	21.30	21.20	10.60
2008-09	-00.10	-06.80	-01.00

(ग) और (घ) भारत में सुरक्षा विनियम प्रमुखतः अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा जारी मानकों और संस्तुत पद्धतियों (एस.ए.आर.पी.) पर आधारित हैं और जब कभी भी नए एस.ए.आर.पी. लागू होते हैं, नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) इनको नियमित रूप से संशोधित करता है। इसके अतिरिक्त, डी.जी.सी.ए. समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों और देश की विमानन संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा करता है तथा उनमें संशोधन करता है। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से डी.जी.सी.ए. का भी सुदृढ़ीकरण किया गया है।

श्री नवीन जिन्दल: अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2008-2009 के अलावा विगत पांच वर्षों के दौरान नागर विमानन क्षेत्र में हुए बहुत अच्छे विकास के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। यह विकास केवल 2008-2009 में नहीं हुआ जोकि वैश्विक आर्थिक संकट के कारण था और अभी भी बहुत उच्च सुरक्षा मानक बनाये रखे गये हैं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ श्री नवीन जिंदल की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले पांच वर्ष के दौरान विमानों के आवागमन, यात्री यातायात और माल भाड़ा (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के) में हुई प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

अध्यक्ष महोदया: वेल में मत आइए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.33 बजे

(इस समय डा. रतन सिंह अजनाला, श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल: हम सभी ने यह अनुभव किया है कि दिल्ली और मुम्बई में अथवा उसके बाहर विमान यात्रा करते समय निरन्तर असाधारण विलंब होता है। हमने दिल्ली हवाई अड्डे पर काफी भीड़-भाड़ का अनुभव किया है जिसके कारण विमानों को कभी-कभी लगभग एक घंटे तक हवा में चक्कर लगाना पड़ता है...(व्यवधान)। इससे बहुत ज्यादा ईंधन जलता है जिसके कारण विमान कम्पनियों, जिन्हें पहले से ही 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का अत्यधिक घाटा हो रहा है, को और हानि होती है...(व्यवधान)

इससे अनावश्यक रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है...(व्यवधान)। वायु क्षेत्र में बहुत ज्यादा विमान होने से सुरक्षा संबंधी मुद्दे भी पैदा हो गये हैं...(व्यवधान)

भीड़-भाड़ वाली यह स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि हम विमान यातायात में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाये हैं। (व्यवधान)

मेरे विचार से विद्यमान सिविलियन हवाईअड्डों के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर, किसी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की अनुमति नहीं होने संबंधी है, सरकार के प्रतिबन्धात्मक दिशानिर्देशों के कारण अवसंरचना विकास ठीक से नहीं हुआ है।... (व्यवधान)*

महोदया, 8.5 मिलियन लोगों की जनसंख्या के साथ लंदन शहर में पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं। न्यूयार्क शहर में 12 हवाईअड्डे हैं तथा लॉस एंजिल्स में छः हवाईअड्डे हैं। परन्तु 36 मिलियन लोगों की जनसंख्या के साथ भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल एक हवाईअड्डा है... (व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि सरकार एक नये हवाईअड्डे को शुरू करने के लिये 150 किलोमीटर की सीमा को हटाये तथा नये हवाईअड्डों को स्वतंत्र रूप से बनने की अनुमति दे तो लोग न केवल अपनी मनपसंद एअरलाइन से यात्रा कर सकेंगे अपितु अपनी सुविधा से हवाईअड्डे का भी चयन कर सकेंगे... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हां, मंत्री महोदय।

... (व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया है और मैं यह स्वीकार करता हूँ कि विगत कुछ वर्षों में भारत में हवाई यातायात बहुत बढ़ा है जिसके कारण हमारे मौजूदा हवाई अड्डों विशेष रूप से मुम्बई, दिल्ली और अन्य महानगरों के हवाई अड्डों पर बहुत दबाव पड़ा है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, कृपया अपनी अपनी सीटों पर वापिस चले जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: हम यह तो मानते हैं कि अवसंरचना का क्रमोन्वयन और आधुनिकीकरण किए जाने और बड़े महानगरों में और अधिक हवाई अड्डों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है... (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने नवी मुम्बई में दूसरे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के सृजन की अनुमति प्रदान कर दी है... (व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार ने हमें सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है... (व्यवधान)

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों से भी अपने यहां और अधिक अवसंरचनात्मक सृजन करवाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वे 150 किलोमीटर संबंधी दिशानिर्देशों में छूट चाहते हैं... (व्यवधान) हालांकि मुद्दा संविदात्मक प्रकृति का होने के कारण इसे पिछली सरकार में उठाया गया था तथा माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त उद्यम से उत्पन्न विधिक और संविदात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया था।... (व्यवधान) अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।... (व्यवधान)

जिस भावना से यह प्रश्न पूछा गया है और विश्व के उन बहुत से बड़े देशों में जहां बड़े शहरों में एक से अधिक हवाई अड्डे होते हैं, की तरह और अधिक अवसंरचनात्मक विकास पर निश्चय ही पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है... (व्यवधान)

श्री नवीन जिन्दल: महोदया, विश्व भर में भीड़ भड़के से बचने और सुरक्षा में सुधार करने के लिए किसी एक हवाई अड्डे से उड़ान भरने और दूसरे पर उतरने के लिए टाईम स्लॉट्स की अवधारणा को अपनाया गया है जो कि बहुत ही सुव्यवस्थित होती है और इससे हवाई अड्डे पर विमानों की बंदिग करने से बचने में सहायता मिलती है। इसकी निगरानी करने के लिए एक अत्याधुनिक उपग्रह आधारित उपस्कर उपलब्ध है... (व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ। क्या टाईम स्लॉट्स की प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है?... (व्यवधान) इसके अतिरिक्त हाल ही में आई.सी.ए.ओ. और यू.एस. फेडरल एविएशन अथोरिटी ने भारतीय विमानन क्षेत्र की संरक्षा निगरानी की जांच की

थी और उसने विभिन्न सिफारिशों की थी जिन्हें समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जाना था...(व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री जी से उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में जानना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल: कुछ मुद्दे हैं जो माननीय सदस्य ने उठाए हैं और निश्चित रूप से हवाई यातायात प्रबन्धन के सुचारु कार्यकरण के लिए हवाई अड्डों पर टाईम स्लॉट्स के प्रबन्धन के संबंध में उन पर विचार किया जाना आवश्यक है...(व्यवधान) मैं इस अवसर पर सदन को यही बताना चाहता हूँ कि हमने एक कंपनी नियुक्त की है जो हमें विशेषकर बड़े शहरों में यातायात के संचालन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देगी और हमें यह परामर्श देगी कि हम कितने कारगर ढंग से अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं और कितने कारगर ढंग से वायुयानों के और अधिक आवागमन की अनुमति दे सकते हैं। वह यू.एस. फेडरल एविएशन अथॉरिटी द्वारा संवर्धित गैर-लाभकारी संगठन है।...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में रसोई यान

*462. श्री वैजयंत पांडा:

श्री देवजी एम. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ियों में रसोई यान जोड़ने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) लंबी दूरी की उन महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें चालू वर्ष में रसोई यान जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ग) लंबी दूरी की उन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जो बिना रसोई यान के चल रही हैं;

(घ) क्या ऐसी और अधिक रेलगाड़ियों में रसोई यान जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) गाड़ियों में पैंट्री

कार लगाने के लिए विभिन्न कारकों जैसे चल स्टॉक की उपलब्धता, यात्रा की अवधि, गाड़ी की प्राथमिकता, समय, व्यवसायिक औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता आदि आधार पर विचार किया जाता है।

(ख), (घ) और (ङ) चालू वर्ष में लंबी दूरी की गाड़ियों में पैंट्री कार लगाने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की 139 जोड़ियों में जिनका चालन समय 24 घंटे से अधिक है, पैंट्री कारें मुहैया नहीं कराई गई हैं। इन गाड़ियों में भोजन की सेवा मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर साइड वेंडिंग सुविधाओं और खानपान सुविधाओं के द्वारा मुहैया करायी जाती है।

विदेशी विमान कंपनियों का प्रचालन

*463. श्री संजय निरुपम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के गैर-घरेलू क्षेत्र में विदेशी विमान कंपनियों के प्रचालन में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी उस नीति की समीक्षा करने का है जिसके अंतर्गत मंत्रालय/उपयुक्त प्राधिकरण विदेशी विमान कंपनियों को हवाई यातायात मार्ग प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) वर्ष 2004 ग्रीष्म में, विदेशी एयरलाइनों ने भारत के लिए/से प्रति सप्ताह 711 विमान सेवाएं प्रचालित की जो वर्ष 2009 ग्रीष्म में बढ़कर 1315 सेवा प्रति सप्ताह हो गईं। पांच वर्षों के दौरान हुई यह वृद्धि लगभग 85 प्रतिशत है। तदनु रूप इसी अवधि में भारत आने/जाने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 14 मिलियन से बढ़कर 27 मिलियन हो गई है। यह वृद्धि लगभग 90 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के प्रचालन संबंधी यातायात अधिकारों को विभिन्न देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय विमान सेवा करारों में विनिर्दिष्ट किया जाता

है और यह एक जारी प्रक्रिया का हिस्सा है तथा यातायात मांग, भारतीय विमान वाहक कंपनियों के लाभ संतुलन और राजनयिक/राजनीतिक प्रतिफल के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र हित पर निर्भर करता है। ये करार राष्ट्रों की संप्रभुता तथा पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित हैं जिनमें अवसर और लाभ संबंधी संतुलन सर्वोपरि हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं में उदारीकरण जो एक चालू प्रक्रिया है, जिससे समग्र रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है जिससे पर्यटन और वाणिज्य क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है। इससे बड़ी संख्या में विदेशों में काम करने वाले अनिवासी भारतीयों की आवश्यकता भी पूरी होती है। साथ ही यातायात अधिकारों के उदारतापूर्ण आदान-प्रदान से यात्रा करने वाली पब्लिक के लाभार्थ अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर क्षमता वृद्धि में मदद मिली है और इससे भारतीय विमान कंपनियों के लिए वाणिज्यिक अवसर खुलते हैं।

उर्वरकों का आवंटन

***464. श्री रुद्रमाधव राय:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को मुरिएट ऑफ पोटाश सहित आयातित उर्वरकों की कितनी मात्रा आवंटित तथा जारी की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि जारी किया गया कोटा वास्तव में राज्यों तक पहुंचे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08, 2008-09 और मौजूदा खरीफ '09 (अप्रैल '09-जुलाई '09) के दौरान आपूर्ति किए गए आयातित उर्वरकों नामतः यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) और म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) की राज्यवार मात्रा संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

राज्य सरकार समय-समय पर अपनी आकलित

आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में उर्वरक विभाग को लिखती है और विभाग राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करता है। उड़ीसा की खरीफ '09 (अप्रैल '09 से जुलाई '09 तक) के दौरान उर्वरकों नामतः यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. तथा मिश्रित उर्वरकों की उपलब्धता संलग्न विवरण-11 में दर्शाई गई है। जैसा कि देखा जा सकता है जुलाई '09 में एम.ओ.पी., जिसकी आपूर्ति अगस्त '09 के दौरान की जाएगी, को छोड़कर यूरिया, डी.ए.पी. और मिश्रित उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

(घ) राज्य में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- (i) पूरे देश में उर्वरकों के संचलन की निगरानी उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफ.एम.एस.) नामक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) के जरिए की जा रही है;
- (ii) उर्वरक पर राजसहायता तभी दी जाती है जब यह जिले में पहुंच जाता है;
- (iii) उर्वरक विभाग उर्वरक खपत वाले प्रमुख राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के जरिए यूरिया, डी.ए.पी. और एम.ओ.पी. का क्रमशः 6.25 लाख मी.टन, 3.50 लाख मी.टन और 1.00 लाख मी.टन बफर स्टॉक का संचलन करता है;
- (iv) उर्वरक विभाग ने ब्लॉक स्तर तक उर्वरकों के परिवहन के लिए एकसमान भाड़ा राजसहायता योजना अधिसूचित की है।
- (v) उर्वरक और डी.ए.पी. की आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंदर को आयात से पूरा किया जाता है। एम.ओ.पी. का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता और इसलिए एम.ओ.पी. की पूरी आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है।
- (vi) यूरिया क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए 4 सितम्बर, 2008 को नई मूल्य-निर्धारण नीति की घोषणा की गई है। इसके अलावा, उर्वरक क्षेत्र को गैस के आबंटन में कठिनाइयां दूर करने, विस्तार, पुनरुद्धार और देश में ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष खरीफ '09 (अप्रैल '09 से जुलाई '09) के दौरान
आयातित उर्वरकों का राज्यवार आबंटन

राज्य	2006-07			2007-08		
	यूरिया	डी.ए.पी	एम.ओ.पी.	यूरिया	डी.ए.पी.*	एम.ओ.पी.
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	977582.72	56115.00	395331.90	1263318.45	131565.90	451022.88
कर्नाटक	279810.60	137136.90	308458.20	621023.09	78212.55	328586.85
केरल	55167.10	6616.88	123915.05	72528.15	6892.80	112639.10
तमिलनाडु	215515.10	115419.29	420719.42	505555.00	145370.15	488829.27
गुजरात	365534.15	143566.32	153320.87	692377.18	98163.81	189217.34
मध्य प्रदेश	299195.50	270796.15	58609.15	385109.00	368750.35	67289.15
छत्तीसगढ़	175651.05	40536.40	52167.10	196408.05	9250.35	53248.20
महाराष्ट्र	269134.15	126003.85	259930.14	820992.60	1384569.71	326188.08
राजस्थान	270992.95	299385.01	2455.10	328146.35	328531.15	22885.05
हरियाणा	258745.75	353098.85	20214.20	332854.10	401304.25	32117.85
पंजाब	270173.10	469145.35	41194.50	335045.70	526394.20	55499.10
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2435.00	0.00	0.00	2461.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	29660.05	11197.50	0.00	15461.05	7398.40
उत्तर प्रदेश	508696.67	558602.25	80728.20	1003164.00	549956.50	119544.45

1	2	3	4	5	6	7
उत्तराखण्ड	2506.75	5942.20	830.00	3301.75	1252.40	5001.55
बिहार	186569.10	144100.25	78484.70	91949.55	141982.47	110893.40
झारखण्ड	12279.25	0.00	678.35	4978.00	6992.05	8671.15
उड़ीसा	136211.43	675.35	90954.95	183198.45	1250.50	91454.25
पश्चिम बंगाल	255140.00	43654.78	280475.80	366983.17	18488.90	256329.85
असम	2411.15	2480.00	42912.45	0.00	0.00	42399.70
अखिल भारत	4544770.02	2803966.88	2439297.08	7218674.07	2969308.09	2787328.82

राज्य	2008-09			2009-10 (अप्रैल से जुलाई, 09)		
	यूरिया	डी.ए.पी.	एम.ओ.पी.	यूरिया	डी.ए.पी.*	एम.ओ.पी.
1	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	1140010.95	723475.30	629175.45	92417.70	285387.80	95154.00
कर्नाटक	403940.45	473713.50	505460.79	116053.20	233950.06	153579.93
केरल	94908.75	12592.45	150079.05	21949.37	13336.85	59647.55
तमिलनाडु	567415.80	312671.05	587220.75	96962.08	128849.85	109032.50
गुजरात	703148.89	400797.85	223957.85	128723.14	156761.92	69465.55
मध्य प्रदेश	183620.45	689027.35	114167.30	36968.65	368737.95	10589.85
छत्तीसगढ़	92268.00	116996.80	88614.80	41074.35	89401.20	41991.20
महाराष्ट्र	573704.55	616341.15	493590.39	125155.61	497834.55	171539.40
राजस्थान	260856.60	481740.90	29256.60	23052.70	127462.10	6708.35
हरियाणा	222332.50	603880.40	49896.90	37780.51	122055.55	10597.95
पंजाब	259252.15	777646.20	98246.55	36084.50	162196.65	6856.90
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	51492.10	13743.10	0.00	10465.25	497.20
उत्तर प्रदेश	902795.38	1093882.95	267261.95	143871.05	417935.80	25228.70
उत्तराखण्ड	0.00	18639.45	7560.95	0.00	1438.75	1.05
बिहार	73411.80	247860.20	215673.70	0.00	1438.75	31875.90

1	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड	0.00	23391.10	16355.00	0.00	15726.80	3278.15
उड़ीसा	72812.95	10991.65	149073.90	0.00	13412.10	28188.40
पश्चिम बंगाल	196097.05	123207.65	477684.95	8207.50	62868.26	61148.40
असम	21027.20	12394.60	115053.05	0.00	4535.85	13946.40
अखिल भारत	5772737.46	6793927.45	4251699.03	909994.99	2777371.68	906951.53

*डी.ए.पी. में टी.एस.पी./एम.ए.पी. शामिल है।

विवरण-II

खरीफ 2009 (अप्रैल '09 से जुलाई '09) के दौरान उड़ीसा राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता

(आंकड़े मी. टन)

यूरिया

माह	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
अप्रैल-09	10000	26690	6020
मई-09	20000	46870	9100
जून-09	40000	58490	20830
जुलाई-09	100000	96720	58560
डी.ए.पी.			
अप्रैल-09	2000	7340	7330
मई-09	5000	10370	4740
जून-09	24000	63800	33930
जुलाई-09	48000	70860	34650
एम.ओ.पी.			
अप्रैल-09	2500	21570	2730
मई-09	12500	23850	7120
जून-09	24500	25690	16310
जुलाई-09	37500	21580	10180
मिश्रित उर्वरक			
अप्रैल-09	6700	14160	3550
मई-09	17600	33330	17130
जून-09	35300	49590	22390
जुलाई-09	65700	81020	43060

[हिन्दी]

मत्स्य प्रसंस्करण

*465. श्री अशोक कुमार रावत : क्या खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी उद्यमियों तथा अन्य एजेंसियों को शीतागारों के निर्माण तथा मत्स्य प्रसंस्करण मशीनों की खरीद हेतु सहायता-अनुदान प्रदान करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) देश में विशेषकर तटीय क्षेत्र में मत्स्य परिरक्षण और प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):

(क) से (घ) जी हां। भारत सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों समेत देश में मत्स्य क्षेत्र के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए मेगा फूड पार्क, समेकित शीत शृंखला सुविधाओं, पैकेजिंग केंद्र आदि जैसे बुनियादी ढांचा विकास का संवर्धन करता है। समेकित शीत शृंखला स्कीम में सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों के कुल लागत के 50% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और सिक्किम को 75% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 10.00 करोड़ रुपये है सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। शीत शृंखला स्कीम के तहत निम्नलिखित घटक हैं -

(क) खेत स्तर पर अल्प प्रसंस्करण केंद्रों और इस केंद्र में तोलने, छंटाई, ग्रेडिंग, वैकिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग, शीतागार, सामान्य भण्डारण तथा अलग-अलग शीत-प्रशीतित सुविधा हो।

(ख) मोबाइल प्री-कूलिंग वैन और रेफ्री-ट्रक

(ग) सी.ए. चैम्बर्स/शीतागार/परिवर्तनीय नमी वाले चैम्बर, पैकिंग सुविधा, सी.आई.पी. फॉग ट्रीटमेंट, आई.क्यू.एफ. तथा ब्लास्ट फ्रीजिंग वितरण वाले केंद्र।

इस पहल का उद्देश्य सप्लाई शृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीत शृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, मूल्यवर्धन का सृजन आदि है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्य क्षेत्रों में

संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। गत तीन वर्षों में मत्स्य प्रसंस्करण उद्योगों संबंधी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अलावा, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के पास मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित स्कीमें हैं - (i) फिश ड्रेसिंग सेंटर एंड सोलर ड्राइंग फिश (ii) गहन समुद्री मत्स्यन और टूना प्रसंस्करण; (iii) फसलोत्तर प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा विकास; (iv) स्वदेशी मत्स्य बाजार। गत तीन वर्षों में इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी तथा मात्स्यिकी विभाग, "समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचा और फसलोत्तर परिचालन का विकास" संबंधी स्कीम के अंतर्गत (i) बर्फ संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे मत्स्य परिरक्षण और भंडारण बुनियादी ढांचा विकास; और (ii) आइसबॉक्स, फिश डिस्प्ले कैबिनेट्स और एलाइड इक्यूपमेंट्स के साथ आइसबॉक्स, मोटरसाइकिल/बाइसिकिल सहित फुटकर वेंडिंग कीऑस्क, एक्वाशॉप्स, रेफ्रिजरेटिड व्हीकल, मिनी ट्रक्स, ऑटो रिक्शा जैसे विपणन और मत्स्य परिवहन बुनियादी ढांचा विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत तीन वर्षों में स्कीम के तहत जारी की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (i) मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण मशीनरी और उपकरण के लिए सहायता (ii) शीत शृंगार - बर्फ संयंत्रों की स्थापना के लिए बड़े शीतागारों की स्थापना, इंसुलेटिड फिश बॉक्सों का सब्सिडाइज्ड संवितरण, रेफ्रिजरेटिड ट्रक/कंटेनर की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है; (iii) समुद्री खाद्य उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं - निर्यात के लिए प्रशीतित मछली और प्रशीतित टूना के लिए मूल सुविधाओं के सृजन हेतु वित्तीय सहायता। गत तीन वर्षों में स्कीम के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान मछली प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/जारी की गई अनुदान राशि के संबंध में राज्यवार सूचना नीचे दी गई है:

(राशि लाख रुपये)

राज्य	2006-07 जारी की गई धनराशि	2007-08 जारी की गई धनराशि	2008-09 जारी की गई धनराशि
आन्ध्र प्रदेश	50.00	33.22	25.00
गोवा	22.58		
गुजरात			25.00
कर्नाटक	50.00		50.00
केरल	103.29	191.31	161.34
महाराष्ट्र		25.00	23.00
मणिपुर	11.15	30.68	
उड़ीसा	25.00	25.00	
तमिलनाडु	46.03	8.75	50.00
पश्चिम बंगाल	68.87	93.89	62.10
	376.92	407.85	396.44

विवरण-II

मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं के सृजन संबंधी स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने वर्ष 2008-09* के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 561 लाख रुपये की राशि जारी की है:

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	स्कीम	राशि
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु (टी.एन.एफ.डी.सी.)	घरेलू विपणन	75
		फिश ड्रेसिंग सेंटर एंड सोलर ड्राइंग फिश	1,00

1	2	3	4
2.	पश्चिम बंगाल (राज्य मात्स्यिकी विभाग)	फिश ड्रेसिंग सेंटर एंड सोलर ड्राइंग फिश	0,46
3.	आन्ध्र प्रदेश (एन.आई.पी.एच.टी.टी.)	गहन समुद्री मत्स्यन और टूना प्रसंस्करण	1,85
4.	महाराष्ट्र	फसलोत्तर प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधा	1,55
कुल			5,61

*राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, हैदराबाद के यहां 10-07-2006 को कराया गया और 2006-07 और 2007-08 के दौरान कोई राशि जारी नहीं की गई।

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान फसलोत्तर बुनियादी ढांचा विकास के सुदृढीकरण करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:

(राशि लाख रुपये)

राज्य/संगठन	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	50.00		
हरियाणा (कृषि विपणन बोर्ड)	42.32		
हिमाचल प्रदेश			25.00
झारखण्ड (सुमन महिला विकास समिति)	18.00		
कर्नाटक मात्स्यिकी विकास कॉरपोरेशन	74.00	30.40	
महाराष्ट्र मात्स्यिकी विकास कॉरपोरेशन	26.21	5.00	
मिजोरम	32.50		
उड़ीसा	18.00		
राजस्थान		15.00	
तमिलनाडु	50.00	26.25	
त्रिपुरा	20.00		
फिशकॉप	25.00		

1	2	3	4
माल्पे फिशरमैन प्राइमरी कॉपरेटिव	18.00		
कर्नाटक (सी शाइन आइस प्लांट)	9.87		
मंगलौर ट्राल बोट कॉपरेटिव सोसाइटी	22.48	22.48	
कर्नाटक (मंगलौर यांत्रिक सहकारी संघ)	25.00	25.00	
कर्नाटक कॉपरेटिव फिशरीज फेडरेशन	25.00	30.00	20.22
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	24.00		10.00
मत्स्य कन्या कॉपरेटिव सोसाइटी, औरंगाबाद		25.00	
मत्स्यराज आइस प्लांट, उडुपी, कर्नाटक			25.00
दयालक्ष्मी आइस प्लांट, पंडुबेट्ट, कर्नाटक			15.00
विनायक आइस प्लांट, पंडुबेट्ट, कर्नाटक			15.00
ज्वाइंट सेलुंगकांग पिसीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटी, मणिपुर			6.00
नागालैण्ड एग्री. एंड हॉर्टि. प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसाइटी, दीमापुर			20.00
नॉर्थ कनारा जिला कॉपरेटिव फिश मार्केटिंग लिमिटेड, कारवार, कर्नाटक			50.00
कुल	480.38	179.13	186.22

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान नई प्रौद्योगिकियों के समावेश, प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास और बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा संवितरित सब्सिडी के राज्यवार ब्योरे नीचे दिए गए हैं

(राशि लाख रुपये)

राज्य	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
गुजरात	81.18	319.14	375.00
महाराष्ट्र	221.60	206.28	196.76
गोवा	30.85	24.79	33.03

1	2	3	4
कर्नाटक	50.88	3.00	245.96
केरल	192.30	243.53	214.13
तमिलनाडु	28.33	104.97	160.37
आन्ध्र प्रदेश	210.65	98.92	119.13
उड़ीसा	19.19	18.61	118.40
पश्चिम बंगाल	23.14	19.35	14.09
कुल	858.12	1038.59	1476.87

[अनुवाद]

भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना

*466. श्री आनंदराव अडसुल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ओमान गैस पाइपलाइन परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा ओमान सरकार के साथ किए गए उत्पादन भागीदारी अनुबंध के अनुसार देश को आपूर्ति की जाने वाली गैस का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र भीतर परियोजना को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस परियोजना का लाभ कब तक मिलना शुरू हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) से (ग) ओमान से भारत में पाइपलाइन के जरिए 56.6 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए मुख्य शर्तों पर एक करार पर ओमान की सरकार और भारत की सरकार के बीच 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त के अनुसरण में गेल और ओमान आयल कंपनी ने संयुक्त रूप से ओमान-भारत गहरे समुद्री पाइपलाइन का व्यवहार्यता अध्ययन किया

था। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता सिद्ध न होने और परियोजना के लिए पर्याप्त गैस भंडार न होने के कारण यह परियोजना आगे नहीं चल सकी।

हाल के वर्षों में गहरे समुद्री गैस परिवहन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नतियां हुई हैं। तदनुसार, पिछले कई वर्ष से मध्य एशिया से भारत तक गहरे समुद्री पाइपलाइन मार्ग में रुचि फिर से जागृत हुई है। ओमान (अथवा इसके आसपास) में मुख्य केन्द्र बनाकर गैस एकत्र कर पाइपलाइन के जरिए मध्य पूर्व के अनेक गैस समृद्ध देशों से गैस की आपूर्तियों का प्रस्ताव किया गया है ताकि गहरे समुद्री पाइपलाइन के जरिए भारतीय तट तक गैस की आपूर्ति की जा सके। गेल (इंडिया) लि. ने पाइपलाइन परियोजना विकसित करने के लिए जुलाई, 2009 के महीने में सहयोग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार यह प्रस्ताव अपने आरंभिक चरण में है।

(घ) ऐसी परियोजनाओं के लिए लंबी चर्चाओं की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि संबंधित पक्षकारों की संतुष्टि के लिए और प्रत्येक पक्षकार के हितों की रक्षा करने के लिए तथा परियोजना के सफल प्रचालन में भविष्य में किसी समस्या से बचने के लिए सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच की जानी होती है और विचार-विमर्श करना होता है। इसलिए इस चरण पर परियोजना के शुरू होने और इसके समापन के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

**ओ.एन.जी.सी. तथा गेल के बीच
गैस बिक्री समझौता**

***467. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने, ओ.एन.जी.सी. द्वारा अपने तेल क्षेत्रों से उत्पादित प्रशासनिक मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) गैस की बिक्री हेतु किसी गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस बिक्री समझौते के अनुसार गेल को ए.पी.एम. गैस की आपूर्ति किस मूल्य पर की जाएगी;

(घ) क्या गैस बिक्री समझौते के अंतर्गत ए.पी.एम. गैस का बिक्री मूल्य निजी तौर पर परिचालित गैस क्षेत्रों द्वारा वसूल किए जा रहे मूल्य से काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गैस बिक्री समझौते से गेल को किस प्रकार फायदा होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और गेल (इंडिया) के बीच प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) गैस की आपूर्ति के लिए 7-7-2006 को एक गैस आपूर्ति करार (जी.एस.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। यह जी.एस.ए. 15 वर्ष अर्थात् 6-7-2021 तक वैध है। यह जी.एस.ए. देश भर में विभिन्न स्थानों में फैले लगभग 100 संरक्षित अंतरण केन्द्रों के जरिए ए.पी.एम. गैस आपूर्ति को कवर करते हैं। गेल समायोजित वार्षिक संविदा मात्रा का 90% उठाएगी अथवा अन्यथा इसके लिए भुगतान करेगी। बीजक महीने में दो बार तैयार किया जाएगा और गेल सात दिन के भीतर भुगतान करेगी।

(ग) गैस का मूल्य समय-समय पर प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार है।

(घ) और (ङ) विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए ए.पी.एम. गैस का उपभोक्ता मूल्य 3200 रुपये प्रति हजार मानक घन मीटर (एम.एस.सी.एम.) है। 0.05 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) से कम आबंटन वाले छोटे उपभोक्ताओं और न्यायालय-अधिदेशित उपभोक्ताओं का ए.पी.एम. गैस मूल्य 3840 रुपये प्रति एम.एस.सी.एम. है।

उत्तर-पूर्व में ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य शेष देश में मूल्य के 60% पर रख गया है। तदनुसार, उत्तर-पूर्व में विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के लिए मूल्य 1920 रुपये प्रति एम.एस.सी.एम. है, और उक्त क्षेत्र में न्यायालय अधिदेशित और छोटे उपभोक्ताओं के लिए 2304 रुपये प्रति एम.एस.सी.एम. है। उपर्युक्त मूल्य 10,000 कि.कैल/एस.सी.एम. के विशुद्ध केलोरीफिक मूल्य (एन.सी.वी.) पर है और इसमें रायल्टी शामिल नहीं है।

अन्य बातों के साथ-साथ नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने एन.ई.एल.पी. क्षेत्रों से उत्पादित गैस का मूल्य अनुमोदित कर दिया है। जहां तक एन.ई.एल.पी. पूर्व संयुक्त उद्यम (जी.वी.) गैस का संबंध है इसका मूल्य निर्धारण सरकार और जे.वी. के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सी.) के उपबंधों के अनुरूप शासित होता है।

ए.पी.एम. गैस का मूल्य निजी तौर पर प्रचालित क्षेत्रों द्वारा वसूले गए मूल्य से पर्याप्त कम होता है क्योंकि ए.पी.एम. गैस का उत्पादन नामांकित गैस क्षेत्रों से राष्ट्रीय तेल कंपनियों नामतः ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. द्वारा किया जाता है और इसकी आपूर्ति मुख्यतः प्राथमिकता क्षेत्र के ग्राहकों को की जाती है।

(च) जी.एस.ए. के अनुसार वार्षिक आधार पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के आधार पर गेल पाइपलाइन क्षमताओं की योजना बनाएगी और डाउन स्ट्रीम वितरण हेतु अन्य स्रोतों से अतिरिक्त व्यवस्था भी करेगी।

[अनुवाद]

ईंधन मूल्यों संबंधी रिपोर्ट का कार्यान्वयन

***468. श्री जोस के. मणि:**

श्री के. सुधाकरण:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईंधन मूल्यों संबंधी बी.के. चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) बी.के. चतुर्वेदी समिति रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं-

- (1) रिफाइनरी द्वार पर मूल्य निर्धारण को वर्तमान व्यापार समता (पेट्रोल और डीजल के लिए) तथा आयात समता (मिट्टी तेल तथा एल.पी.जी. के लिए) को पोत पर्यंत निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) निर्यात समता आधार पर परिवर्तित करना।
- (2) पेट्रोल का मूल्य मार्च, 2009 तक पूर्णतः परावर्तित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप समायोजित करना तथा डीजल का मूल्य 24 माह में पूर्णतः परावर्तित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप समायोजित करना।
- (3) औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं को बाजार मूल्यों पर की जाने वाले डीजल की बिक्री को वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारित करना।
- (4) एक बार इन मूल्य समायोजनों के पूरा हो जाने के बाद, सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए और एक प्रतिस्पर्धा बाजार प्रक्रिया के रूप में मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (5) एल.पी.जी. (घरेलू) तथा एस.के.ओ. (पी.डी.एस.) पर राजसहायता केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित होनी चाहिए। इस राजसहायता को शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट कार्ड या नगदी अंतरण द्वारा पहुंचाया जाना चाहिए न कि उत्पाद को बाजार मूल्य से कम मूल्यों पर आपूर्ति करके करना चाहिए।
- (6) घरेलू एल.पी.जी. के लिए, राजसहायता प्राप्त आपूर्ति की हकदारी वर्ष में 6 रिफिल तक कम कर देनी चाहिए, जिसे उत्तरोत्तर आगामी वर्षों

में 4 रिफिल, 2 रिफिल तथा शून्य रिफिल तक कम किया जाए।

(7) कच्चे तेल के घरेलू उत्पादकों पर, एन.ई.एल.पी. पूर्व पट्टों पर 75 अमरीकी डालर प्रति बैरल से अधिक मूल्य पर अर्जित राजस्व पर नीचे उल्लिखित दरों पर, विशेष तेल कर लगाया जाए:-

(क) पी.एस.यूज. @ 100% दर पर, और

(ख) निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियां 40% दर पर

विशेष तेल कर अल्प वसूलियों का वित्त पोषण करने के लिए सर्वथा अस्थाई उपाय होगा न कि सामान्य राजस्व उपाय। एक बार समायोजन प्रक्रिया पूरी होने पर, कर या तो समाप्त कर दिया जाए या बी.पी.एल. परिवारों को दी गई एल.पी.जी. और एस.के.ओ. राजसहायता बराबर करने के लिए फिर से कम निर्धारित की जाए।

(ख) और (ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के पास विचाराधीन हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

***469. श्री मनीष तिवारी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा मूल्य विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अत्यधिक खुदरा मूल्य इस क्षेत्र के प्रति सरकार की कराधान नीति का परिणाम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाये जाने वाले कर और लेवी को क्रय शक्ति के आधार पर आंका जाए तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्य विश्व में सबसे अधिक होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) से (ङ) जुलाई, 2009 में भारत और इसके पड़ोसी

देशों में संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल (भारत में पी.डी.एस. मिट्टी तेल) और घरेलू

एल.पी.जी. के मूल्य निम्नानुसार दिए गए हैं-

(आंकड़े भारतीय रुपयों)

	पेट्रोल रुपये प्रति लीटर	डीजल रुपये प्रति लीटर	मिट्टी तेल रुपये प्रति लीटर	घरेलू एल.पी.जी. रुपये प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर
भारत (दिल्ली)	44.63	32.87	9.22	281.20
पाकिस्तान	36.52	36.82	34.89	483.06
बांग्लादेश	51.36	30.53	30.53	670.12
श्रीलंका	54.19	30.43	21.26	666.31
नेपाल	48.41	34.35	34.35	702.72

टिप्पणी: आंकड़े आई.ओ.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार

अतः यह देखा जा सकता है कि भारत में जहां पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के मूल्य न्यूनतम हैं वहीं पेट्रोल और डीजल के मूल्य पड़ोसी देशों से बिल्कुल तुलनीय हैं।

चूंकि मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् कच्चे तेल की लागतें, विकसित और अविकसित देशों में कमोबेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से एकसमान हैं इसलिए किसी देश में कराधान की दर पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा मूल्यों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर और शुल्क दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों का क्रमशः 48.4% और 24.5% अंश हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

तथापि, केन्द्र सरकार संवेदनशील उत्पादों पर करों और शुल्कों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार युक्तियुक्त बनाती रही हैं-

(i) सीमा शुल्कों में कमी।

- कच्चे तेल पर सीमा शुल्क अगस्त, 2004 में 10% से घटाकर धीरे-धीरे जून, 2008 में शून्य कर दिया गया है।
- घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर सीमा शुल्क अगस्त, 2004 में 10% से कम करके धीरे-धीरे मार्च, 2005 में शून्य कर दिया गया है।

- पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क अगस्त, 2004 में 15% से घटाकर धीरे-धीरे जून, 2008 में 2.5% कर दिया गया है।

(ii) उत्पाद शुल्कों में कमी

- ब्रांड रहित पेट्रोल और ब्रांड रहित डीजल पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क जून, 2004 में क्रमशः 26% और 11% से कम करके धीरे-धीरे मार्च, 2008 में शून्य कर दिया गया है और विशिष्ट शुल्क में परिवर्तित कर दिया गया है।
- ब्रांड रहित पेट्रोल और ब्रांड रहित डीजल पर उत्पाद शुल्क जून, 2008 में 1 रुपया प्रति लीटर कम कर दिया गया है।
- ब्रांड वाले पेट्रोल और डीजल पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क को 7 जुलाई, 2009 से विशिष्ट बना दिया गया है।
- घरेलू एल.पी.जी. और पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क जून, 2004 में 16% से क्रमिक रूप से कम करके मार्च, 2005 में शून्य कर दिया गया है।

(iii) घरेलू एल.पी.जी. को सी.एस.टी. अधिनियम, 2006

के अंतर्गत "घोषित वस्तु" का दर्जा दिया गया। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 19-4-2006 से बिक्री कर की अधिकतम दर घटाकर 4% करते हुए घरेलू एल.पी.जी. को "घोषित वस्तु" अधिसूचित किया गया जबकि अधिकांश राज्यों में पहले यह दर 12.5% लागू थी।

राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर/वैट की ऊंची दरें लागू कर रही हैं। ये पेट्रोल पर 18% से

33% और डीजल पर 8.80% से 26% के बीच हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से हाल ही में सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री (राज्य वित्त मंत्रियों की शक्तिप्रदत्त समिति के अध्यक्ष के रूप में) को यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर/वैट को युक्तियुक्त बनाया जाए ताकि उपभोक्ता जनता के हितों की रक्षा करने के लिए तेल मूल्यों पर कर लगाए जाने में कमी की जा सके।

विवरण

दिल्ली में पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में शुल्कों तथा करों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
1.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अंशों के बिना मूल्य	23.00
2.	सीमा शुल्क (अगस्त, 2009 के प्रथम पखवाड़े पर आधारित)	0.44 (0.99%)
3.	उत्पाद शुल्क (13.35 रुपए/लीटर की दर से लागू जमा 3% शिक्षा उपकर)	13.75 (30.81%)
4.	बिक्री कर	7.44 (16.67%)
5.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अंश (2+3+4) का जोड़	21.63 (48.47%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+5)	44.63

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के अंश दर्शाते हैं।

दिल्ली में डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में करों तथा शुल्कों का भाग

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
1.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अंशों के बिना मूल्य	24.79
2.	सीमा शुल्क (अगस्त, 2009 के प्रथम पखवाड़े पर आधारित)	0.47 (1.42%)
3.	उत्पाद शुल्क (3.60 रुपए/लीटर की दर से लागू तथा 3% शिक्षा उपकरण)	3.71 (11.28%)
4.	बिक्री कर (इसमें 0.25 रुपए प्रति लीटर प्रदूषण उपकर शामिल है)	3.90 (11.87%)

क्र.सं.	विवरण	रुपए/लीटर
5.	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर अंशों (2+3+4) का जोड़	8.08 (24.58%)
6.	दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य (1+5)	32.87

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े खुदरा बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के अंश दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

पारदर्शी एल.पी.जी. सिलिंडरों का विनिर्माण

*470. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के विपणन हेतु मिश्र (पारदर्शी फाइबरग्लास) सिलिंडर शुरू करने के बारे में तेल उत्पादन कंपनियों ने कोई अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय उपयोग में लाए जा रहे एल.पी.जी. सिलिंडर की लागत की तुलना में फाइबरग्लास के प्रस्तावित एल.पी.जी. सिलिंडर की प्रति सिलिंडर लागत कितनी है; और

(घ) देश में फाइबरग्लास के एल.पी.जी. सिलिंडरों की शुरुआत करने से सरकार तथा आम जनता को क्या फायदे होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) और (ख) सरकार ने, घरेलू एल.पी.जी. का विपणन करने के लिए मिश्रित (पारभासी फाइबर ग्लास) सिलिंडर शुरू करके उत्पाद लाइन का विस्तार करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन सूचित कर दिया है, परन्तु इन मिश्रित सिलिंडरों के जरिए बेची जाने वाली एल.पी.जी. में राजसहायता का तत्व नहीं होगा। ये मिश्रित सिलिंडर, सिलिंडर में मौजूद एल.पी.जी. का स्तर दर्शाएंगे। इन सिलिंडरों को मौजूदा सिलिंडरों के प्रतिस्थान पर शुरू न करके अलग पैकेज के रूप में (चुनिंदा बाजारों में) शुरू किया जा रहा है।

ओ.एम.सीज ने रिपोर्ट दी है कि एल.पी.जी. के लिए

मिश्रित सिलिंडरों के इस्तेमाल के लिए, मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक (सी.सी.ओ.ई.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। ओ.एम.सीज ने 1 लाख सिलिंडर खरीदने के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की है और आशा है कि 2010 की दूसरी तिमाही के दौरान, परीक्षण-विपणन के तौर पर चुनिंदा बाजारों में शुरू किया जाएगा।

(ग) मिश्रित सिलिंडरों की अनुमानित इकाई लागत 3000 रुपये से 3200 रुपये के बीच होने की संभावना है जबकि इस समय प्रयोग किए जा रहे 14.2 कि.ग्रा. इस्पात के सिलिंडर के लिए लगभग 1050 रुपये प्रति सिलिंडर लागत है।

(घ) मिश्रित सिलिंडरों से होने वाले संभावित लाभ निम्नानुसार हैं-

- मिश्रित सिलिंडर पारभासी होने के कारण उसमें मौजूद एल.पी.जी. का स्तर इन सिलिंडरों में दिखाई देगा, ऐसा होने से सिलिंडरों में विद्यमान एल.पी.जी. की मात्रा के संबंध में उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी।
- मौजूदा सिलिंडरों की तुलना में मिश्रित सिलिंडर हल्के होने के कारण उठाने में भी सुविधाजनक होंगे। मिश्रित सिलिंडरों का धड़ा वजन, इस्पात के मौजूदा सिलिंडरों का लगभग एक-तिहाई है।
- मिश्रित सिलिंडर फटेंगे नहीं इस प्रकार विस्फोट होने से बचा जाएगा। इससे सुरक्षा बढ़ेगी।
- मिश्रित सिलिंडरों को गैर-राजसहायता प्राप्त कीमत पर बेचने का प्रस्ताव है। इससे सरकार पर राजसहायता का भार उस सीमा तक कम हो जाएगा।
- मिश्रित सिलिंडर देखने में आकर्षक और उत्तम और अच्छी आकृति के होंगे।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों में भ्रष्टाचार

*471. श्री रामकिशुन:

श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों विशेषकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कितने मामले प्रकाश में आए हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) से (ग) जी, हां। मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज) में मिली शिकायतों और पी.एस.यूज की सतर्कता इकाइयों द्वारा किए गए औचक निरीक्षणों, ठेकों के छानबीन के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक पी.एस.यूज में भ्रष्टाचार सहित अनियमितताओं के 106 मामले सूचित किए गए हैं। इनमें से 37 मामले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से संबंधित हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक 108 कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। इनमें से 38 कर्मचारी आई.ओ.सी. के हैं जिनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

सतर्कता प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की नियमित रूप से पुनरीक्षा करके अद्यतन बनाया जाता है। पी.एस.यूज पर लगातार यह जोर दिया गया है कि वे वाणिज्यिक निर्णय लेने में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों को अक्षरशः लागू करें। भ्रष्टाचार रोकने के लिए पी.एस.यूज द्वारा शुरू किए गए ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

1. ई-भुगतान शुरू करना;
2. संबंधित पी.एस.यूज की वेबसाइट पर निविदाओं

का व्यापक प्रचार करना जिसमें उनका प्रकाशन कराया जाना भी शामिल है;

3. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना;
4. सतर्कता द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण करना;
5. शक्तियों के प्रत्यायोजन की पुनरीक्षा करना;
6. संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों का स्थान परिवर्तन;
7. सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन;
8. सतर्कता जागरूकता पर अपेक्षाकृत अधिक जोर।

रेलवे द्वारा विज्ञापन

*472. श्री हुस्मदेव नारायण यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रेलवे के विज्ञापन जारी किए जाने की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा विज्ञापनों के प्रदर्शन पर वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या विज्ञापन जारी करने संबंधी नीति की हाल ही में समीक्षा की गई है अथवा उसकी समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) रेलवे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों के लिए मीडिया और विज्ञापन दरों का चयन करने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार (डी.ए.वी.पी.) निदेशालय द्वारा तैयार की गई भारत सरकार की विज्ञापन नीति का अनुसरण करती है। सूचनाओं के प्रचार संबंधी आवश्यकताओं और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर रेलवे अपने विज्ञापन रिलीज करती है।

(ख) रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों (2006-07 से 2008-09) के दौरान प्रिंट मीडिया पर लगभग क्रमशः 132.80 करोड़ रु., 159.11 करोड़ रु. और 208.90 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है। इसी अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगभग क्रमशः 67.49 लाख रु., 110.78 लाख रु. और 67.48 लाख रु. की राशि खर्च की गई।

(ग) और (घ) विज्ञापन नीति की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समीक्षा की जा रही है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

*473. श्री महेश जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युतीकरण हेतु रेल मार्गों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक जोन-वार कुल कितने लंबे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त अनुरोधों का ब्योरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) रेल मार्गों का विद्युतीकरण परिचालनिक आवश्यकताओं तथा वित्तीय अर्थक्षमता के आधार पर तय किया जाता है।

(ख) 1-4-2009 को रेल नेटवर्क की कुल लम्बाई जहां विद्युतीकरण नहीं किया गया है, 44331 मार्ग कि.मी. है। जोन-वार ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	क्षेत्रीय रेलों के नाम	गैर विद्युतीकृत मार्ग (कि.मी.)
1	2	3
1.	मध्य	2016

1	2	3
2.	पूर्व	1106
3.	पूर्व मध्य	2022
4.	पूर्व तट	1190
5.	उत्तर	5654
6.	उत्तर मध्य	1681
7.	पूर्वोत्तर	3356
8.	पूर्वोत्तर सीमा	3756
9.	उत्तर पश्चिम	5274
10.	दक्षिण	3275
11.	दक्षिण मध्य	3863
12.	दक्षिण पूर्व	482
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	1195
14.	दक्षिण पश्चिम	2925
15.	पश्चिम	5004
16.	पश्चिम मध्य	1532
जोड़		44331

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनकी मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	प्रस्तावित खंडों के नाम	राज्य सरकार	स्थिति
1.	विजयवाड़ा-गुडीवाड़ा-मछलीपटनम-भीमावरम/नरसापुर-निडाडावेलु	आन्ध्र प्रदेश	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
2.	बीबीनगर-नडीकुडी/माचेरियल-नल्लापाडु (गुंटूर)	आन्ध्र प्रदेश	
3.	गुंटूर-तेनाली-रिपाली	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर-तेनाली पहले ही विद्युतीकृत है, तेनाली-रिपाली का विद्युतीकरण फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है।

क्र.सं.	प्रस्तावित खंडों के नाम	राज्य सरकार	स्थिति
4.	इटारसी-इलाहाबाद	मध्य प्रदेश	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
5.	तालचेर-कटक-पारादीप	उड़ीसा	पूरा हो गया है।
6.	कोरापुट-रायगड़ा-विजयनगरम	उड़ीसा	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
7.	तालचेर-झारसुगुडा	उड़ीसा	
8.	दैतारी-बांसपानी	उड़ीसा	कार्य प्रगति पर है तथा रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। लक्ष्य जून, 2010 है।
9.	हरिदासपुर-पारादीप	उड़ीसा	इस नई लाइन का विद्युतीकरण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया जा रहा है।
10.	बीना-कोटा	राजस्थान	कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य मार्च, 2010।
11.	जयपुर-सवाई माधोपुर	राजस्थान	प्रस्ताव विचाराधीन है।
12.	रतलाम-नीमच-चित्तौड़गढ़	राजस्थान	विद्युतीकरण के लिए, यह खंड फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है।
13.	कसारा-टिटावाला खंड पर डी.सी./ए.सी. परिवर्तन कार्य	महाराष्ट्र	पूरा हो गया है।
14.	दिल्ली-रोहतक	हरियाणा	कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य मार्च, 2010।
15.	लकसर-ऋषिकेश/देहरादून	उत्तराखंड	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
16.	नजीबाबाद-कोटद्वार/मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर/काशीपुर-लालकुंआ और रामपुर-लालकुंआ-काठ-गोदाम	उत्तराखंड	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
17.	विल्लुपुरम-तिरुच्चिरापल्ली मदुरै	तमिलनाडु	कार्य प्रगति पर है। लक्ष्य मार्च, 2010।
18.	मदुरै-तूतीकोरिन/नागरकोइल	तमिलनाडु	स्वीकृत/विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है।
19.	कोयम्बतूर-तिरुच्चिरापल्ली	तमिलनाडु	ये खंड विद्युतीकरण के लिए, फिलहाल प्राथमिकता में नहीं हैं।
20.	शोराण्णूर-मंगलोर	केरला	अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त किए जा रहे हैं।
21.	बंगारपेट-मारीकुप्पम	कर्नाटक	बंगारपेट-मारीकुप्पम के लिए वस्तुपरक आशोधन संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कमी***474. डॉ. संजीव गणेश नाईक:****श्रीमती सुप्रिया सुले:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के अनुसार हाल के महीनों में इस्पात के वैश्विक उत्पादन में लगातार कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग पर इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कमी के प्रभाव तथा सरकार द्वारा अपनाई जा रही संदर्शी नीति का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में देश के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) और (ख) वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 के प्रथम छः माह के दौरान विश्व इस्पात उत्पादन वर्षानुवर्ष आधार पर (-) 21.33% कम हुआ है। वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2009 के प्रथम छः माह के लिए विश्व इस्पात उत्पादन का माह-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन)

माह	2008	2009	परिवर्तन का %
जनवरी	112.87	86.42	(-) 23.43%
फरवरी	107.47	84.90	(-) 21.00%
मार्च	119.93	93.14	(-) 22.34%
अप्रैल	117.02	89.00	(-) 23.94%
मई	122.06	95.97	(-) 21.37%
जून	118.85	99.83	(-) 19.02%
जनवरी-जून (6 माह)	698.20	549.26	(-) 21.33%

27 अप्रैल, 2009 को प्रकाशित "वर्ल्ड स्टील शार्ट रेंज आऊटलुक" में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्ड स्टील) ने यह अनुमान लगाया गया था कि 2008 में (-) 1.4% (1197 एम.एम.टी.) की गिरावट के पश्चात 2009 में विश्व के प्रत्यक्ष इस्पात उपयोग (-) 14.9% अर्थात् 1018.6 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) कम होने की आशा की गई है तथापि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2009 के उत्तरार्द्ध में विश्व की इस्पात मांग स्थिर होने की संभावना है जिससे 2010 में कुछ सुधार होगा।

(ग) और (घ) सितम्बर 2008 से प्रारंभ हुई विश्वव्यापी मंदी का भारतीय इस्पात क्षेत्र पर शुरुआती प्रभाव पड़ा था। अक्टूबर से दिसम्बर 2008 (तीसरी तिमाही) के दौरान

इस्पात के उत्पादन और खपत में वर्ष दर वर्ष के आधार पर क्रमशः (-) 7.8% और (-) 13.6% की कमी देखी गई। आर्थिक मंदी के दौरान इस्पात क्षेत्र को सक्षम बनाने हेतु सरकार ने स्वयं विभिन्न कदम उठाए थे। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज सहित इन उपायों के परिणामस्वरूप 2009 की जनवरी से मार्च की अवधि (चौथी तिमाही) के दौरान इस्पात की मांग में सुधार हुआ है। इस अवधि (चौथी तिमाही) के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और खपत में वर्ष दर वर्ष आधार पर क्रमशः 2.67% और 2.21% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में चालू वर्ष अर्थात् 2009-10 की प्रथम तिमाही में भी परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और खपत में वृद्धि जारी रही जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है:

**2008-09 की तुलना में अप्रैल से जून, 2009-10 के दौरान
उत्पादन, निर्यात, आयात और खपत**

(मिलियन टन)

परिसज्जित इस्पात	अप्रैल-जून 2008	अप्रैल-जून 2009	परिवर्तन का %
उत्पादन	13.527	13.982	3.4%
आयात	01.493	01.414	-5.3%
निर्यात	01.032	0.642	-37.8%
वास्तविक खपत	12.200	12.830	5.2%

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (आंकड़े अनंतिम हैं)

सरकार ने देश में इस्पात क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए सितम्बर 2008 के बाद की अवधि में निम्नलिखित वित्तीय उपाय किए हैं:

- (i) तारीख 31-10-2008 से सभी इस्पात मर्चों पर निर्यात शुल्क समाप्त करना।
- (ii) इस्पात मर्चों (इस्पात गलत स्क्रेप को छोड़कर) पर तारीख 18-11-2008 से 5% आयात शुल्क पुनः लगाना।
- (iii) इस्पात मर्चों पर ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम को दिनांक 14-11-2008 से पुनः चालू करना।
- (iv) इस्पात मर्चों पर उत्पाद शुल्क को दिसम्बर 2008 में 14% से 10% और फरवरी 2009 में 8% तक घटाना।
- (v) टी.एम.टी. बार्स और रॉड्स पर काउंटरवैलिंग ड्यूटी पुनः शुरू करना।

इस्पात का आयात

*475. श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से देश में लोहे और इस्पात के अनुमानित घरेलू उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अनुमानित उत्पादन तथा घरेलू क्षेत्र की प्रत्याशित मांग के बीच अंतर कम करने के लिए आयात का सहारा लिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लोहे एवं इस्पात की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा यह आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस आयात पर सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(च) लोहे और इस्पात के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में देश में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि, देश में इस्पात के उत्पादन की अपेक्षा इस्पात की खपत बढ़ रही है इसलिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात के जरिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसके अलावा हाई एंड एप्लिकेशंस को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात को उपलब्ध करवाने के लिए भी इस्पात के आयात का सहारा लिया जाता है जो सामान्य तौर पर देश में उपलब्ध नहीं होते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और खपत का विवरण निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन		खपत	
	मात्रा	वृद्धि का %	मात्रा	वृद्धि का %
2006-07	52.53	12.80	46.78	12.91
2007-08	56.08	6.76	52.12	11.42
2008-09	56.42	0.61	52.05	-0.13
अप्रैल-जून 08	13.53		12.20	
अप्रैल-जून 09	13.98	3.33	12.83	5.16

(घ) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार और चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आयात किये गये इस्पात की मात्रा निम्नानुसार है:-

वर्ष	परिसर्जित इस्पात का कुल आयात (यूनिट: मिलियन टन)
2006-07	4.93
2007-08	7.03
2008-09*	5.72
अप्रैल-जून 2009-10*	1.41

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*=अनंतिम

इस्पात का मुख्यतया आयात चीन, कोरिया, जापान, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, बेल्जियम, रोमानिया, संयुक्त राज्य अमरीका और सऊदी अरब से किया जाता है।

(ङ) सरकार अपने उपभोग के लिए न तो इस्पात का सीधे आयात करती है और न ही ऐसे आयात को दिशा प्रदान करती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान परिसर्जित इस्पात के आयात के विदेशी मुद्रा के मूल्य के बराबर रुपये में मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	आयात का मूल्य (परिसर्जित इस्पात का कुल आयात) (यूनिट: करोड़ रुपये)
2006-07	16,083
2007-08	24,952
2008-09*	29,728
अप्रैल-जून 2009-10*	5,351

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*=अनंतिम

(च) नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण इस्पात के उत्पादन से संबंधित निर्णय अनिवार्य रूप से इस्पात की उत्पादक इकाइयों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार केवल सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है और उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र नीतिपरक वातावरण उपलब्ध करवाती है। घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने और अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 बनाई है और सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय समूह (आई.एम.जी.) गठित किया है जो अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरणीय मंजूरी एवं अन्य संसाधन अड़चनों के बारे में देश में प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित विषयों पर निगरानी तथा समन्वय का कार्य देखेगा।

एयर इंडिया में प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन***476. श्री उदय सिंह:****श्री मधु गौड यास्खी:**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया है जिसके वे हकदार नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एयर इंडिया की उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन इसके बोर्ड अथवा सरकार की स्वीकृति के बिना किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन भुगतानों को रोकने हेतु जारी किए गए निदेशों की विमान कंपनी द्वारा अनदेखी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के निदेशों का पालन न करने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए तथा एयर इंडिया में व्यर्थ के खर्च को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा निर्धारित वेतन संबंधी नीतियों का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मान्यता-प्राप्त यूनियनों के साथ किए गए वेतन संबंधी समझौते डी.पी.ई. द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अनुरूप होने चाहिए। एयर इंडिया में भी प्रबंधन द्वारा वेतन और भत्तों का भुगतान एयर इंडिया की यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ किए गए समझौतों के अनुसार किया जा रहा है। तथापि, इनमें से कुछ

समझौते डी.पी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं।

(ग) कार्य निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पी.एल.आई.) का भुगतान समझौतों/सहमति-पत्र/आपसी समझ का एक भाग है। यूनियनों/एसोसिएशनों/गिल्डों के साथ हस्ताक्षरित इन समझौतों/सहमति-पत्रों/आपसी समझ को पूर्ववर्ती एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। बहरहाल, इस संबंध में सरकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई।

(घ) और (ङ) नैसिल को अपने कर्मचारियों की अनुपलब्धियों एवं भत्तों को डी.पी.ई. के मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुरूप लाने की दिशा में सुधारात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।

रेल संपर्क परियोजनाएं

***477. श्री अधीर चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में पत्तन/भीतरी प्रदेश रेल संपर्क परियोजनाओं के कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसी प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं पर आज की तारीख के अनुसार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) वित्तपोषण और मौजूदा स्थिति सहित पत्तन/भीतरी प्रदेश संपर्क कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	लम्बाई सहित परियोजना का नाम (कि.मी. में)	2006-07 से 2008-09 तक मुहैया कराया गया परिव्यय	परिव्यय 2009-10	31-03-2009 को खर्च	स्थिति और लक्ष्य (टी.डी.सी.) जहां-कहीं निर्धारित हैं
1	2	3	4	5	6
1.	ओबुलावारीपल्लै-कृष्णापटनम नई लाइन (एन.एल.) (113 कि.मी.)	45	50	95	परियोजना को रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) द्वारा सृजित विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.वी.) द्वारा शुरू किया गया है। 113 कि.मी. में से, 21 कि.मी. पूरी हो चुकी है। शेष हिस्से के लिए, प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई है।
2.	भरुच-सामनी-दाहेज आमान परिवर्तन (जी.सी.)(62.36 कि.मी.)	17.6	45.65	15	परियोजना आर.वी.एन.एल. की विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.वी.) द्वारा निष्पादित की जा रही है। मिट्टी संबंधी कार्य शुरू हो चुकी है।
3.	गांधीधाम-पालनपुर जी.सी. (313 कि.मी.)	75.4	-	440.0	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
4.	होस्पेट-गुंतकल दोहरीकरण (डी.एल.) (115.4 कि.मी.)	89	26	290.19	कार्य पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है सिवाय 1.5 कि.मी. के बेल्लारी बाईपास जिसके लिए कार्य प्रगति पर है।
5.	हरिदासपुर-पारादीप एन.एल. (82 कि.मी.)	144	-	135.37	परियोजना आर.वी.एन.एल. की एस.पी.वी. द्वारा शुरू की गई है। भूमि अधिग्रहण और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। समग्र वास्तविक प्रगति 14% है।
6.	अंगुल-सुर्किदा एन.एल. (98 कि.मी.)	92	75	20.87	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। परियोजना आर.वी.एन.एल. की एस.पी.वी. के माध्यम से कार्यान्वित की जानी है।
7.	भिलडी-समदडी जी.सी. (223 कि.मी.)	232.80	70	261.86	मिट्टी, पुल, ब्लैकेटिंग, गिट्टी आपूर्ति तथा रेलपथ जोड़ने के कार्य प्रगति पर हैं। समग्र वास्तविक प्रगति 87% टी.डी.सी.-2009-10।

1	2	3	4	5	6
8.	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रेवाड़ी जीसी (294.97 कि.मी.)	545	100	545.01	मिट्टी ब्लैंकेटिंग, पुल, रेलपथ जोड़ने संबंधी कार्य प्रगति पर है। रिवाड़ी-फुलेरा (215 कि.मी.) पूरा हो चुका है। समग्र वास्तविक प्रगति-89%, टी.डी.सी-2009-10
9.	तंजावुर-विल्लुपुरम जीसी (192 कि.मी.)	185	42	496.85	192 कि.मी. से 138 कि.मी. पूरा हो चुका है। समग्र वास्तविक प्रगति-92%। टी.डी.सी.-2009-10।
10.	कुड्डालोर-सलेम बरास्ता वृद्धाचलम जीसी (191 कि.मी.)	112	2	311.07	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
11.	दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन जीसी 83 कि.मी.)	65	5	143.89	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
12.	बरौनी-तिलरथ बाईपास डीएल (14 कि.मी.)	5.39	1	14.40	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
13.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर जीसी (236 कि.मी.)	0.01	2.4	234.93	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
14.	पनवेल-जसई-जे.एन.पी.टी. डी.एल. 28.5 कि.मी.)	10.01	-	136.32	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
15.	पांसकुरा-हल्दिया पी.एच.-I डी.एल. (14 कि.मी.)	0.50	-	31.26	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
16.	पिपावाव और सिहोर-पलिताना तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर-रजुला-महुवा जीसी (385 कि.मी.)	35	-	446.04	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
17.	दैतारी-बांसपानी एन.एल. (155 कि.मी.)	190.85	60	780.69	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
18.	पनवेल-करजत एन.एल. (28 कि.मी.)	1.02	-	136.62	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
19.	रहामा-पारादीप डी.एल. (23 कि.मी.)	10.75	0.2	77.3	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।

20. नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर डी.एल. (43 कि.मी.)	12.28	0.5	178.96	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
21. आनंदनगर-नौतनमा जीसी सहित गोंडा-गोरखपुर लूप (260 कि.मी.)	55	30	159.32	मिट्टी, गिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। समग्र वास्तविक प्रगति-32%।
22. शाखा लाइनों सहित रंगिया-मुरकॉग- सेलेक जीसी (510.33 कि.मी.)	82	54.28	71.64	मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पैर है। समग्र वास्तविक प्रगति 5.03%। इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।
23. मानसी-सहरसा एवं सहरसा-दौरम मधेपुरा-पुर्णिया जीसी (142 कि.मी.)	105.15	49.10	180.57	मानसी-सहरसा पूरा हो गया है। सहरसा-दौरम-मधेपुरा-पुर्णिया खंड पर मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों के कार्य प्रगति पर है। सहरसा-दौरम-मधेपुरा को 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
24. रजतगढ़-नरगुंडी डी.एल. (28 कि.मी.)	0.3	-	83.34	पूरा हो चुका है और खोल दिया गया है।
25. मदुरै-डिंडीगुल डी.एल. (62.06 कि.मी.)	110.65	-	164.95	पूरा हो चुका है।
26. पुत्तुर-अट्टिपट्ट एन.एल. (88.3 कि.मी.)	0.01	45	0.31	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

उपर्युक्त कार्यों में से, क्रम सं. 15 पर उल्लिखित केवल पांसकुरा-हल्दिया चरण-1 दोहरीकरण (14 कि.मी.) पश्चिम बंगाल में पड़ता है।

उपर्युक्त चालू परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य संबद्ध कारकों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

अमोनिया नाइट्रेट की मांग और आपूर्ति

*478. श्री तूफानी सरोज : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में अमोनिया नाइट्रेट के उत्पादन में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अमोनिया नाइट्रेट की राज्य-वार मांग और आपूर्ति कितनी रही; और

(ङ) आकलित मांग तथा आयात सहित अमोनिया नाइट्रेट के स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत

जेना): (क) विगत 3 वर्षों के दौरान देश में अमोनियम नाइट्रेट का कुल उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	अमोनियम नाइट्रेट का स्वदेशी उत्पादन (मी. टन में)
2006-07	2,67,000
2007-08	3,35,363
2008-09	3,70,900

(ख) और (ग) अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है बल्कि इसके स्वदेशी उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने में आई है।

(घ) और (ङ) अमोनियम नाइट्रेट की मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच कमी को आयात से पूरा किया गया है। तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अमोनियम नाइट्रेट की कुल मांग और उपलब्धता निम्नानुसार रही है :

(मात्रा मी. टन)

वर्ष	स्वदेशी उत्पादन	आयात	कुल उपलब्धता	अमोनियम नाइट्रेट की कुल मांग (मी. टन में)
1	2	3	4(2+3)	5
2006-07	2,67,000	1,35,350	4,02,350	4,60,000
2007-08	3,35,363	1,94,000	5,29,363	4,99,590
2008-09	3,70,900	2,43,700	6,14,600	5,61,601

[अनुवाद]

कोल बेड मिथेन एवं गैस हाइड्रेट्स के भंडार

*479. श्री टी.आर. बालू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राप्त कोल बेड मिथेन तथा गैस हाइड्रेट्स के कितने भंडार होने का अनुमान है;

(ख) कोल बेड मिथेन के अन्वेषण एवं दोहन हेतु अब तक कितने ब्लॉकों के ठेके दिए गए हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं के नाम क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(घ) हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा कुछ देशों के

साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में प्राप्त गैस हाइड्रेट्स के अन्वेषण तथा दोहन में कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) 26 कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) ब्लॉकों के अनुमानित स्रोत 1480 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) हैं। गैस हाइड्रेट्स के प्रारंभिक अनुमानित स्रोत लगभग 1894000 बी.सी.एम. हैं।

(ख) अभी तक कुल 26 सी.बी.एम. ब्लॉक दिए गए हैं, जिनमें से 23 ब्लॉक सी.बी.एम. नीति के तहत बोली के तीन दौरों में दिए गए थे। शेष तीन ब्लॉकों में से दो ब्लॉक नामांकन आधार पर दिए गए और एक ब्लॉक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) मार्ग से दिया गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को दिए गए ब्लॉकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सी.बी.एम. ब्लॉकों में अब तक प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

- (1) अभी तक 250 अन्वेषणात्मक/प्रायोगिक कूप वेधित किए गए हैं।
- (2) चार सी.बी.एम. ब्लॉकों में, 176 बी.सी.एम., सी.बी.एम. गैस भंडारों की पुष्टि कर ली गई है।
- (3) सी.बी.एम. का वाणिज्यिक उत्पादन रानीगंज सी.बी.एम. ब्लॉक में जुलाई, 2007 से शुरू हुआ था जो इस समय 100000 घन मीटर प्रति दिन है।

(घ) राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) के तहत गैस हाइड्रेट अभियान-1 में 21 स्थलों में गैस हाइड्रेट्स का वेधन, गैस हाइड्रेट लक्षण-वर्णन अध्ययन, सूक्ष्म जैविकी अध्ययन, जीव रसायन अध्ययन और गैस हाइड्रेट्स के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

विवरण

दिए गए सी.बी.एम. ब्लॉकों की सूची

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	सी.बी.एम. दौर	प्रचालक
1.	पश्चिम बंगाल	रानीगंज (दक्षिण)	एफ.आई.पी.बी. रास्ते से	जी.ई.ई.सी.एल.
2.	पश्चिम बंगाल	रानीगंज (उत्तर)	नामांकन	ओ.एन.जी.सी.
3.	पश्चिम बंगाल	आर.जी.(ई)-सी.बी.एम.-2001/I	I	एस्सार ऑयल
4.	पश्चिम बंगाल	बी.बी.-सी.बी.एम.-2005/III	III	बी.पी.ई.
5.	झारखंड	बी.के.-सी.बी.एम.-2001/I	I	ओ.एन.जी.सी.
6.	झारखंड	एन.के.-सी.बी.एम.-2001/I	I	ओ.एन.जी.सी.
7.	झारखंड	झरिया	नामांकन	ओ.एन.जी.सी.
8.	झारखंड	एस.के.-सी.बी.एम.-2003/II	II	ओ.एन.जी.सी.
9.	झारखंड	एन.के.-डब्ल्यू.-सी.बी.एम.-2003/II	II	ओ.एन.जी.सी.
10.	झारखंड	आर.एम.-सी.बी.एम.-2005/III	III	ए.आर.आर.ओ.डब्ल्यू.
11.	मध्य प्रदेश	एस.पी.(ई)-सी.बी.एम.-2001/I	I	आर.आई.एल.
12.	मध्य प्रदेश	एस.पी.(डब्ल्यू.)-सी.बी.एम.-2001/I	I	आर.आई.एल.
13.	मध्य प्रदेश	एस.टी.-सी.बी.एम.-2003/II	II	ओ.एन.जी.सी.
14.	मध्य प्रदेश	एस.पी.(एन)-सी.बी.एम.-2005/III	III	ज्यो पेट्रोल

क्र. सं.	राज्य	ब्लॉक का नाम	सी.बी.एम. दौर	प्रचालक
15.	मध्य प्रदेश	एस.आर.-सी.बी.एम.-2005/III	III	कोल गैस
16.	छत्तीसगढ़	एस.एच.(एन)-सी.बी.एम.-2003/II	II	आर.आई.एल.
17.	छत्तीसगढ़	टी.आर.-सी.बी.एम.-2005/III	III	ए.आर.आर.ओ.डब्ल्यू.
18.	छत्तीसगढ़	एम.आर.-सी.बी.एम.-2005/III	III	ए.आर.आर.ओ.डब्ल्यू.
19.	राजस्थान	बी.एस.(1)-सी.बी.एम.-2003/II	II	आर.आई.एल
20.	राजस्थान	बी.एस.(2)-सी.बी.एम.-2003/II	II	आर.आई.एल
21.	राजस्थान	बी.एस.(4)-सी.बी.एम.-2005/III	III	ज्यो पेट्रोल
22.	राजस्थान	बी.एस.(5)-सी.बी.एम.-2005/III	III	ज्यो पेट्रोल
23.	महाराष्ट्र	डब्ल्यू.डी.-सी.बी.एम.2003/II	II	ओ.एन.जी.सी.
24.	आन्ध्र प्रदेश	के.जी.-(ई)-सी.बी.एम.-2005/III	III	ज्यो पेट्रोल
25.	आन्ध्र प्रदेश	जी.वी.(एन)-सी.बी.एम.-2005/I	III	कोल गैस पेट्रोल
26.	गुजरात	बी.एस.(3)-सी.बी.एम.-2003/II	II	ओ.एन.जी.सी.

सवारी डिब्बों और वैगनों की कमी

*480. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को सभी प्रकार के सवारी डिब्बों और वैगनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार निजी सरकारी भागीदारी प्रणाली के अन्तर्गत वैगनों तथा सवारी डिब्बों का निर्माण करने हेतु परियोजनाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर निजी कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) मांग पूरी करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठे गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (च) रेलवे

इस राष्ट्र की जीवन रेखा है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में और गाड़ियां चलाने की मांग निरंतर बढ़ रही है। गाड़ियों को प्रारंभ करने की पूरा न की गई मांगों का कारण भारतीय रेल में सवारी डिब्बों की कमी है। कोच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा रेल उत्पादन इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है और सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए सार्वजनिक एवं निजी फर्मों को आदेश दिए गए हैं।

रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक नए रेल डिब्बा कारखाने की स्वीकृति दी गई है। केरल के पालक्काड में उत्पादन कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। संयुक्त उद्यम/सार्वजनिक-निजी साझेदारी के अंतर्गत सवारी डिब्बों के उत्पादन हेतु पश्चिम बंगाल के कांचरापाड़ा में एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रेल बजट 2009-10 में घोषित किया गया है जिसके लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

सीजनल उतार-चढ़ाव को छोड़कर, जिसमें कभी-कभी माल परिवहन के लिए मांग पूरी नहीं हो पाती है, माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से माल डिब्बों के निर्माण करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा

4486. श्री ए. सम्पत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मौजूदा विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण लागत के लिए राज्य सरकारों को मुआवजा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तिरुवनन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के प्रस्तावित विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अतिरिक्त भूमि की लागत का अंश जुटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। हवाईअड्डों के विकास की लागत की पूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा की जाती है जबकि सामान्यतः राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भा.वि.प्रा. (ए.ए.आई.) को सभी भारों से मुक्त निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराते हैं।

(ग) केरल राज्य सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार तिरुवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 120 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है जिसमें से अब तक 33 एकड़ भूमि ए.ए.आई. को सुपुर्द कर दी गई है।

व्यय की प्रतिपूर्ति

4487. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी अपने घरों में रखरखाव और मरम्मत पर अपने व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय ने कर्मचारियों के ऐसे व्ययों के भुगतान पर आपत्ति जताई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अरुण यादव): (क) और (ख) यदि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालक सम्बन्धित उद्यम द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में नहीं रह रहे हैं तो वे मकान किराया भत्ता के हकदार हैं। जिन मामलों में केन्द्रीय सरकारी उद्यम पट्टाकृत आवास उपलब्ध कराते हैं उनमें पट्टा विलेख के सन्दर्भ में मकानों की मरम्मत व अनुरक्षण का दायित्व पट्टादाता का होता है।

(ग) और (घ) पहले केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने कार्यपालकों को पट्टाकृत आवास आदि उपलब्ध कराने के मामले में हुई कतिपय अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। इसे ध्यान में रखते हुए दिनांक 05-06-2003 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि कार्यपालकों द्वारा स्व-पट्टा आवासों को आय का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों को उपलब्ध कराए गए मकानों की मरम्मत व अनुरक्षण से सम्बन्धित पट्टादाता को पट्टा किराया के भुगतान के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करने का मुद्दा उठाया था। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद दिनांक 20-5-2009 को अनुदेश जारी किए गए थे और उसमें कार्यपालकों को उपलब्ध कराए गए पट्टाकृत आवासों की मरम्मत एवं रख-रखाव सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति करने पर रोक लगा दी गई थी।

बी.एच.पी.वी. को सहायता

4488. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स (बी.एच.पी.वी.) को वित्तीय सहायता देने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) बी.एच.पी.वी. की वित्तीय स्थिति क्या है;

(घ) क्या बी.एच.पी.वी. का विलय किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के साथ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और ऐसा कब तक होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अरुण यादव): (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 2007 में भारत सरकार से बी.एच.पी.वी. के 415 करोड़ रुपए के ऋण और ब्याज को माफ करने और बैंकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के प्रति कंपनी की देयताओं को समाप्त करने के लिए 264 करोड़ रुपए की नकद सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

भारत सरकार ने बी.एच.पी.वी. के 415.61 करोड़ रुपए की राशि के ऋण और ब्याज को माफ कर दिया। भारत सरकार ने बी.एच.पी.वी. को बाजार से निधि प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी को 250 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी भी देने का निर्णय किया है।

बी.एच.पी.वी. का बी.एच.ई.एल. द्वारा मई, 2008 में अपनी शत-प्रतिशत सहायक कंपनी के रूप में इसकी समस्त परिसम्पत्तियों और देयताओं सहित अधिग्रहण किया जा चुका है।

(ग) वर्ष 2008-09 के "प्रचालन परिणामों" के अनुसार बी.एच.पी.वी. की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:-

	(करोड़ रुपये)
क्रयादेश बुक की स्थिति	235.74
कारोबार	84.39
कर पूर्व लाभ	(-)133.15
नेटवर्थ	(-)229.93

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का आयात

4489. श्री मिथिलेश कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन देशों से प्राकृतिक गैस का आयात किया जा रहा है; और

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित गैस का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) देश में प्राकृतिक गैस का आयात केवल तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के रूप में किया जाता है। एल.एन.जी. का आयात विभिन्न देशों, जिनमें कतर, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, मिश्र, संयुक्त अरब अमीरात, रूसी संघ, ओमान, त्रिनिदाद, इण्डोनेशिया, गिनी और अल्जीरिया शामिल हैं, से किया जाता है।

(ख) हाल में देश में दो एल.एन.जी. पुनर्गैसीकरण टर्मिनल, नामतः पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) का दहेज टर्मिनल और हजीरा एल.एन.जी. प्राइवेट लिमिटेड (एच.एल.पी.एल.) का हजीरा एल.एन.जी. टर्मिनल प्रचालन में हैं। 2007-08 से आगे पी.एल.एल. और एच.एल.पी.एल. द्वारा किए गए एल.एन.जी. आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	कंपनीवार आयातित मात्रा [मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) में]	
		पी.एल.एल.	एच.एल.पी.एल.
1.	2007-08	6.29	2.03
2.	2008-09	6.46	1.56
3.	2009-10 (30-6-2009 तक)	1.7	0.49

[अनुवाद]

पवन जेनरेटरों से विद्युत का उत्पादन

4490. श्री एस.एस. रामासुब्बु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने देश के विभिन्न राज्यों में पवन जेनरेटरों से विद्युत का उत्पादन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तरीका डीजल या गैस जेनरेटरों के मुकाबले सस्ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पवन जेनरेटरों के माध्यम से और अधिक विद्युत

उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने केवल गुजरात राज्य में पवन जेनरेटरों को स्थापित किया है और बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया है।

(ख) संयंत्र की क्षमता 51 मे.वा. (मेगावाट) की है, इसमें 34 मशीनें लगी हैं और प्रत्येक मशीन की क्षमता 1.5 मे.वा. की है।

(ग) जी हां। पवन विद्युत स्वच्छ, हरित ऊर्जा (प्रदूषण रहित) है और इसका दीर्घावधि उत्पादन डीजल और गैस विधियों की तुलना में लागत प्रभावी है। तथापि, पवन विद्युत चक्रीय है और विचरण के अध्वधीन है और इसलिए, यह ऊर्जा का एक अनुपूरक स्रोत है।

(घ) ओ.एन.जी.सी. में डीजल, पवन और गैस से कैप्टिव विद्युत उत्पादन के तुलनात्मक ब्यौरे निम्नवत् हैं-

उत्पादन विधि	रु./किलोवॉट घंटा	अभ्युक्ति/मानदंड
पवन	2.00	पवन परियोजना के लिए बोली मूल्यांकन के अनुसार
गैस	2.26	हजीरा संयंत्र के अनुसार
डीजल	10.00-11.00	ओ.एन.जी.सी. द्वारा स्टैंडबाई, वेधन आदि के लिए उत्पादन के आधार पर

(ङ) ओ.एन.जी.सी. द्वारा किए गए व्यवहार्यता-पूर्व इन हाऊस अध्ययन के आधार पर, चार राज्यों नामतः गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डी.एफ.आर.) अध्ययन के लिए पहचान की गई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहन

4491. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कार विनिर्माण कंपनियों सहित कार कंपनियों ने विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहन बनाना बंद/कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उपयुक्त वाहनों के

बिना विकलांग व्यक्तियों को हो रही परेशानियों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माता संघ, एस.आई.ए.एम. के अनुसार, भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माता, जो पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वाहन मुहैया करा रहे थे, उन्हें इसे बंद करना पड़ा क्योंकि ऐसे वाहनों की मांग बहुत कम है और इसे 'ऑफ दी शोल्फ' मुहैया

कराना आर्थिक तौर पर व्यावहारिक नहीं है। तथापि, एस.आई.ए.एम. ने भी सूचित किया है कि भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग विशेष मांग पर विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त वाहन का विनिर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, मारुति उद्योग लि. (एम.यू.एल.) का विनिवेश होने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र में कोई कार विनिर्माता कंपनी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार कार विनिर्माताओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम एक या दो मॉडल का विनिर्माण करने पर विचार करने के लिए सलाह देती रही है। भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए वाहनों पर उत्पाद शुल्क में छूट भी मुहैया कराती है।

इस्पात संयंत्रों की क्षमता

4492. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों ने अपनी तय क्षमता को पार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ इस्पात संयंत्र भंडारण तथा तैयार माल के नकदीकरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संयंत्र द्वारा उत्पादित व जारी तैयार माल की मात्रा कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा भंडारण तथा तैयार माल के नकदीकरण हेतु इन इस्पात संयंत्रों को मदद देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) तीन प्रमुख उत्पादकों नामतः सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) तथा निजी क्षेत्र में टाटा स्टील लिमिटेड के लिए क्षमता उपयोग (कूड स्टील) के संबंध में संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा संकलित नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तीनों प्रमुख इस्पात उत्पादकों के संयंत्र गत तीन वर्षों के दौरान अपनी 100% क्षमता से अधिक पर प्रचालन कर रहे हैं:-

अपरिष्कृत उस्पात उत्पादन की क्षमता उपयोगिता स्तर (%)

	2006-07	2007-08	2008-09*
सेल	105	109	104
आर.आई.एन.एल.	120	108	113
टाटा स्टील	103	100	102

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*= अनंतिम

तथापि, गत तीन वर्षों के लिए देश में सभी इस्पात संयंत्रों (प्रमुख, बड़े और अन्य उत्पादकों को मिलाकर) के क्षमता उपयोग के संबंध में संयुक्त संयंत्र समिति (जे.पी.सी.) द्वारा संकलित नीचे दिये गये आंकड़ों के अनुसार इस्पात उद्योग समग्र रूप से अपनी क्षमता से कम पर प्रचालन कर रहा है:-

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (%)
2006-07	89

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (%)
2007-08	90
2008-09*	83

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

*= अनंतिम

(ग) से (ङ) किसी भी इस्पात उत्पादक ने तैयार माल के भंडारण और नकदीकरण के संबंध में किसी

प्रकार की समस्या से सरकार को अब तक अवगत नहीं कराया है।

इस्पात संयंत्रों का निष्पादन

4493. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में समेकित इस्पात संयंत्रों तथा लघु इस्पात संयंत्रों का लाभ/हानि कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभांश तथा विभिन्न

करों के रूप में केन्द्र सरकार को कंपनी-वार कुल कितनी राशि दी गई है तथा कुल लाभ कितना रहा है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों का वर्ष-वार निष्पादन क्या रहा है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):

(क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07 के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) का लाभ/हानि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

कर पश्चात लाभ	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सेल	-304	2512	6817	4013	6202
आर.आई.एन.एल.	521	1547	2008	1252	1363

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार को लाभांश और विभिन्न करों के रूप में दी गई कुल धनराशि

निम्नानुसार है;

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
सेल	2603	3224	4917	7775	9886
आर.आई.एन.एल.	644	813	1013	1608	2144

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न निजी इस्पात कंपनियों के लाभ/हानि तथा उनके द्वारा लाभांश और करों के भुगतान से संबंधित वित्तीय आंकड़े इस

मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान परिसज्जित इस्पात का उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन टन)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उत्पादन	39.22	43.35	46.87	51.22	57.66

ऑटो इंडस्ट्री में उत्पादन

4494. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑटो इंडस्ट्री में उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्षवार कितनी रही है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश से ऑटो उत्पादों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) सोसायटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल

मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए.सी.एम.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ऑटो उद्योग के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

ऑटोमोबाइल्स

(संख्या)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	%सी.ए.जी.आर.
वाहनों का कुल उत्पादन	6,279,967	7,243,564	8,467,853	9,743,503	11,087,997	15.27
वृद्धि प्रतिशत	-	15.3%	16.9%	15.1%	13.8%	लागू नहीं

ऑटो कलपुर्जे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	%सी.ए.जी.आर.
ऑटो कलपुर्जे का कारोबार	25,535*	30,640*	38,500*	53,400	64,500	26%
वृद्धि प्रतिशत	-	20%	25.7%	38.7%	20.8%	लागू नहीं

*उत्पादन के आंकड़े

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश से आटो उत्पादों की निर्यात वृद्धि निम्नानुसार है:-

ऑटोमोबाइल्स

(संख्या)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	%सी.ए.जी.आर.
लाहनों का कुल उत्पादन	307,308	479,919	629,544	806,222	1,011,529	34.69
वृद्धि प्रतिशत	-	56.2%	31.2%	28.1%	25.5%	लागू नहीं

ऑटो कलपुर्जे

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	%सी.ए.जी.आर.
आटो कलपुर्जे का कारोबार	4,620	5,795	7,937	11,198	13,184	30%
वृद्धि प्रतिशत	-	25.4%	37%	41.1%	17.7%	लागू नहीं

[हिन्दी]

संविधान पीठ

4495. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने संविधान से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान हेतु स्थायी संविधान पीठ के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

4496. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास कई वर्षों से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है;

(घ) क्या मृतक कर्मचारियों द्वारा सेवाकाल में की गयी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे का विचार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति का कोटा बढ़ाने का है; और

(ड) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ड) उस रेल कर्मचारी, जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई हो अथवा चिकित्सकीय विकोटिकरण के कारण सेवा पूरी होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, उसके परिवार के एक आश्रित सदस्य की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाता है।

रेलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 30-11-2008 तक अनुकंपा के आधार पर 2906 मामले नियुक्ति के लिए लंबित थे।

पेटेंट की गयी दवाओं की कीमतें

4497. श्री नरहरि महतो: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेटेंट की गयी दवाओं की कीमतों पर बातचीत करने के लिए एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय उद्योग को इस समिति का भाग बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त पैनल की सिफारिशें क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ड) इस विभाग में, विभिन्न विभागों/संगठनों जैसे औषध निर्माण विभाग, औषध महानियंत्रक (भारत), राष्ट्रीय औषधीय शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.), औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग एवं फार्माक्सिल से सदस्यों के साथ पेटेंटशुदा औषधों के लिए मूल्य निगोसिएशन के मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। समिति ने अपनी कार्यवाहियों के दौरान उद्योग एवं उद्योग संघों सहित स्टेकधारकों के साथ संवाद स्थापित किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुफ्त विधिक सहायता

4498. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न सरकारी एजेंसियों से क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केंद्रीय अधिनियम) के अधीन स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह अधिनियम वर्ष 1995 से प्रवृत्त हुआ है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 35 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। इस समय अधिनियम के अनुसार विधिक सेवाओं के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए 596 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और 2037 तालुक विधिक सेवा समितियां, 21 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां और 1 उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विद्यमान हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ऐसा सर्वोच्च निकाय है जो भारत में पूर्वोक्त सभी विधिक सेवा संस्थानों को विधिक सेवा के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश और स्कीम प्रदान करता है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों ने उनके प्रारंभ से 31 मार्च, 2009 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निम्नलिखित सदस्यों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई है:

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या = 13,13,510

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या = 4,64,503

(ग) नाल्सा को किसी सरकारी अभिकरण से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में वस्त्र परियोजनाएं

4499. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही कुछ वस्त्र परियोजनाओं के लिए हाल ही में आर.बी.आई. से संपर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णयों तथा की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):
(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

4500. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्नाटक में छह रेलवे स्टेशनों को शामिल करके चिकमंगलोर-काडु बड़ी लाइन परियोजना का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस परियोजना के अनुमान को संशोधित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। यह कडूर से सकलेशपुर तक स्वीकृत नई लाइन परियोजना (93 किमी.) है और प्रथम चरण में, कडूर से चिकमंगलूर तक कार्य शुरू किया गया है। प्रथम चरण के कार्य में छः रेलवे स्टेशन आते हैं। कडूर-चिकमंगलूर (46 किमी.) खंड पर मिट्टी तथा छोटे पुलों संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा

4501. श्री पी. बलराम: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) प्रत्येक समुदाय को दिये गये अल्पसंख्यक दर्जे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लायी गयी है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) किसी समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.एम.) अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है जिसमें किया गया प्रावधान इस प्रकार है:-

"इस अधिनियम के प्रयोजन से अल्पसंख्यक का आशय एक ऐसे समुदाय से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।"

तदनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 23 अक्टूबर, 1993 की अधिसूचना सं. 1/11/93-एम.सी.(डी) के द्वारा देश के पांच धार्मिक समुदायों यथा - मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित समुदाय पूरे देशभर के लिए, जनजातीय क्षेत्र सहित, अल्पसंख्यक समुदाय हैं।

(ड) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में आवंटित योजनागत धनराशि तथा मंत्रालय द्वारा उपयोग में लायी गयी राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (वास्तविक)
2006-07	0.98	130.89	119.50
2007-08	500.00	350.00	196.65
2008-09	1000.00	650.00	618.62

मेरठ कैंट और रेवाड़ी के बीच शटल रेलगाड़ी

4502. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेरठ कैंट से नई दिल्ली के बीच पहले चलने वाली 1 एम.एन.आर. मेरठ शटल रेलगाड़ी का विस्तार रेवाड़ी तक कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेवाड़ी तक इसके विस्तार के बाद से यह रेलगाड़ी देर से चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) ऐसे अनावश्यक विलंब से बचने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) जनता की मांग और परिचालनिक सुविधा के

कारण 1-9-2004 से 1एन.एन./2एम.एन. मेरठ-नई दिल्ली शटल गाड़ी को रेवाड़ी तक चलाया गया है।

(ग) से (ड) दैनिक यात्री गाड़ियों के समयपालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। प्रश्नगत गाड़ी का समयपालन बिल्कुल संतोषजनक है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइनें

4503. श्री मुरारी लाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को छत्तीसगढ़ सरकार से नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार छत्तीसगढ़ में अनूपपुर-विश्रामपुर रेल लाइन को उत्तरी छत्तीसगढ़ में अबिल्लापुर होकर रामानुजगंज रेल लाइन में जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। मंदिर हसौद से केन्द्री स्टेशन को जोड़ते हुए नया रायपुर के लिए सर्वेक्षण कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) बरवाडीह से चिरमिरी तक नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण किया गया है।

[अनुवाद]

झारग्राम में रेल उपरिपुल

4504. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे में झारग्राम पर रेल उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रेल उपरिपुल के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) उक्त रेल उपरिपुल कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 2001-02 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान कार्य को स्वीकृत किया गया था लेकिन शुरू नहीं किया जा सका चूंकि राज्य सरकार ने प्राथमिकता नियत नहीं की थी। रेलवे के जोर देने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा पहुंचमार्गों के लिए विस्तृत अनुमान प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। रेलवे ने अपने कार्य हेतु 2009-10 के दौरान 2 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

आरक्षण कोटा

4505. श्री निलेश नारायण राणे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी स्टेशनों के लिए इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली राजधानी रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) किसी स्टेशन के लिए आरक्षण कोटे का निर्धारण करने हेतु मौजूदा मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या उक्त स्टेशनों के लिए आरक्षण कोटे का निर्धारण करने के लिए विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ड) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गाड़ी संख्या 2432 हजरत निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में रत्नागिरी स्टेशन पर दूसरी श्रेणी के वातानुकूल में 2 शयिकाओं तथा तीसरी श्रेणी के वातानुकूल में 4 शयिकाओं का आरक्षण कोटा मुहैया करा दिया गया है। गाड़ी संख्या 2431 त्रिवेन्द्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में, रत्नागिरी के यात्री मडगांव पर उपलब्ध कोटे आरक्षण का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उठा सकते हैं। उपर्युक्त दोनों गाड़ियों का सिंधुदुर्ग में ठहराव नहीं है, अतः इन गाड़ियों में सिंधुदुर्ग पर कोई आरक्षण कोटा मुहैया नहीं किया गया है।

(ग) गाड़ी में आरक्षण कोटे का वितरण आरक्षित स्थान की उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों पर मांग पैटर्न के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ड) आरक्षण कोटे की व्यवस्था तथा अभ्यावेदनों के आधार पर इसकी समीक्षा अथवा अन्यथा एक सतत प्रक्रिया है तथा मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

कुलियों की नियुक्ति

4506. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की पश्चिम रेल में पालनपुर, भिल्डी तथा अन्य स्टेशनों सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की नियुक्ति करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। लाइसेंसधारी पोर्टरों का ट्रैकमैन के रूप में समाहित करने के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी पोर्टरों की कोटि में कुछ रिक्तियां हो गई हैं। पालनपुर के साथ-साथ अन्य रेलवे स्टेशनों पर, जहां-कहीं अपेक्षित है, रेलों ने रिक्तियों के आकलन तथा अतिरिक्त लाइसेंसधारी

पोर्टरों को काम पर लगाने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी है। भिलडी में, इस समय, लाइसेंसधारी पोर्टरों को लगाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

मारवाड़ जंक्शन पर आर.एम.एस. कार्यालय

4507. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन पर स्थापित रेलवे मेल सेवा का कार्यालय बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस आर.एम.एस. कार्यालय को पुनः चालू करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यालय को कब तक पुनः खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। मारवाड़ जं. में रेलवे मेल सर्विस का कार्यालय डाक एवं तार विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है इस संबंध में उनके द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है तथा उनसे मारवाड़ जं. में रेलवे मेल सर्विस कार्यालय को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तराखंड में हवाई अड्डों का निर्माण

4508. श्री सतपाल महाराज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड के गौचर, पिथौरागढ़ तथा चिन्याली सौद में हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या उत्तराखंड के किसी अन्य स्थान पर भी हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्ति की आयु में कमी

4509. श्री मिलिंद देवरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.ए.सी.आई.एल.) अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार एन.ए.सी.आई.एल. में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने/की छंटनी हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह निर्णय व्यावसायिक पायलटों पर भी लागू होगा; और

(च) यदि हां, तो कितने पायलटों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है तथा पायलटों की कम संख्या का एन.ए.सी.आई.एल. के कार्यनिष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 30-6-2009 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेसिल) के कर्मचारियों की कुल संख्या 30753 है।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की बीमा आवश्यकताएं

4510. श्री उदयनराजे भोंसले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपनी बीमा आवश्यकताओं का कार्य ओरियंटल इश्योरेंस कॉरपोरेशन के सुपुर्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कितने वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा कितनी बीमा राशि के दावे किए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि. का विनिवेश

4511. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने एंड्रयू यूले एंड कंपनी लि. को टाइड वाटर ऑयल कंपनी लि. में अपनी भागीदारी का विनिवेश करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी में विनिवेश की प्रक्रिया में विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने नई सरकार के प्रथम सौ दिनों में इसकी भागीदारी के विनिवेश की कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी हां, बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 30-10-2007 को हुई सुनवाई में ए.वाई.सी.एल. की पुनरुद्धार स्कीम स्वीकृत कर दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टाइड वाटर ऑयल कंपनी लि. (टी.डब्ल्यू.ओ.एल.) में ए.वाई.सी.एल. द्वारा धारित सभी शेयरों का विनिवेश और ऑफलोडिंग शामिल है।

(ग) और (घ) भारी उद्योग विभाग द्वारा अप्रैल, 2008 में विनिवेश विभाग के परामर्श से एसोसिएट/ग्रुप कंपनी में इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया तैयार की गई थी। इसके अनुसार दिनांक 02-05-2008 को ए.वाई.सी.एल. से टी.डब्ल्यू.ओ.एल. में ए.वाई.सी.एल. के शेयरों के विनिवेश

के लिए प्रस्तावित विनिवेश प्रक्रिया (सी.ए.बी.ओ.डी. की सिफारिशों को अंतिम रूप देने तक) का पालन करने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त एक समिति (सी.ए.बी.ओ.डी.) का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया था। तदनुसार, ए.वाई.सी.एल. ने दिनांक 09-05-2008 को हुई अपनी बोर्ड बैठक में सी.ए.बी.ओ.डी. का गठन किया। टी.डब्ल्यू.ओ.एल. के संबंध में सी.ए.बी.ओ.डी. की पहली बैठक दिनांक 26-06-2008 को हुई। टी.डब्ल्यू.ओ.एल. में इक्विटी के विनिवेश के लिए अभी तक सी.ए.बी.ओ.डी. की छह बैठकें हुई हैं। टी.डब्ल्यू.ओ.एल. में ए.वाई.सी.एल. के शेयरों के विनिवेश की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सी.ए.बी.ओ.डी. द्वारा एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लि. को परामर्शदाता चयन किया गया है और विनिवेश की प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मुन्नार रेल लाइन का पुनर्निर्माण

4512. श्री पी.टी. थॉमस: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इदुक्की के मुन्नार में रेल लाइन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मुन्नार रेल लाइन के पुनर्निर्माण हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(ग) उक्त रेल लाइन का कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मुन्नार को जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं है।

[हिन्दी]

सीयन गांव में सड़क उपरिपुल

4513. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मुजफ्फरपुर (बिहार) जिले में पिपरिया तथा नरियार स्टेशन के बीच स्थित सीयन गांव पर रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

[अनुवाद]

(ग) रेलवे बोर्ड कब तक उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर देगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा

परोसे गए खाद्य पदार्थ

4514. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ी में रसोई यान सेवाएं निजी ठेकेदारों द्वारा भारतीय रेल खान-पान तथा पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) के लेबल से परिचालित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें खाद्य पदार्थ सीधे आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा परोसे जाते हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गाड़ियों में पैंट्री कार सेवाएं भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा सीधे तौर पर अथवा इसके लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित की जाती है।

(ख) और (ग) पैंट्रीकार सहित चलने वाली 260 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में से, निम्नलिखित गाड़ियों का प्रबंधन विभागीय परिचालन के नियंत्रण में आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा सीधे किया जा रहा है:-

1. 2001-02 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी
2. 2305-06 नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी
3. 2951-52 नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल राजधानी
4. 2953-54 हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल राजधानी
5. 2309-10 नई दिल्ली-पटना राजधानी
6. 2123-24 मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन
7. 2857-58 हावड़ा-दीघा ताम्रलिप्ता एक्सप्रेस
8. 8001-02 हावड़ा-दीघा कंडरी. एक्सप्रेस

एस.एफ.आई.ओ. को विधायी मान्यता

4515. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सीरीयस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एस.एफ.आई.ओ.) को विधायी मान्यता देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सत्यम कम्प्यूटर वित्तीय घोटाले को देखते हुए कम्पनियों में उत्तम निगमित सुशासन तथा पारदर्शिता के मुद्दे से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा श्री वेपा कामेसम की अध्यक्षता में गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) से संबंधित मामलों के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने एस.एफ.आई.ओ. को संवैधानिक मान्यता देने का सुझाव दिया है। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों द्वारा किए गए कारपोरेट प्रकटीकरणों को व्यवहृत करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पहले से ही एक सुस्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद है। इस ढांचे के अंतर्गत कम्पनियों के कार्य की स्थिति का सत्य एवं उचित अवलोकन करने के बारे में पणधारकों को सांविधिक प्रकटीकरण करने का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा कारपोरेट प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए दस्तावेजों की जांच सहित, चौबीसों घंटे की सुविधा वाली एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री सहित ई-गवर्नेंस प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण भी शामिल है। सरकार को कम्पनियों की लेखाबहियों का निरीक्षण करने और यदि आवश्यकता हो उनके कार्यों की कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जांच करने की भी शक्ति दी गई है। कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI और कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के अनुपालन में अपनी वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण करना भी अपेक्षित है। अधिनियम के किसी उपबंध के अंतर्गत अपेक्षित या

इसके उद्देश्य से मांगे गये किसी दस्तावेज में झूठा विवरण देना दण्डनीय है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2009 लोक सभा में दिनांक 03-08-2009 को पुरःस्थापित किया गया जिसमें कंपनियों के प्रकटीकरण नियमों और प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों में व्यापक संशोधन किए जाने का प्रावधान है।

लघु दाल मिलें

4516. श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लघु दाल मिलें स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी मिलें स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल कितनी दाल मिलें स्थापित की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):

(क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नौवीं और दसवीं योजनावधि के दौरान लघु दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध करा रहा था। लघु दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने की इच्छुक कार्यान्वयन एजेंसियों उपकरणों की कुल लागत (लघु दाल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने के लिए) के 50% तक की सहायता पाने की पात्र थीं जिसकी अधिकतम सीमा 35,000 रुपये प्रति इकाई थी। यह सहायता केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के माध्यम से दी जाती थी जिसने पात्र लाभार्थियों को पहचानने में मदद की।

(ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान यह स्कीम परिचालन में नहीं है, अतः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान लघु दाल प्रसंस्करण इकाई को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। इसी प्रकार, वर्ष 2006-07 (दसवीं योजना के

अंतिम वर्ष) के दौरान उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अनुदान जारी नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 1999 से 2002 के दौरान उपरोक्त स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 100 लघु दाल मिलों की स्थापना की गई:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापित की गई दाल मिलों की संख्या
1.	बिहार	4
2.	पंजाब	1
3.	मध्य प्रदेश	3
4.	महाराष्ट्र	10
5.	राजस्थान	5
6.	उत्तर प्रदेश	59
7.	उड़ीसा	6
8.	आन्ध्र प्रदेश	5
9.	कर्नाटक	2
10.	तमिलनाडु	2
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	मणिपुर	2
कुल		100

11वीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दाल प्रसंस्करण इकाइयों समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस स्कीम के तहत, मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25% की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है तथा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

एयर इंडिया का मासिक व्यय

4517. श्री एल. राजगोपाल:

श्री गुरुदास दासगुप्ता:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या अन्य निजी एयरलाइनों की तुलना में एयर इंडिया का मासिक व्यय सर्वाधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया कर्मचारियों पर अपने व्यय को कम करने की योजना बना रही है;

(घ) क्या एयर इंडिया की उड़ानों की 30 प्रतिशत सीटें संपूरक पासों पर यात्रा कर रहे इसके कर्मचारियों से भरी होती हैं; और

(ङ) एयर इंडिया के कर्मचारियों को अन्य कौन-कौन से लाभ दिए जाते हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) दिनांक 31-5-2009 की स्थिति के अनुसार, सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेसिल) के कर्मचारियों की कुल संख्या 30753 है।

(ख) मूल्यहास तथा अप्रचलन से पूर्व एअर इंडिया का औसत मासिक व्यय लगभग 1500 करोड़ रुपये है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एअर इंडिया के कर्मचारियों को इस समय दी जाने वाली सुविधाओं में शामिल हैं- स्वयं व परिवार के लिए चिकित्सा सुविधायें, सब्सिडाइज्ड कैंटीन सुविधायें, कर्मचारी आवासीय कालोनियां/कंपनी लीज, सामुदायिक केन्द्र, हॉलीडे होम, लंबी सेवा के लिए स्मृति चिन्ह, पास तथा सब्सिडाइज्ड परिवहन सुविधा।

इसी प्रकार, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात्, निःशुल्क पास, स्वयं व परिवार के लिए चिकित्सा सुविधायें तथा हॉलीडे होम के प्रयोग की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

डाल्टनगंज-बरवाडीह रेल लाइन पर रेल फाटक

4518. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाल्टनगंज-बरवाडीह रेल लाइन पर उचित रेल फाटक नहीं होने के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन पर दुर्घटना प्रवण स्थानों पर रेल फाटकों के निर्माण हेतु रेलवे ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। डाल्टनगंज और बरवाडीह के बीच 272/15-17, 259/37-39 तथा 259/1-3 किमी. पर चौकीदार वाले तीन समपार है। समपारों के न होने के कारण कोई बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई है।

(ग) मौजूदा नीति के तहत, समपारों की व्यवस्था राज्य सरकार के परामर्श से नई लाइन बिछाने के समय अथवा यातायात के लिए लाइन के चालू होने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर की जाती है। उसके बाद, समपार जैसे किसी भी एक्मोडेशन कार्य की व्यवस्था तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थल पर निक्षेप शर्तों पर की जा सकती है, बशर्ते कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा समपार के निर्माण की प्रारंभिक लागत तथा आवर्ती अनुरक्षण तथा परिचालनिक प्रभारों की एक बारगी लागत वहन करने के लिए विधिवत रूप से सहमति प्रदान करते हुए प्रायोजित किया गया हो।

बहरहाल, इस खण्ड पर अतिरिक्त समपार के निर्माण के लिए संबंधित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान नीति के अनुसार, मौजूदा लाइनों पर किसी नए चौकीदार रहित समपार की अनुमति नहीं है।

मुंबई में उपनगरीय मार्ग

4519. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के उपनगरीय मार्गों पर सुविधाओं के अभाव के कारण यात्री कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास उपनगरीय मार्गों

में रेलवे स्टेशनों का उन्नयन करने की कोई कार्य योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे की स्टेशनों को निःशक्त सुलभ बनाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन स्टेशनों का चयन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मुंबई क्षेत्र के उपनगरीय स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार सभी सुविधाएं मुहैया कर दी गयी हैं। स्टेशनों पर यात्री यातायात में वृद्धि के अनुरूप यात्री सुविधाओं का अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह धनराशि की उपलब्धता और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। मुंबई क्षेत्र में 66 उपनगरीय स्टेशनों की विभिन्न अपग्रेडेशन योजनाओं अर्थात् मॉडल स्टेशन योजना, टच एंड फील योजना, लंबी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए प्लेटफार्मों का विस्तार तथा आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत पहचान की गयी है। 20 स्टेशनों पर अपग्रेडेशन कार्य पूरा कर दिया गया है तथा 5 स्टेशनों पर 2010 तक कार्य पूरा करने की योजना है। मुंबई क्षेत्र के 41 उपनगरीय स्टेशनों का पेयजल, पर्याप्त शौचालय, खानपान सेवाओं, प्रतीक्षा कक्ष तथा विशेष रूप से महिलाओं के लिए डोरमेट्री, बेहतर साइनेज आदि जैसी मूल सुविधाओं के साथ आदर्श स्टेशनों के रूप में अपग्रेडेशन का कार्य 2009-10 के दौरान निष्पादित करने की योजना है।

(घ) और (ङ) रेलों की "ए-1", "ए" तथा "बी" कोटि के स्टेशनों पर ऐसे कार्य पूरा हो जाने के बाद उपनगरीय स्टेशनों को विकलांग अनुकूल बनाने की योजना है।

[हिन्दी]

दामोदर रेल डायवर्जन प्रोजेक्ट

4520. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोल इंडिया लिमिटेड तथा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ भागीदारी में झारखंड में दामोदर रेल डायवर्जन प्रोजेक्ट शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रोजेक्ट पर अब तक

कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उक्त प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे द्वारा फुसरो-जरांगडीह रेलवे डायवर्जन परियोजना सेंट्रल कोलफील्ड लि. के निक्षेप कार्य के रूप में शुरू कर दी गयी है।

(ख) और (ग) अभी तक 28.19 करोड़ रु. की राशि खर्च की गयी है। वर्ष 1981 से 1986 के दौरान भूमि के मालिकों से री-सेटलमेंट से संबद्ध कठिनाइयों के कारण भूमि के अधिग्रहण में विलंब हो जाने से कार्य रुका हुआ था। वर्ष 1992 में अंतर्मंत्रालय ग्रुप ने संरेखण में परिवर्तन का प्रस्ताव किया जिसमें तीन भाग शामिल थे। बहरहाल, संशोधित संरेखण पर पूरी भूमि मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड लि. को नहीं सौंपी गयी है। रेलवे इन भागों में कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसी बीच लागत 67.11 करोड़ रु. तक बढ़ गयी है। सेंट्रल कोलफील्ड ने इस संशोधित लागत के लिए अनुमोदन नहीं दिया है।

[अनुवाद]

बेगमपेट विमानपत्तन

4521. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य छावनी के स्वामित्व में हैदराबाद स्थित बेगमपेट विमानपत्तन जिसे बंद किया जा चुका है, में कोई भूमि है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सैन्य छावनी के स्वामित्व वाली भूमि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छावनी की भूमि को सैन्य छावनी को वापस अंतरित कर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो भूमि को कब तक अंतरित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) बेगमपेट हवाईअड्डे पर सैन्य छावनी की अपनी कोई भूमि नहीं है।

(ख) से (ड) प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वृत्तिका

4522. श्री पी. कुमार: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कनिष्ठ अधिवक्ताओं को वृत्तिका (स्टाइपेण्ड) देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, दो वर्ष तक के व्यवसाय वाले युवा अधिवक्ताओं को विधिक सेवा प्राधिकरणों के संसाधनों से सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006 में भारत सरकार को एक प्रारूप स्कीम अग्रेषित की है। यद्यपि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने स्कीम की सराहना की थी, किंतु वह स्कीम निधियों का उपयोग करते हुए वृत्तिका की राशि के वितरण के लिए सहमत नहीं है।

विमानन विनियामक तंत्र

4523. श्री रायापति सांबासिवा राव:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) तथा यू.एस. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (यू.एस.एफ.ए.ए.) ने देश के विमान सुरक्षा निगरानी तंत्र की संयुक्त रूप से लेखापरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशक (डी.जी.सी.ए.) ने आई.सी.ए.ओ. द्वारा की गयी सभी सिफारिशों का अनुपालन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) डी.जी.सी.ए. द्वारा विनियामक और सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुधारने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) जी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (यू.एस.ओ.ए.पी.) के अंतर्गत सभी सदस्य राज्यों की अनिवार्य लेखा परीक्षा संचालित करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.ए.ए.) अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन (आई.ए.एस.ए.) कार्यक्रम के अंतर्गत केवल उन्हीं राष्ट्रों की लेखा परीक्षा करता है जिनकी एयरलाइनें यू.एस.ए. में प्रचालन करती हैं। आई.सी.ए.ओ. की लेखा परीक्षा में विधि-निर्माण तथा संगठन सहित उड़ान-योग्यता, दुर्घटना-जांच तथा दिक्कालन सेवाएं आती हैं। एफ.ए.ए. द्वारा अपने आइ.ए.एस.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ान-योग्यता, उड़ान-प्रचालन तथा लाइसेंसिंग के पहलुओं की लेखा परीक्षा की गई है। आई.सी.ए.ओ. की लेखा परीक्षा अक्टूबर, 2008 में तथा एफ.ए.ए. का आकलन मार्च, 2009 में दो अलग-अलग लेखा परीक्षाओं के रूप में संचालित की गई थी।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने आई.सी.ए.ओ. की 70 में से 54 संस्तुतियों को कार्यान्वित कर दिया है तथा शेष 16 संस्तुतियों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ड) एयरक्राफ्ट नियमों में संशोधन, विशिष्ट प्रचालन विनियमों में सुधार, डी.जी.सी.ए. के रिक्त पदों को भरना, तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण, लाइसेंसिंग और सत्यापन-प्रक्रियाओं में सुधार, निगरानी-प्रक्रिया, एनफोर्समेंट मैनुअल तैयार करना आदि सहित विनियामक और सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुधारने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

वस्त्र उद्योग को बढ़ावा

4524. श्री के. सुगुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के मद्देनजर विभिन्न देशों में अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल को भेजने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से सरकार देश के विभिन्न स्थानों में परिधान पार्क स्थापित करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका ज़क्ष्मी):

(क) और (ख) वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल को विदेशों में भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद को भारतीय वस्त्र उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए चुनिंदा देशों में मेगा शो आयोजित करने हेतु निधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। इनमें आस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेन्टीना और जर्मनी शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आर.आई.एल. के तेल शोधक कारखानों हेतु प्राकृतिक गैस का प्रयोग

4525. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने अपने तेल शोधन कारखानों हेतु के.जी. बेसिन से गैस का प्रयोग करने की अनुमति मांगी है क्योंकि सरकार पर्याप्त खरीददार जुटाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) शक्तिप्रदत्त मंत्री समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने 40 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) गैस का आबंटन विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर दिया है। आर.आई.एल. ने भी अपनी रिफाइनरियों सहित अपनी स्वयं की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आबंटन करने का अनुरोध किया है। तथापि, नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत गैस के मूल्य निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए गठित ई.जी.ओ.एम. ने निर्णय लिया है कि इन प्रयोक्ताओं को आबंटन 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से अधिक गैस के उपयोग पर निर्णय लेते समय किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारवारी स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव

4526. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हावड़ा से दिल्ली के महत्वपूर्ण रेलमार्ग पर भारवारी जैसे स्टेशन पर अनेक रेलगाड़ियों का ठहराव रद्द किए जाने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे को वित्तीय हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारवारी स्टेशन पर सियालदह एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस और कटिहार एक्सप्रेस का ठहराव भी रद्द किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यात्रियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी नहीं। जब सियालदह और तूफान एक्सप्रेस को रद्द किया गया था उस अवधि के दौरान भारवारी स्टेशन पर कतिपय गाड़ियों को ठहराव दिया गया था ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। इन दोनों गाड़ियों को पुनः चलाने के बाद इन अस्थाई ठहरावों को समाप्त किया गया है।

[अनुवाद]

मिनी रत्न दर्जा

4527. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात सहित देश में सरकार के स्वामित्व वाली कुछ वस्त्र मिलों को मिनी रत्न का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव लायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मिनी रत्न दर्जा देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) वस्त्र क्षेत्र के किसी भी केन्द्रीय सरकारी उद्यम को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक उद्यम विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान लगातार लाभ अर्जित करने वाले, इन तीन वर्षों में कम-से-कम किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कर-पूर्व लाभ अर्जित करने वाले तथा घनात्मक परिसम्पत्ति वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं। विगत तीन वर्षों से लगातार लाभ अर्जित करने वाले तथा घनात्मक परिसम्पत्ति वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यम मिनीरत्न, श्रेणी-II का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) सामान्य तौर पर, लोक उद्यम विभाग विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उद्यमों को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के छः सप्ताह के अन्दर अपनी सहमति/असहमति के बारे में सूचित कर देता है।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

4528. श्री एस. सेम्मलई: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की उर्वरक जरूरतों का आकलन करने तथा अगले महीने की जरूरतों हेतु महीने के अंत में इसकी आपूर्ति किए जाने की वर्तमान प्रणाली को बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य की जरूरतों का आकलन करने तथा एक महीने पूर्व ही उर्वरकों की आपूर्ति करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि और सहकारिता विभाग (डी.ए.सी.) इस उद्देश्य के लिए आयोजित आंचलिक कृषि सम्मेलन में राज्य कृषि विभाग के परामर्श से प्रत्येक राज्य हेतु उर्वरकों की मौसम-वार और माह-वार आवश्यकता का

आकलन करता है। उर्वरक आवश्यकता का आकलन करने की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं है। तथापि, यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण नियंत्रण में है। संघ सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारें राज्य के अन्दर इसके वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं। अन्य सभी उर्वरक नामतः डी.ए.पी., एम.ओ.पी., एस.एस.पी. और एन.पी.के. आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। फास्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त उर्वरकों की उपलब्धता का निर्णय मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतों के आधार पर लिया जाता है।

उर्वरक विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा आकलित की गई मासिक/मौसमी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक राज्य में अग्रिम सुपुर्दगी सहित उर्वरकों की उपलब्धता की नीगरानी करता है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अन्तर्गत विण्ड टर्बाइन जेनरेटर

4529. श्री सी. शिवासामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत विण्ड टर्बाइन जेनरेटर को पुनः शामिल करने पर विचार कर रही है क्योंकि तमिलनाडु सहित देश में अनेक वस्त्र मिलें और गारमेंट इकाइयां अपनी लागत कम करने के लिए विण्ड टर्बाइन जेनरेटर स्थापित कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मौजूदा योजना में, विनिर्दिष्ट निवेश के साथ मशीनरी की लागत के 25% तक पात्र टी.यू.एफ.एस. ऋण लेने वाली इकाइयों के विण्ड टर्बाइन जेनरेटर को 'कैप्टिव पावर प्लांट' (गैर परम्परागत स्रोत सहित) के रूप में शामिल किया गया है।

राजा टेक्सटाइल मिल, रामपुर

4530. श्रीमती जयाप्रदा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राजा टेक्सटाइल मिल,

रामपुर, उत्तर प्रदेश का पुनरुद्धार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार मैं राजा टैक्सटाइल, रामपुर का परिसमापन कर दिया गया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 1-6-1994 के आदेश द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया है।

हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग का पुनरुद्धार

4531. डॉ. मिर्जा महबूब बेग:

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री संजय धोत्रे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच.एच.ई.सी.) निधियों की कमी की वजह से काफी संख्या में बुनकरों की सहायता करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एच.एच.ई.सी. को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेशम, हस्तशिल्प/हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग का पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग के पुनरुद्धार हेतु प्रत्येक राज्य को मुहैया करायी गयी वित्तीय सहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) जी, नहीं। एच.एच.ई.सी. एक ट्रेडिंग कंपनी है। क्रेताओं की मांग आधार पर एच.एच.ई.सी. अधिकतर बुनकरों/समूहों से अपना सामान खरीदती है और उत्पादन पर अच्छा मुनाफा सुनिश्चित करती है। इसने बुनकरों के निकट अपने खरीद केंद्र स्थापित किए हैं और यह तुरंत भुगतान सुनिश्चित करती है।

(ख) सरकार, निर्यात आर्डर, जिन्हें अनेक बुनकरों द्वारा पूरा करना होता है, प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु अनुदान सहायता के द्वारा एच.एच.ई.सी. के विपणन प्रयासों में सहायता करती है।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर तथा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित देश में रेशम, हस्तशिल्प/हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार, रेशम क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.), हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.), विपणन सहायता एवं सेवाएं, डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजना, हथकरघा क्षेत्र के लिए एकीकृत हथकरघा विकास योजना, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, मिल गेट मूल्य योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना और विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए संशोधित समूह कार्यशाला योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, एकीकृत योजना (जिसमें विपणन विकास कार्यक्रम के संघटक है, विद्युतकरघा बुनकरों के अन्य समूहों में जानकारी दौरे, विद्युतकरघों का सर्वेक्षण, विद्युतकरघा समूह विकास और कौशल का विकास एवं उन्नयन है) आदि जैसे अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक विद्युतकरघा क्षेत्र का संबंध है, ये योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और इनके लिए सहायता राज्य सरकारों के माध्यम से नहीं दी जाती है।

विवरण

विभिन्न हथकरघा योजना एवं गैर-योजना स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों को 2007-2008, 2008-2009 और 2009-10 (26-06-2009 तक) के दौरान जारी की गई राशियों का ब्योरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	योजना						गैर-योजना					
		एकीकृत हथकरघा विकास योजना			विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना			एच.एल. अधिनियम 1985 का कार्यान्वयन (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण)			10% विशेष छूट		
		2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.78	6.22	0.22	0.95	1.87		0.72	0.18		5.87	6.27	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	3.21		0.03	0.02					0.00	0.00	
3.	असम	7.85	3.12	0.06	1.43	2.10	0.15				0.00	6.40	
4.	बिहार	0.88	1.04		0.02	0.02					0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़	0.92	0.61		0.42	0.17					0.20	0.00	
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.16	0.49	0.37	0.35				0.00	0.00	
7.	गोवा	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
8.	गुजरात	1.14	0.75		0.27	0.26			0.56		0.54	0.52	
9.	हरियाणा	0.05	0.00		0.13	0.37		0.28			5.15	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10. हिमाचल प्रदेश		0.77	0.76		0.17	0.26					0.00	2.20	
11. जम्मू और कश्मीर		0.00	1.43		0.06	0.00					0.00	0.00	
12. झारखंड		1.69	2.83		0.00	0.04					0.00	0.00	
13. कर्नाटक		8.76	5.74	0.74	0.70	1.44	0.05				2.48	1.66	
14. केरल		6.24	6.43	2.30	0.18	0.23					8.30	3.50	
15. मध्य प्रदेश		1.46	2.13		0.86	0.12			0.12		0.00	0.00	
16. महाराष्ट्र		0.00	0.00		1.09	1.89					0.25	0.16	
17. मणिपुर		6.02	2.86		0.10	0.35					9.89	0.00	
18. मेघालय		0.83	0.55		0.17	0.06					0.00	0.00	
19. मिजोरम		0.00	0.00		0.51	0.34					0.00	0.00	
20. नागालैण्ड		1.94	2.43		0.87	2.06	0.34				1.89	2.31	
21. उड़ीसा		3.98	5.70	0.03	1.15	1.07					4.80	7.64	
22. पुडुचेरी		0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
23. पंजाब		0.00	0.00		0.05	0.00					0.00	0.04	
24. राजस्थान		0.26	0.54		0.64	0.44			0.29		0.00	7.34	
25. सिक्किम		0.00	0.37		0.04	0.03					0.00	0.00	
26. तमिलनाडु		29.77	41.75	7.45	0.62	1.54		0.39	0.24		6.49	5.29	
27. त्रिपुरा		1.36	1.28		0.04	0.09					0.29	0.00	

28. उत्तर प्रदेश	2.36	4.28		1.35	2.36				0.00	7.03
29. उत्तराखंड	0.90	1.97		0.15	0.46				0.00	0.00
30. पश्चिम बंगाल	4.05	5.01	2.79	0.51	1.06		0.11	0.11	1.91	2.65
कुल	99.51	100.61	13.94	13.00	19.02	0.89	1.50	1.50	39.40	53.01
अन्य संगठन	10.99	8.37		10.44	25.97		0	0	1.00	0.32
कुल योग	110.50	108.98		23.44	44.99		1.50	1.50	40.00	53.33

दाहोद और उदयपुर के बीच रेल पटरी

4532. डॉ. प्रभा किशोर ताविआड: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास अहमदाबाद-उदयपुर रेललाइन को जोड़ने हेतु दहोद (गुजरात) से उदयपुर (राजस्थान) के बीच वाया जलोद, फतेपुरा संत्राणपुर, तुनावाडा और खानपुर नई रेल पटरी बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेल लाइन पर कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कम्पनियों का पंजीकरण

4533. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में ऐसी कम्पनियों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के यहां पंजीकृत हुए बगैर चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) नई कम्पनियां शुरू करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नई कम्पनी शुरू करने के इच्छुक प्रवर्तकों को नाम की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है तथा इसके बाद पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ज्ञापन और संगम अनुच्छेद प्रस्तुत करना होता है। यह

सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं, कम्पनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है।

[अनुवाद]

केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस का आबंटन

4534. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के डी-6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) अन्य राज्यों के साथ-साथ, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी से के.जी. डी-6 गैस को उनके प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों को आबंटित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों के शक्तिप्रदत्त समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने निर्णय लिया है कि गैस की उपलब्धता की शर्त पर, ऐसी विद्युत परियोजनाओं, जिन पर कार्य चल रहा है, और जब वे उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगी, को के.जी.-डी-6 क्षेत्रों से आवश्यक आबंटन किए जाएंगे।

रेलवे में विद्युत की खपत

4535. श्री बलिराम जाधव:

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे की वार्षिक विद्युत खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रेलवे का वार्षिक विद्युत बिल कितने का रहा है;

(ग) रेलवे प्रचालनात्मक और गैर-प्रचालनात्मक उद्देश्यों हेतु विद्युत की खरीद किस दर पर करती है;

(घ) रेलवे की विद्युत आपूर्ति के स्रोत क्या हैं;

(ङ) क्या रेलवे सभी आपूर्तिकर्ताओं से एक समान

मूल्य पर विद्युत की खरीद करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेल में पिछले तीन वर्षों के दौरान परिचालनिक (कर्षण) तथा गैर परिचालनिक (गैर कर्षण) प्रयोजन के लिए बिजली की हुई वार्षिक खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन किलोवाट में बिजली की खपत)

किस्म	वर्ष		
	2005-06	2006-07	2007-08
परिचालनिक प्रयोजन (कर्षण)	10398	11034.59	11684.67
गैर परिचालनिक प्रयोजन (गैर कर्षण)	2306.84	2321.92	2410.90
जोड़	12705.01	13356.51	14095.57

(ख) पिछले तीनवर्षों में रेलवे की वार्षिक बिजली बिल का ब्यौरा निम्नानुसार है:

•(भुगतान की गई बिजली बिल मिलियन रुपये)

किस्म	वर्ष		
	2005-06	2006-07	2007-08
परिचालनिक प्रयोजन (कर्षण)	43918.93	47181.86	50107.55
गैर परिचालनिक प्रयोजन (गैर कर्षण)	9785.61	9893.41	10447.90
जोड़	52704.54	57075.57	60555.45

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान परिचालनिक (कर्षण) तथा गैर परिचालनिक (गैर कर्षण) प्रयोजन के लिए बिजली

की औसत लागत प्रति यूनिट पैसा में निम्नानुसार है:

(प्रति यूनिट पैसा)

किस्म	वर्ष	औसत लागत
1	2	3
परिचालनिक प्रयोजन (कर्षण)	2005-06	422

1	2	3
	2006-07	428
	2007-08	429
गैर परिचालनिक प्रयोजन (गैर कर्षण)	2005-06	424
	2006-07	426
	2007-08	433

(घ) राज्य में बिजली की खरीद विभिन्न वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) तथा तीन बिजली कंपनियों अर्थात् टाटा इलेक्ट्रिक, दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) तथा राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम से की जाती हैं।

(ङ) और (च) जी नहीं। बहरहाल, वर्ष 2007-08 के दौरान यह 369 पैसा प्रति यूनिट (केरल में) से 518 पैसा प्रति यूनिट (गुजरात में) के बीच थी।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं और क्षतिपूर्ति

4536. श्री जयवंत गंगाराम आवले:

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) दुर्घटनावार रेलवे की कुल कितनी संपत्ति की हानि हुई और कितने लोग मारे गए/घायल हुए तथा शिकार बने लोगों और उनके निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) प्रत्येक घटना में दिए गए जांच आदेश का ब्यौरा क्या है, उनके निष्कर्ष क्या हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या पहले की दुर्घटनाओं के संबंध में जांच आयोगों/समितियों की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) रेलवे द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 2009 तक के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की कोटि-वार संख्या निम्नानुसार है:

दुर्घटना की किस्म	2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल से जुलाई, 2009 तक
1	2	3	4	5
टक्कर	8	8	13	2
गाड़ी का पटरी से उतरना	96	100	85	26
चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	7	12	7	2
बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं	72	65	62	15

1	2	3	4	5
गाड़ी में आगजनी	4	5	3	2
विविध	8	4	7	-
जोड़	195	194	177	47

(ख) वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू गाड़ी दुर्घटनाओं की कारण-वार संख्या निम्नानुसार है:
वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 2009 तक के दौरान परिणामी

दुर्घटना का कारण	2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल से जुलाई, 2009 तक
रेलकर्म के चूक के कारण	85	87	82	21
रेलकर्म के अलावा अन्य की चूक के कारण	84	81	71	19
उपस्कर की विफलता	9	9	2	-
तोड़फोड़	8	7	13	2
कई कारणों से	1	-	1	-
घटनाएं	7	8	5	3
दुर्घटना का कारण स्थापित नहीं की जा सकी	1	2	3	1
जांचाधीन	-	-	-	1
जोड़	195	194	177	47

(ग) वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू उन्हें भुगतान की गई राशि तथा रेल संपत्ति की हुई
वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 2009 तक के दौरान परिणामी हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है:
गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या,

	2006-07	2007-08	2008-09	अप्रैल से जुलाई, 2009 तक
1	2	3	4	5
मारे गए	208	191	2007	54
घायल हुए	402	412	416	45

1	2	3	4	5
भुगतान की गई मुआवजे की राशि (लाख रुपयों में)	500.89	121.37	218.94	110.25 (अप्रैल से जून, 2009 तक)
रेलवे संपत्ति की हानि (लाख रुपयों में)	3193	4055.40	5850.80	345.73

● आंकड़े अनंतिम हैं।

(घ) और (ङ) प्रत्येक गाड़ी दुर्घटना की जांच दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा अथवा रेल संरक्षा आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय रेल में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा चालू वर्ष में अप्रैल से जुलाई, 2009 तक कुल 613 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं। जिनमें से, 80 दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयोग द्वारा की गई थी तथा शेष 533 दुर्घटनाओं की जांच विभागीय समिति द्वारा की गई थी। प्रत्येक जांच में कारण तथा जिम्मेदारी स्थापित की जाती है। भारतीय रेल के संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन हेतु रेल संरक्षा आयोग तथा विभागीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों/निष्कर्षों की यदि व्यवहार्य हो तो जांच की जाती है और चूक करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2006-07 से 2008-09 तक चूक करने वाले 207 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति तथा 303 कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी शास्ति लगाई गई। चालू वर्ष में अप्रैल से जून, 2009 तक चूक करने वाले 19 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति तथा 30 कर्मचारियों के विरुद्ध छोटी शास्ति लगाए गए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रेलों द्वारा रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों में गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, रेलपथ के उन्नयन तथा अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना, रेलपथ एवं पुलों, चल स्टॉक, सिगनलिंग तथा अन्तरपार्श्व प्रणालियों के अत्यधिक दबाव को मापना, संरक्षा उपायों और सुरक्षित क्रियाकलापों को अपनाने के लिए कर्मचारियों को शिक्षित करना तथा उन पर निगरानी रखने के लिए संरक्षा अभियान तथा नियमित रूप से निरीक्षण

शामिल हैं। इन उपायों को अपनाने के परिणामस्वरूप गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर गिरावट आई है जो 2001-02 के 415 दुर्घटनाओं से घटकर 2007-08 में 194 और 2008-09 में घटकर 177 हो गई हैं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति

4537. श्री तथागत सत्पथी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं;

(ख) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए अतिरिक्त महान्यायवादी की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु सरकार द्वारा कितना आवंटन किया गया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) भारत के अपर महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए कोई पात्रता मानदण्ड या अनुभव तय नहीं है। तथापि, उक्त नियुक्ति के लिए एल.एल.बी. की अर्हता आवश्यक है तथा उसे श्रेष्ठ अधिवक्ता होना चाहिए।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न न्यायालयों में नियुक्त अपर महान्यायवादियों की सूची संलग्न विवरण में दी है।

विवरण

अपर महान्यायवादियों की सूची

क्र.सं.	भारत के अपर महान्यायवादी का नाम	न्यायालय
	सर्वश्री	
1.	मोहन पराशरन	भारत का उच्चतम न्यायालय
2.	पराग पी. त्रिपाठी	भारत का उच्चतम न्यायालय
3.	पी.पी. मल्होत्रा	भारत का उच्चतम न्यायालय
4.	सुश्री इंदिरा जे. सिंह	भारत का उच्चतम न्यायालय
5.	मोहन जैन	भारत का उच्चतम न्यायालय
6.	गौरव बैनर्जी	भारत का उच्चतम न्यायालय
7.	हरिन पी. रावल	भारत का उच्चतम न्यायालय
8.	मुत्तुकृष्णन रविन्द्रन	चेन्नई, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालय
9.	डॉ. अशोक निगम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंड पीठ
10.	दारिश् जे. खम्बाटा	बम्बई उच्च न्यायालय
11.	फारूक एम. रजाक	कलकत्ता उच्च न्यायालय और बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर उच्च न्यायालय
12.	अमरजीत सिंह चंदियोक	दिल्ली उच्च न्यायालय

[हिन्दी]

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शंकरेश्वर-हरजी के बीच रेलवे लाइन

[अनुवाद]

4538. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मेहसाना से वाया चनास्मा-शंकरेश्वर-साभी हरीज तक और मेहसाना-बेचराजी के बीच कोई नयी रेल लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

वस्त्रों का निर्यात

4539. श्री मदन लाल शर्मा:

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गंभीर कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किए गए कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्रों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रेडीमेड परिधानों के निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त

करने में कोई कमी रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) वस्त्र क्षेत्र के लिए देश में कपास की कोई कमी नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वस्त्र एवं क्लोदिंग के कुल निर्यात में सूती परिधानों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2006-07	2007-08	2008-09 (अप्रैल-फरवरी)
एसेसरीज सहित सूती सिलेसिलाए परिधान	6909.48	7534.84	6937.38
वस्त्र एवं क्लोदिंग का कुल निर्यात	126262.68	162904.15	153018.22

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	15565	17080
2006-07	19730	19146
2007-08	25060	22130
2008-09	26556	18519

(अप्रैल-फर. '09)

(ङ) और (च) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रही है जो उत्तर के भाग (घ) में दी गई तालिका से देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण 2007-08 के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए में उच्च एवं लगातार मजबूती थी जिससे वस्त्र क्षेत्र के लिए कम प्राप्ति हुई। इस चरण के तत्काल बाद वैश्विक आर्थिक मंदी और भारतीय वस्त्र निर्यातों के लिए प्रमुख बाजारों में मंदी आ गई जिससे इन बाजारों में बिक्री में कमी आई।

[हिन्दी]

वकीलों की हड़ताल

4540. श्रीमती मीना सिंह:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश में अनेक न्यायालयों के वकील सरकार द्वारा लगाए गए 'सेवा कर' के विरोध में हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार/बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन सृजित कानूनी निकाय, भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) ने यह सूचित किया है कि उन्हें कुछ संगमों, अर्थात् केंद्रीय विधिज्ञ संगम, आजमगढ़, मेरठ विधिज्ञ संगम, मेरठ और जिला विधिज्ञ संगम, मिर्जापुर से प्रस्तावित सेवा कर विधेयक संबंधी विनिश्चय की निंदा करने के आशय से अभ्यावेदन

प्राप्त हुए हैं। तथापि, उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या उक्त संगम वास्तव में उनके द्वारा कथित तारीखों को हड़ताल पर गए थे। अध्यक्ष ने, विधिज्ञ संगमों के सचिव/अध्यक्ष से हुई अपनी टेलीफोनी वार्ता में इस बात को अनुचित समझा था कि वकील विधेयक की अंतर्वस्तु को जाने बिना हड़ताल पर जाने का आशय रखते हैं। बी.सी.आई. ने 29-07-2009 को इस विषय पर माननीय विधि मंत्री से बैठक की है और उन्होंने विधेयक के, जैसा वह विद्यमान है, उपबंधों पर सहमति दी है और इसलिए उनके द्वारा हड़ताल पर जाने का कोई संकल्प नहीं लिया गया था। बी.सी.आई. ने सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को, उन्हें उनके अधीन संगमों को इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की हड़ताल से रोकने के लिए परिपत्र भी जारी किया है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

4541. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन देश के अनेक क्षेत्रों में तेल का उत्पादन कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां कार्पोरेशन द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इन क्षेत्रों में कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) गत वर्ष के दौरान देश में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा उत्पादित कच्चे तेल की औसत लागत कितनी है;

(ङ) क्या तेल शोधनशालाओं को उत्पादित कच्चा तेल आयात किए गए कच्चे तेल की दर पर बेचा गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (च) जी नहीं। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) देश के विभिन्न भागों में अन्वेषण क्रियाकलापों में भाग ले रही है। तथापि, आज की तारीख को, आई.ओ.सी.एल. अपने किसी अन्वेषण और उत्पादन आस्ति से उत्पादन नहीं कर रही है।

विमानपत्तनों के निर्माण में निजी क्षेत्र का हिस्सा

4542. श्री जगदम्बिका पाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान चालू किए गए अत्याधुनिक विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त विमानपत्तनों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान किसी भी अत्याधुनिक हवाई अड्डे को चालू नहीं किया गया। तथापि, चालू वर्ष के दौरान अमृतसर (पंजाब), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), डिब्रूगढ़ (असम), जयपुर (राजस्थान), श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर), सूरत (गुजरात), त्रिची (तमिलनाडु) तथा विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में नये टर्मिनल भवनों को चालू किया गया। इन हवाईअड्डों पर नए टर्मिनल भवनों की लागत पूरी तरह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहन की गई।

रेलवे पुलों की मरम्मत

4543. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन रेल पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा खतरनाक घोषित किया गया है;

(ख) अब तक कितने पुलों की मरम्मत की गई है;

(ग) क्या रेलवे ने नये पुलों के निर्माण हेतु कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल संरक्षा समीक्षा समिति द्वारा किसी भी रेलवे पुल को खतरनाक घोषित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) रेल पुल की सूचनाएं जोनवार रखी जाती हैं न कि राज्यवार। भारतीय रेल पर पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण एक सतत कार्य है। पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढीकरण फील्ड में किए गए नियमित निरीक्षणों के दौरान पता लगायी गयी उनकी

वास्तविक भौतिक स्थिति के आधार पर किया जाता है न कि उनकी आयु के आधार पर। इसलिए सभी पुराने पुलों को पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

कतिपय पुल जिनकी भौतिक स्थिति में हास हो जाता है और जिन्हें पुनर्स्थापन आदि की आवश्यकता होती है, को डिस्ट्रेस्ड पुल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहरहाल, ये पुल न तो असुरक्षित हैं और न ही जीर्ण-शीर्ण होते हैं। डिस्ट्रेस्ड पुलों के शीघ्र पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण होने तक यदि आवश्यक हो तो उचित गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कभी-कभी पुलों को उच्चतर धुरा भार और उच्चतर कर्षण प्रयत्न के कारण सुदृढ़ किया जाता है। पुलों को इस तरह से चिन्हित करने के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्य को प्राथमिकता देते हुए उनके पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण करने के लिए धन का वार्षिक आबंटन किया जाता है।

1998-99 से मई, 2009 तक भारतीय रेल पर 1345 अदद डिस्ट्रेस्ड पुलों सहित कुल 12851 अदद रेल पुलों को पुनर्स्थापित/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ किया गया।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पद

4544. श्री प्रबोध पांडा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने आरक्षित पद रिक्त हैं;

(ख) क्या रेलवे द्वारा इन पदों को भरने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है या कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में रेलवे को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 01-11-2008 को अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के रिक्त पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अ.जा.=10,280 अ.ज.जा.=12,727 एवं अ.पि.व.=6557

(ख) जी हां।

(ग) पहचान की गई रिक्तियों के पिछले बकाया को एक विशेष भर्ती अभियान के जरिए भरने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

(घ) रिक्तियों के पिछले बकाया को शीघ्रातिशीघ्र भरने के उद्देश्य से अभियान पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वैधानिक लेखापरीक्षक

4545. श्री एम.आई. शानवास: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचीबद्ध कम्पनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनियों द्वारा अपनी आम बैठक में की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रबंधन द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षकों की इस नियुक्ति से लेखापरीक्षकों एवं प्रबंधन के बीच कोई सांठगांठ होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में बैंकों एवं सरकारी कम्पनियों की तरह इन वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क)

और (ख) जी, हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के उपबंध के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी के लिए एक वार्षिक आम सभा की समाप्ति से अगली बार से आम सभा तक एक लेखापरीक्षक की पद पर नियुक्ति करना सांविधिक रूप से अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 619 के अनुसार, किसी सरकारी कम्पनी में लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति किसी कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा उनकी वार्षिक आम सभा में की जाती है।

(ङ) और (च) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्र क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4546. श्री निशिकांत दुबे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) वस्त्र क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) वस्त्र क्षेत्र के लिए लागू प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति में स्वचालित मार्ग के माध्यम से इस क्षेत्र में 100% एफ.डी.आई. का प्रावधान है।

(ख) और (ग) वस्त्र क्षेत्र में एफ.डी.आई. के अन्तर्वाह की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए वस्त्र मंत्रालय में एक एफ.डी.आई. प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी।

(घ) सरकार ने कुछ लक्षित देशों, जिनमें भारत में वस्त्र क्षेत्र में निवेश करने की क्षमता है, से वस्त्र क्षेत्र में एफ.डी.आई. संघटित करने के लिए 2008-09 में एक योजना स्कीम शुरू की है।

[हिन्दी]

सरयू नदी पर रेल पुल

4547. डॉ. निर्मल खत्री: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अयोध्या में सरयू नदी पर निर्मित नये रेल पुल की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस पुल से होकर कितनी रेलगाड़ियां गुजरती हैं;

(ग) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेल बजट में घोषित गोरखपुर-अयोध्या-फैजाबाद मार्ग पर वाया इलाहाबाद होते हुए गोरखपुर से मुम्बई तक कोई नयी रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) संशोधित अनुमान के अनुसार, सरयू नदी पर पुल के साथ-साथ कटरा से अयोध्या तक नई लाइन के निर्माण की लागत 95.31 करोड़ रु. आंकी गई थी।

(ख) इस समय, इस पुल से एक जोड़ी एक्सप्रेस तथा 4 जोड़ी पैसंजर गाड़ियां गुजरती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओ.एन.जी.सी. द्वारा कच्चे तेल/

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4548. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा क्या उपलब्धि प्राप्त की गई;

(ख) क्या ओ.एन.जी.सी. के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) 1-4-2009 की स्थिति के अनुसार,

पिछले पांच वर्षों (2004-09) के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

शीर्ष	उपलब्धियां
कच्चे तेल का उत्पादन	128.25 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.)
प्राकृतिक गैस का उत्पादन	112806 मिलियन घन मीटर (एम.एम.एम. ³)
की गई खोजें	102 नई खोजें की गईं जिनमें 51 नये निक्षेपों की खोज शामिल है।
भंडार वृद्धि	910.91 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) तेल+तेल समतुल्य गैस (ओ+ओ.ई.जी.)
अभितट	
2डी का अर्जन	8,665 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जी.एल.के./लाइन किलोमीटर (एल.के.))
3डी का अर्जन	18,075 वर्ग कि.मी.
कूप	358
अपतट	
2डी का अर्जन	1,09,245 एल.के.
3डी का अर्जन	92,528 वर्ग कि.मी.
कूप	148

(ख) और (ग) ओ.एन.जी.सी. ने अनेक वर्षों में अपने क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

- (1) ओ.एन.जी.सी. की वेबसाइट कंपनी के क्रियाकलापों और कार्यचालन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सूचनाओं का भंडार है।
- (2) ओ.एन.जी.सी. ने एक सतर्कता अधिकारी, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं, की अध्यक्षता में पूरी कंपनी में सतर्कता तंत्र का विस्तार किया है।
- (3) ओ.एन.जी.सी. "सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम" (आई.पी.) को आरंभ करने वाली प्रथम निगमित कंपनी थी जिसमें विभिन्न निविदाएं जारी करने के लिए विस्तारपूर्ण तंत्र है जिसके अंतर्गत सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियां प्रस्तुत करते समय

आई.पी. पर हस्ताक्षर करने होते हैं। आई.पी. कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में ओ.एन.जी.सी. की वचनबद्धताएं और दायित्व प्रति पक्षकारों की वचनबद्धताएं और दायित्व उल्लंघन और परिणाम शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया को निगरानी स्वतंत्र वाह्य मानीटरों द्वारा की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि माल और सेवाओं की खरीद वाली सभी निविदाओं पर कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बहुत पारदर्शी तरीके से की जाती है।

- (4) ओ.एन.जी.सी. कम से कम वर्ष में एक बार विक्रेता सम्मेलन आयोजित करके कंपनी के विक्रेताओं के साथ नियमित वार्ताएं करती है। इस कंपनी के सभी प्रमुख विक्रेताओं को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है ताकि सभी पात्र बोलीदाता भाग ले सकें।

[अनुवाद]

कोच्चि में एल.एन.जी. पेट्रोनेट परियोजना

4549. श्री एंटो एंटोनी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कोच्चि में एल.एन.जी. पेट्रोनेट परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया है; और

(घ) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) केरल के कोच्चि में एक एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना कर रही है। प्रसासन भवन, गोदाम, कर्मशाला तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। एल.एन.जी. भंडारण और समुद्री संबंधी सुविधाओं का कार्य प्रदान कर दिया गया है। शीघ्र ही पुनः गैसीयकरण सुविधाओं के लिए संविदा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) इस परियोजना पर 512.80 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

(घ) यांत्रिक रूप से परियोजना का दिसंबर 2011 तक पूरा होना निर्धारित है।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

4550. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

श्री मदन लाल शर्मा:

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

श्री संजय धोत्रे:

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे:

श्री निलेश नारायण राणे:

श्री पी. बलराम:

श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र खोलने हेतु राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों/अभ्यावेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मौजूदा नीति के अनुसार, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं सामान्यतः उन स्थानों पर मुहैया करायी जाती हैं जहां प्रतिदिन लगभग 100 यात्री संव्यवहार होने की संभावना हो। उन स्थानों पर जहां यात्री संव्यवहार 100 से कम होने की संभावना हो वहां यह सुविधा अनारक्षित टिकट प्रणाली के साथ मुहैया कराई गई है। कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली कुछ चुने हुए पोस्ट ऑफिस में भी मुहैया कराई गई है।

(ख) कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान 490 अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) 270 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है।

एशियाई विकास बैंक से ऋण

4551. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में एशियाई विकास बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन रेलवे परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषण किए जाने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) देश में चल रही रेल परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेलवे ने एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से द्वितीय ऋण के लिए अनुरोध किया है। इस ऋण के संबंध में अभी बातचीत की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस ऋण के लिए रेलवे ने पांच परियोजनाओं की पहचान की है और ये निम्नलिखित हैं:

1. दौंड-गुलबर्गा दोहरीकरण
2. सम्बलपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण
3. रायपुर-टिटलागढ़ दोहरीकरण
4. पुणे-गुंतकल रेल विद्युतीकरण
5. हासपेट-तिनाईघाट दोहरीकरण

[हिन्दी]

रेल आरक्षण केन्द्र

4552. श्री सुदर्शन भगत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुमला स्थित रेल आरक्षण कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा टिकट आरक्षण का कार्य डाक विभाग को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त रेल आरक्षण केन्द्र को पुनः खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। गुमला स्थित रेल-रेल शीर्ष स्थल पर अब डाकघर के जरिए आरक्षण सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

(ख) ऐसा ग्राहकों को केंद्र सरकार की अपेक्षा कम लागत पर उसी समय आरक्षण सुविधा मुहैया कराने के लिए किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

बिहार में तेल की खोज

4553. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के उन तेल भंडारों का स्थान-वार ब्योरा क्या है जहां खोज के कार्य में विलंब हुआ है;

(ख) क्या कोसी एवं गंगा के बेसिन में खोज का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है जहां पेट्रोल के भंडारों की खोज बहुत पहले की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) उक्त भंडारों के खोज कार्य को समय से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) बिहार राज्य में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा प्रदत्त अन्वेषी निविष्ट साधनों से अब तक किन्हीं पेट्रोलियम भंडारों के विद्यमान होने का संकेत नहीं मिले हैं।

(ख) और (ग) बिहार में गंगा और पूर्णियां बेसिन में अब तक एकत्र भूसतही आंकड़ों से हाईड्रोकार्बन भंडार के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

बिहार राज्य में उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) व्यवस्था में निम्नलिखित तीन अन्वेषण ब्लकों में अन्वेषण चल रहा है:

- (1) जी.वी.-ओ.एन.एन.-2002/1 (मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, पटना, खगरिया, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा तथा सुपौल जिलों में पड़ने वाला)
- (2) पी.ए.-ओ.एन.एन.-2004/1 (अररिया, किशनगंज तथा पूर्णियां जिलों में पड़ने वाला)
- (3) जी.वी.-ओ.एन.एन.-2005/3 (पश्चिम चंपारन जिले में पड़ने वाला)

(घ) भारत सरकार ने इन तीन ब्लकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) में हस्ताक्षर किए हैं। प्रचालक को पी.एस.सी. में निर्धारित समय सीमा के अनुसार, न्यूनतम कार्य योजना पूरी करनी है।

[अनुवाद]

बाइमेर फील्ड्स से उत्पादित कच्चे तेल पर सांविधिक शुल्क

4554. श्री गजानन ध. बाबर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) को बाइमेर फील्ड्स से उत्पादित कच्चे तेल पर सांविधिक शुल्क के भुगतान की अपनी देयता से मुक्त करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. को बाइमेर तेल पर रायल्टी का भुगतान तब भी करना पड़ेगा यदि ओ.एन.जी.सी. अपना हिस्सा छोड़ देता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) ब्लाक आर.जे.-ओ.एन.-90/1 के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार, रायल्टी का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा किया जाना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), ब्लाक आर.जे.-ओ.एन.-90/1 की लाइसेंसधारी होने के नाते, इस ब्लाक से उत्पादित खनिज तेल के लिए रायल्टी की अदायगी के लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

डी.जी.सी.ए. नियमों का अनुपालन

4555. श्री ओम प्रकाश यादव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा तैयार नियमों का सभी विमान कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विमान कंपनियों के कार्यों तथा उनके द्वारा अपनाए जाने वाले उड़ान सुरक्षा उपायों की सरकार द्वारा निगरानी की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या फ्लाइट डिस्पैच का केंद्रीयकरण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो फ्लाइट डिस्पैच केंद्रीयकरण का कार्यान्वयन कर रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) जी हां। सभी एयरलाइनें एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934, एयरक्राफ्ट नियम, 1937 तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा उनके अनुसरण में जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती हैं।

(ग) और (घ) विमानन से संबंधित नियमों और विनियमों के अनुपालन को मॉनीटर करने हेतु, प्रचालकों की निगरानी और सुरक्षा ऑडिट का कार्य नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) केंद्रीकृत उड़ान प्रेषण, उड़ान योजना दिए जाने संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन का एक वैकल्पिक माध्यम है। केंद्रीकृत उड़ान प्रेषण संबंधी विस्तृत व्यवस्थाओं को देखने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

अवान्था भंडार तापीय विद्युत परियोजना

4556. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) को छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली अवान्था भंडार तापीय विद्युत परियोजना के मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए कोई आदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) उक्त विद्युत परियोजना के लिए भेल द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ड) परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी हां, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बी.एच.ई.एल.) को मई, 2009 में कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड (के.डब्ल्यू.पी.सी.एल.) से छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट कोयला आधारित अवान्था भंडार तापीय विद्युत परियोजना (टी.पी.पी.) के एक यूनिट हेतु मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए एक आदेश हुआ किया है।

बी.एच.ई.एल. के कार्यक्षेत्र में कंट्रोल और इंस्ट्रुमेंटेशन (सी. एंड आई.) सहित बॉयलर, स्टीम टरबाइन और जेनरेटर सेट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और इसे चालू करना शामिल है।

(ग) बी.एच.ई.एल. को इसके कार्यक्षेत्र के लिए दिए गए उपर्युक्त आदेश का मूल्य लगभग 1475 करोड़ रुपए है।

(घ) बी.एच.ई.एल. ने इस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और विनिर्माण कार्य आरंभ कर दिया है।

(ड) ठेका के अनुसार बी.एच.ई.एल. द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्य के लिए नवम्बर, 2012 में ट्रायल ऑपरेशन पूरा होने की संभावना है। प्रोजेक्ट का पूरा होना फ्रंट/इनपुट/क्लियरेंस आदि के समय पर मिलने पर निर्भर करता है।

बुनकरों का कल्याण

4557. श्री एम. कृष्णास्वामी:

श्री ओ.एस. मणियन:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में बुनकरों की स्थिति में सुधार के लिए कुल कितनी बजट राशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र के सोना

एवं चांदी के जरी बुनकरों के लिए कर छूट प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल राज्य सहित देश में बुनकरों के लाभार्थ केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों से हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत कोई राज्य वार निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में 11वीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए आबंटित बजट निम्नलिखित प्रकार से है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटित बजट
2007-08	294.52 रुपए
2008-09	325.98 रुपए
2009-10	340.00 रुपए

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। पूर्व की हथकरघा विकास केन्द्र तथा गुणवत्ता रंजक इकाई योजना, जो वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी और वर्ष 1997-98 तक संचालित रही थी, के अंतर्गत केरल राज्य, जहां 72 हथकरघा विकास केन्द्र तथा 12 गुणवत्ता रंजक इकाई स्वीकृत की गई थी, सहित विभिन्न राज्य सरकारों को 1848 हथकरघा विकास केन्द्र तथा 391 गुणवत्ता रंजक इकाइयां स्वीकृत की गई थी।

(ड) राज्यवार हथकरघा विकास केन्द्रों/गुणवत्ता रंजक इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा विकास केन्द्र (एच.डी.सी.)/गुणवत्ता रंजक इकाई (क्यू.डी.सी.) योजना
(1993-94 से 2001-02 तक जारी निधियों की स्थिति)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
		एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि	एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि	एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि	एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	24	246.95000	30	13	414.09000	47	3	217.82000	159	49	671.67000
2.	अरुणाचल प्रदेश												
3.	असम	45		100.00000	58	12	489.23500			84.49000			
4.	बिहार				14	6	74.48000	35	4	114.41000	1		4.00000
5.	गुजरात						620.42000			8.25000	1		0.15000
6.	गोवा												
7.	हरियाणा							1		4.00000			
8.	हिमाचल प्रदेश	1		2.00000	4		30.38000	5	1	26.19600	1	2	23.99500
9.	जम्मू और कश्मीर				2		6.08000	1		3.04000			
10.	कर्नाटक	6	1	17.50000	15	3	84.69000	2		26.69500	7		12.51000
11.	केरल	8		29.37000	36	3	260.98000	18	5	116.05000	9	4	86.95400
12.	मध्य प्रदेश	5		20.00000	12	6	82.06500	11		31.87000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13. महाराष्ट्र		1	1	6.00000	14	1	53.38500	5	1	26.48000			
14. मणिपुर		41		113.74000	96	7	607.52500			132.00000			
15. मेघालय													
16. मिजोरम													
17. नागालैण्ड								2		8.00000	60	1	239.91000
18. उड़ीसा		38	26	178.30000	48	8	278.28000	55	1	153.84000	57	5	84.43000
19. पंजाब													
20. राजस्थान					1		3.04000			2.23500			
21. तमिलनाडु		30	6	124.85000	119	17	805.83000	99	5	449.10500	38	4	114.20000
22. त्रिपुरा					13	10	48.01000			17.87500			
23. उत्तर प्रदेश					76	42	404.89000	7	8	140.13000	2		2.38000
24. पश्चिम बंगाल		42	8	161.29000	56	12	336.64000	38	8	165.85500	55	12	104.82000
25. पुडुचेरी					5		18.50150						
26. सिक्किम													
27. दिल्ली													
कुल		267	66	1000.00000	605	134	4018.50150	326	36	1728.34000	390	77	1345.01900

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1997-98			99-2000	2000-01	2001-02	कुल		
		एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि				एचडीसी	क्यूडीसी	धनराशि
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आन्ध्र प्रदेश	111	62	460.34000	13.68624	27.89300		397	151	2052.44924
2.	अरुणाचल प्रदेश									0.00000
3.	असम							103		673.72500
4.	बिहार	3	3	16.97000				53	19	209.86000
5.	गुजरात							7		28.82000
6.	गोवा									0.00000
7.	हरियाणा			5.00000				1		9.00000
8.	हिमाचल प्रदेश				2.84000	5.10000		11	3	90.49000
9.	जम्मू और कश्मीर							3		9.12000
10.	कर्नाटक							30	4	141.39500
11.	केरल	1		4.06000	15.99192			72	12	513.40592
12.	मध्य प्रदेश							28	8	133.93500
13.	महाराष्ट्र							20	3	85.86500
14.	मणिपुर							137	7	853.26500

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15. मेघालय										0.00000
16. मिजोरम										0.00000
17. नागालैण्ड	80	6	315.63000	61.39000	78.84000			142	7	703.77000
18. उड़ीसा	16	2	24.11000					214	42	718.96000
19. पंजाब										0.00000
20. राजस्थान						1.77500		1		7.05000
21. तमिलनाडु	38	4	116.07000	290.08887				324	36	1900.14387
22. त्रिपुरा								13	10	65.88500
23. उत्तर प्रदेश	4	1	19.69200	12.18960				89	51	579.28160
24. पश्चिम बंगाल	7		6.66000					198	40	775.26500
25. पुडुचेरी								5		18.50150
26. सिक्किम										0.00000
27. दिल्ली										0.00000
कुल	260	78	968.53200	396.18663	111.83300	1.77500		1848	391	9570.18713

पेस्टनाशियों के मूल्यों में वृद्धि

4558. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में पेस्टनाशियों के मूल्यों में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पेस्टनाशियों के मूल्यों को नियंत्रित करने तथा मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) कीटनाशकों के मूल्य विनियमित नहीं हैं। आमतौर पर कीटनाशकों के मूल्यों में खासतौर पर वर्ष 2008 के दौरान, बढ़ोतरी हुई है। तथापि, कुछ मामलों में मूल्य में कमी हुई है। कच्चे तेल के मूल्य और मुख्यतः चीन से आने वाले कच्चे माल के मूल्यों में भी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वर्ष 2008 के दौरान कीटनाशकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2008 में ओलम्पिक्स के कारण चीन में भारी संख्या में विनिर्माण संयंत्र बंद हुए थे। अब कीटनाशकों के मूल्य स्थिर हुए हैं।

(ग) कीटनाशकों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटा कर 8% कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आदर्श रेलवे स्टेशन

4559. श्री सज्जन वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर आदर्श रेलवे स्टेशन बनाए जाने का विचार है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर प्रदान की जाने वाली संभावित अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) मध्य प्रदेश में मॉडल रेलवे स्टेशनों के रूप में अपग्रेड/आधुनिक किए जाने के लिए प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

बामनियां, भोपाल, बबीना, दमोह, ग्वालियर, गुना, हबीबगंज, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी जं., पिपरिया, रतलाम, सतना, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, बेतुल, सिंगरीली, मुरैना, शहडोल, महु, देवास, मंदसौर, नागदा, नीमच, मदनमहल, सागीर, मैहर, रीवा, इटारसी, बीना, विदिशा तथा छिंदवाड़ा।

(ख) मॉडल स्टेशनों पर स्टेशन की कोटि के आधार पर विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, जन-उद्घोषणा प्रणाली/कम्प्यूटर आधारित उद्घोषणा प्रणाली, इलैक्ट्रॉनिक गाड़ी सूचक बोर्ड, सार्वजनिक फोन बूथ, जलशीतक, मानकीकृत साइनेज आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया की जाती हैं।

[अनुवाद]

द्वुतगामी रेलगाड़ियां

4560. श्री नवीन जिन्दल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वुतगामी रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए फ्रांस से सहयोग लेना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बाड़मेर तेल की बिक्री

4561. श्री देवजी एम. पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओ.एन.जी.सी. तथा मंगलौर रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड को केन्द्र सरकार द्वारा बाड़मेर तेल के क्रेताओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तेल विपणन करने वाली अन्य कंपनियों को तेल की खरीद के लिए निर्दिष्ट करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा परियोजना

को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) मंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लि. (एम.आर.पी.एल.), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

(आई.ओ.सी.एल.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) को वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए ब्लाक आर.जे.-ओ.एन.-90/1 से उत्पादित होने वाले कच्चे तेल की निम्नलिखित प्रकार से खरीद करने के लिए नामांकित किया गया है:-

सरकारी नामिती का नाम	वर्ष 2009-10 के दौरान आबंटन मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.)	वर्ष 2010-11 के दौरान आबंटन मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.)
एच.पी.सी.एल.	0.30	0.50
एम.आर.पी.एल.	0.20	0.40
आई.ओ.सी.एल.	0.20	1.50

ऊपर उल्लिखित कच्चे तेल की मात्राओं से अधिक कच्चे तेल का आबंटन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों की इस तेल क्षेत्र से उत्पादित कच्चे तेल की गुणवत्ता को समाहित करने की क्षमता का पता लगाने के बाद किया जाएगा।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

4562. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि देश में रेलवे कर्मचारियों के अनेक क्वार्टरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है तथा ये जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं तथा इनमें कई क्वार्टर खाली भी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का कर्मचारियों के क्वार्टर में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों का जीर्णद्वार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क)

से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तूतीकोरिन और पुडुचेरी विमानपत्तनों का संचालन

4563. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने तूतीकोरिन तथा पुडुचेरी विमानपत्तनों के संचालन के लिए अपनी अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतारने की सुविधाएं प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) तूतीकोरिन तथा पुडुचेरी प्रचालनिक हवाईअड्डे हैं। मैसर्स किंगफिशर एयरलाइंस की अनुसूचित उड़ानें चेन्नई तूतीकोरिन सेक्टर पर पहले ही प्रचालन कर रही हैं। गैर-अनुसूचित उड़ानें, हैलीकॉप्टर तथा फ्लाईंग क्लब के एयरक्राफ्ट भी पुडुचेरी हवाईअड्डे से प्रचालन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने अपने अधिकांश हवाईअड्डों पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनायी है। ए.ए.आई./सेना/नौसेना

से संबंधित 83 हवाईअड्डों पर पहले ही रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध करायी जा चुकी हैं तथा 11 हवाईअड्डों पर मार्च, 2010 तक रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी प्रत्याशित हैं।

अल्पसंख्यकों को कम्प्यूटर शिक्षा

4564. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा तथा स्वरोजगार आधारित शिक्षा की सुविधा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजनार्थ वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं अथवा उनका वित्तपोषण किया जा रहा है; और

(घ) देश में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या भावी रणनीति तैयार की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों, महिलाओं सहित, को कम्प्यूटर शिक्षा और स्वरोजगार आधारित शिक्षा सुलभ कराने सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा सहित तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के उन व्यक्तियों को भी स्वरोजगार और आय सृजक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो दुगुनी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एन.एम.डी.एफ.सी. की लघु ऋण योजना विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय की उन महिलाओं के लिए है जो स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित हैं। एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष योजना - 'महिला समृद्धि योजना' का संचालन भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय की निर्धन महिलाओं को प्रशिक्षण और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दिनांक

30-06-2009 तक एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा 4,44,465 लाभार्थियों को 1232.78 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया गया है।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पंजीकृत सोसाइटी - मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के ब्यौरे इसकी वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा भी महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है। इस केन्द्र पर बालिकाओं को कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का कार्यान्वयन देशभर में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। कुल 6906 औ.प्र.सं./ औ.प्र.के. में 9.53 लाख स्थानों की क्षमता है। प्रशिक्षण विभिन्न ट्रेडों में उपलब्ध है। 30% स्थान महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

4. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) तथा बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से मुस्लिम बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी 'हूनर' नामक एक योजना शुरू की है। योजना के प्रथम वर्ष 2008-09 में 13000 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। एन.आई.ओ.एस. द्वारा वर्ष 2009-10 में 50,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

5. नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (एन.सी.पी.यू.एल.) ने कम्प्यूटर एप्लीकेशन और मल्टीलिंग्वल डी.टी.पी. में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत आज की तिथि तक अल्पसंख्यक समुदाय की 23,712 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 5,772 मुस्लिम महिलाएं उक्त पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं।

6. उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है, जैसे - मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना। इन योजनाओं के तहत 30% छात्रवृत्तियाँ बालिकाओं के लिए निर्धारित हैं। मंत्रालय द्वारा कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

(घ) अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के लिए भावी कार्यनीति को अनुमोदित तौर-तरीकों के अनुसार अमल में लाया गया है।

सिले-सिलाए वस्त्रों के लिए निर्यात आदेश

4565. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए नए आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने का अनुमान है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार, हजारों निर्यातकों द्वारा प्राप्त निर्यात आदेशों के रिकार्ड नहीं रखती है। पत्तन और वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.ओ.ई. एंड एस.) की वेबसाइट पर दिए गए मासिक आंकड़ों के आधार पर केवल किए गए वास्तविक निर्यातों का रिकार्ड संकलित किया जाता है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार 2009-10 की प्रथम तिमाही में सिले सिलाए परिधानों के निर्यात से लगभग 11775 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

[हिन्दी]

सांभर साल्ट्स लि.

4566. श्री महेश जोशी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांभर साल्ट्स लि. से राजस्थान राज्य के लिए 1959 में निर्धारित रायल्टी का वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वार्षिक आधार पर राजस्थान राज्य के लिए उक्त रायल्टी की दर में वृद्धि करने का है;

(ग) सांभर साल्ट्स लि. के पास कुल कितना भूमि क्षेत्र है;

(घ) इसमें से कितने भूमि क्षेत्र का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जा रहा है और कितने क्षेत्र का उपयोग जलाशय के लिए किया जा रहा है;

(ङ) सांभर झील के संरक्षण के लिए सांभर साल्ट्स लि. द्वारा क्या पहल की गई है;

(च) क्या सरकार का विचार सांभर साल्ट्स लि. में विनिवेश करने का है; और

(छ) यदि हां, तो विनिवेश कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) राजस्थान सरकार को रॉयल्टी के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की बजाय भारत सरकार ने कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 40 प्रतिशत के बराबर राजस्थान सरकार को मुफ्त शेयर आबंटित किए हैं। इसलिए साम्भर साल्ट्स लि. राजस्थान सरकार को कोई रॉयल्टी नहीं दे रहा है। तथापि, वी.टी. कृष्णामाचारी अवार्ड, 1961 के अनुसार साम्भर साल्ट्स लि. द्वारा राजस्थान सरकार को 5.50 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से लीज रेंट देय है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से लागू नहीं।

(ग) साम्भर साल्ट्स लि. को 99 वर्षों के लिए 90 वर्ग मिल भूमि लीज पर दी गई है।

(घ) 90 वर्ग मील में से 60 वर्ग मील झील एरिया है और 30 वर्ग मील का उपयोग नमक उत्पादन के लिए किया जाता है जिसमें 16.5 वर्ग मील एरिया जलाशय के लिए उपयोग किया जाता है।

(ङ) कंपनी झील में जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार से लगातार वार्ता कर रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली-रेवाड़ी मार्ग के बीच ई.एम.यू. सेवा

4567. श्री रुद्रमाधव राय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेवाड़ी-दिल्ली मार्ग पर अपर्याप्त यात्री रेलगाड़ियों के कारण दैनिक यात्रियों को होने वाली असुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस मार्ग पर यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेलवे का दिल्ली/नई दिल्ली-रेवाड़ी मार्ग का विद्युतीकरण कब तक करने का विचार है ताकि दिल्ली तथा रेवाड़ी के बीच ई.एम.यू. सेवाएं शुरू की जा सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) दिल्ली-रेवाड़ी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस समय 15 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और 9 जोड़ी पैसंजर गाड़ियां उपलब्ध हैं। दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए 08-10-2007 से इस खंड पर एक जोड़ी पैसंजर गाड़ी 9/10 आर.डी. चलाई गई है और दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर 44 अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2009-10 के रेल बजट में दिल्ली-सराय रोहिल्ला और सादुलपुर के बीच एक नई गाड़ी चलाने और बांद्रा-जयपुर गरीब रथ को दिल्ली सराय रोहिल्ला तक चलाने की घोषणा की गई है।

(घ) दिल्ली/नई दिल्ली-रेवाड़ी खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सालबोनी में विमानपत्तन की स्थापना

4568. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदिनीपुर जिले के सालबोनी में विमानपत्तन की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग

4569. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एन.सी.आर.एल.एम.) ने अपनी रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी थी। आयोग की अनुशंसाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

दक्षिण मध्य रेलवे की रेल परियोजनाएं

4570. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को वर्ष 2009-10 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसे 2500 करोड़ रुपये देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे की लंबित परियोजनाओं के लिए अभी तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो दक्षिण मध्य रेलवे को कब तक राशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) मुख्यमंत्री, आन्ध्र प्रदेश से दक्षिण मध्य रेल में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2009-10 में निधियों के आबंटन के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। 2009-10 के दौरान रेलवे पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए 647.56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में दक्षिण मध्य रेलवे में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1348.81 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय उपलब्ध कराया गया था।

**मुम्बई सी.एस.टी. और सावंतवाडी
स्टेशन के बीच ट्रेन**

4571. श्री निलेश नारायण राणे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई सी.एस.टी. और सावंतवाडी स्टेशन के बीच दैनिक आधार पर चलने वाली ट्रेनों की संख्या इस मार्ग पर यात्रियों की भारी संख्या के मद्देनजर अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार इस मार्ग पर दैनिक आधार पर कोई नई मेल/एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार इस मार्ग पर चल रही ट्रेनों में कोचों विशेषकर वातानुकूलित कोचों की संख्या में भी वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस मार्ग पर आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मुंबई क्षेत्र से सावंतवाडी रोड तक उपलब्ध मौजूदा गाड़ी सेवाएं यातायात की वर्तमान मात्रा के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं। यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, गणपति त्योहार, दिवाली, सर्दियों, क्रिसमस तथा गर्मियों के दौरान यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए होली डे स्पेशल चलाई जाती हैं।

(घ) से (च) गाड़ियों में वातानुकूलित सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मौजूदा गाड़ियों के फेरे बढ़ाने, भीड़ के मौसम के दौरान विशेष गाड़ियां चलाने तथा नई गाड़ियां चलाने जैसे उपाय बढ़ते हुए यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

करावकाश

4572. श्री पी. बलराम: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को करावकाश देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):

(क) से (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-झ ख की उप-धारा (11 क) के प्रावधानों के अनुसार फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग के कारोबार से अथवा खाद्यान्नों के व्यापार, भंडारण तथा परिवहन के समेकित कारोबार से किसी उपक्रम को व्युत्पन्न होने वाले लाभ के मामले में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्वधीन विनिर्दिष्ट राशि तक लाभ से कटौती की अनुमति दी गई है, यदि ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके बाद ऐसे कारोबार का प्रचालन शुरू करता है। दूध, मुर्गी उत्पाद तथा मांस जैसी विकारी खाद्य मदों के परिरक्षण के उद्देश्य से वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 द्वारा धारा 80 झ ख की उपधारा (11 क) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि मांस तथा मांस उत्पादों तथा मुर्गी उत्पादों, समुद्री एवं दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग के कारोबार के संबंध में भी करावकाश प्रदान किया जा सके।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35 क घ को अन्तःस्थापित करके विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए शीत शृंखला सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार एवं

कृषि उपज के भंडारण के लिए भांडागार सुविधाएं संस्थापित करने तथा प्रचालित करने वाले कारोबार को निवेश से जुड़ा कर प्रोत्साहन भी देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित नई धारा के अनुसार उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय किया जाता है, विनिर्दिष्ट कारोबार के प्रयोजनार्थ पूर्णतया तथा अनन्तया किए गए पूंजीगत स्वरूप के किसी पूर्ण व्यय (भूमि अथवा साख अथवा वित्तीय लिखतों पर व्यय से भिन्न) के संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन शतप्रतिशत कटौती की अनुमति होगी। इससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा।

डीलरों के कमीशन में वृद्धि

4573. श्री उदय सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्यवृद्धि और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण डीलरों के कमीशन को बढ़ाने संबंधी सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

गाजियाबाद-मेरठ खंड का विद्युतीकरण

4574. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में गाजियाबाद-मेरठ खंड के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या उक्त खंड पर विद्युतीकरण का काम शुरू हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त काम को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। गाजियाबाद-मेरठ खंड के विद्युतीकरण को खुर्जा-मेरठ सहारनपुर के चालू विद्युतीकरण के लिए वस्तुपरक आशोधन के रूप में फरवरी, 2009 स्वीकृत किया जा चुका है। 2009-10 के दौरान इस परियोजना के लिए 39.68 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) प्रारंभिक डिजाइन, सामग्री अनुसूची और निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस कार्य को जून, 2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पायलटों के चयन में अनियमितताएं

4575. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री मधु गौड यास्खी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस वर्ष अप्रैल में 40 प्रशिक्षु पायलटों के चयन में हेर-फेर और अनियमितताओं की अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) से (घ) जी, हां। अप्रैल, 2009 में आयोजित प्रशिक्षु पायलटों की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) को शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मामले की नैसिल के सतर्कता विभाग द्वारा एक विस्तृत विभागीय जांच-पड़ताल की गई। शिकायतों के सत्य सिद्ध किए गए जबकि कोई भी आरोप सही नहीं पाए गए। बहरहाल, नए बोइंग 787 विमानों की सुपुर्दगी शेड्यूल तथा नई उड़ानों की मांग के अध्यधीन भर्ती की जाएगी।

चालक दल के सदस्यों द्वारा उच्च पारिश्रमिक की मांग

4576. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया एग्जिक्यूटिव केबिन क्लब कर्मचारी काफी समय से उच्च पारिश्रमिक की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या चालक दल के सदस्यों (केबिन क्लब) के पारिश्रमिक में संशोधन करने के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित करार के किस तिथि से लागू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) से (ग) जी, हां। दिनांक 1-1-1997 से 31-12-2006 तक की समयावधि के लिए वेतन तथा भत्तों के संशोधन संबंधी करार पर दिनांक 28-05-2009 को एग्जिक्यूटिव केबिन क्लब वाली एअर इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन के साथ हस्ताक्षर किए गए, जो कंपनी के निदेशक-मंडल के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगा।

कम्प्यूटरीकृत टिकटों के लिए
अतिरिक्त प्रभार लेना

4577. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यात्रियों को कम्प्यूटरीकृत टिकट के लिए प्रति टिकट 10 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान रेलवे को इससे कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या रेलवे वसूल किए जा रहे अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) ई-टिकट बुक करवाने वाले रेलयात्रियों को शयनयान एवं आरक्षित द्वितीय श्रेणी सीट (2एस) के लिए 10 रुपये और 25 रुपये के बीच प्रति टिकट और अन्य श्रेणियों के लिए 20 रुपये और 40 रुपये प्रति टिकट सेवा प्रभार का अलग-अलग भुगतान करना पड़ता है जो एक टिकट पर बुक किए गए यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। आई-टिकट बुक करवाने के लिए शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी सीट (2एस) के लिए 40 रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 60 रुपये प्रति टिकट है।

(ग) एकत्र किया गया सेवा प्रभार भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम को जाता है। वित्त वर्ष 2009-10 (जुलाई 2009 तक) के दौरान इस आधार पर भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम द्वारा एकत्रित राशि 36.24 करोड़ रु. थी।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टेक्निकल टेक्सटाइल

4578. श्री के. सुगुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) ऐसे किन केन्द्रों की पहचान की गई है जहां उक्त उत्पादन इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन और विकास तथा देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- तकनीकी वस्त्रों के लिए अपेक्षित प्रमुख मशीनरी को 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क सूची में रखा गया है।
- तकनीकी वस्त्र मशीनरी को 5 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त लाभ के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत रखा गया है।
- सरकार ने तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन एवं विकास के लिए एक योजना (एस.जी.डी.टी.डी.) शुरू की है जिसके तीन संघटक (i) चार (4) उत्कृष्टता केन्द्रों (सी.ओ.ई.) की स्थापना, (ii) तकनीकी वस्त्रों का बेसलाइन सर्वेक्षम और (iii) जागरूकता पैदा करना है।

(ख) सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरक वातावरण तैयार किया है और इकाइयों की स्थापना करने के लिए स्थान संबंधी निर्णय उद्योग द्वारा लिया जाता है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन

4579. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल विनियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थलों पर हैलीपैडों का निर्माण

4580. श्री अधीर चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुनिन्दा पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में हैलीपैडों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में किसी निजी कंपनी को भी भागीदार बनाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना में किस अनुपात में निवेश किए जाने की संभावना है और इससे सरकार को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने "गंतव्य स्थलों एवं विश्राम स्थलों (सर्किटों) के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास संबंधी योजना" के तहत पहाड़ी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में हैलीपैडों का निर्माण करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता को 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों को मतदान नहीं करने देना

4581. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायतें मिली हैं कि देश के कुछ मतदान केन्द्रों पर कमजोर वर्गों के लोगों को मतदान नहीं करने दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनियमितता को रोकने के लिए सरकार द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) जी हां। भारत निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि मतदान के पश्चात्, बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले से आयोग को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें कमजोर वर्गों को डराने-धमकाने का अभिकथन किया गया था। उन शिकायतों को जांच और रिपोर्ट दिए जाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को अग्रेषित किया गया था, जिसने जांच के पश्चात् अभिकथनों को निराधार पाया था। इसके अतिरिक्त, हाल ही के लोक सभा निर्वाचनों के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं कि कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को मतदान करने से न रोका जाए। प्रत्येक मतदान केंद्र में क्षेत्र की संवेदनशीलता के बारे में सर्वेक्षण किया गया था और संवेदनशील मतदाताओं की पहचान की गई थी। इस कार्यवाही का उद्देश्य यह था कि ऐसे निर्वाचकों के खंड की पहचान की जाए, जो उनके निर्वाचन अधिकारों के प्रयोग में किसी धमकी, अभित्रास या हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हैं। इसके अतिरिक्त, इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की भी पहचान की गई थी और राज्य के प्रत्येक मतदान केंद्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई की गई थी। कदाचार की किसी घटना को रोकने के लिए इन क्षेत्रों पर निगाह रखने के लिए और जिला प्राधिकारियों/संप्रेक्षकों को सूचित करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेटों/जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई थी। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के दौरान राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अधीन 3,09,792 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था।

[अनुवाद]

उड़ीसा में अकार्यशील विमानपतन

4582. श्री वैजयंत पांडा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में इस समय कितने विमानपत्तन अकार्यशील हैं; और

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में इन विमानपत्तनों को कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का उड़ीसा में एक अप्रचालनिक हवाईअड्डा, झारसुगुड़ा में है।

(ख) मैसर्स राइट्स द्वारा प्रस्तुत साध्यता अध्ययन रिपोर्ट की संस्तुतियों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) की झारसुगुड़ा हवाईअड्डे को आरंभ में ए.टी.आर. प्रकार के विमानों के प्रचालन हेतु विकसित करने की योजनाएं हैं। तथापि, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को मास्टर प्लान के अनुसार 815 एकड़ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क तथा सभी ऋणभारों से युक्त उपलब्ध कराए जाने के पश्चात इस हवाईअड्डे का और विकास करने संबंधी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

विशेष इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां

4583. श्री सी. शिवासामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार तिरुपुर से कोयम्बटूर, तिरुपुर-पलाकड़, तिरुपुर-इरोड तक विशेष इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियां कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

4584. श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत राज्यों/नोडल एजेंसियों को धनराशि जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या पिछले कुछ समय से प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत धनराशि के संवितरण में विलम्ब हुआ था जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित वस्त्र मिलों की प्रौद्योगिकी उन्नयन का कार्य प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और धन की कमी के कारण किन क्षेत्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) नोडल बैंक अपने मामलों और साथ ही साथ अपनी सहायक पी.एल.आई. के मामलों की पात्रता निर्धारित करते हैं। ये आंकड़े निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त का कार्यालय को आनलाईन भेजे जाते हैं। वस्त्र आयुक्त इन आंकड़ों को संकलित करता है और संबंधित एजेंसियों/नोडल बैंकों को निधियां जारी करने की सिफारिश करता है। वस्त्र मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता के अध्याधीन सीधे ही नोडल एजेंसियों/नोडल बैंकों को निधियां जारी करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार 60,955 करोड़ रु. की ऋण राशि वाली 24572 इकाइयों को 6089.43 करोड़ रु. की राशि ब्याज एवं पूंजी सब्सिडी के रूप में संवितरित की गई है। योजना की उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया के कारण सब्सिडी की आवश्यकता और बजट परिय्य के बीच अंतर है। 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार टी.यू.एफ.एस. की वर्षवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

टी.यू.एफ.एस. की वर्षवार प्रगति
(31-3-2009 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रु.)

अवधि	प्राप्त		स्वीकृत			संवितरित		
	आवेदनों की सं.	परियोजना लागत	आवेदनों की सं.	परियोजना लागत	राशि	आवेदनों की सं.	राशि	सब्सिडी
1999-00	407	5771	309	5074	2421	179	746	1.00
2000-01	719	6296	616	4380	2090	494	1863	70.00
2001-02	472	1900	444	1320	630	401	804	198.89
2002-03	494	1835	456	1438	839	411	931	202.59
2003-04	867	3356	884	3289	1341	814	856	249.06
2004-05	986	7941	986	7349	2990	801	1757	283.60
2005-06	1086	16194	1078	15032	6776	993	3962	485.00
2006-07	12336	61063	12589	66233	29073	13168	26605	823.92
2007-08	2408	21254	2260	19917	8058	2207	6854	1143.37
2008-09 (अनु.)	5092	43406	5063	42807	18301	5104	16577	2632.00
31-3-2009 (अनं. की स्थिति के अनुसार)	24867	169016	24685	166839	72518	24572	60955	6089.43

[हिन्दी]

पी.पी.पी. मॉडल की रूपरेखा
तैयार करने संबंधी समिति

4585. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

श्री दुष्यंत सिंह:

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल की रूपरेखा तैयार करने के लिए डॉ. अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समिति को क्या दायित्व सौंपे गए हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। रेल मंत्रालय ने 25-07-2009 को डॉ. अमित मित्रा, महासचिव/फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (फिक्की) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से बिजनेस मॉडल और अभिनव निधियों के विकास के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

1. निम्नलिखित के विषय में पी.पी.पी. के माध्यम से बिजनेस मॉडल और अभिनव निधियों का विकास करना।

(i) औद्योगिक कॉरीडोर - पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर जिसमें औद्योगिक हब, रेल-पत्तन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा पावर संयंत्र शामिल हैं, और इसी प्रकार पूर्वी समर्पित माल गलियारे के साथ लुधियाना-दानकुनी औद्योगिक कॉरीडोर।

(ii) पूर्वी समर्पित माल गलियारे के साथ रेल भूमि बैंक को चल स्टॉक उत्पादन, दानकुनी-माजेरहाट-नौपाड़ा में एसेम्बली सुविधाओं और

सवारी डिब्बा पुनर्वास परियोजनाएं शुरू करने के लिए उपयोग में लाना।

(iii) निजी फ्रेट टर्मिनल और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क।

(iv) कांचरापाड़ा-हॉलीशहर रेलवे काम्प्लेक्स में नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने में पी.पी.पी./संयुक्त उद्यम की संभाव्यता का पता लगाना।

(v) विश्व स्तरीय स्टेशन, मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज।

(vi) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सहयोग से आद्रा में 1000 मेगावाट पावर संयंत्र की स्थापना।

2. रेल भूमि और एयर स्पेस के वाणिज्यिक उपयोग के लिए बिजनेस मॉडल और कार्यनीति तैयार करना।

3. सभी भागीदारों और राज्य सरकार की भागीदारी सहित अभिनव निधियों के माध्यम से ऐसी परियोजनाएं जो आर्थिक रूप से गैर-अर्थक्षम हैं लेकिन सामाजिक रूप से वांछनीय हैं, को शुरू करने के उद्देश्य से, मौजूदा सभी रेल परियोजनाओं में से चिन्हित करना।

4. रेलों द्वारा शुरू की गई चालू गतिविधियों की प्रगति की स्थिति की समीक्षा।

5. रेलों के लिए विजन 2020 तैयार करना जिसमें अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं में इस विजन की उपयुक्त फेजिंग करना।

6. कोई अन्य संबंधित मामला, जिसे समिति को भेजा या सौंपा जा सकता है। समिति अपनी पहली बैठक के 15 दिन के भीतर सिफारिशें देना शुरू कर देगी।

[अनुवाद]

सुपरफास्ट ट्रेनों के रूप में वर्गीकरण

4586. श्री जोस के. मणि:

श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम गति से चलने वाली ट्रेनों को सुपरफॉस्ट ट्रेन की श्रेणी में रखने का औचित्य क्या है;

(ख) क्या सुपरफॉस्ट ट्रेनों की श्रेणी में रखे जाने के बाद से ऐसी ट्रेनों में कोई गुणवत्तापरक परिवर्तन देखने में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली की समीक्षा करने की कोई गुंजाइश है;

(घ) जिस स्टेशन से टिकट लिया गया है उसके स्थान पर यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से वापसी यात्रा प्रभार लगाने का क्या कोई औचित्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) केवल वे गाड़ियां, जिनकी अप एवं डाउन दोनों दिशाओं में समग्र दूरी पर औसत गति बड़ी लाइन पर न्यूनतम 55 किमी. प्रति घंटा और मीटर लाइन पर 45 किमी. प्रति घंटा है, को सुपरफास्ट नामित किया जाता है चूंकि वे तेज पारगमन उपलब्ध कराती हैं।

(घ) और (ङ) अनुरक्षण में शामिल अतिरिक्त व्यय की वसूली और एक नेटवर्क प्रणाली के निरंतर अपग्रेडेशन हेतु टिकट बुकिंग स्टेशन से इतर अन्य स्टेशन से प्रारंभ होने वाली यात्राओं के लिए बुक की जाने वाली टिकटों के लिए आरक्षण शुल्क (i) पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की द्वितीय और शायिका में 10 रुपये और अन्य श्रेणियों में 15 रुपये (ii) राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में 20 रुपये और (iii) जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी में 15 रुपये और वातानुकूल कुर्सीयान में 20 रुपये बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

मकसी-गोधरा के बीच रेल लाइन

4587. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मकसी-गोधरा के बीच नई रेल लाइन बिछाने की क्या स्थिति है;

(ख) इस परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि और अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 1989-90 के रेल बजट में गोधरा-इंदौर और देवास-मकसी नई लाइन परियोजना के कार्य को एक परियोजना के तौर पर शामिल किया गया था, केवल देवास-मकसी खंड पर कार्य आरंभ किया गया था जिसे पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। दाहोद-इंदौर हेतु सरकार से स्वीकृति फरवरी, 2007 में ली गई थी। दाहोद से इंदौर तक की नई लाइन बिछाने की लागत 948.80 करोड़ रु. आंकी गई है। दाहोद-कटवारा और सागर-इंदौर खंड हेतु 137.66 करोड़ रु. की लागत वाले आंशिक विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुके हैं और कार्य शुरू कर दिया गया है। मार्च, 2009 तक 42.20 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2009-10 हेतु इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। इस परियोजना का पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

पूर्व-मध्य रेलवे में सड़क उपरि पुल

4588. श्री रामकिशुन:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान पूर्व-मध्य रेलवे में निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़क उपरि पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूर्व-मध्य रेलवे में सड़क उपरि पुलों के कार्य समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) चुकटी समपार सं. 28/स्पेशल, सहरसा पचगचिया समपार सं. 31/स्पेशल और खगड़िया समपार सं. 23-बी सहित इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 2009-10 के दौरान निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुलों को शुरू करने की संभावना है:

- (i) समपार सं. 31 (सचिवालय, पटना के नजदीक)
- (ii) समपार सं. 72 (राजेन्द्र नगर, पटना के नजदीक)
- (iii) समपार सं. 101 (मुजफ्फरपुर के नजदीक)
- (iv) समपार सं. 101ए (मुजफ्फरपुर के नजदीक)
- (v) समपार सं. 6/बी/टी (रे. खेलारी)
- (vi) समपार सं. 12/ए/टी (फुसरो-आमलो)
- (vii) समपार सं. 75 (राजेन्द्र नगर स्टेशन)
- (viii) समपार सं. 28 स्पे. (चुटकी)

(ख) जी हां।

(ग) अतिक्रमणों को हटाये न जाने और राज्य द्वारा भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुलों के स्थलों का कार्य अनुसूची से पीछे चल रहा है:

- (i) समपार सं. 73, गुलजारबाग-राजेन्द्रनगर
- (ii) समपार सं. 72, पटना सिटी
- (iii) समपार सं. 79, मिठपुर
- (iv) समपार सं. 45, बिहटा-कोइलवर के बीच
- (v) समपार सं. 101ए, समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर
- (vi) समपार सं. 33, डेहरी-ऑन-सोन में
- (vii) समपार सं. 43, सासाराम में
- (viii) समपार सं. 52/1, कुर्दा में
- (ix) समपार सं. 27, दरभंगा
- (x) समपार सं. 6/बी/टी, रे-खेलारी
- (xi) समपार सं. 2, गया
- (xii) समपार सं. 12/ए/टी, फुसरोई-आमलो

सामान्य व्यवस्था आरेखण के गैर-अनुमोदन, राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने और राज्य सरकार द्वारा निधियों की गैर-वचनबद्धता के कारण

- (xiii) समपार सं. 48/ए, कुल्हड़िया-आरा

- (xiv) समपार सं. 47ए, छपरा और छपरा कचहरी के बीच में
- (xv) समपार सं. 23बी, खगड़िया में
- (xvi) समपार सं. 35बी, फुलवारीशरीफ-दानापुर
- (xvii) समपार सं. 53ए, कौड़िया हाव्ट-बिहटा
- (xviii) समपार सं. 31/विशेष, सहरसा-पंचगछिया
- (xix) समपार सं. 23बी, खगड़िया में

(घ) (i) चुटकी समपार सं.-28 स्पेशल ऊपरी सड़क पुल का कार्य चालू वर्ष 2009-10 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) सहरसा-पंचगछिया समपार सं. 31/स्पेशल-राज्य सरकार द्वारा निधि की गैर वचनबद्धता और जी.ए.डी. को अभी एम.ओ.एस.आर.टी. एंड एच. द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(iii) खगड़िया समपार सं. 23 बी-राज्य सरकार द्वारा निधि की गैर-वचनबद्धता।

(iv) उपर्युक्त (ग) के संबंध में उल्लिखित ऊपरी सड़क पुलों के अन्य कार्यों के मामले में राज्य सरकार से अनुमोदित जी.ए.डी., प्रस्तुत करने, अतिक्रमणों को हटाने, भूमि उपलब्ध कराने, लागत में भागीदारी वहन करने के लिए निधियों की वचनबद्धता के संबंध में समझौता निष्पादन करने के बाद ही समय अनुसूची निर्धारित की जा सकती है।

रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों और बूथों का आबंटन

4589. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों और बूथों के आबंटन के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में रेलवे स्टेशनों पर स्टॉलों और बूथों के आबंटन के लिए आवेदन रेलवे के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) रेलवे स्टेशनों पर खानपान स्टॉलों/ट्रालियों, जलपान गृह, ए.वी.एम. कियोस्क, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मिल्क स्टॉल, विविध मदों वाले स्टॉल/ट्रालियों, कैमिस्ट स्टॉल, बुक स्टॉल/ट्रालियों तथा पी.सी.ओ./एस.टी.डी. बूथों आदि जैसे स्टॉलों/बूथों के आबंटन की प्रक्रिया स्टेशनों की कोटि तथा कार्यों के आधार पर अलग-अलग होती है। इन सुविधाओं का आबंटन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम/क्षेत्रीय रेलों द्वारा या तो दो पैकेट वाली निविदा प्रणाली अथवा प्रेस अधिसूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करके चयन प्रक्रिया के बाद किया जाता है।

भारतीय रेलें कई स्टेशनों पर उपर्युक्त इन सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं तथा आबंटन एक सतत प्रक्रिया है। क्षेत्रीय रेलें या भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा ऐसे आबंटनों के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

तेल और गैस का आयात

4590. डॉ. संजीव गणेश नाईक:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने तेल

की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तेल और गैस का आयात किया गया;

(ख) गत दो वर्षों से लेकर आज तक देश के निवल तेल आयात की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या ऊर्जा की बढ़ती मांग और घरेलू कच्चे तेल के अपर्याप्त उत्पादन के कारण आगामी वर्षों में देश की तेल आयात पर निर्भरता में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रमुख तेल/गैस उत्पादकों को करावकाश उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2009) के दौरान तेल (कच्चा तेल पेट्रोलियम उत्पादों) और एल.पी.जी. के आपात निम्नवत् हैं:-

वर्ष	पेट्रोलियम आपात (एम.एम.टी.)		
	कच्चा तेल	उत्पाद	योग
2006-07	111.50	17.66	129.16
2007-08	121.67	22.46	144.13
2008-09 (अनंतिम)	128.15	18.29	146.44
अप्रैल-जून 09 (अनंतिम)	37.07	4.18	41.25

एल.एन.जी.:		1	2
वर्ष	एल.एन.जी. आपात (एम.एम.टी.) मात्रा (एम.एम.टी.)	2007-08	8.249
1	2	2008-09 (अनंतिम)	7.958
2006-07	6.811	अप्रैल-जून 09 (अनंतिम)	2.193

एम.एम.टी.: मिलियन मीट्रिक टन

(ख) पिछले वर्षों और वर्तमान के लिए देश के निवल तेल आयातों की तुलनात्मक तस्वीर निम्नवत् है:-

(मात्रा मि.मी.ट.)

अवधि	निवल तेल आयात
2006-07	95.54
2007-08	103.36
2008-09 अनंतिम)	109.51
अप्रैल-जून 2008	28.32
अप्रैल-जून 09 (अनंतिम)	32.66

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में निवल तेल आयातों में वृद्धि क्रमशः 82% और 6% रही। वर्तमान वर्ष 2009-10 (अप्रैल-जून) के दौरान, पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान निवल तेल आयात में 15.3% की वृद्धि रही।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के तेल आयातों (घरेलू खपत के लिए आवश्यकता के आधार पर) पर भारत की निर्भरता 76.6% थी और वर्ष 2014-15 तक इसके बढ़कर 80% तक हो जाने की संभावना है।

सरकार ने तेल आयात पर देश की निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) कोल मीथेन (सी.बी.एम.) नीति के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों को लाना।
2. उत्पादन आरंभ करने में सक्षम बनाने के लिए खोजे गए क्षेत्रों का तीव्रतर विकास।
3. मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उद्दीपन तकनीकों का उपयोग।
4. मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) का अनुप्रयोग।
5. पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

6. इक्विटी ऑयल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।
7. अन्य देशों के सहयोग से गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रम में भाग लेकर गैस हाइड्रेट्स का अन्वेषण करना।
8. भूतल कोयला गैसीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गहराई में स्थित और/या अलग-थलग पड़े कोयला भंडार/लिग्नाइट स्रोतों से गैस का निष्कर्षण करना।
9. मौजूदा रिफाइनरियों का उन्नयन तथा नई रिफाइनरियों की स्थापना।

(ड) और (च) तेल/गैस उत्पादकों को कर-लाभ देने का विषय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित है।

[हिन्दी]

ट्रेनों का देर से चलना

4591. श्री तूफानी सरोज:

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 01-06-2009 से 31-07-2009 की अवधि के दौरान पूर्वी भारत से आने वाली कितनी ट्रेनें दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर देर से पहुंचीं;

(ख) उनके देर से पहुंचने के क्या कारण हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान कुल कितनी ट्रेनें विभिन्न कारणों से लंबित हुईं और इस कारण से रेलवे को कितने राजस्व का नुकसान हुआ; और

(घ) इस संबंध में खामियों को उजागर करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गाड़ियों के समयपालन आंकड़े क्षेत्र-वार रखे जाते हैं। शरारती गतिविधियों, खतरे की जंजीर खींचे जाने, चक्रवाती तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाओं, दरारों के कारण रेलपथ को नुकसान पहुंचने, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं, खराब मौसम, उपस्कर फेल हो जाने तथा बिजली ग्रीड फेल हो जाने आदि जैसे विभिन्न कारकों की वजह से गाड़ियां विलंब से चलती हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान, भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन की लगभग 23% मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां अपने आगमन के निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से पहुंची। रेलों द्वारा गाड़ियों के विलंब से चलने के कारण होने वाले राजस्व के घाटे का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) गाड़ियों की अत्यधिक रुकौनी जिससे समयपालन की हानि होती है, के सभी मामलों का विश्लेषण किया जाता है तथा गाड़ियों के समयपालन में सुधार लाने के लिए निरंतर आधार पर मंडल, क्षेत्रीय तथा रेलवे बोर्ड स्तर पर उपयुक्त प्रबंधकीय कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में नई रेल लाइनें

4592. श्री टी.आर. बालू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिण्डिगुल-कुमूली-अरियालूर-तन्जावुर, मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टाई, धर्मपुरी-मोराप्पुर सहित तमिलनाडु में चार नई रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव धनराशि की कमी के कारण रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेल लाइनें बिछाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) मन्नारगुडी तथा तिरुवन्नामलाई-जोलारपेट्टे नई लाइन के रास्ते दिन्डीगुल-कुमुली, थंडावूर-एरियालूर, धर्मपुरी-मोरप्पुर, नीडामंगलम-पट्टुकोट्टाई के निर्माण के प्रस्तावों पर योजना आयोग के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन से इस शर्त के साथ पर प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी कि प्रस्तावों की 50% लागत राज्य सरकार की भागीदारी से प्राप्त होने के बाद इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, योजना आयोग ने सूचित किया है कि लागत में प्रस्तावित भागीदारी के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद उनके 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने बोडीनायककानूर, तिरुवन्नामलाई-

जोलारपेट्टे के रास्ते दिन्डीगुल-कुमुली, मन्नारगुडी के रास्ते नीडामंगलम-पट्टुकोट्टाई नई लाइन प्रस्तावों की आंशिक लागत वहन करने में असमर्थता दिखाई है तथा सूचित किया है कि रेलों द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्तावों का वित्तपोषण किया जाए। राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी से इन्कार करने के कारण इस बारे में आगे कोई विचार नहीं किया गया।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण

4593. श्री जयवंत गंगाराम आवले:

श्री अंजनकुमार एम. यादव:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम/डीजल के अपमिश्रण और कदाचार संबंधी कितने मामले जानकारी में आए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अपमिश्रण और कदाचार के दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) पेट्रोल/डीजल के बीच मूल्यों में अधिक अन्तर होने और बाजार में विभिन्न अपमिश्रकों के उपलब्ध होने और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों की आसानी से मिलावट होने के कारण, कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल के अपमिश्रण की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अप्रैल-जून, 2009 के दौरान, किए गए निरीक्षणों की संख्या, पता लगाए गए कदाचार और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की समाप्ति के ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अप्रैल-जून, 2009)
1	2	3	4	5
किए गए निरीक्षणों की संख्या	122555	132524	151097	29959

1	2	3	4	5
अपमिश्रण सहित पता लगाए गए कदाचार	3003	2635	3485	594
समाप्त किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र	137	160	137	22

[अनुवाद]

आर.पी.एफ. का आधुनिकीकरण

4594. श्री तथागत सत्पथी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में रेलवे सुरक्षा बल को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे ने निजी सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त करने के लिए कोई कार्यविधि तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) (i) रेल मंत्रालय ने 344.31 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर देश के 195 संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्टेशनों पर समेकित सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन दिया है।

(ii) वर्ष 2008-09 के दौरान रे.सु.ब. कर्मियों के लिए 10.91 करोड़ रु. के आधुनिक शस्त्रों/गोला-बारुद की खरीद की गई है।

(iii) सुरक्षा उपकरण की खरीद के लिए रे.सु.ब. को 67.09 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

(iv) रे.सु.ब. को मजबूती प्रदान करने हेतु रे.सु.ब. कर्मियों के 973 अदद अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजनगर वस्त्र मिल

4595. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात में राजनगर वस्त्र मिल की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी मिल की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) उक्त परियोजना के शुरू होने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में नए रोजगार के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ङ) क्या स्थानीय जनसंख्या विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को उक्त परियोजना में रोजगार के लिए शामिल किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना में विलंब के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) लि. द्वारा राजनगर मिल, अहमदाबाद को स्पिनिंग एवं वीविंग क्रियाकलापों के साथ ग्रीनफील्ड मिल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 121.55 करोड़ रु. है, जो स्वयं एन.टी.सी. द्वारा बेशी परिसम्पत्तियों की बिक्री के माध्यम से जुटाई जानी है। एन.टी.सी. ने अब तक सिविल कार्य और मशीनरी के आदेश के लिए 14.57 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

(ग) अहमदाबाद नगर निगम, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विमानपत्तन प्राधिकरण, रेलवे प्राधिकारियों आदि से भूमि के बारे में अनुमोदन एवं अन्य मंजूरियां विलंब से प्राप्त होने के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ है।

(घ) उच्च तकनीकी स्पिनिंग एवं वीविंग मशीनरी वाली एक नई ग्रीनफील्ड परियोजना होने के कारण कंपनी सरकारी दिशानिदेशों को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार कुशल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगी।

(ड) रोजगार के लिए, सरकारी मानकों के अनुसार अ.सू.जा./आ.सू.ज.जा. एवं पिछड़े वर्गों सहित स्थानीय लोगों पर विचार किया जाएगा।

(च) विलंब, मुख्यतः उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित कारणों: अर्थात् सरकारी एजेंसियों/विभागों से भूमि के बारे में अनुमोदन एवं अन्य मंजूरियां विलंब से प्राप्त होने के कारण हुआ है।

टी.यू.एफ.एस. के अन्तर्गत राजसहायता

4596. श्री सी. शिवासामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिंथैटिक परिधानों के विनिर्माण और कपड़ों के प्रसंस्करण के प्रयोजन से विशेष मशीनरी की खरीद हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत ब्याज राजसहायता और पूंजी राज-सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान योजना के अनुसार परिधान विनिर्माण मशीनरी तथा प्रसंस्करण मशीनरी लगाने पर 10% पूंजी सब्सिडी और 5% ब्याज सब्सिडी देय है।

भेल की लचीली ए.सी. पारेषण प्रणाली

4597. श्री प्रदीप भाड़ी:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) ने विद्युत अंतरण क्षमता को बढ़ाने और पारेषण हानियों को कम करने के लिए लचीली ऐसी पारेषण प्रणाली (फैक्ट्स) नामक एक नई शृंखला मुआवजा योजना विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फैक्ट्स के उपयोग के पश्चात् अभी तक किसी सीमा तक विद्युत अंतरण क्षमता में वृद्धि हुई है और पारेषण हानियों में कमी आई है; और

(घ) देश में उन पारेषण लाइनों का ब्यौरा क्या है, जिनमें अभी तक ऐसी प्रणाली संस्थापित कर दी गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) जी हां, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) ने थायरिस्टर कन्ट्रोल्ड सीरिज कैपेसिटर (टी.सी.एस.सी.) फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफ.ए.सी.टी.एस.) विकसित किया है।

(ख) बी.एच.ई.एल. का टी.सी.एस.सी. एफ.ए.सी.टी.एस. घरेलू प्रयासों से विकसित किया गया था और 400 केवी कानपुर-बल्लभगढ़ ट्रांसमिशन लाइन पर नवम्बर, 2004 में इसका सफलतापूर्वक टेस्ट चार्ज किया गया था।

(ग) कानपुर-बल्लभगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के टेस्ट चार्ज के दौरान निम्न परिणाम प्राप्त हुआ:

- लाइन में 50 प्रतिशत तक पावर ट्रांसफर का विस्तार;
- निम्न फ्रिक्वेंसी पावर ऑसिलेशन का सफल डैम्पिंग;
- 8 मेगावाट तक समग्र नेटवर्क लॉस में कटौती।

(घ) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा बी.एच.ई.एल. के साथ-साथ अन्य वेंडर कंपनियों के जरिए निम्नलिखित चार लाइनों पर टी.सी.एस.सी. एफ.ए.सी.टी.एस. स्थापित किया गया है:

- (i) कानपुर-बल्लभगढ़;
- (ii) रायपुर-राउरकेला लाइन;
- (iii) पूर्णिया-मुजफ्फरपुर लाइन; और
- (iv) मुजफ्फरपुर-गोरखपुर लाइन।

रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं

4598. श्री मदन लाल शर्मा:

श्री कंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर और ट्रेनों में विभिन्न यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) रेलवे स्टेशनों/ट्रेनों पर यात्री सुविधाओं की निगरानी के लिए क्या प्रणाली मौजूद है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान रेलवे को विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए कोई शिकायत/अनुरोध मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेलवे स्टेशनों को यात्री यातायात से होने वाली आमदनी के आधार पर 7 कोटियों ('ए-1' से 'एफ') में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टेशनों पर सुविधाएं प्रत्येक कोटि के स्टेशन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं।

भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों में सुविधाएं विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं।

(ख) स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में सुविधाओं की व्यवस्था को मॉनीटर करने तथा अनुरक्षण का काम अपर महाप्रबंधक (क्षेत्रीय स्तर) तथा अपर मंडल प्रबंधक (मंडल स्तर) द्वारा किया जाता है। सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा यात्री सुविधाओं में त्रुटियों/कमियों को दूर करने के लिए निवारक उपाय करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सेवा सुधार गुप बनाए जाते हैं। इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय रेलों पर स्टेशनों पर मौजूदा यात्री सुविधाओं की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है।

(ग) से (ङ) विभिन्न स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आम जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर काफी संख्या में अनुरोध/सुझाव/शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के अनुरोधों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जाती है। 2008-09 के दौरान पूछताछ कार्यालयों की कार्य प्रणाली, पानी की अनुपलब्धता, सवारी डिब्बों का अनुरक्षण/सफाई तथा बिजली के उपकरणों के काम नहीं करने जैसी कुछ यात्री सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा रेलवे-वार निम्नानुसार है:-

रेलवे	शिकायतों की संख्या
मध्य	595
पूर्व	171

रेलवे	शिकायतों की संख्या
पूर्व मध्य	161
पूर्व तट	362
उत्तर	818
उत्तर मध्य	183
पूर्वोत्तर	119
पूर्वोत्तर सीमांत	88
उत्तर पश्चिम	107
दक्षिण	311
दक्षिण मध्य	159
दक्षिण पूर्व	122
दक्षिण पूर्व मध्य	140
दक्षिण पश्चिम	48
पश्चिम	554
पश्चिम मध्य	117
कुल	4055

हालांकि रेलवे का प्रयास रहता है कि जहां तक संभव हो, अधिक सुझावों पर विचार किया जाए, सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा, स्टेशन के सापेक्ष महत्व तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाते हैं। क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वार्षिक निर्माण कार्यक्रम बनाते समय ऐसे सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाए।

श्रीनगर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया जाना

4599. डॉ. मिर्जा महबूब बेग: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में श्रीनगर विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विमानपत्तन पर अल्प दृश्यता अवसंरचना और इंस्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम संस्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) श्रीनगर हवाईअड्डा दिनांक 11 मार्च, 2005 को अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) श्रीनगर में इंस्ट्रुमेंटल लैंडिंग सिस्टम संस्थापित करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

लंबित मामले

4600. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक चैक "डिसऑनर" होने के राज्य-वार कितने मामले न्यायालयों में लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे लंबित मामलों के निपटान हेतु अधिक संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) केंद्रीय रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जा रही है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसे मामलों के निपटारे के लिए और अधिक न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाती है।

[अनुवाद]

एन.एम.डी.सी. द्वारा हिस्सेदारी की खरीद

4601. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) को रुग्ण कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कहा है और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों (पी.एस.यू.) में ऐसे कदमों के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और इन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में एक समिति का गठन किया गया है जो एम.एस.टी.सी., एफ.एस.एन.एल., के.आई.ओ.सी.एल. और एच.एस.सी.एल. के ढांचे और कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगी तथा कम्पनियों की कार्यकुशलता व लाभप्रदता को इष्टतम बनाने के मद्देनजर निरन्तर लाभ अर्जित करने, कारोबारी पैठ बनाने और कम्पनियों के पुनर्गठन अथवा अन्य कम्पनियों के साथ विलय करने के साथ-साथ उनके विविधीकरण के उपायों के बारे में सुझाव देगी। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

प्लेटफार्मों पर अतिक्रमण

4602. श्री प्रबोध पांडा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियालदह-नैहाटी, सियालदह-बारासात-बोंगोसा, हावड़ा-बांदेल-बर्दवान, सियालदह-दक्षिण खंड के उपनगरीय खंड में सभी रेलवे प्लेटफार्मों का छोटे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सियालदह-नौहाटी, सियालदह-बारासात-बोंगांव, हावड़ा-

बंडेल-वर्धमान और सियालदह-दक्षिण खंडों के उपनगरीय खंडों में कुछ रेलवे प्लेटफार्मों पर अतिक्रमणों की संख्या 10511 है। रेलवे स्टेशनों को अतिक्रमणों से मुक्त करना एक सतत कवायद है।

क्षेत्रीय निदेशालय

4603. श्री एम.आई. शानवास: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए क्षेत्रीय निदेशालयों की स्थापना के लिए क्या मापदंड है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए क्षेत्रीय निदेशालयों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) सरकार का दो नए प्रादेशिक निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक प्रादेशिक निदेशालय उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में गुजरात (अहमदाबाद) में स्थापित किया जाएगा तथा अन्य प्रादेशिक निदेशालय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असम (गुवाहाटी) में स्थापित किया जाएगा। स्थान पर निर्णय लेते समय क्षेत्र में कंपनियों की संख्या में वृद्धि, देश के कारपोरेट सेक्टर तक पहुंच, क्षेत्र का विकास, भौगोलिक स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा गया है।

तेल और गैस उत्पादन में कर छूट

4604. श्री निशिकांत दुबे:

श्री संजय धोत्रे:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.)-I से VII के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के तेल और गैस उत्पादन दोनों को कर छूट प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो एन.ई.एल.पी.-I से VII के अंतर्गत तेल और गैस दोनों के वाणिज्यिक उत्पादन पर सात वर्ष तक कर छूट की उपलब्धता पर बोलीदाताओं ने बोली पर स्पष्ट प्रतिबद्धता जतायी थी;

(ग) यदि हां, तो कर छूट वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त निर्णय का भविष्य के अन्वेषण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) अर्थात् एन.ई.एल.पी.-I से एन.ई.एल.पी.-VII तक, के विभिन्न दौरों के अन्तर्गत हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (नियों) समय-समय पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों के लिए पात्र है/हैं। तदनुसार, बोलीदाताओं ने बोलियां भेजी थी और अवार्ड प्राप्तकर्ता (ओं) ने पी.एस.सीज पर हस्ताक्षर किए थे। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के सातवें दौर (एन.ई.एल.पी.-VII) के अन्तर्गत 30-06-2008 को बोलियों की प्राप्त से पूर्व 27-06-2008 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक स्पष्टीकरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन पर 7 वर्ष तक आय कर से छूट के संबंध में 27-06-2008 को जारी किया गया स्पष्टीकरण

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) और कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) नीति के तहत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार सम्भावित बोलीदाताओं को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से सात वर्ष की अवधि के लिए आयकर से छूट देने का आश्वासन देती रही है। तथापि, कुछ आयकर प्राधिकारियों ने आयकर अधिनियम से संबंधित प्रावधान के तहत प्राकृतिक गैस शब्द को विशिष्ट रूप से शामिल नहीं करने के कारण प्राकृतिक गैस के उत्पादन के संबंध में उपर्युक्त राहत नामंजूर कर दी है। यह मामला इस समय न्यायाधिकरणों और न्यायालयों सहित विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष न्यायाधीन है।

प्रस्ताव आमंत्रित करने वाले नोटिस (एन.आई.ओ.) और एन.ई.एल.पी.-VII बोली के दौर, जिसके लिए बोलियां प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 30 जून, 2008 है, के लिए पेट्रोलियम कर संदर्शिका पूर्ववर्ती बोली के दौरों की तरह वही आश्वासन देती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयकर से सात वर्षों तक छूट केवल कच्चे

तेल के वाणिज्यिक उत्पादन पर उपलब्ध होगी। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आलोक में, एन.ई.एल.पी.-VII के बोली के दौर के लिए इस मंत्रालय द्वारा जारी एन.आई.ओ. और पेट्रोलियम कर संदर्शिका में आयकर से संबंधित प्रावधानों को तदनुसार पढ़ा जाए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्पष्ट करता है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, संभावित बोलीदाता एन.ई.एल.पी.-VII के तहत अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस्पात संयंत्रों हेतु विद्युत

4605. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों हेतु विद्युत की संयंत्रवार वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र अपनी अपेक्षित विद्युत किन-किन स्रोतों से प्राप्त करता है;

(ग) क्या किसी विद्युत संयंत्र ने अपना स्वयं का रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):
(क) वर्ष 2009-10 के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) की विद्युत की वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 987 मेगावाट और 256 मेगावाट है।

(ख) सेव के इस्पात संयंत्र/इकाइयां और आर.आई.एन.एल. अपनी विद्युत दो स्रोतों: निजी विद्युत संयंत्रों के उत्पादन तथा यूटिलिटी पावर ग्रिड से खरीद के जरिये प्राप्त करते हैं।

(ग) और (घ) सेल और आर.आई.एन.एल. के निजी तथा अन्य विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पूर्ण स्वामित्व वाले मौजूदा निजी विद्युत संयंत्र		संयुक्त उद्यम कंपनियां
1	2	3
सेल		
भिलाई इस्पात संयंत्र	3x12 मेगावाट 1x15 मेगावाट	2x30 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम) 1x14 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम) 2x250 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	4x5 मेगावाट	2x60 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)
राउरकेला इस्पात संयंत्र	4x25 मेगावाट	2x60 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)
बोकारो स्टील लिमिटेड		2x55 मेगावाट (डी.वी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)

1	2	3
		1x12 मेगावाट (डी.वी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)
		3x60 मेगावाट (डी.वी.सी. के साथ संयुक्त उद्यम)
इस्को इस्पात संयंत्र	2x10 मेगावाट	
	1x20 मेगावाट	
	1x54 मेगावाट (स्थापना की जा रही है)	
	आर.आई.एन.एल.	
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	286.5 मेगावाट	
	117 मेगावाट (स्थापना की जा रही है।)	

पेट्रोलियम क्षेत्र में पूंजी निवेश

किया गया; और

4606. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 2004 से 2008 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में किये गए निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में कितना निवेश

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार क्षेत्र के इन उपक्रमों का कुल वार्षिक कारोबार कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान विभिन्न तेल पी.एस.यूज द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश का गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है। ये निवेश तेल पी.एस.यूज द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया गया है और सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(घ) वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि के दौरान विभिन्न तेल पी.एस.यूज का कारोबार संलग्न विवरण-V में दिया गया है:

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान तेल पी.एस.यूज द्वारा किया गया निवेश

(रुपए करोड़)

राज्य का नाम	तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम											
	ओ.एन. जी.सी.*	आई.ओ.सी.	गेल	एच.पी. सी.एल.**	ओ.आई.एल.	बी.पी.सी. एल.	सी.पी.सी. एल.	एम.आर.पी. एल.	एन.आर. एल.	बी.आर. पी.एल.	बामर लॉरी	बीको लॉरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	304.92	16.67	97.87	237.38	10.00	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.03	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	598.45	24.76	0.00	0.00	739.75	2.56	0.00	0.00	98.28	21.98	0.00	0.0
बिहार	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
गोवा	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	610.91	702.17	20.68	14.52	2.87	390.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	2751.81	0.14	0.00	0.00	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
हिमाचल प्रदेश	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	6.28	0.01	0.00	8.02	0.00	373.55	0.00	64.39	0.00	0.00	0.05	0.00
महाराष्ट्र	0.00	7.39	0.00	101.58	3.61	9042.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00
मिजोरम	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.02	599.39	0.00	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	346.12	0.00	0.00	8.69	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	3.15	4.22	0.00	0.00	27.36	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	299.40	219.26	48.83	0.00	1.08	586.47	277.08	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00
त्रिपुरा	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	512.68	59.24	0.00	5.11	795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	91.94	183.44	0.00	0.00	0.00	414.48	0.00	0.00	7.90	0.00	0.17	0.00

* संयुक्त उद्यमों और अपतटीय क्षेत्रों में किए गए निवेश के अतिरिक्त।

** देशभर में स्थित एल.पी.जी. भरण संयंत्रों में 17.05 करोड़ रुपये का भी निवेश किया गया।

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान तेल पी.एस.यूज द्वारा किया गया निवेश

(रुपए करोड़)

राज्य का नाम	तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम											
	ओ.एन. जी.सी.*	आई.ओ.सी.	गेल	एच.पी. सी.एल.**	ओ.आई.एल.	बी.पी.सी. एल.	सी.पी.सी. एल.	एम.आर.पी. एल.	एन.आर. एल.	बी.आर. पी.एल.	बामर लॉरी	बीको लॉरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	462.34	3.01	89.92	397.99	77.04	521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.98	0.00	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	501.87	7.04	0.00	0.00	724.37	3.30	0.00	0.00	129.48	27.06	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
गुजरात	1151.85	453.72	54.10	420.88	1.67	446.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	2172.93	0.00	0.00	0.00	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
हिमाचल प्रदेश	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3005.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	419.83	0.00	358.57	0.00	0.00	0.15	0.00
महाराष्ट्र	7.55	10.18	1326.52	593.70	0.02	9820.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
मिजोरम	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.20	30.76	0.00	0.00	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	644.49	0.00	0.00	29.57	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	7.21	66.40	0.00	0.00	53.56	321.08	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	350.87	113.08	0.00	0.00	29.69	651.84	176.59	0.00	0.0	0.00	2.13	0.00
त्रिपुरा	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	57.21	253.02	1.05	0.00	2.53	1228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तराखण्ड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	500.51	298.34	0.00	0.00	0.00	462.54	0.00	0.00	8.98	0.00	1.60	0.00

* संयुक्त उद्यमों और अपतटीय क्षेत्रों में किए गए निवेश के अतिरिक्त।

** देशभर में स्थित एल.पी.जी. भरण संयंत्रों में 17.93 करोड़ रुपए का भी निवेश किया गया।

विवरण-III

वर्ष 2006-07 के दौरान तेल पी.एस.यूज द्वारा किया गया निवेश

(रुपए करोड़)

राज्य का नाम	तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम											
	ओ.एन. जी.सी.*	आई.ओ.सी.	गेल	एच.पी. सी.एल.**	ओ.आई.एल.	बी.पी.सी. एल.	सी.पी.सी. एल.	एम.आर.पी. एल.	एन.आर. एल.	बी.आर. पी.एल.	बामर लॉरी	बीको लॉरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.04	0.00	875.44	61.60	549.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	733.84	4.58	0.00	0.00	931.93	6.64	0.00	0.00	31.31	118.17	0.00	0.00
बिहार	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
गुजरात	868.93	324.94	0.00	837.81	0.52	493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
गोवा	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	2369.36	1.00	0.00	0.00	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
हिमाचल प्रदेश	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
कर्नाटक	7.69	0.50	0.00	0.00	0.00	423.39	0.00	205.31	0.00	0.00	0.05	0.00
महाराष्ट्र	0.00	9.09	0.00	923.21	2.68	10903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00
मिजोरम	2.38	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	7.71	29.95	0.00	0.00	0.00	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	1.16	264.99	0.00	0.00	60.34	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	73.15	52.55	0.00	0.00	44.40	359.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	223.72	47.06	0.00	0.00	1.15	705.34	244.56	0.00	0.00	0.00	2.98	0.00
त्रिपुरा	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	252.75	171.06	401.06	0.00	5.84	971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
उत्तराखण्ड	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00	485.38	0.00	0.00	49.38	0.00	2.75	0.00

* संयुक्त उद्यमों और अपतटीय क्षेत्रों में किए गए निवेश के अतिरिक्त।

** देशभर में स्थित एल.पी.जी. भरण संयंत्रों में 17.39 करोड़ रुपए का भी निवेश किया गया।

विवरण-IV

वर्ष 2007-08 के दौरान तेल पी.एस.यूज द्वारा किया गया निवेश

(रुपए करोड़)

राज्य का नाम	तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम											
	ओ.एन. जी.सी.*	आई.ओ..सी.	गेल	एच.पी. सी.एल.**	ओ.आई.एल.	बी.पी.सी. एल.	सी.पी.सी. एल.	एम.आर.पी. एल.	एन.आर. एल.	बी.आर. पी.एल.	बामर लॉरी	बीको लॉरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	283.03	0.00	13.74	730.48	9.12	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	1185.99	7.79	0.00	0.00	1027.91	9.30	0.00	0.00	16.28	252.14	0.00	0.00
बिहार	16.04	11.80	0.00	0.06	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	49.10	0.00	1750.00	0.00	0.00	252.6:2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
गुजरात	2106.27	457.36	4569.61	228.32	0.84	511.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
गोवा	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	2839.82	591.70	0.00	0.00	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00
हिमाचल प्रदेश	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड	107.57	0.23	0.00	0.00	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4130.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
कर्नाटक	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00	555.25	0.00	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	2.39	12.71	435.51	0.13	11402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
मिजोरम	18.44	0.00	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	6.92	11.51	1435.00	0.00	0.00	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैण्ड	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	1.48	700.80	0.00	0.00	32.28	262.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	3.63	0.00	0.00	0.01	0.00	346.70	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	72.65	6.72	0.00	0.01	50.54	423.06	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	6.01	9.94	0.00	0.00	4.25	826.31	350.49	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00
त्रिपुरा	218.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	3.67	149.57	4748.53	0.00	2.50	1040.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तराखण्ड	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	48.36	434.17	0.00	0.00	0.00	548.10	0.00	0.00	47.15	0.00	5.71	0.00

* संयुक्त उद्यमों और अपतटीय क्षेत्रों में किए गए निवेश के अतिरिक्त।

** देशभर में स्थित एल.पी.जी. भरण संयंत्रों में 27.94 करोड़ रुपए का भी निवेश किया गया।

विवरण-V

तेल पी.एस.यूज का वर्ष-वार और कंपनी-वार कारोबार

(रुपए करोड़)

तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008
ओ.एन.जी.सी.	47245.00	49440.00	59058.00	61543.00
एच.पी.सी.एल.	64689.51	74044.11	91448.03	103837.43
ओ.आई.एल.	3915.84	5550.19	5389.20	6081.95
बी.पी.सी.एल.	63857.00	85149.00	107452.00	121684.00
गेल	12927.07	14875.49	16545.85	18580.21
आई.ओ.सी.	150729.00	183172.00	220779.00	247457.00
बी.आर.पी.एल.	4992.45	6288.64	6425.96	6645.00
एन.आर.एल.	4298.99	5820.37	7930.32	8764.16
सी.पी.सी.एल.	16270.64	25407.84	29349.49	32889.32
एम.आर.पी.एल.	20692.00	28058.00	32208.00	37339.00
बामर लॉरी	1071.69	1329.19	1376.70	1571.42
बीको लॉरी	35.38	45.08	47.59	54.95

[हिन्दी]

बेनामी पेट्रोल पम्प

4607. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ बेनामी पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा बेनामी पेट्रोल पम्प के संबंध में कोई नियम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन पेट्रोल पम्पों को विनियमित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक विनियमित किए जाने की संभावना है तथा इन्हें किस प्रकार विनियमित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज), यथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.), तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) ने खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) डीलरशिप के बेनामी प्रचालन के 15 सिद्ध मामलों की रिपोर्ट दी है। ये आर.ओज इसलिए प्रचालन में हैं क्योंकि या तो डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है अथवा समाप्ति पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है। राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	ओ.एम.सीज का नाम	राज्य	बेनामी आर.ओ. की संख्या
1.	आई.ओ.सी.	जम्मू एवं कश्मीर	1
2.	आई.ओ.सी.	पंजाब	1
3.	आई.ओ.सी.	गुजरात	1
4.	आई.ओ.सी.	राजस्थान	3
5.	आई.ओ.सी.	आन्ध्र प्रदेश	1
6.	आई.ओ.सी.	उत्तर प्रदेश	1
7.	आई.ओ.सी.	उत्तराखण्ड	1
8.	आई.ओ.सी.	तमिलनाडु	1
9.	एच.पी.सी.	असम	1
10.	एच.पी.सी.	केरल	4

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) डीलरशिप की चयन प्रक्रिया के दौरान तथा विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत अंततः आर.ओ. डीलरशिप प्रदान करते समय ओ.एम.सीज द्वारा सावधानीपूर्वक ध्यान रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस श्रेणी के तहत डीलरशिप रजिस्टर की गई है और विज्ञापित की गई है, उसी श्रेणी के व्यक्तियों को डीलरशिप प्रदान की गई है। आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी की पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों की जांच की जाती है तथा उन्हें सत्यापित किया जाता है। चयन समिति द्वारा उम्मीदवार के चयन/सूचीकरण के पश्चात् निगम के अधिकारी द्वारा नामिका में शामिल किए गए उम्मीदवार के प्रत्यय-पत्र का क्षेत्र पर सत्यापन (एफ.वी.सी.) किया जाता है। इसी एफ.वी.सी. के आधार पर चयन किए गए उम्मीदवार को आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ओ.एम.सीज के अधिकारी नियमित रूप से आर.ओ. का निरीक्षण करते हैं तथा निगरानी करते हैं कि क्या डीलरशिप करार के हस्ताक्षरकर्ता स्वयं डीलरशिप चला रहे हैं। यदि कोई संदेह हो तो, बैंक के कागजात, बिक्री कर पंजीकरण, आय कर विवरणी, खुदरा बिक्री लाइसेंस और अन्य संबंधित कागजात आदि की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई बेनामी प्रचालन नहीं हो रहा है। जब भी आबंटिती/प्राधिकृत

भागीदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आर.ओ. चलाने का मामला पाया जाता है, तो मामले की जांच की जाती है, और यदि बेनामी प्रचालन सिद्ध हो जाता है, तो डीलरशिप करार के अनुरूप कार्रवाई करते हुए संबंधित आर.ओ. डीलरशिप को समाप्त कर दिया जाता है।

(घ) इन आर.ओज को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में पी.एन.जी. सुविधा

4608. श्री के. सुधाकरण: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केरल के विभिन्न शहरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) वर्तमान में केरल किसी गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, तथापि सरकार द्वारा गेल (इंडिया) लिमिटेड को साझी संवाहक आधार पर कोच्चि-कांजीरकोड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है। इस पाइपलाइन के 2011-12 में चालू होने की संभावना है। केरल के प्रमुख शहरों में जो इस पाइपलाइन की परिधि में आते हैं और जहां शहर गैस वितरण (सी.जी.डी.) परियोजनाओं के लिए तदनुसार गैस उपलब्ध कराई जाएगी, वे हैं: पालवकाड, थालासेरी, कनहंगद, कासगोड, मालापुरम, मंजेरी, कोच्चि, एर्णाकुलम, कांजीरकोड, कायमकुलम, पोन्नानी, मिसूर तथा कोजी कोड।

भारत सरकार ने पूरे देश में शहर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के साथ-साथ सार्वजनिक और साथ ही निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है। केरल के विभिन्न शहरों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) की आपूर्ति केवल गेल की कोच्चि-कांजीरकोड-मंगलौर/बंगलौर पाइपलाइन चालू होने तथा सी.जी.डी. परियोजना के लिए पी.एन.जी.आर.बी. से आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने के बाद ही आरंभ की जा सकती है।

[हिन्दी]

लोहरदगा रेलवे स्टेशन

4609. श्री सुदर्शन भगत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहरदगा रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार अवस्था में है तथा वहां बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इसे आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा मानदण्डों के तहत उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए-1, ए और बी कोटि के स्टेशनों को मॉडर्न स्टेशन के रूप में चयन करने की व्यवस्था है। डी कोटि के स्टेशन होने के कारण लोहरदगा का मॉडल स्टेशन के रूप में चयन नहीं किया गया है। बहरहाल, स्टेशन का आधुनिकीकरण और सौन्दर्यीकरण के उद्देश्य से आधुनिक स्टेशन के रूप में चयन किया गया है। परिचलन क्षेत्र का विकास, प्लेटफॉर्म के साथ चहारदीवारी का निर्माण, निचले क्षेत्र का विकास मास्टिक प्लोरिंग के साथ प्लेटफॉर्म को चौड़ा करना तथा प्लेटफॉर्म पर स्टील चेयर की व्यवस्था सहित 95 लाख रु. की लागत पर आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें 31 मार्च, 2010 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

भेषजीय कार्यकलापों का विनियमन करने वाले निकाय में परिवर्तन

4610. श्री अघलराव पाटील शिवाजी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों, प्रसाधनों और अन्य भेषजीय उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, संवर्धन तथा प्रयोग को विनियमित करने वाले निकाय में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिवर्तनों को कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) नयी संरचना लापरवाह विनिर्माण प्रथा में सुधार लाने में किस हद तक सक्षम है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) राज्य सभा में 21 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन (संशोधन) 2007 में अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) के स्थान पर केन्द्रीय औषध प्राधिकरण नामक एक स्वायत्त औषध विनियामक प्राधिकरण के सृजन का प्रावधान है। केन्द्रीय औषध प्राधिकरण, वर्तमान में सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अधीन औषध सौंदर्य प्रसाधन एवं चिकित्सा उपकरणों के संबंध में निष्पादित निर्यात, विनिर्माण, भंडारण, वितरण आदि से संबंधित

विनियामक कार्य करेगा। यह केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण का कार्य भी करेगी, जिसके लिए उक्त विधेयक में राज्य सरकारों से इस उत्तरदायित्व को स्थानांतरित करने संबंधी समर्थकारी प्रावधान शामिल है। उक्त विधेयक वर्तमान में राज्य सभा में लंबित है।

कोटद्वार रेलवे स्टेशन

4611. श्री सतपाल महाराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जिले में कोटद्वार रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का अंतिम रेल संपर्क है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस पर्वतीय स्टेशन में रेल लाइन का कोई विस्तार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार उपरोक्त संपर्क का शिमला और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों तथा अब जम्मू-कश्मीर में भावी श्रीनगर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर लैंस डाउन तक विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) कोटद्वार से आगे रेल लिंक के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा में कुप्रबंधन

4612. श्रीमती जयाप्रदा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान बिना बारी के सीट का आरक्षण दिए जाने हेतु आरक्षण कोटे में बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना बारी के आरक्षित टिकटों की बिक्री में दलालों के साथ-साथ रेल अधिकारियों के शामिल होने के मामलों का भी पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या रेलवे रेल आरक्षण में बिना बारी के सीटों

के आवंटन की कोई पारदर्शी नीति तैयार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) बिना बारी के आरक्षण (आपातकालीन कोटा) टिकटों की बिक्री में दलालों के साथ रेलवे पदाधिकारियों की मिलीभगत का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आपातकालीन कोटा में से आरक्षित सीटें आबंटित करने की मौजूदा व्यवस्था पारदर्शी है। समय-समय पर किए गए आवश्यकता आधारित संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

चांगी एयरपोर्ट्स इन्टरनेशनल के साथ संयुक्त उद्यम

4613. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट्स इन्टरनेशनल के साथ कोई संयुक्त उद्यम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रथम चरण में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थापित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या ऐसे एयरपोर्ट देश के अन्य भागों में भी स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

4614. श्री आनंदराव अडसुल: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए कोई चयन पैनल बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है। एक अध्यक्ष और छः सदस्यों का चयन किया जा चुका है। अध्यक्ष और चार सदस्यों ने आयोग में अपना कार्यभार संभाल लिया है।

(ङ) आयोग का गठन पहले किया जा चुका है और यह कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

हारुनी रेलवे स्टेशन पर चित्रकूट एक्सप्रेस का ठहराव

4615. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कानपुर-लखनऊ दैनिक यात्री संघ से कानपुर-लखनऊ खण्ड के हारुनी रेलवे स्टेशन पर चित्रकूट एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान करने संबंधी अनुरोध

प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) चित्रकूट एक्सप्रेस को हारुनी रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल्स का निर्यात

4616. श्री नवीन जिन्दल: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद वर्ष 2008-09 के दौरान भारत से कारों और दुपहिया वाहनों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष के निर्यात अनुमान को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) जी, हां। सोसाइटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एस.आई.ए.एम.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान भारत से कारों और दुपहिया वाहनों का निर्यात बढ़ा है। इसका ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

श्रेणी	निर्यात (संख्या)		
	2007-08	2008-09	% परिवर्तन
यात्री कार	211,112	331,539	57.04
दुपहिया	819,713	1,004,174	22.50

वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारों और दुपहिया वाहनों के निर्यात

से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रुपये)

आई.टी.सी. एच.एस. कोड	मद का विवरण	2007-08	अप्रैल, 2008- फरवरी, 2009
8703	आर.सी.एन.जी. कारों सहित मोटर कार और अन्य मोटर वाहन, आदि	5575.07	9999.19
8711	ऑग्निलरी मोटर युक्त मोपेड और साइकिल सहित मोटरसाइकिल	1180.39	2101.63

(ग) और (घ) जी, नहीं।

आई.सी.ए.आई. के प्रशिक्षण केन्द्र

4617. श्री एस.एस. रामासुब्बु: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की योजना देश के विभिन्न शहरों विशेषकर तमिलनाडु में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमानित निवेश तथा उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) की जयपुर, जैसलमेर, हैदराबाद, बंगलोर और चेन्नई में गुणवत्ता केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ख) इन गुणवत्ता केन्द्रों के स्थापित किए जाने का उद्देश्य पूर्वाभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं संचार संबंधी निपुणता जैसे विभिन्न विषयों में संस्थान के सदस्यों और विद्यार्थियों के अंदरूनी व्यावसायिक विकास (इनहाउस प्रोफेशनल डेवलपमेंट) है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	केन्द्र का स्थान	अनुमानित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	जयपुर	90.00

1	2	3
2.	जैसलमेर	30.00
3.	हैदराबाद	25.00
4.	बंगलोर	65.00

(ग) इस उद्देश्य के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा
वित्तपोषित रेल परियोजनाएं**

4618. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) रेलवे को प्रत्येक परियोजना हेतु प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या रेलवे ने उक्त विदेशी संस्थाओं को प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त मद में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) बाहरी स्रोतों से सहायता प्राप्त चालू रेलवे परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विभिन्न विदेशी

वित्तीय एजेंसियों से लिए गए ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) मुंबई क्षेत्र में उपनगरीय रेल सेवाओं में सुधार के लिए मुंबई शहरी परिवहन परियोजना है, जिसमें सड़क तथा रेल दोनों घटक शामिल हैं। परियोजना के रेल घटक की अनुमानित लागत 4174.40 करोड़ रु. है। यह आंशिक रूप से विश्व बैंक से ऋण द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना के रेल घटक के लिए पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऋण तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन क्रेडिट क्रमशः 304.5 मिलियन अमरीकी डालर तथा 60 मिलियन अमरीकी डालर है। 31-03-09 तक इस ऋण के अंतर्गत इस्तेमाल की गई कुल राशि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ऋण का 132.072 मिलियन अमरीकी डालर तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन क्रेडिट का 42.47 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ii) गाजियाबाद और कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण का काम 108.5 मिलियन यूरो की अनुमानित लागत पर क्रेडिटेनस्टाल्ट फर विडेराफवाऊ, जर्मनी से ऋण द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। ऋण की

राशि 94.5 मिलियन यूरो है। 31-03-09 तक इस ऋण के अंतर्गत इस्तेमाल की गई कुल राशि 24.028 मिलियन यूरो है।

(iii) रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने तथा परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से, रेलवे सेक्टर की सुधार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए एशियन विकास बैंक ने ऋण बढ़ा दिया है। ऋण से वित्तपोषित की जाने वाली उप परियोजनाएं मुख्य रूप से स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उसके विकर्णों में और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं। इस ऋण के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 990.82 करोड़ रु. है। ऋण की राशि 212.3 मिलियन अमरीकी डालर है। 31-03-09 तक इस ऋण के अंतर्गत इस्तेमाल की गई कुल राशि 126.115 मिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) और (ङ) जी हां, सरकार ने एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक तथा क्रेडिटेनस्टाल्ट फर विजेराफवाऊ ऋण पर वचनबद्धता प्रभार का भुगतान कर दिया है।

31-03-09 तक भुगतान किए गए वचनबद्धता प्रभार की राशि नीचे दी गई है:

एशियन विकास बैंक	-वित्त मंत्रालय द्वारा 4.68 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया गया।
विश्व बैंक आई.बी.आर.डी. ऋण	-वित्त मंत्रालय द्वारा 6.165 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान किया गया।
क्रेडिटेनस्टाल्ट फर विडेराफवाऊ ऋण	-2.546 मिलियन यूरो की कुल राशि जिसमें से रेलवे द्वारा 1.45 मिलियन यूरो का तथा बाकी राशि का वित्त मंत्रालय द्वारा भुगतान किया गया।

वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के अवसर

4619. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार श्रम आधारित वस्त्र क्षेत्र में जहां वस्त्र उत्पादों की विश्वव्यापी मांग के कम होने के कारण रोजगार के अवसर घट रहे हैं आगामी पांच वर्षों में रोजगार के 10 मिलियन अवसरों का सृजन करने की कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) जी, नहीं। आगामी पांच वर्षों में वस्त्र क्षेत्र में 10 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने के लिए कोई कार्य विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, निवेश बढ़ाने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं, जिससे आने वाले वर्षों में रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, कपास प्रौद्योगिकी मिशन और पटसन प्रौद्योगिकी मिशन हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

छपरा-मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर रेल पुल

4620. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छपरा-मुजफ्फरपुर नई रेल लाइन पर रेल पुल बनाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) उक्त पुलों के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सभी 12 बड़े पुलों के लिए निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन पुलों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। इस परियोजना के लिए 2009-10 के लिए 2 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता तथा अन्य संबद्ध कारकों पर इन कार्यों का पूरा होना निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कंधमाल, उड़ीसा में एल.पी.जी. एजेन्सी खोलना

4621. श्री रुद्रमाधव राय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के कंधमाल जिले और उसके आस-पास एल.पी.जी. गैस की कोई एजेन्सी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कंधमाल जिले और इसके आस-पास के क्षेत्रों में एल.पी.जी. एजेन्सी खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जिले और इसके आस-पास के क्षेत्रों में एल.पी.जी. एजेन्सी कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) की कंधमाल जिले में फूलबनी स्थान पर एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्य कर रही है तथा कंधमाल जिले के बालीगुडा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) की एक और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, ओ.एम.सीज वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में 17 नई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने की प्रक्रिया में हैं, जो चालू किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

चूंकि विज्ञापन जारी करने के बाद चालू करने की प्रक्रिया में, आवेदन पत्रों की प्राप्ति, उनकी जांच-पड़ताल, उम्मीदवारों का चयन, चयनित उम्मीदवारों के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, बुनियादी ढांचे की स्थापना, विभिन्न अनिवार्य लाइसेंसों और अनुमोदनों की प्राप्ति तथा शिकायतें/वाद, यदि कोई हो, का निपटान, शामिल है, इसलिए कब ये लोकेशन चालू होंगी, इसका सही समय निर्दिष्ट कर पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु लाइसेंस

4622. श्री अशोक कुमार रावत:

श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु, मध्यम और बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) लाइसेंस जारी करने हेतु लंबित आवेदन कब तक स्वीकृत होंगे?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) देश में प्रमुख और बड़े इस्पात संयंत्रों तथा लघु से मध्यम इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार वितरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार इस्पात उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया

गया है तथा स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर इसे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से हटा दिया गया है। इसलिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है और उद्यमी प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर देश में कहीं पर भी इस प्रकार के संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार की स्थान संबंधी नीति में छूट देते हुए पिछले 3 वर्षों के दौरान लोहा एवं

इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाईसेंसों की संख्या एक है जो मैसर्स अश्वनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, गांव लोडारियाल, तालुक सानन्द, अहमदाबाद, गुजरात को जारी किया गया है।

(ग) इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाईसेंस के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है। अनिवार्य लाईसेंसिंग की सूची में आने वाली विनिर्माण मदों को छोड़कर औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त करने के लिए सभी औद्योगिक उपक्रमों को छूट दे दी गई है।

विवरण-1

इस्पात का उत्पादन करने वाले मुख्य और बड़े संयंत्रों का राज्य-वार वितरण

संयंत्र	राज्य
मुख्य उत्पादक	
1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) संयंत्र	
बोकारो इस्पात संयंत्र	झारखंड
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
मिश्र इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
इस्को इस्पात संयंत्र	पश्चिम बंगाल
राउरकेला इस्पात संयंत्र	उड़ीसा
भिलाई इस्पात संयंत्र	छत्तीसगढ़
विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड	कर्नाटक
सेलम इस्पात संयंत्र	तमिलनाडु
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड/वाइजैग स्टील	आन्ध्र प्रदेश
3. टाटा स्टील	झारखंड
बड़े उत्पादक	
1. इस्पात इंडस्ट्रीज	महाराष्ट्र
2. जे.एस.डब्ल्यू. स्टील	कर्नाटक
3. एस्सार स्टील	गुजरात
4. जिंदल स्टील एंड पावर	छत्तीसगढ़

विवरण-II

लघु से मध्यम इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार वितरण (संख्या)

राज्य	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	इंडक्शन फर्नेस	री-रोलिंग	वायन ड्राइंग	एच.आर. शीट्स प्लेट्स/ क्वायल्स	सी.आर. शीट्स क्वायल्स	जी.पी./ जी.सी. शीट्स/ क्वायल्स
1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी क्षेत्र							
छत्तीसगढ़	2	64	127	2	1		
दादरा और नगर हवेली		25	3				
दमन		14					
गोवा	1	22	13				
गुजरात	4	62	136	1	2	4	2
महाराष्ट्र	8	73	130	4	3	10	8
मध्य प्रदेश	1	19	42	4		3	3
योग	16	279	451	11	6	17	13
उत्तरी क्षेत्र							
चंडीगढ़	1	3	3	1			
दिल्ली		10	32				
हरियाणा	3	33	18	1	2	9	
हिमाचल प्रदेश		14	4				
जम्मू और कश्मीर		8	11				
पंजाब	4	124	359	3	1	4	
राजस्थान		33	190	2		1	
उत्तर प्रदेश	2	130	168	2		4	4
उत्तरांचल		27	7				
योग	10	382	792	9	3	18	4

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिणी क्षेत्र							
तमिलनाडु		76	114			1	
पांडिचेरी		29	13				
कर्नाटक		21	22	2	1	4	1
केरल	1	41	39				
आन्ध्र प्रदेश		33	55	1		3	
योग	1	200	243	3	1	8	1
पूर्वी क्षेत्र							
आसाम		11	9				1
बिहार		10	12				
झारखंड	3	24	30	1		1	1
उड़ीसा	2	57	28				
पश्चिम बंगाल	4	43	70			3	2
मेघालय		14	9				
योग	9	159	158	1	0	4	4
कुल योग	36	1020	1644	24	10	47	22

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक नीति

4623. श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और वृद्धि के लिए औद्योगिक नीति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या समुचित खाद्य प्रसंस्करण के अभाव में प्रतिवर्ष शीघ्र नष्ट होने वाली मर्दे भारी संख्या में नष्ट हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को कम से कम नष्ट होने देने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):

(क) और (ख) पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और संवृद्धि के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करने के इरादे से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राज्यों से

बार-बार अनुरोध कर रहा है कि वे उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति बनाएं। जबकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने पृथक खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार कर ली हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा ने इस नीति को अपनी औद्योगिक/कृषि नीति के आंतरिक भाग के रूप में शामिल किया है।

(ग) से (ड) अनुमान है कि कृषि खाद्य वस्तुओं की वार्षिक बरबादी का अनुमान लगभग 50,000 करोड़ रुपये है जो फसल काटने के बाद उसकी उठाई-धराई के विभिन्न चरणों में होती है। प्रसंस्करण के स्तर में बढ़ोतरी करने और इस क्षेत्र में औद्योगिक वृद्धि के संवर्धन हेतु मंत्रालय ने उद्योग के आकार को तिगुना करने के उद्देश्य के साथ विजन, 2015 तैयार किया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण के स्तर को 6% से बढ़ाकर 10%, मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% एवं वर्ष 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य बाजार में भारतीय हिस्से को 1.5% से बढ़ाकर 3% करना है।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय विभिन्न योजना स्कीमों में कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात् (i) प्रमुख घटकों अर्थात् मेगा फूड पार्क, शीत शृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों वाली बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (v) संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम; और (vi) सड़क गली किनारे बिकने वाले खाद्य की गुणता के उन्नयन संबंधी स्कीम। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की स्कीम के अंतर्गत यह मंत्रालय नई प्रौद्योगिकियां और नए उत्पाद विकसित करने के लिए ख्यातिप्राप्त संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं को निधियां दे रहा है ताकि शेल्फ लाइफ में बढ़ोतरी हो तथा अपव्यय में कमी आए।

मंत्रालय ने भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जैसे निकायों की स्थापना भी की है और वह नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने, भारतीय उद्योग की प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार करने ताकि अपव्यय में कमी आए, के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान और भारतीय

फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे संस्थानों की स्थापना/उन्नयन की प्रक्रिया में हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल/डीजल/कैरोसीन की चोरी

4624. श्री रामकिशुन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुगलसराय, उत्तर प्रदेश स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इन्डियन ऑयल कारपोरेशन के डिपो से पेट्रोल, डीजल और कैरोसीन चोरी होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि मुगलसराय डिपो से पेट्रोलियम उत्पादों की बड़ी चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपरोक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

4625. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सहित उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र खोले गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के समुचित कार्यकरण और अनुरक्षण हेतु वर्ष-वार और केन्द्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित 5(पांच) केन्द्र खोले गए हैं।

क्र.सं.	निफ्ट केन्द्र	राज्य	खोलने का वर्ष
1.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	2007
2.	शिलांग	मेघालय	2008
3.	पटना	बिहार	2008
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश	2008
5.	कन्नूर	केरल	2008

1997 से बेंगलुरु में पहले ही एक निफ्ट केन्द्र है और पिछले 3 वर्षों के दौरान कर्नाटक में कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के उपयुक्त कार्य प्रचालन एवं रखरखाव के लिए खर्च की गई राशि का वर्ष-वार एवं केन्द्र-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

केन्द्र	2007-08 के लिए	2008-09 के लिए
रायबरेली	297.89	464.93
भोपाल	-	295.78
कन्नूर	-	138.17
पटना	-	257.54
शिलांग	-	267.33

[अनुवाद]

उड्डयन उद्योग के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल

4626. श्री उदय सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के उड्डयन उद्योग के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल पर बातचीत प्रारंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हब-एण्ड-स्पोक मॉडल के लिए व्यवहार्यता की जांच की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हब-एण्ड-स्पोक मॉडल प्रारंभ होने से विमान कंपनियों को क्या लाभ होने की संभावनाएं हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा समन्वित एक परामर्श समूह, जिसमें हवाईअड्डों तथा एयरलाइनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, हब-एंड-स्पोक मॉडल के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का पता लगा रहा है।

लागत बांटने के आधार पर रेल संपर्क

4627. श्री तथागत सत्पथी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से लागत बांटने के आधार पर नए रेल संपर्कों के निर्माणके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उन पर प्रस्ताव-वार और राज्य-वार क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) चालू परियोजनाओं, जिनके लिए कुछ राज्य सरकारों ने लागत में भागीदारी की सहमति दे दी है, के अलावा, लागत में भागीदारी के आधार पर कतिपय नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	की गई कार्रवाई
1.	मनुगुरु-रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
2.	अक्कनापेट-मेडक	आन्ध्र प्रदेश	शुरू किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है।
3.	द्विवन सिटी के लिए बहु आयामी परिवहन प्रणाली (एम.एम.टी.एस.)-चरण II	आन्ध्र प्रदेश	शुरू किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है।
4.	मनमाड-इंदौर	महाराष्ट्र-इंदौर	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
5.	वाडसा-गदचिरोली	महाराष्ट्र	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
6.	गदग-हावेरी	कर्नाटक	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
7.	अलमाती-कुस्तगी-कोपल/कनकगिरी-कम्पली-दाराजी	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
8.	शिमोगा-हरिहर	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
9.	यादगीर-शाहपुर-शोरापुर-मुद्देबिहल-अलमाती	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
10.	अनेकल रोड-बिडाडी बाई-पास	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
11.	मदानापल्ली-श्रीनिवासपुरा	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
12.	धारवाड-किडूर-बेलगाम	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
13.	बीजापुर-शाहाबाद	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
14.	कोडूर-चित्रदुर्ग	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
15.	देवनगर-चित्रदुर्ग-तुमकुर	कर्नाटक	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
16.	बागलकोट-कुडाची	कर्नाटक	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
17.	तालगुप्पा-होनवर	कर्नाटक	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

ऑटोमोबाइल एल.पी.जी. डिस्पेंशन सिस्टम
(ए.एल.डी.एस.) की स्थापना

4628. श्री प्रदीप माझी:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) तथा राज्य चालित तेल कंपनियों का विचार 2009-10 के दौरान देश भर में ऑटोमोबाइल एल.पी.जी. डिस्पेंशन सिस्टम (ए.एल.डी.एस.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; रही हैं।
और

(ग) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य चालित तेल कंपनियों के कितने ए.एल.डी.एस. कार्य कर रहे हैं;

(घ) आई.ओ.सी. द्वारा ए.एल.डी.एस. की स्थापना हेतु स्थान का चयन करने का मानदण्ड क्या है; और

(ङ) 2009-10 के अंत तक राज्य चालित विभिन्न तेल कंपनियों का बाजार हिस्सा कितना बढ़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने तथा कानूनी मानदण्डों को पूरा करने के अध्यक्षीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान 80 नये आटो एल.पी.जी. डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनमें से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) द्वारा 20, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) द्वारा 10 तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा 50 स्टेशन खोले जाएंगे। आई.ओ.सी. और बी.पी.सी.एल. के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, एच.पी.सी.एल. से संबंधित स्थानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) दिनांक 01-07-2009 की स्थिति के अनुसार, ओ.एम.सीज देश में 459 ए.एल.डी.एस. का प्रचालन कर

(घ) ए.एल.डी.एस. सुविधाएं व्यवहार्यता स्थापित हो जाने के आधार पर स्थापित की जाती हैं जिनमें शामिल हैं:-

(i) उस क्षेत्र में आटो एल.पी.जी. मांग के आधार पर बिक्री संभाव्यता, जिसके लिए आटो एल.पी.जी. में बदले जाने की संभावना वाले मोटर स्प्रीट (एम.एस.) चालित वाहनों की संख्या, आटो एल.पी.जी. वाहनों की उपलब्धता, वाहनों के आटो एल.पी.जी. रूपान्तर आरंभ करने के बारे में वाहन विनिर्माताओं की योजनाएं, ग्राहक समूहों से मांग, उस बाजार में विद्यमान ए.एल.डी.एस. पर आटो एल.पी.जी. की बिक्री के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

(ii) पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सामग्री सुरक्षा संगठन (पी.डी.एस.ओ.) तथा स्टैटिक एड मोबाइल प्रेशर वैसल्स नियमों (2000 में संशोधित) के कठोर मानदण्डों का पालन करते हुए ए.एल.डी.एस./ भंडार की स्थापना के लिए तकनीकी साध्यता।

(iii) ए.एल.डी.एस. पर सुविधाओं के लिए निवेश करने हेतु वित्तीय व्यवहार्यता।

(ङ) ओ.एम.सीज ने सूचित किया है कि वर्ष 2009-10 के अंत तक वे अपने विद्यमान बाजार शेयर में से प्रत्येक 1% से 2% तक अपना बाजार शेयर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित आटो एल.पी.जी. डिस्पेंसिंग स्टेशनों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आई.ओ.सी.	बी.पी.सी.एल.
1	2	3	4
1.	पंजाब	1	
2.	राजस्थान	1	3
3.	जम्मू और कश्मीर	1	
4.	गुजरात	1	

1	2	3	4
5.	मध्य प्रदेश	1	1
6.	महाराष्ट्र	4	
7.	आन्ध्र प्रदेश	1	
8.	कर्नाटक	3	1
9.	उत्तर प्रदेश	2	
10.	तमिलनाडु	2	1
11.	पश्चिम बंगाल	1	4
12.	उत्तराखण्ड	2	
योग		20	10

टिप्पणी: ऊपर 30 स्थानों (आई.ओ.सी. के 20 तथा बी.पी.सी.एल. के 10) के अलावा, एच.पी.सी.एल. द्वारा 50 स्थानों का प्रस्ताव किया गया है जिन्हें अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

जोनल रेलवे कार्यालय

4629. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अल्पसंख्यकों के कल्याण को बढ़ावा देने और रेलवे सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी जोनल रेलवे कार्यालयों और रेलवे बोर्ड में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी जोनल कार्यालयों और रेलवे बोर्ड ने उक्त निर्देशों का क्रियान्वयन किया है;

(घ) क्या सभी भर्ती बोर्डों और रेलवे समितियों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं हित संबंधी कार्य की निगरानी इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। रेलवे बोर्ड में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, स्थापना (आरक्षण) को

अल्पसंख्यक मामलों की निगरानी और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित विवादों का संतोषजनक ढंग से निपटान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) समूह 'ग' एवं 'घ' के 10 अथवा उससे अधिक रिक्त पदों को भरने हेतु अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।

कैरोसीन का अनिवार्य उत्पादन

4630. श्री मदन लाल शर्मा:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल समन्वयन समिति ने कैरोसीन के उत्पादन को अनिवार्य बनाने के लिए परिशोधन करने वाली कंपनियों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके आयात बिल पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) दिनांक 01-04-1998 से तेल कंपनियों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समाप्त किए जाने तथा 01-04-2002 से तेल समन्वय समिति को बंद कर दिए जाने के परिणामतः तेल कंपनियों मिट्टी तेल सहित विभिन्न उत्पादों का उत्पादन अपनी वाणिज्यिक मांग के आधार पर करती हैं।

(ग) और (घ) आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं पर कार्रवाई शुरू की है:-

- (i) तेल और गैस की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए संपूर्ण तलछटी बेसिनों का अन्वेषण।
- (ii) घरेलू कंपनियों द्वारा विदेश में इक्विटी तेल का अर्जन।
- (iii) देश के मौजूदा तेल क्षेत्रों में तेल और गैस निकासी स्तरों में सुधार।
- (iv) परिशोधन क्षमता में वृद्धि।
- (v) बायो ईंधन, सी.बी.एम., गैस हाइड्रेट्स आदि जैसे बेकल्पिक ईंधन स्रोतों का दोहन।
- (vi) ऊर्जा क्षमता में सुधार।

भवानी का कालीन उद्योग

4631. श्री के. सुगुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भवानी (तमिलनाडु) के हाथों से कालीन बनाने वाले उद्योग की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भवानी (तमिलनाडु) सहित देश में हाथों से कालीन बनाने वाले उद्योग को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए उठाए गए कदमों में चुनिंदा शिल्प कलस्टरों के समेकित विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना (ए.एच.वी.वाई.); विपणन सहायता एवं सेवा स्कीम; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास तथा हस्तशिल्प कारीगर व्यापक

कल्याण स्कीमों का कार्यान्वयन शामिल है। इन छः जेनेरिक स्कीमों के अलावा उठाए गए अन्य कदमों में भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना; उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर में दो मेगा कलस्टरों की स्थापना तथा नई दिल्ली एवं वाराणसी में हर वर्ष भारतीय कालीन प्रदर्शनी आयोजित करना शामिल है।

एस्सार स्टील द्वारा किया गया निवेश

4632. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्सार स्टील का विचार देश में तथा मध्य-पूर्व और उत्तरी अमेरिका में इस्पात प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निवेश से देश में इस्पात की मांग को पूरा करने में कितनी सहायता मिलेगी?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):

(क) और (ख) एस्सार स्टील लिमिटेड ने उत्तर दिया है कि उसने देश में चेन्नई, पुणे और बहादुरगढ़ में इस्पात प्रक्रमण के लिए तीन सुविधा केंद्र पहले ही चालू कर दिए हैं। कंपनी इस समय मिडिल ईस्ट और उत्तरी अमरीका में इस्पात प्रक्रमण के लिए बाजार व्यवहार्यता अध्ययन की कार्रवाई कर रही है।

(ग) देश में इस्पात की उपलब्धता बढ़ाने में इस्पात प्रक्रमण सुविधा केंद्र प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं करेंगे अपितु संभवतः ये छोटे उपभोक्ताओं की उपर्युक्त स्थानों पर कंपनी से छोटे लॉटो में कस्टमाइज्ड स्टील प्राप्त करने में मदद करेंगे।

बंद कम्पनियां

4633. श्री एम.आई. शानवास: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत काफी सारी कम्पनियां बंद पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तुलना-पत्र और वार्षिक विवरणी जमा न कराने वाली कम्पनियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की कम्पनियों का नाम हटाने के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कितनी कम्पनियों के नाम हटाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुरशीद): (क) और (ख) जी, हां। विगत पांच वर्षों के दौरान तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणियां न भरने वाली कंपनियों की संख्या 2,19,355 है।

(ग) और (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के रजिस्टर से 98,164 कंपनियों के नाम हटा दिए गए हैं।

परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद

4634. श्री निशिकांत दुबे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (ए.ई.पी.सी.) के कार्य निष्पादन और कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सरकार को क्या-क्या कमियां मिली हैं;

(ग) सरकार ए.ई.पी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा किस प्रकार करती है; और

(घ) ए.ई.पी.सी. को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) परिषद के कार्यकरण में इसके उद्देश्यों के प्रति कोई कमी ध्यान में नहीं आई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ए.ई.पी.सी. के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य प्रचालन की अलग-अलग से समीक्षा नहीं की जाती है बल्कि ऐसी सभी परिषदों की भांति ए.ई.पी.सी. के कार्यकरण पर निगरानी रखी जाती है। परिषद के प्रभावी कार्यकरण की निगरानी के लिए ए.ई.पी.सी. की कार्यकारी समिति में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नामित किया जाता है।

दाभोल से बेंगलुरु, कोच्ची और मंगलोर तक गैस पाइप लाईन

4635. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने महाराष्ट्र तट स्थित दाभोल से बेंगलुरु, कोच्ची और मंगलोर तक गैस पाइप लाईन बिछाने के ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल और कर्नाटक सरकार भी प्रस्ताव से सहमत हैं; और

(घ) यदि हां, तो गैस पाइप लाईन बिछाने में कुल कितना निवेश होगा और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा गेल (इंडिया) लि. को दाभोल-बंगलौर तथा कोच्चि-कांजीरकोड-मंगलोर-बंगलोर ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन पाइपलाइनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विशेषताएं	दाभोल-बंगलौर पाइपलाइन	कोच्चि कांजीरकोड-मंगलोर/ बंगलौर पाइपलाइन
1	2	3
आरंभिक स्थल	दाभोल एल.एन.जी. केन्द्र, डाभोल	पी.एल.एल.एल.एन.जी. केन्द्र, कोच्चि
समाप्ति स्थल	विडाडी-बंगलौर	मंगलोर तथा बंगलोर

1	2	3
क्षमता	16 एम.एम.एस.सी.एम.डी.	16 एम.एम.एस.सी.एम.डी.
ट्रंक लाइन	30 इंच, 730 कि.मी.	24 इंच, 860 कि.मी.
स्पेर लाइन	18/10/8 इंच, 659 कि.मी.	12/8 इंच, 252 कि.मी.

(ग) दोनों राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को समय पर निष्पादित करने के लिए गेल (इंडिया) लि. को अपेक्षित सहायता प्रदान कर रही हैं।

(घ) दाभोल-बंगलोर पाइपलाइन तथा कोच्चि-कांजीरकोड-मंगलोर/बंगलोर पाइपलाइन की अनुमानित लागत क्रमशः 4543 करोड़ रु. तथा 3032 करोड़ रु. है। दाभोल-बंगलोर पाइपलाइन के लिए निवेश प्रस्ताव 22-6-2009 को गेल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें पूरा होने का कार्यक्रम बोर्ड के अनुमोदन से 42 महीने और शहरी गैस वितरण परियोजनाओं के तैयार होने के साथ-साथ रखा गया है। कोच्चि-कांजीरकोड-मंगलोर/बंगलोर पाइपलाइन के लिए निवेश प्रस्ताव 22-6-2009 को गेल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है जिसमें पूरा होने का कार्यक्रम बोर्ड के अनुमोदन से 42 महीने और कोच्चि में पी.एल.एल.आर. एल.एन.जी. केन्द्र के विस्तार तथा चालू होने के साथ-साथ रखा गया है।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार

4636. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए बाह्य सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा यह किन देशों से प्राप्त हुई है; और

(ग) इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार में अब तक क्या प्रगति हुई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):

(क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को देश में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के प्रथम चरण के लिए कोई बाह्य सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने

अपने पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों नामतः भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़), बोकारो स्टील लिमिटेड (झारखंड), राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा), दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इस्को स्टील प्लांट (पश्चिम बंगाल) तथा सेलम स्टील प्लांट (तमिलनाडु) के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना आरंभ की है। सेल की हॉट मेटल की स्थापित क्षमता के 13.82 मिलियन टन वार्षिक (एम.टी.पी.ए.) से बढ़कर 23.46 एम.टी.पी.ए. होने की संभावना है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) अपनी द्रव इस्पात क्षमता को 3 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 6.3 एम.टी.पी.ए. कर रहा है। इस विस्तार के वर्ष 2011 तक पूरा होने की संभावना है।

एन.एम.डी.सी. लिमिटेड नागरनार (छत्तीसगढ़) में 3 एम.टी.पी.ए. क्षमता के एक एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है जिसके सितम्बर, 2013 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड का एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के साथ विलय शीघ्र ही पूरा होने वाला है और विलय पूरा होने के पश्चात एन.एम.डी.सी. लिमिटेड ने स्पंज आयरन के उत्पादन को बढ़ाकर 2.6 लाख टन प्रतिवर्ष करने तथा आन्ध्र प्रदेश के पल्लोचा में 0.3 एम.टी.पी.ए. की क्षमता के इस्पात उत्पादन की भी योजना बनाई है।

[हिन्दी]

औषधि विनिर्माण क्षेत्र का विकास

4637. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रसायन और औषधि विनिर्माण क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए कोई वृहद योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बड़ौदा जैसे कतिपय क्षेत्रों

तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को रसायन क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है ताकि गुजरात में स्थित संयंत्रों को अधिक प्रभावशाली और अर्थक्षम बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के आधार पर, भारत सरकार ने अप्रैल, 2007 में पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र नीति (पी.सी.पी.आई.आर.) को अधिसूचित किया।

(ख) पी.सी.पी.आई.आर. विशिष्ट रूप से चिन्हित निवेश क्षेत्र है जो लगभग 250 वर्ग किमी. क्षेत्र में है (जिसका न्यूनतम 40% क्षेत्र प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए चिन्हित है)। यह क्षेत्र उत्पादन परियोजनाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं, लाजिस्टिक्स, पर्यावरण संरक्षण, आवासीय क्षेत्र एवं प्रशासनिक सेवाओं का संकुल है।

पी.सी.पी.आई.आर. साझी अवसंरचना एवं सहयोगी सेवाओं के उपयोग के माध्यम से को-साइटिंग, नेटवर्किंग एवं बेहतर दक्षता का लाभ उठा पाएंगे। यहां उच्च स्तरीय अवसंरचनाएं होंगी और व्यापार की स्थापना के लिए उपयुक्त एक प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करेंगी। इनके फलस्वरूप विनिर्माण को बढ़ावा, निर्यात संवर्द्धन एवं रोजगार सृजन

हो सकेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेशम उत्पादन

4638. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में रेशम उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार रेशम के वास्तविक उत्पादन का ब्योरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान देश में कच्चे रेशम के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 21,800 मी. टन, 20374 मी. टन और 21,549 मी. टन था।

(ख) उक्त अवधि (2006-07 से 2008-09) के दौरान कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का राज्य-वार ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(रेशम उत्पादन मी. टन)

राज्य	2006-07		2007-08		2008-09	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	9,850.00	7,883.00	9,066.00	8,240.00	9,323.00	7,238.00
आन्ध्र प्रदेश	6,085.00	5,556.00	5,512.00	4,497.00	5,858.00	4,512.00
तमिलनाडु	1,290.00	1,125.00	1,326.00	1,368.00	1,502.00	1,411.00
पश्चिम बंगाल	1,621.00	1,633.00	1,688.00	1,700.00	1,745.00	1,851.66
जम्मू और कश्मीर	100.00	103.00	104.00	105.00	107.00	102.01

1	2	3	4	5	6	7
असम	975.00	858.00	1,111.00	956.00	1,135.00	1,261.00
अरुणाचल प्रदेश	17.00	6.80	13.00	12.00	15.00	18.60
बिहार	64.00	16.30	23.00	21.00	33.00	27.00
छत्तीसगढ़	159.00	117.13	120.00	155.00	126.00	153.75
हिमाचल प्रदेश	22.00	17.00	20.00	20.00	23.00	22.00
झारखण्ड	115.00	121.20	122.00	144.00	125.00	297.10
केरल	50.00	14.00	21.00	14.00	55.00	20.00
मध्य प्रदेश	86.00	56.00	58.00	87.00	137.00	130.14
महाराष्ट्र	120.00	87.00	91.00	129.00	172.00	204.28
मणिपुर	540.00	447.20	480.00	296.00	508.00	339.60
मिजोरम	24.00	10.60	16.00	9.00	17.00	15.30
मेघालय	359.00	209.05	281.00	316.00	307.00	449.00
नागालैण्ड	109.00	116.60	203.00	125.00	229.00	163.00
उड़ीसा	122.00	41.20	53.00	55.00	56.00	69.50
पंजाब	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
राजस्थान	5.00	0.30	1.00	0.30	1.00	1.00
सिक्किम	5.00	0.30	1.00	0.40	2.00	1.50
त्रिपुरा	15.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00
उत्तराखण्ड	17.00	14.15	20.00	17.00	28.00	18.90
उत्तर प्रदेश	45.00	33.00	35.00	40.00	36.00	51.93
कुल	21,800.00	18,474.83	20,374.00	18,319.70	21,549.00	18,370.27

स्रोत: राज्य रेशम उत्पादन विभाग

वस्त्र क्षेत्र में लगे हुए जनजातीय लोग

4639. श्री पी. बलराम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश सहित देश में जनजातीय

समुदाय की संस्कृति को बचाने के लिए वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के महबूबाबाद क्षेत्र की जनजातियों के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):
(क) से (ग) सरकार, वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास करती है और वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजानाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। सरकार, आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्य सरकारों के सहयोग से देश में एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रम नामतः उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रही है। सी.डी.पी. शहतूती और वन्य दोनों गुणवत्ता रेशम के उत्पादन और रेशम उत्पादन क्रियाकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और

अधिक रोजगार सृजित करने का एकमात्र एवं प्रभावी औजार है। इस प्रकार जनजाति समुदाय की संस्कृति की रक्षा होती है क्योंकि वन्य रेशम (तसर और एरी) का अधिकतर उत्पादन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हीं जनजाति समुदायों द्वारा किया जाता है।

11वीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों में देश में सी.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार अंशदान के रूप में सरकार द्वारा 661.62 करोड़ रु. का आवंटन स्वीकृत किया गया है।

11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) के दौरान सी.डी.पी. वन्य क्षेत्र योजनाओं के तहत आन्ध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:-

(लाख रु.)

क्षेत्र	सी.डी.पी. योजना	11वीं योजना के दौरान (07-08 से 09-10) आ.प्र. को उपलब्ध कराई गई सहायता
तसर	निजी तसर उत्पादकों को सहायता	3.00
	तसर बीज रियरर्स को सहायता	1.13
	कोया भंडार गृह के निर्माण के लिए सहायता	0.50
एरी	एरी फार्म-सह-ग्रेनेज के सुदृढीकरण के लिए सहायता/एरी बीज रियरर्स-सह-निजी उत्पादकों को सहायता	2.50
	कास्टर/तपिओका उत्पादकों को प्रारंभिक औजारों के लिए सहायता	0.63
	रियरिंग गृहों का निर्माण	7.50
	कुल	15.26

जैसाकि रेशम उत्पादन विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है, सी.डी.पी. की "शहतूत पौधारोपण विकास के लिए सहायता" योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश के महबूबाबाद क्षेत्र के दो जनजातीय लाभार्थियों (एस.टी.) के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है।

हथकरघा क्षेत्र के तहत भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास, संवर्धन

और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजानाएं कार्यान्वित कर रही हैं:-

- एकीकृत हथकरघा विकास योजना
- विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना
- हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
- मिल गेट मूल्य योजना

(v) विविधकृत हथकरघा विकास योजना

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक आयोग

4640. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्योरा क्या है जहां पहले ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जा चुका है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए कार्यवाही आरंभ करने के संबंध में कुछ राज्यों को पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं।

(ख) राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन 15 राज्यों में यथा - असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में किया गया है।

(ग) और (घ) जिन राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग नहीं हैं, उन राज्य सरकारों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने की सिफारिश की है।

न्यायालयों में महिला न्यायाधीश

4641. श्री देवजी एम. पटेल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तथा पुरुष न्यायाधीशों के समक्ष उनका तुलनात्मक अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती है, जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं। तथापि, सरकार के समय-समय पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को, उन्हें बार में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों के ऐसे व्यक्तियों और ऐसी महिलाओं को, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों, प्रतिनिधित्व प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पत्र लिखे हैं।

विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	महिला न्यायाधीश	महिला और पुरुष न्यायाधीशों का अनुपात
1	2	3	4
क.	उच्चतम न्यायालय	-	-
ख.	उच्च न्यायालय		
1.	इलाहाबाद	05	1:16

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	02	2:27
3.	बम्बई	07	7:59
4.	कलकत्ता	02	2:39
5.	छत्तीसगढ़	—	—
6.	दिल्ली	07	6:37
7.	गुवाहाटी	01	1:20
8.	गुजरात	03	1:8
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—
10.	जम्मू और कश्मीर	—	—
11.	झारखंड	02	2:11
12.	कर्नाटक	02	2:35
13.	केरल	02	2:31
14.	मध्य प्रदेश	04	4:33
15.	मद्रास	06	3:25
16.	उड़ीसा	01	1:15
17.	पटना	03	3:20
18.	पंजाब और हरियाणा	04	2:21
19.	राजस्थान	—	—
20.	सिक्किम	—	—
21.	उत्तराखंड	—	—
कुल		51	1:11.64

जयपुर में लोकल ट्रेन

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

4642. श्री महेश जोशी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ग) जयपुर-श्रीगंगानगर रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

(क) क्या रेलवे का मुंबई में लोकल ट्रेन की तर्ज पर जयपुर में भी लोकल ट्रेन सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जयपुर-श्रीगंगानगर लाइन का आमान परिवर्तन शुरू किया गया है तथा यह कार्य आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर यू.टी.एस. टिकटें

4643. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पटना, खगड़िया और सहरसा जंक्शन पर यात्रियों को अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) से टिकट प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे का उक्त स्टेशनों पर अधिक यू.टी.एस. काउंटर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) यात्रियों के अनारक्षित टिकट प्रणाली से टिकटें सुलभ कराने के लिए पटना, खगड़िया और सहरसा जंक्शन स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में अनारक्षित टिकट प्रणाली काउंटर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पटना, खगड़िया और सहरसा जंक्शन पर यू.टी.एस. काउंटरों की मौजूदा संख्या यातायात के वर्तमान स्तर की समझाई के लिए पर्याप्त है इसलिए इन स्टेशनों पर और यू.टी.एस. काउंटरों की व्यवस्था करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रियों को असुविधाएं

4644. श्री सतपाल महाराज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकल ट्रेनों में गाजियाबाद जैसे एन.सी.आर. नगरों के दैनिक यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दैनिक यात्रियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर अक्सर जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है क्योंकि विभिन्न प्लेटफार्मों को जोड़ने वाली सीढ़ियां यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अत्यंत संकरी हैं; और

(घ) यदि हां, तो दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) समझाए जा रहे यात्री यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद स्टेशन सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) और (घ) इस समय, गाजियाबाद के स्टेशन के दोनों छोरों पर 2 ऊपरी पैदल पुल हैं। ये ऊपरी पैदल पुल इस स्टेशन पर यात्री यातायात के वर्तमान स्तर को समझाने हेतु पर्याप्त चौड़ाई के हैं। स्टेशनों पर यात्री यातायात में वृद्धि के अनुरूप यात्री सुविधाओं को बढ़ाना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह निधियों की उपलब्धता और अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर वार्षिक निर्माण कार्यक्रम के जरिए की जाती है।

टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन

4645. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान वर्ष से टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन को दिए जाने वाले वित्त पोषण में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशनों को प्रदान की जा रही वार्षिक सहायता तथा उसके विशिष्ट उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार टैक्नीकल टेक्सटाइल्स का विकास करने के लिए टेक्नोलोजी मिशन पर भी काम कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):
(क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई.डी.पी.एल. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ

4646. श्री नवीन जिन्दल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लि. (आई.डी.पी.एल.) में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनेक कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति ले ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ प्रदान किया गया है/प्रदान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) उन्हें कब तक इसका लाभ दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कंपनी में सेवारत कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लाभ प्रदान किया गया है।

ग्राहकों को उत्पाद शुल्क लाभ

4647. श्री आनंदराव अडसुल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राहकों को उत्पाद शुल्क लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में दवा कंपनियों को एडवाइजरी जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अनुसूचित दवाओं के मूल्यों में निश्चित कमी का परिकलन कर इस संबंध में अधिसूचना जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा ग्राहकों को उत्पाद शुल्क के लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने को देने के संबंध में औषध कंपनियों को दो एडवाइजरी निम्न प्रकार जारी किए:-

(1) दिशानिर्देश सं. 2/2008 दिनांक 10 मार्च, 08 जब वित्त मंत्रालय ने 1-3-2008 को उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने तथा छूट की दर को 42.5 प्रतिशत से घटाकर 35.5 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की।

(2) दिशानिर्देश सं. 5/2008 दिनांक 10 दिसम्बर, 08 जब वित्त मंत्रालय ने 7-12-2008 को उत्पाद शुल्क को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की।

(ग) से (ड) जी, हां। एन.पी.ए. ने उत्पाद शुल्क लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अनुसूचीबद्ध औषध फार्मूलेशनों के मूल्यों में कमी करने के लिए निम्नलिखित दो अधिसूचनाएं जारी की:-

(1) सभा अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के समतुल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) में 4.58 प्रतिशत कमी करने के लिए आदेश सं. का.आ. 418(अ) दिनांक 3-3-2008।

(2) सभी अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशन पैकों के समतुल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) में 2.84 प्रतिशत की और कमी करने के लिए आदेश सं. का.आ. 2856(अ) दिनांक 10-12-2008।

सिकंदराबाद से निजामाबाद के बीच रेल लाइन

4648. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का आन्ध्र प्रदेश में मेड़क जिले से होते हुए सिकंदराबाद-निजामाबाद के बीच रेल लाइन बिछाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) इस रूट पर कब तक कार्य आरंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सिकन्दराबाद-निजामाबाद लाइन पर मेडक को 50% लागत में साझेदारी के आधार पर जोड़ने का अनुरोध किया है। मेडक से अक्कनापेट तक नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण को 2009-10 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

4649. श्री उदय सिंह:

डॉ. के.एस. राव:

श्री अशोक कुमार रावत:

श्री प्रहलाद जोशी:

श्री पी.टी. थॉमस:

शेख सैदुल हक:

श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायपालिका में जवाबदेही और भ्रष्टाचार के मुद्दों से निपटने के लिए विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा न्यायपालिका से भ्रष्टाचार को जड़ से दूर करने के लिए सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) उच्चतर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अभिकथन समय-समय पर सरकार की सूचना में आए हैं। जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार उसके सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों में निहित होता है।

सरकार देश में न्यायिक सुधारों के लिए एक कार्य

योजना तैयार करने की प्रक्रिया कर रही है। इस संबंध में परामर्श पहले ही आरंभ हो गए हैं। न्यायपालिका में जवाबदेही भी, न्यायिक सुधारों में घटकों में से एक है। परामर्श प्रक्रिया की समाप्ति पर इस विषय में विनिश्चय किया जाएगा।

राष्ट्रीय गैस हाईवे कोष की स्थापना

4650. श्री तथागत सत्पथी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय गैस हाईवे कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित कोष किस प्रकार जुटाया जाएगा; और

(घ) इस कोष को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संरक्षा उपकरणों की संस्थापना

4651. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने विमानों पर एयरबार्न कोलिजन एवॉयडेंस सिस्टम (ए.सी.ए.एस.), मोड-एस ट्रांसपोंडर्स आदि संरक्षा उपकरणों को अनिवार्य रूप से स्थापित करने के लिए प्रचालकों को नागर विमानन अपेक्षाएं (सी.ए.आर.) निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के उपकरण घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही विमानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए डी.जी.सी.ए. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) नागर विमानन आवश्यकताओं (सी.ए.आर.) सेक्शन-2 श्रेणी-आई, भाग VIII और सी.ए.आर. सेक्शन-2 श्रेणी-आर, भाग IV के अन्तर्गत घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय दोनों सेक्टरों पर विशिष्ट प्रकार के विमानों के लिए एयरबार्न कोलिजन एवॉयडेंस सिस्टम और मोड-"एस" ट्रांसपोंडर्स का लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) उपरोक्त आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। तथापि, यदि कोई विमान इन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उसके उड़न-योग्यता प्रमाणपत्र को जारी नहीं किया जाता है अथवा उसका नवीकरण नहीं किया जाता है। इन आवश्यकताओं के अनुपालन को नियमित निगरानी और विमान कंपनियों के ऑडिट के माध्यम से भी मॉनिटर किया जाता है। जिसमें विमान का रैम्प पर किया गया निरीक्षण शामिल है।

हज यात्री

4652. श्री मदन लाल शर्मा:

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008 के दौरान विभिन्न आरोहण स्थलों से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और साऊदी अरबियन एयरलाइंस द्वारा ले जाये गये हज यात्रियों की संख्या कितनी है और वर्ष 2006 और 2007 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए इन विमान सेवाओं द्वारा संचालित की गई उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सभी हज यात्रियों को जेदा ले जाने के लिए विमान पर्याप्त थे;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक यात्री द्वारा किराये पर औसतन कितनी राशि खर्च की गई और सरकार द्वारा प्रति यात्री कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ङ) कितने हज यात्रियों को उक्त राजसहायता प्रदान की गई; और

(च) सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):
(क) नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेसिल)

ने हज-2006 तथा हज-2007 के लिए क्रमशः 49,327 तथा 51,083 हज-यात्रियों के परिवहन की तुलना में हज-2008 के लिए भारत में विभिन्न आरोहण स्थलों से 64,247 हज-यात्रियों का पारवहन किया। साऊदी अरबियन एयरलाइंस द्वारा हज-2006 तथा हज-2007 के लिए क्रमशः 59,191 तथा 58,917 हज-यात्रियों के पारवहन की तुलना में हज-2008 के लिए भारत में विभिन्न प्रस्थान स्थलों से 57,448 हज-यात्रियों का पारवहन किया गया।

(ख) नेसिल ने हज-2006 तथा हज-2007 के लिए क्रमशः 167 + अनुसूचित उड़ानों तथा 162 उड़ानों की तुलना में हज-2008 के लिए 278 उड़ानें प्रचालित कीं। साऊदी अरबियन एयरलाइंस ने हज-2006 तथा हज-2007 के लिए क्रमशः 221 उड़ानों तथा 149 उड़ानों की तुलना में हज-2008 के लिए 198 उड़ानें प्रचालित कीं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक हज-यात्री द्वारा हज-2008 के विमान किराये के रूप में 12,000 रुपये का भुगतान किया गया। हज-2006 तथा हज-2007 के लिए समान राशि का भुगतान किया गया था। हज-2008 के लिए प्रत्येक हज यात्री के विमान किराये की शेष राशि (सब्सिडी) का भुगतान सरकार द्वारा किया गया, जो 60,932 रुपये था (लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन), जबकि हज-2006 तथा हज-2007 के लिए यह राशि क्रमशः 35,495 रुपये तथा 35,838 रुपये थी।

(ङ) हज-2006 तथा हज-2007 के दौरान क्रमशः 108,518 तथा 110,000 हज-यात्रियों की तुलना में हज-2008 के दौरान 121,695 हज-यात्रियों द्वारा सब्सिडाइज्ड किराये पर यात्रा की गई।

(च) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कुल सब्सिडी हज-2006 तथा हज-2007 के लिए क्रमशः 385.14 करोड़ रुपये तथा 394.18 करोड़ रुपये थी, जबकि इसकी तुलना में हज-2008 के लिए उपलब्ध कराई गई सब्सिडी 741.47 करोड़ रुपये थी (लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन)।

जूट उत्पादन

4653. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

श्री अर्जुन चरण सेठी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में जूट के उत्पादन में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने और जूट मिलों/उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कितना जूट उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पिछले तीन पटसन वर्षों (जुलाई-जून) के दौरान पटसन के उत्पादन में मामूली सी कमी हुई है। पटसन उत्पादक राज्यों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियाँ उत्पादन में कमी का मुख्य कारण थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(मात्रा: प्रत्येक 180 किग्रा. की लाख गांठों में)

पटसन	2006-07*	2007-08*	2008-09*
	103.17	102.21	96.34**

*पटसन वर्ष जुलाई से जून

**चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार

(ग) सरकार ने देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने और पटसन मिलों/उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं।

- (i) कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना का कार्यान्वयन।
- (ii) पटसन किसानों, कामगारों और पटसन उद्योग के हितों की रक्षा के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का कार्यान्वयन।
- (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) का कार्यान्वयन।
- (iv) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन।
- (v) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे.टी.एम.) की शुरुआत।
- (घ) कच्चे पटसन के उत्पादन का अनुमान पटसन वर्ष

अर्थात् जुलाई-जून के आधार पर लगाया जाता है। पटसन वर्ष 2009-10 (जुलाई-जून) के लिए कच्चे पटसन के उत्पादन का आकलन अभी नहीं किया गया है।

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम

4654. श्री एम.आई. शानवास: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में अधिनियमित दायित्व भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या पूरे देश के लिए एल.एल.पी. कम्पनियों के पंजीकरण हेतु केवल एक पंजीयक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एल.एल.पी. अधिनियम के तहत कम्पनियों के पंजीकरण की आसान और बाधा रहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कुल 91 सीमित देयता भागीदारियाँ पंजीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सीमित देयता भागीदारियों का पंजीकरण सीमित देयता भागीदारी रजिस्ट्रार कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, तीसरा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के द्वारा किया जाता है।

(घ) सीमित देयता भागीदारियों का पंजीकरण ई-फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भरकर किया जाता है ताकि पंजीकरण आसान और बिना दुविधा के हो सके।

एस.आई.टी.पी. का कार्यनिष्पादन

4655. श्री निशिकांत दुबे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्कीम फॉर इंडीग्रेटिड टेक्सटाइल पार्क्स (एस.आई.टी.पी.) के कार्यकरण और कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे पार्कों का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पार्कों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) और (ख) मैं रामके एन्वायरो इंजीनियर्स लि., नई दिल्ली ने हाल ही में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन अध्ययन किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी उन्नयन, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने, रोजगार सृजन आदि के रूप में योजना के सकारात्मक प्रभाव व्यक्त किए गए हैं। मूल्यांकन रिपोर्ट में योजना को जारी रखने और देश में व्यापक वस्त्र आधार सृजित करने के लिए और अधिक परियोजनाओं पर विचार करने की सिफारिश की गई है। मूल्यांकन रिपोर्ट के निष्कर्षों में सुझाव दिया गया है कि इन परियोजनाओं में अनेक कारणों से विलंब हुआ जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सांविधिक एवं नियामक अनुमोदनों में विलंब, पिछले दो वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग के बजार उतार-चढ़ाव के कारण पार्कों के सदस्यों द्वारा व्यापार योजना को अंतिम रूप देने में विलंब, निष्पादन अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में बदलाव आदि शामिल है।

(ग) चूंकि, एस.आई.टी.पी. के तहत स्वीकृत वस्त्र पार्क योजनाएं अभी पूरी तरह प्रचालन में आनी है अंतः इन पार्कों के प्रभाव के संबंध में निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं

4656. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में हस्तशिल्प के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक योजना के लिए संवितरित की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हस्तशिल्प कलस्टरों के विकास के लिए चालू वर्ष में कोई नई योजना/उपाय शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं/उपायों के लिए कितना अनुमानित बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):

(क) देश में हस्तशिल्पों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों में चुनिंदा कलस्टरों के समेकित विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.); विपणन सहायता एवं सेवाएं; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास और हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम शामिल हैं।

(ख) प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा
क्रियान्वित विभिन्न स्कीमों के तहत निर्मुक्त राज्यवार निधियां

(रुपये लाख)

क्र. सं.	राज्य	एच.एच. वी.वाई.	नि.संव.	यो. एवं अनु.	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एस.एच. टी.पी.	आर.जी.एस. एस.वाई.	बीमा योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	189.84	22.23		24.86	2.20	131.00	33.79			403.92
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	38.14			0.00	1.10	0.00	5.47			44.71
4.	असम	228.13	70.93	1.35	99.30	3.30	136.41	44.73			584.15
5.	बिहार	22.7			3.50	4.15	20.64	9.38			60.37
6.	चण्डीगढ़	0.00			0.00		35.00	0.00			35.00
7.	छत्तीसगढ़	11.97	16.39		1.80		0.00	0.00			30.16
8.	दिल्ली	46.33	825.27	18.81	107.41	6.64	181.11	20.42			1205.99
9.	गोवा	1.00			0.00		8.06	4.68			13.74
10.	गुजरात	238.94	5.00		30.84	1.10	42.75	3.7			322.33
11.	हरियाणा	59.82			6.02	1.10	34.07	11.52			112.53
12.	हिमाचल प्रदेश	76.61			5.24	1.10	56.93	5.54			145.12
13.	झारखण्ड	26.25			0.84		20.64	6.36			54.09
14.	जम्मू और कश्मीर	85.21	5.00		20.35	2.20	11.99	124.18			246.93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	कर्नाटक	32.30	13.48		28.69	2.36	57.11	10.47			144.41
16.	केरल	49.23	4.90	3.09	0.00	1.10	18.77	1.52			78.61
17.	मध्य प्रदेश	44.76	21.11	1.65	0.85	0.00	22.61	9.88			100.86
18.	महाराष्ट्र	14.92			5.94		71.25	8.36			100.47
19.	मणिपुर	163.36	3.63	3.21	20.15	1.10	52.96	34.05			278.46
20.	मेघालय	0.98			0.00	1.10	5.75	8.32			16.15
21.	मिजोरम	36.38			0.00	1.10	0.00	2.34			39.82
22.	नागालैण्ड	15.32			0.85	0.00	12.60	20.38			49.15
23.	उड़ीसा	155.53			32.88	3.30	65.85	30.36			277.92
24.	पंजाब	56.43			12.07	0.00	5.75	9.92			84.17
25.	पाण्डिचेरी	0.00			0.00	1.10	11.48	2.68			15.26
26.	राजस्थान	172.29	5.06		11.75	1.10	100.33	1.32			291.85
27.	सिक्किम	0.00			0.85	0.00	0.00	2.23			3.08
28.	तमिलनाडु	129.31	64.40	1.35	9.2	3.05	63.67	16.18			287.16
29.	त्रिपुरा	46.15			4.00	0.00	0.00	0.00			50.15
30.	उत्तर प्रदेश	568.43	33.48	43.91	128.53	14.58	264.02	121.82			1174.77
31.	उत्तराखंड	63.89			5.96	0.00	32.56	16.20			118.61
32.	पश्चिम बंगाल	72.34	29.01	1.5	12.15	8.80	27.83	10.62			162.25
कुल		2646.56	1119.89	74.87	574.03	61.58	1481.14	576.42	501.00*	0.00*	7035.45

*राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दसवीं योजना में निर्यात संवर्धन, ई.पी. तथा विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजनाएं, एस.एच.टी.पी. नामक अलग स्कीमें थीं।

वर्ष 2007-08 के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के तहत राज्य-वार, योजना-वार निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाख)

क्र. सं.	राज्य	विपणन					हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम			
		ए.एच.वी.वाई.	डिजाइन	एम.एस.एस.	निर्यात	प्रचार	यो. एवं अनु.	एच.आर. डी.	बीमा यो./ आर.जी.एस. एस.बी.वाई. XX	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	267.29	20.05	149.73	35.62	0		23.27		495.96
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		0	0	0	0		1.2		1.2
3.	अरुणाचल प्रदेश	111.46	1.68	0	0	0		5.63		118.77
4.	असम	264.27	99.07	133.72	57.53	3.00	10.01	78.17		645.77
5.	बिहार	49.44	10.20	25.91	0	0	0	7.37		92.92
6.	चण्डीगढ़	0.50	0	0		0				0.5
7.	छत्तीसगढ़	0.50	0.9	9.75	26.92	0		0.81		38.88
8.	दिल्ली	19.78	106.66	162.38	701.53	0	79.32	36.96		1106.63
9.	गोवा	3.00	0	17.49	0	0		0		20.49
10.	गुजरात	413.42	68	55.76	4.98	0.16		3.86		546.18
11.	हरियाणा	35.64	4.42	29.9	0	0		19.96		89.92
12.	हिमाचल प्रदेश	89.99	5.05	31.16	0	0		6.35		132.55
13.	झारखण्ड	38.16	7.2	50.02	0	0		0.44		95.82
14.	जम्मू और कश्मीर	172.4	330.58	19.45	5.69	0	5.78	56.44		590.34
15.	कर्नाटक	77.22	50.22	69.25	10.12	0		10.71		217.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	केरल	70.06	1.8	45.1	0	0		5.55			122.51
17.	मध्य प्रदेश	66.82	5.35	125.13	24.98	2.95		16.42			241.65
18.	महाराष्ट्र	7.99	6.35	95.65	0	0		2.12			112.11
19.	मणिपुर	171.96	62.09	51.1	0	0	14.8	34.08			334.03
20.	मेघालय	6.76	0	3.14	0	0		4.27			14.17
21.	मिजोरम	4.74	0	4.04	0	0		0			8.78
22.	नागालैण्ड	30.29	47.95	20.85	0	0	7.56	16.39			123.04
23.	उड़ीसा	278.71	36.81	108.12	0	1.50		29.59			454.73
24.	पंजाब	37.63	59.5	2.76	0	0		8.73			108.62
25.	पाण्डिचेरी	0	5.2	16.56	0	0		1.43			23.19
26.	राजस्थान	57.95	15.65	59.46	0	0		24.14			157.2
27.	सिक्किम	57.5	0	6.75 *	0	0		0			64.25
28.	तमिलनाडु	55.28	19.43	38.27	6	0		30.9			149.88
29.	त्रिपुरा	43.4	3.6	24.03	0	0		4.58			75.61
30.	उत्तर प्रदेश	571.05	346.16	8.19	67.79	5.06	74.57	114.1			1997.73
31.	उत्तराखण्ड	85.33	5.11	39.4	0	0		15.05			144.89
32.	पश्चिम बंगाल	76.47	34.57	36.25	17.56	0		3.05			167.9
	सभी राज्य									7117.00	7117
	कुल	3165.01	1353.6	2250.13	958.72	12.67		561.57		7117.00*	15418.70

*राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

XX बीमा योजना एवं राजीव गांधी शिल्प स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.जी.एस.एस.वाई.) को हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम के तहत शामिल कर लिया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के तहत राज्य-वार, स्कीम-वार निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाख)

क्र. सं.	राज्य	विपणन सहायता एवं सेवाएं							हस्तशिल्प कारीगर		कुल
		ए.एच.वी. वाई.	डिजाइन	एम.एस.एस.	निर्यात	प्रचार	बीमा यो./ आर.जी.एस. एस.बी.वाई.	एच.आर. डी.	व्यापक कल्याण स्कीम बीमा यो.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	आन्ध्र प्रदेश	550.48	35.71	294.78	23.74	0	13.38	13.98		932.07	
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
3.	अरुणाचल प्रदेश	86.44	0	0	0	0	0	3.13		89.57	
4.	असम	502.31	141.95	446.30	118.2	0	17.57	39.30		1265.63	
5.	बिहार	50.13	13.47	35.85	0	0	0	7.93		107.38	
6.	चण्डीगढ़	0.75	0	0	0	0	0	0		0.75	
7.	छत्तीसगढ़	5.49	1.00	27.08	12.09	0	13.07	0		58.73	
8.	दिल्ली	43.72	115.25	261.41	982.66	44.60	209.94	18.58		1676.16	
9.	गोवा	4.37	10.33	8.37	0	0	0	0		23.07	
10.	गुजरात	332.00	130.81	110.65	42.49	0	18.15	5.07		639.17	
11.	हरियाणा	39.25	5.40	47.06	0	0	0	1.19		92.90	
12.	हिमाचल प्रदेश	27.90	18.74	52.21	24.27	0	0	0.90		124.02	
13.	झारखण्ड	37.72	5.99	27.97	0	0	0.0	0		71.68	
14.	जम्मू और कश्मीर	254.04	61.81	23.10	13.92	0	36.58	48.46		437.91	
15.	कर्नाटक	147.17	34.69	149.61	8.88	0	35.50	5.74		381.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	केरल	198.72	11.36	25.15	0	2.76	3.09	18.34		259.42
17.	मध्य प्रदेश	105.53	35.82	127.85	77.71	0	7.37	6.50		360.78
18.	महाराष्ट्र	290.74	15.04	73.74	7.5	16.00	29.60	24.80		457.42
19.	मणिपुर	181.52	64.41	110.41	0	0	2.83	41.33		400.50
20.	मेघालय	0.75	0	6.75	0	0	3.37	7.16		18.03
21.	मिजोरम	52.34	0	46.47	0	0	0	0		98.81
22.	नागालैण्ड	124.37	26.80	61.67	0	0	0	3.27		216.11
23.	उड़ीसा	60.29	31.11	133.02	0	0	12.52	21.22		258.16
24.	पंजाब	30.26	46.08	4.89	0	0	0	1.80		83.03
25.	पाण्डिचेरी	0.90	4.50	31.60	0	0	0	0.90		37.90
26.	राजस्थान	34.94	85.08	256.35	0	3.56	2.05	25.86		407.84
27.	सिक्किम	1.27	0	6.38	0	0	0	0		7.65
28.	तमिलनाडु	183.62	52.92	105.29	25.67	2.91	8	7.58		385.99
29.	त्रिपुरा	71.45	4.00	3.00	7.05	0	0	8.72		94.22
30.	उत्तर प्रदेश	461.13	549.5	436.75	75.63	5.00	67.11	69.14		1664.26
31.	उत्तराखण्ड	12.86	2.70	42.95	0	0	0	5.41		63.92
32.	पश्चिम बंगाल	86.67	104.90	63.25	45.75	0	7.54	13.28		321.39
33.	दमन एवं दीव	0.62			0	0		0		0.62
34.	सभी राज्य								8489.20*	8489.20
	कुल	3979.75	1609.37	3019.91	1476.56	74.83	487.67	399.59	8489.20	19536.86

*राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 2009-10 (31-07-2009 तक) के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के तहत राज्य-वार, स्कीम-वार निर्मुक्त निधियां

(रुपये लाख)

क्र. सं.	राज्य	विपणन सहायता एवं सेवाएं						हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण		कुल
		ए.एच.वी. वाई.	डिजाइन	एम.एस.एस.	निर्यात	प्रचार	बीमा यो./ आर.जी.एस. एस.बी.वाई.	एच.आर. डी.	स्कीम बीमा यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.90	5.40	38.60	18.03	0	0	6.03		105.96
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0		0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.75	0	0	0	0	0	0		0.75
4.	असम	84.27	0	216.73	61.53	0	0	7.50		370.03
5.	बिहार	0	3.68	8.40	0	0		0.80		12.88
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0		0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	13.66	0	0	4.00		17.66
8.	दिल्ली	25.01	37.65	536.46	397.46	0	58.07	10.12		1064.77
9.	गोवा	4.31	25.81	4.91	17.12	0	0	0		52.15
10.	गुजरात	38.60	41.80	11.47	17.22	0	4.5	4.00		117.59
11.	हरियाणा	36.89	0	0	0	0	0	1.6		38.49
12.	हिमाचल प्रदेश	3.88	10	6.75	15.03	0	0	1.6		37.26
13.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0		0.00
14.	जम्मू और कश्मीर	50.15	135.50	15.15	0	0	0	1.25		202.05
15.	कर्नाटक	7.14	0	7.76	0	0	0	8.6		23.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	केरल	25.87	0.9	2.55	0	0	0	0.8			30.12
17.	मध्य प्रदेश	95.74	1.8	4.24	14.78	0	0	4.17			120.73
18.	महाराष्ट्र	11.73	0	4.42	0	0	0	1.60			17.75
19.	मणिपुर	69.71	6.80	0	0	0	0	21.91			98.42
20.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0			0.00
21.	मिजोरम	0.75	0	0	0	0	0	0			0.75
22.	नागालैण्ड	10.41	29.80	0	0	0	7.35	0.77			48.33
23.	उड़ीसा	0	6.14	4.31	0	0	4.01	4.00			18.46
24.	पंजाब	24.58	0	0	0	0	0	0.80			25.38
25.	पाण्डिचेरी	0	0	13.09	0	0	0	0.80			13.89
26.	राजस्थान	5.41	0	20.25	0	0	0	0			25.66
27.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0			0.00
28.	तमिलनाडु	10.82	4.80	17.51	12.37	0	0	4.80			50.30
29.	त्रिपुरा	38.75	0	0.00	12.80	0.00	0	3.08			54.63
30.	उत्तर प्रदेश	235.69	25.87	39.03	8.61	0	0	33.50			342.70
31.	उत्तराखण्ड	10.29	2.70	6.75	0	0	0	2.05			21.79
32.	पश्चिम बंगाल	6.30	0	0	7.40	0.00	0	0.80			14.50
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0			0.00
	सभी राज्य	0	0	0	0	0	0	0	2021.00*		2021.00
	कुल	834.95	338.65	958.38	596.01	0.00	73.93	124.58	2021.00		4947.50

*राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां

4657. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन विशेष के रूप में चलाई जा रही रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम समय-सारणी जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा जनता को सभी ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों के बारे में जानकारी देने हेतु अग्रिम समय-सारणी जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चलाई गई ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	फेरों की संख्या
2007	2295
2008	3616
2009	7500 (लगभग)

(ख) से (घ) ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियों के लिए समय-सारणी प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। बहरहाल, सभी ग्रीष्मकालीन स्पेशल गाड़ियों को समय-सारणी में शामिल करना सदैव संभव नहीं है क्योंकि कतिपय महत्वपूर्ण परिस्थितियों में यात्री यातायात की निकासी के लिए कुछ स्पेशल गाड़ियां अल्पसूचना पर चलाई जाती हैं। बहरहाल, ऐसी स्पेशल गाड़ियों के बारे में प्रिंट मीडिया और स्टेशनों पर नोटिस बोर्डों/जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यथा व्यावहारिक प्रचार किया जाता है।

[हिन्दी]

भावनगर-तारापुर रेलवे लाइन का विस्तार

4658. श्री नारनभाई कम्हाड़िया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भावनगर-तारापुर के बीच रेल लाइन बिछाने और इसे अमरावती तक विस्तारित करने हेतु

कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अमरेली और भावनगर पहले ही ढासा और ढोला के रास्ते रेल लाइन से जुड़े हैं। भावनगर-तारापुर के बीच नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण 2006-07 के दौरान पूरा किया गया था जिसके अनुसार, इस 135 किमी. लम्बी लाइन की लागत 411.27 करोड़ रु. आंकी गई थी। इसकी अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं का भारी श्रो-फारवर्ड और संसाधनों की कमी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

सेल द्वारा इस्पात कारखानों की स्थापना

4659. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने बिहार के पश्चिम चंपारन, वैशाली और गया जिलों में तीन कारखाने स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है और इन कारखानों के निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्यों को कब तक पूरा किये जाने और कारखानों के कब तक चालू होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):

(क) जी, हां। स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने बिहार राज्य के पश्चिम चम्पारण में बेतिया, वैशाली में महनार तथा गया जिले में तीन इस्पात प्रक्रमण इकाइयां (एस.पी.यू.) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (ङ) बेतिया में भूमि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अधिग्रहीत की गई है। चूंकि महनार और गया में उपयुक्त आकार की सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, इसलिए ई.ओ.आई./ओपन टेंडर रूट के जरिए भूमि खरीदी गई थी। भूमि का अधिग्रहण करने के पश्चात् इन सभी स्थानों पर शिलान्यास कर दिया गया है।

पश्चिमी चम्पारण जिला (बेतिया) में इस्पात प्रक्रमण इकाई के जनवरी, 2010 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। वैशाली (महनार) तथा गया में इस्पात प्रक्रमण इकाईयों के लिए समय अनुसूची निविदा प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात निर्धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

4660. श्री महेश जोशी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल में 50 प्रतिशत सीटें मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में राजस्थान के छात्रों के लिए ऐसा कोई कोटा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु एक समान नियम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) जी नहीं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल को मध्य प्रदेश विधान मंडल के 1997 के अधिनियम संख्यांक 41 द्वारा और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर को राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) के अधीन स्थापित किया गया है। यद्यपि, उक्त विश्वविद्यालयों का नामकरण राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया है किंतु वस्तुतः इन्हें संबंधित राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, अतः ये सत्य रूप से राज्य विश्वविद्यालय हैं। इस प्रकार, संबंधित राज्य सरकारें इस प्रश्न की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

4661. श्री प्रदीप माझी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री गजानन ध. बाबर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कानकोर) द्वारा सड़कों से मालभाड़ा प्राप्त करने हेतु विभिन्न अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं (आई.सी.डी.) के बीच और पत्तन से आई.सी.डी.ज के बीच खाली कंटेनर की दुलाई के लिए सरकारी दर में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कटौती से कानकोर द्वारा अर्जित अतिरिक्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी कटौतियों के पश्चात् कानकोर का लाभ अंतर कितना कम हुआ है; और

(ङ) इसके पश्चात् रेल द्वारा खाली कंटेनरों की बुकिंग में कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड ने कुछ चुनिंदा मार्गों पर खाली कंटेनरों की दुलाई हेतु सरकारी दरों में कटौती की है।

(ग) से (ङ) 2007-08 की तुलना में वित्त वर्ष 2008-09 में कानकोर के लाभ अन्तर में सुधार दिखा है। 2008-09 में खाली कंटेनरों की बुकिंग का स्तर 2007-08 की तुलना में समान रहा है।

तेल और गैस ब्लाकों की नीलामी

4662. श्री सतपाल महाराज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गवेषणा के लिए तेल और गैस के ब्लाकों की देश की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी को पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो नीलामी के लिए पहचाने गए ब्लाकों की तेल और गैस ब्लाक-वार और क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या नीलामी सरकारी और गैर-सरकारी दोनों के लिए खुली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्पादन शेयर अनुबंध के तहत नई गवेषण लाइसेंसिंग नीति-I, II, III और IV में अब आबंटित/प्रदान

किए गए तेल ब्लाकों की सूची-वार कुल संख्या कितनी है;

(च) प्रत्येक ब्लाक में ठेकेदारों द्वारा सूची-वार कुल कितनी निवेश किया गया है;

(छ) इन ब्लाकों में तेल और गैस के भूगर्भीय भंडारों की ब्लाक-वार अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ज) क्या सरकार द्वारा उत्तराखंड क्षेत्र में तेल और गैस की गवेषणा के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के आठवें बोली दौर (एन.ई.एल.पी.-VIII) की शुरुआत 09 अप्रैल, 2009 को की गई थी। एन.ई.एल.पी.-VIII के

तहत 70 अन्वेषण ब्लॉक प्रस्तुत किए गए। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एन.ओ.सीज) तथा भारतीय और विदेशी, दोनों, निजी कंपनियों को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों (पी.ई.एलज) को प्राप्त करने के लिए एक समान स्तर पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्दी करना अपेक्षित होता है।

(ड) से (छ) एन.ई.एल.पी.-I, II, III व IV के तहत कुल 90 ब्लॉक प्रदान किए गए थे। ब्लॉकों, किए गए निवेश तथा सिद्ध भंडार के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ज) और (झ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने वर्ष 2005-06 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के भागों में 12765 लाइन किलो मीटर (एल.के.एम.) का वायु चुंबकीय सर्वेक्षण किया।

विवरण-I

एन.ई.एल.पी.-VIII के तहत प्रस्तावित ब्लॉकों की सूची

क्र.सं.	बेसिन	ब्लॉक का नाम	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3	4
गहरे समुद्री ब्लॉक			
1.	मुंबई	एम.बी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/1	2961
2.	केरल-कोंकण	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/1	5349
3.		के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/2	5361
4.		के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/3	5374
5.		के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/4	5390
6.	कृष्णा-गोदावरी	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/1	1800
7.	अण्डमान	ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/1	4981
8.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/2	3995
9.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/3	3992
10.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/4	3990

1	2	3	4
11.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/5	4002
12.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/6	3999
13.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/7	4009
14.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/8	4006
15.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/9	4017
16.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/10	4014
17.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/11	4024
18.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/12	4021
19.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/13	4007
20.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/14	4014
21.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/15	3518
22.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/16	3524
23.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/17	4034
24.		ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2009/18	4040
	उथला जल ब्लॉक		
25.	गुजरात-कच्छ	जी.के.-ओ.एस.एन.-2009/1	1264
26.		जी.के.-ओ.एस.एन.-2009/2	1242
27.	मुंबई	एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/1	2299
28.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/2	1635
29.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/3	1492
30.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/4	1309
31.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/5	1477
32.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/6	1876
33.		एम.बी.-ओ.एस.एन.-2009/7	1865
34.	केरल-कोंकण	के.के.-ओ.एस.एन.-2009/1	2004
35.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/2	1860

1	2	3	4
36.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/3	1874
37.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/4	2475
38.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/5	2088
39.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/6	2107
40.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/7	1914
41.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/8	2295
42.		के.के.-ओ.एस.एन.-2009/9	2032
43.	कावेरी	सी.वाई.-ओ.एस.एन.-2009/1	1362
44.		सी.वाई.-ओ.एस.एन.-2009/2	1621
45.		सी.वाई.-ओ.एस.एन.-2009/3	2385
46.	कृष्णा-गोदावरी	के.जी.-ओ.एस.एन.-2009/1	1472
47.		के.जी.-ओ.एस.एन.-2009/2	1471
48.		के.जी.-ओ.एस.एन.-2009/3	1988
49.		के.जी.-ओ.एस.एन.-2009/4	835
50.	बंगाल	डब्ल्यू.बी.-ओ.एस.एन.-2009/1	2621
51.		डब्ल्यू.बी.-ओ.एस.एन.-2009/2	1915
52.		डब्ल्यू.बी.-ओ.एस.एन.-2009/3	1695
	जमीनी ब्लॉक		
53.	असम-अराकान	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2009/1	2217
54.		ए.ए.-ओ.एन.एन.-2009/2	1740
55.		ए.ए.-ओ.एन.एन.-2009/3*	84
56.		ए.ए.-ओ.एन.एन.-2009/4*	84
57.	बंगाल	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2009/1	1519
58.		डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2009/2	1887
59.	विंध्यन	वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/1	1405
60.		वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/2	1562

1	2	3	4
61.		वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/3	1250
62.	हिमालय की तलहटी	एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2009/1	1930
63.	खम्बात	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/1*	113
64.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/2*	68
65.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/3*	90
66.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/4*	69
67.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/5*	165
68.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/6*	177
69.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009.7*	144
70.		सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/8*	136

विवरण-II

दिनांक 31-03-2009 को एन.ई.एस.पी.-1 से एन.ई.एस.पी.-4 में किया गया निवेश और भंडार

क्र. सं.	ब्लॉक/क्षेत्र परिसंघ		कुल निवेश (अनंतिम) लाख डॉलर में			भंडार (एम.एम.टी.ओ.+ ओ.ई.जी.)
			अन्वेषण	विकास	योग	
1	2	3	4	5	6	7
एन.ई.एल.पी.-1 अन्वेषण ब्लॉक						
1.	जी.के.-ओ.एस.एन.-97/1	आर.आई.एल.-100	305.73	0.00	305.73	
2.	एस.आर.-ओ.एस.एन.-97/1	आर.आई.एल.-100	18.05	0.00	18.05	
3.	एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/2	आर.आई.एल.-100	224.65	0.00	224.65	
4.	एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/3	आर.आई.एल.-100	379.05	0.00	379.05	
5.	के.के.-ओ.एस.एन.-97/2	आर.आई.एल.-100	480.76	0.00	480.76	
6.	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/2	आर.आई.एल.-100	471.28	0.00	471.28	
7.	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/3	आर.आई.एल.-100	325.55	0.00	325.55	
8.	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/4	आर.आई.एल.-100	233.01	0.00	233.01	
9.	एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/2	आर.आई.एल.-90, निक्को-10	3625.32	49.53	3674.85	27.052
10.	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/1	आर.आई.एल.-100	1655.05	0.00	1655.05	
11.	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3	आर.आई.एल.-90, निक्को-10	7123.08	64200.76	71323.83	569.9358
12.	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2	आर.आई.एल.-100	1227.82	0.00	1227.82	
13.	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/2	ओ.एन.जी.सी.-90, सी.ई.आई.एल.-10	2421.46	0.00	2421.46	
14.	सी.वाई.-ओ.एस.एन.-97/2	ओ.आई.एल.	3.58	0.00	3.58	

1	2	3	4	5	6	7
15.	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3	ओ.एन.जी.सी.-100	1465.76	0.00	1465.76	
16.	के.जी.-ओ.एस.एन.-97/1	ओ.एन.जी.सी.-100	186.18	0.00	186.18	
17.	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/4	ओ.एन.जी.सी.-85, ओ.आई.एल.-15	2191.56	0.00	2191.56	
18.	के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/5	ओ.एन.जी.सी.-100	615.81	0.00	615.81	
19.	के.के.-ओ.एस.एन.-97/3		46.62	0.00	46.62	
20.	जी.वी.-ओ.एन.एन.-97/1	ओ.एन.जी.सी.-40, आई.ओ.सी.-30, सी.ई.आई.एल.-15, सी.ई.ई.पी.सी.-15	183.41	0.00	183.41	
21.	एम.बी.-ओ.एस.एन.-97/4	ओ.एन.जी.सी.-70, आई.ओ.सी.-30	220.66	0.00	220.66	
22.	एम.एन.-ओ.एस.एन.-97/3	ओ.एन.जी.सी.-85, गेल-15	493.07	0.00	493.07	
23.	एन.ई.सी.-ओ.एस.एन.-97/1	ओ.ए.ओ.-50, गेल-50	594.24	0.00	594.24	
24.	सी.वाई.-ओ.एस.एन.-97/1	एच.ओ.ई.सी.-80, एम.आई.एल.-20	56.40	0.00	56.40	
	उप-योग (एन.ई.एल.पी.-1)		24548.10	64250.29	88798.39	596.99
	एन.ई.एल.पी.-II अन्वेषण ब्लॉक		0.00	0.00	0.00	
1.	सी.वाई.-ओ.एस.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-100	65.24	0.00	65.24	
2.	सी.वाई.-ओ.एस.एन.-2000/2	ओ.एन.जी.सी.-100	268.78	0.00	268.78	
3.	जी.एस.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-100	305.30	0.00	305.30	
4.	जी.एस.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2	ओ.एन.जी.सी.-85, गेल-15	200.23	0.00	200.23	
5.	जी.वी.-ओ.एन.एन.-2000/1		10.41	0.00	10.41	
6.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2		23.03	0.00	23.03	
7.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/4	ओ.एन.जी.सी.-100	33.71	0.00	33.71	
8.	के.के.-ओ.एस.एन.-2000/1		27.94	0.00	27.94	

9.	एम.बी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-85, आई.ओ.सी.-15	77.67	0.00	77.67	
10.	एम.बी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/2	जी.एस.पी.सी.-10, ओ.एन.जी.सी.-50, आई.ओ.सी.-15, गेल-15, ओ.आई.एल.-10	159.16	0.00	159.16	
11.	एम.बी.-ओ.एस.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-75, आई.ओ.सी.-15, जी.एस.पी.सी.-10	722.14	0.00	722.14	
12.	एम.एन.-ओ.एस.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-100	52.98	0.00	52.98	
13.	एम.एन.-ओ.एस.एन.-2000/2	ओ.एन.जी.सी.-40, आई.ओ.सी.-20, गेल-20, ओ.आई.एल.-20	623.47	0.00	623.47	
14.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1		5.65	0.00	5.65	
15.	डब्ल्यू.बी.-ओ.एस.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-85, आई.ओ.सी.-15	838.20	0.00	838.20	
16.	जी.एस.-ओ.एस.एन.-2000/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी.आई.-10	629.17	0.00	629.17	
17.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/3	आर.आई.एल.-100	38.76	0.00	38.76	
18.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2000/1	आर.आई.एल.-100	50.51	0.00	50.51	
19.	ए.एस.-ओ.एन.एन.-2000/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी.आई.-10	0.00	0.00	0.00	
20.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2000/1	ओ.आई.एल.-100	8.74	0.00	8.74	
21.	एम.एन.-ओ.एन.एन.-2000/1	ओ.एन.जी.सी.-20, ओ.आई.एल.-40, आई.ओ.सी.-20, गेल-20	33.12	0.00	33.12	
22.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1	जी.एस.पी.सी.-50, गेल-50	88.71	49.51	138.22	8.588
23.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/2	एन.आई.के.ओ.-100	338.52	90.09	428.61	0.97
	उप-योग (एन.ई.एल.पी.-2)		4601.42	139.60	4741.02	9.56
एन.ई.एल.पी.-III						
1.	के.जी.-ओ.एन.एन.-2001/3	जी.एस.पी.सी.-80, जी.जी.आर.-10, जे.ई.पी.एल.-10	1811.54	0.00	1811.54	35.38275

1	2	3	4	5	6	7
2.	के.के.-ओ.एस.एन.-2001/2	ओ.एन.जी.सी.-100	63.29	0.00	63.29	
3.	के.के.-ओ.एस.एन.-2001/3	ओ.एन.जी.सी.-100	102.38	0.00	102.38	
4.	जी.एस.-ओ.एस.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100	138.93	0.00	138.93	
5.	सी.वाई.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/2	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	705.35	0.00	705.35	
6.	सी.वाई.-पी.आर.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/3	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	298.62	0.00	298.62	
7.	सी.वाई.-पी.आर.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/4	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	293.87	0.00	293.87	
8.	के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	1318.00	0.00	1318.00	
9.	के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	1209.70	0.00	1209.70	
10.	के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	1106.53	0.00	1106.53	
11.	पी.आर.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	184.80	0.00	184.80	
12.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/1	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	265.02	0.00	265.02	
13.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/2	आर.आई.एल.-90, एच.ई.पी. 1-10	273.56	0.00	273.56	
14.	एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100	182.00	0.00	182.00	
15.	के.के.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/3	ओ.एन.जी.सी.-100	761.06	0.00	761.06	
16.	सी.वाई.पी.आर.-डी.डब्ल्यू.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-80-ओ.आई.एल.-20	1379.89	0.00	1379.89	
17.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100	47.65	0.00	47.65	
18.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/2	ओ.एन.जी.सी.-80, आई.ओ.सी.-20	121.74	0.00	121.74	
19.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/3	ओ.एन.जी.सी.-180, ओ.आई.एल.-15	65.66	0.00	65.66	

20.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2001/4	ओ.एन.जी.सी.-100	13.89	0.00	13.89
21.	आर.जे.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.आई.एल.-70, ओ.एन.जी.सी.-30	16.54	0.00	16.54
22.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-70, सी.ई.आई.एल.-15, सी.ई.डी-15	110.67	0.00	110.67
23.	पी.जी.-ओ.एन.एन.-2001/1	ओ.एन.जी.सी.-100	7.80	0.00	7.80
उप-योग (एन.ई.एल.पी.-3)			10478.49	0.00	10478.49
एन.ई.एल.पी.-IV					
1.	के.के.-ओ.एस.एन.-2002/2	ओ.एन.जी.सी. 80%, एच.पी.सी.एल.-20	43.15	0.00	43.15
2.	के.के.-ओ.एस.एन.-2002/3	ओ.एन.जी.सी. 80%, एच.पी.सी.एल.-20	84.14	0.00	84.14
3.	जी.एस.-ओ.एस.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी.-100	127.39	0.00	127.39
4.	के.जी.-ओ.एस.एन.-2001/2	ओ.एन.जी.सी. 70, बी.पी.सी.एल.-10, ओ.आई.एल.-20, 90, एच.ई.पी. 1-10	1511.62	0.00	1511.62
5.	सी.वाई.-पी.आर.-डी.डब्ल्यू.एन.- 2002/2	ओ.एन.जी.सी.-60, बी.पी.सी.एल.-40	31.98	0.00	31.98
6.	एन.ई.सी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी.-100%	372.57	0.00	372.57
7.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी.-70%, सी.ई.जी.बी.1-30	109.13	0.00	109.13
8.	एन.ई.सी.-ओ.डब्ल्यू.एन.-2002/2	ओ.एन.जी.सी.-100	979.98	0.00	979.98
9.	ए.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/2	ओ.एन.जी.सी. 70, आई.ओ.एल.-20 बी.पी.सी.एल.-10	603.34	0.00	603.34
10.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/3	ओ.आई.एल.-30, ओ.एन.जी.सी.-70	4.49	0.00	4.49
11.	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी.-70, ओ.आई.एल.-20, बी.पी.सी.एल.-10	830.14	0.00	830.14
12.	एम.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/2	ओ.एन.जी.सी. 100%	1109.62	0.00	1109.62

1	2	3	4	5	6	7
13.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2002/3	जी.एस.पी.सी.-55, पी.पी.सी.एल.-15, जे.ओ.जी.पी.एल.-20, जी.जी.आर.-10	940.02	0.00	940.02	
14.	सी.वाई.-ओ.एन.एन.-2002/1	ई.एन.पी.आर.ओ.-30, गेल-50, जी.एस.पी.सी.-20	516.38	0.00	516.38	
15.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/1	ई.एन.आर.ओ.-20, गेल-80	475.00	0.00	475.00	
16.	ए.ए.-ओ.एन.एन.-2002/4	ओ.आई.एल.-10, ओ.एन.जी.सी.-90	14.48	0.00	14.48	
17.	जी.वी.-ओ.एन.एन.-2002/1	सी.पी.आई.एल.-50, सी.ई.एस.एल.-50	375.18	0.00	375.18	
18.	आर.जी.-ओ.एन.एन.-2002/1	ओ.आई.एल.-60, ओ.एन.जी.सी.-40	3.87	0.00	3.87	
19.	सी.बी.-ओ.एन.एन.-2002/2	जी.एस.पी.सी.-60, जे.ओ.जी.पी.एल.-30, जी.जी.आर.-10	0.00	0.00	0.00	
20.	एन.एन.-डी.डब्ल्यू.एन.-2002/1	ओ.एन.जी.सी. 100%	403.79	0.00	403.79	
	कुल एन.ई.एल.पी. IV		8536.27	0.00	8536.27	
कुल योग			48164.28	64389.89	112554.17	

राजकीय परिसमापक

4663. श्री एम.आई. शानवास: क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत सारी कंपनियां परिसमापन हेतु न्यायालय के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजकीय परिसमापक तेजी से परिसमापन करने हेतु विभिन्न कार्यों के लिए बाह्य सेवा ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राजकीय परिसमापकों के कार्य हेतु बाह्य सेवा लेने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31-03-2009 को परिसमापनाधीन कंपनियों की कुल संख्या 6,155 थी।

(ग) जी, हां।

(घ) संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार बाहर से कार्य कराया जाता है।

इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

4664. श्री निशिकांत दुबे: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात के अनुसंधान और विकास पर राज्य-वार और संयंत्र-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) प्रक्रिया को इष्टतम बनाने, उत्पादकता को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने, उत्पादन और उपयोग की लागत में कमी तथा ठोस कार्य आदि के संबंध में क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात की गुणवत्ता में सुधार लाने आदि हेतु अनुसंधान और विकास कार्यों पर निवेश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) चालू अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा सरकार के विचाराधीन परियोजनाओं की क्या वर्तमान स्थिति है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप):

(क) स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर.आई.एन.एल.) नामक सरकारी क्षेत्र की दो इस्पात उत्पादक कंपनियां हैं। सेल के विभिन्न संयंत्रों के अनुसंधान और विकास कार्य प्रमुख रूप से अनुसंधान एवं विकास केंद्र, लोहा और इस्पात (आर.डी.सी. आई.एस.), सेल, रांची के जरिए किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा इस्पात से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के लिए किया गया निवेश नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अनुसंधान एवं विकास व्यय	
	सेल	आर.आई.एन.एल.
2006-07	76.85	11.68
2007-08	101.86	17.93
2008-09	118.20	17.35
2009-10 (अप्रैल-जून)	25.52	2.07

(ख) सेल और आर.आई.एन.एल. में प्रक्रिया उपयोगिता, उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार, लागत में कमी तथा ठोस अपशिष्ट के क्षेत्रों की प्रमुख उपलब्धियां विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 118 करोड़ रुपए का बजट आबंटन किया है। इन कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता उन्नयन भी शामिल है।

(ड) भारतीय इस्पात कंपनियों ने अनुसंधान एवं विकास की कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है-

(i) उत्पादकता में सुधार

(ii) ऊर्जा संरक्षण

- (iii) कच्चे माल का सज्जिकरण
- (iv) उत्पाद विकास
- (v) गुणवत्ता में सुधार

विवरण

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में अनुसंधान एवं विकास की प्रमुख उपलब्धियां

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

- आर.डी.सी.आई.एस. ने आयरन ओर स्लिम्स के बेनीफिकेसन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है अन्यथा जिसे अपशिष्ट सामग्री के रूप में डम्प किया जा रहा था। इस प्रौद्योगिकी के जरिए सिन्टर उत्पादन में उपयोग करने के लिए 49-50 प्रतिशत लौहांश वाली अपशिष्ट सामग्री को 62-65 प्रतिशत लौहांश वाली सामग्री में परिवर्तित किया जा रहा है।
- आर.डी.सी.आई.एस. ने सिन्टर मिक्स की हिटिंग के लिए करटेन फ्लेम इगनिशन सिस्टम विकसित किया है। यह प्रौद्योगिकी सेल के सिन्टर प्लांटों में शुरू की गई है। इससे विशिष्ट गैस की खपत में कमी हुई है और फर्नेस स्टार्ट अप टाइम में भी कमी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्पादकता में भी सुधार हुआ है।
- आंतरिक रूप से विकसित ब्रिक्स का उपयोग करके आर एंड डी सेक्टर द्वारा विकसित किए गए मोडिफाइड लाइनिंग डिजाइन से राउरकेला इस्पात संयंत्र में 90 हिट्स के औसत जीवनकाल की तुलना में अब तक का सबसे अधिक 129 हिट्स का जीवन काल हुआ।
- वेनेडियम के साथ माइक्रो अलायिंग के जरिए आर. एंड डी. सेंटर द्वारा एक नई रेल स्टील कैमिस्ट्री विकसित की गई है। इससे रेल्स की अन्य मैकेनिकल और मेटालर्जिकल प्रोपर्टीज सहित यील्ड स्ट्रेंथ में सुधार हुआ है।
- देशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिए हायर यील्ड स्ट्रेंथ की टी.एम.टी. बार का उत्पादन करने के लिए सेल ने प्रोसेस टेक्नॉलाजी विकसित की है। इसके अतिरिक्त हाल ही में अर्थक्वेक

रेसिस्टेंट टी.एम.टी. बार (टी.एम.टी. ई.क्यू.आर.) नामक एक अन्य किस्म विकसित की गई है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

- कोल के विभिन्न सोर्सिज और टाइप के साथ कोल ब्लेंड का आप्टिमाइजेशन।
- सिन्टर मेकिंग में माइक्रो फाइन आयरन ओर का अधिकतम उपयोग करना।
- वाटर माडलिंग द्वारा विजाग स्टील 4-स्ट्रेंड टंडिस उत्पादन और मेटालर्जिकल निष्पादन में सुधार करना।
- मौजूदा संयंत्र सुविधाओं का उपयोग करके वी.एस.पी. में सतत ढलाई का टेक्निकल एनेलाइसिस और ओपटेमाइजेशन।
- साइज्ड ओर के प्रतिस्थापन के रूप में एम.एम.एस. गैस क्लीनिंग प्लांट स्लैज की ब्रीक्वेटिंग।
- धमन भट्टी में उपयोग करने के लिए संयंत्र में सृजित सोलिड मेटालर्जिकल वेस्ट की ब्रीक्वेटिंग।

नकदी आधिक्य

4665. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक प्रत्येक वर्ष में अर्जित लाभांश से पूर्व अतिरिक्त नकदी की राशि कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार को प्रदत्त वर्तमान के साथ-साथ आस्थगित लाभांश की वर्ष-वार राशि कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा अर्जित निवेश योग्य अतिरिक्त धनराशि कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मूल्यहास आरक्षित निधि (डी.आर.एफ.) विकास निधि, पूंजी निधि और विशेष रेल संरक्षा निधि में कितनी राशि विनियोजित कसी गई है;

(ङ) इन प्रत्येक वर्षों में रेलवे के आंतरिक सृजन के माध्यम से वित्तपोषित वार्षिक योजनागत व्यय की राशि कितनी है; और

(च) इन प्रत्येक वर्षों में रेलवे का कुल निधि शेष कितना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कें.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डी.जी.सी.ए. में जनशक्ति की कमी

4666. श्री प्रदीप माझी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमान यातायात में भारी वृद्धि के बावजूद नागर विमानन महानिदेशालय में जनशक्ति की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सरकार ने जनशक्ति की वर्तमान कमी का आकलन कराया है और डी.जी.सी.ए. की भावी आवश्यकता पर विचार किया है;

नागर विमानन

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की तुलना में देश में विभिन्न विमानपत्तनों में पदों की वास्तविक संख्या और जनशक्ति की विमानपत्तन-वार कमी कितनी है;

(ङ) विभिन्न विमानपत्तनों में जनशक्ति की कमी से यात्री सुरक्षा पहलू कितना प्रभावित हुआ है; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डी.जी.सी.ए. द्वारा भरे गये रिक्त पदों की संख्या कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) से (ग) जी हां। नागर विमानन क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्री एम.के. काव, पूर्व सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) की भूमिका और कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। वर्ष, 2006 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और नागर विमानन के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन किया था। इसके अतिरिक्त वर्ष, 2008 में काव समिति की सिफारिशों के आधार पर डी.जी.सी.ए. की पुनर्संरचना/पुनर्गठन के लिए नए सिरे से पुनःआकलन किया गया था। इस पुनःआकलन के आधार पर सरकार ने अब डी.जी.सी.ए. में 427 ग्रुप ए पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(घ) डी.जी.सी.ए. स्टाफ का वितरण अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रचालनों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रवार आधार पर किया जाता है। जनशक्ति को बढ़ाए जाने संबंधी काव समिति की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् कर्मचारियों की क्षेत्रवार अनुमोदित संख्या, वास्तविक संख्या और कमी उसी अनुक्रम में इस प्रकार है: दिल्ली 71,42,29; लखनऊ 12,10,2; कानपुर 8,5,3; मुंबई 58,34,24; भोपाल 8,5,3; हैदराबाद 22,16,6; कोलकाता 42,34,8; पटना 10,6,4; भुवनेश्वर 4,4,0; गुवाहाटी 4,4,0; चेन्नई 19,11,8; कोचीन 4,3,1; बेंगलोर 17,13,3।

(ङ) यात्री सुरक्षा से बिना कोई समझौता किए डी.जी.सी.ए. द्वारा सभी विमान कंपनियों/प्रचालकों पर सुरक्षा और नियामक मानकों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा रहा है।

(च) वर्ष 2006 में 20, वर्ष 2007 में 19 और वर्ष 2008 में 09 पदोन्नति वाले पदों को भरा गया।

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.38 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा पुनः मध्याह्न बारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पत्र सभा पटल पर रखे जाएं। मद संख्या-2। श्री प्रफुल पटेल

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं वर्ष 2009-2010 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 665/15/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदय,

[श्री सलमान खुरशीद]

मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारत रिफ़्रेक्टरीज लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समामेलन आदेश, 2009 जो 28 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1847(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 666/15/09]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 667/15/09]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालाजी, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 668/15/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 669/15/09]

(2) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2009-2010 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 670/15/09]

अपराहन 12.01 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): महोदया, मैं माननीया अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की 45वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 671/15/09

कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोकसभा) की 45वीं रिपोर्ट दिनांक 18-12-2008 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2008-09 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी दिनांक 28-07-2009 को कृषि संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई हैं। की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां, निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा की गई 10 सिफारिशें/टिप्पणियां हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें पूर्ण उपयोग और संवर्धित बजट आबंटन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन, खाद्य पार्कों की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में नई स्कीमों को उपयुक्त रूप से तैयार करने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा विकास, बूचड़खानों के आधुनिकीकरण और खाद्य/पोषण क्लिनिक से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। कृपया इसे पढ़ा गया समझा जाए।

(दो) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुरशीद): मैं, लोक सभा की माननीया अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 77वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

कुल मिलाकर, उपरोक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट के अध्याय-1 में छः सिफारिशें की गई थीं जिनमें

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया।
देखिए संख्या एल.टी. 672/15/09

सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के अध्याय-पांच में तीन सिफारिशें थी, जिन पर समिति ने यह टिप्पणी की थी कि सरकार के अंतिम उत्तर प्रतीक्षित थे। समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस विवरण के अनुलग्नक में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब शून्यकाल के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आप पहले अजनाला साहब को बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। शून्य प्रहर चलने दीजिये। आपने प्रश्न काल नहीं चलने दिया, अब शून्य प्रहर चलने दीजिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला (खड़ूर साहिब): अध्यक्ष महोदया, पहले मुझे कहने दीजिये।

अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप बैठ जाइये। पहले गुरुदास दासगुप्ता को बोलने दीजिये। पहले शून्य प्रहर चलने दीजिये। बहुत से सदस्यों ने इम्पार्टेंट बातें उठानी हैं। पहले आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

डॉ. रतन सिंह अजनाला: अध्यक्ष महोदया, हमारे साथ यह अच्छा नहीं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये। श्री गुरुदास दासगुप्ता जी।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, अगर आप चाहती हैं कि हाउस नहीं चले तो नहीं चलेगा। इसलिये

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

हम लोग कह रहे हैं कि पहले डॉ. अजनाला जी को बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। पहले शून्य प्रहर चलने दीजिये। मैंने श्री गुरुदास दासगुप्ता को बुलाया है।

(व्यवधान)*...

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): मैडम स्पीकर, मुझे दो मिनट दीजिये।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये। उन्हें शान्तिपूर्वक सुनने दीजिये। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करिये। प्रश्नकाल में बात हो चुकी है। आप सभी लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी इसी विषय के संबंध में नोटिस दिया है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल में हो चुका है। अब आप लोग श्री दासगुप्ता को अपनी बात उठाने दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। आप शून्य प्रहर चलने दीजिये। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले श्री दासगुप्ता जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरुदास दासगुप्त जी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्ता जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रातःकाल यहां नहीं था लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर टी.वी. स्क्रीन पर देख रहा था कि जब डॉ. अजनाला बोलने के लिये खड़े हुये तो आपने कई बार यह कहा था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद आप उन्हें बोलने का अवसर देंगी। उसके बाद सुषमा जी और अन्य लोग उस विषय पर कुछ कहना चाहते थे। जब वे खड़े हुये और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है।

मुझे याद है कि पूर्व में अगर कभी प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव होता था और अगर उसके बाद प्रश्नकाल स्थगित होता था तो बाद में शून्यकाल के समय उन्हें सबसे पहले अवसर दिया जाता था। आपने स्वयं अजनाला जी को कहा था कि प्रश्नकाल...(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है कि आज एक विषय है, जिस पर चर्चा आरंभ हुई, एक-दो बार स्थगित भी हुई और कुछ मात्रा में चली, कि महंगाई के कारण देश में लोगों को कष्ट है, उसका निवारण कैसे किया जाए?

महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है जैसे आपने प्रातःकाल में अजनाला जी को कहा, उन्हें इस विषय पर बोलने दीजिए और उसके बाद धीरे-धीरे आगे सदन चले। मेरा आपसे अनुरोध है और आप निर्णय कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात समझ रही हूं। नेता प्रतिपक्ष का एक अनुरोध है मगर मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूं। मैंने जब अजनाला जी और बाकी सम्मानित सदस्यों से कहा कि शून्य काल जैसे ही शुरू होगा, मैं आपको बुलवाऊंगी और अब आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी।

[अनुवाद]

*डॉ. रतन सिंह अजनाला: अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सिखों से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी सिखों की धार्मिक संस्था है। यह सन् 1925 में अस्तित्व में आई। हमने सन् 1925 में इस कानून को पारित करवाने में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़ी लड़ाई लड़ी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को सन् 1925 में सभी गुरुद्वारों का प्रबन्धन करने का अधिकार मिला। अपने स्वयं के सभी गुरुद्वारों का प्रबन्धन

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

करने के अधिकार प्राप्त करने हेतु आन्दोलन सन् 1921 में शुरू हुआ था। इस संघर्ष के दौरान 150 से भी अधिक सिख शहीद हो गए थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस संघर्ष के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिखों द्वारा किए गए इस संघर्ष का तहेदिल से समर्थन किया था। जब सिख इस आंदोलन में विजयी हुए तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी आजादी के युद्ध की पहली लड़ाई जीत ली है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सिखों द्वारा दिए गए बहुत बड़े बलिदानों के बाद हम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस संघर्ष में विजयी हो सके। तब जाकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अस्तित्व में आई।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी सिखों की निर्वाचित संस्था है। सिख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष के बाद करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सदस्य गुरुद्वारों का प्रबन्धन करते हैं और सिख समुदाय की सेवा करते हैं। महोदया, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि सिख हमेशा देश के हितों की रक्षा करने में अग्रणी रहे हैं। बहादुर सिख 250 वर्षों से भी अधिक समय तक मुगल अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। हम देश के लिए 100 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ते रहे। हमने देश पर थोपे गए आपातकाल का भी डट कर मुकाबला किया ताकि भारत में लोकतन्त्र फल-फूल सके।

मैडम, सिखों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदानों का अनादर करते हुए सिखों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाजन पूर्व के पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिखों के हाथ से निकल कर पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद भी पंजाब का और विभाजन किया गया और पंजाब से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा अलग कर दिए गए। आज, हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हम किसी को भी सिखों के धार्मिक मामलों में दखलन्दाजी नहीं करने देंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी स्कूल, धर्मार्थ संस्थाएं और अस्पतालों का संचालन करने में अग्रणी रही है। हम पूरी मानवता की सेवा करने में विश्वास करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने हमेशा विश्व के किसी भी कोने में सिखों से जुड़े मुद्दों को उठाया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और सिखों की इसके प्रति बहुत श्रद्धा है। अकाल तख्त के हुक्मनामे विश्वभर के सिखों पर बाध्यकारी होते हैं।

इसलिए, मुझे इस बात से बहुत ठेस पहुंची है कि हरियाणा में कुछ लालची लोग चुनाव करवा रहे हैं और हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैडम, जाने माने सूफी कवि बुल्लेशाह ने कहा था: "मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्य और भूतकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ? यदि गुरु गोबिन्दसिंह जी नहीं होते तो पूरी मानवता का ध्यान कौन रखता।" यदि गुरु तेगबहादुर सहित सिख गुरु अत्याचार का डटकर सामना नहीं करते तो देश में कोई मंदिर या गुरुद्वारा नहीं बचता। गुरु तेगबहादुर ने केवल सिखों के लिए ही अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया। उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने हिन्दुओं के हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

मैडम, सिख धर्म का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। इसलिए आप हमारे धर्म से संबंधित कुछ मामलों पर हमारी शिकायतों को व्यक्त करने का थोड़ा सा समय और दें। हम आपसे आपके कक्ष में मिले थे और आपसे कुछ समय देने का अनुरोध किया था ताकि हम इस सम्मानित सभा में अपनी चिन्ताओं को व्यक्त कर सकें। हम किसी को भी अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। मैडम, नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेगबहादुर जी ने कहा था, "हम मानवता के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, लेकिन अपना धर्म और आत्मसम्मान नहीं दे सकते।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपका समय हो गया है अजनाला जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। श्री गुरुदास दासगुप्ता जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए। अपने वचन पर कायम रहिये।

[अनुवाद]

*डॉ. रतन सिंह अजनाला: यदि आज भारत में हिन्दू धर्म बचा हुआ है तो यह केवल नौवें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के कारण है।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हो गया। आप बैठ जाइए। समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

डॉ. रतन सिंह अजनाला: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकने का अनुरोध करता हूँ। हम इसका डटकर विरोध करेंगे। हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय देने का अनुरोध करता हूँ।...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बोलने का टाईम दिया गया। आप चेयर पर इस तरह का आरोप मत लगाइए। आप चेयर पर आरोप मत लगाइए, यह गलत बात है। आपको बोलने का समय दिया गया। आप उस बात को विद्वद्ध करिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप चेयर के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते हैं जब आपको बोलने का समय दिया जा रहा है। पहले भी एक दिन आपको बुलाया गया था लेकिन आप यहां पर नहीं थे।

[हिन्दी]

यह गलत बात है। आपको समय दिया गया है।

...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: आप बहस में मत पड़िये, बहस में मत पड़िये।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री मुलायम सिंह यादव और श्री रेवती रमण सिंह भी डॉ. रतनसिंह अजनाला द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदया: बोलने वाले अगले माननीय सदस्य हैं श्री गुरुदास दासगुप्त।

...(व्यवधान)

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): सभा में अनुशासन होना चाहिए, और सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री गुरुदास दासगुप्ता।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैंने भी इसी विषय पर नोटिस दिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं सरकार का विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री का ध्यान सभी ट्रेड यूनियनों चाहे वे किसी भी दल से संबद्ध हों, द्वारा देशभर में लगभग दस लाख बैंक कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसा प्रबन्धन अर्थात् इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, जिसने पहले वेतन और भत्तों में 17.5 प्रतिशत वृद्धि का कर्मचारियों को वचन दिया था, जिसने वचन दिया था कि लगभग 4 लाख कर्मचारियों के लिए एक पेन्शन स्कीम होगी और उसने वचन दिया था कि पूरे देश में लोगों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ दी जाएंगी। वह प्रबन्धन वचन देने के बाद अपने वचन से मुकर गया है। बैंकिंग क्षेत्र में समझौता वार्ताओं के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष के बाद समझौता वार्ता होती है। यह

बहुत ही असामान्य बात है, और चूंकि यह असामान्य है, इसलिए मैं सदन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मुख्य विवाद पेन्शन के संबंध में है। चार लाख कर्मचारियों को दूसरा विकल्प देने के लिए 17000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है; 11000 करोड़ रुपये भविष्य निधि रिजर्व से उपलब्ध हैं और शेष 6000 करोड़ रुपये के लिए कर्मचारी 1800 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी करने और उसे देने के लिए सहमत हो गए हैं। प्रबंधन अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां देने पर भी सहमत हो गया था। समझौता लगभग तैयार होने ही वाला था। केवल प्रारूप तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने ही शेष थे और यह लगभग तैयार था। उस समय प्रबंधन ने अचानक यह कहा कि वे उन्हें 17.5 प्रतिशत नहीं दे सकते, यह 15 प्रतिशत होना चाहिए था और अगले दिन उन्होंने कहा कि यह प्रतिशत होगा। अंततः वे सहमत हो गए, मैं स्वीकार करता हूँ। परन्तु मुख्य प्रश्न पेंशन के भुगतान से संबंधित है जिस पर सहमति बनी थी, अब प्रबंधन यह कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष देय पेंशन की गणना करनी होगी और उसके पश्चात योजना लागू की जाएगी। यह पूरे देश में कभी नहीं हुआ।

अतः मैं आपको और सरकार और वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक कर्मचारियों और सरकार के बीच तनाव न बढ़े क्योंकि जैसी की मेरी आशंका है, मैं उनकी ओर से नहीं बोल रहा हूँ कि यह हड़ताल बढ़ सकती है और इससे आंदोलन और भी बढ़ सकता है। यदि दीर्घकालिक विरोध होता है तो आर्थिक व्यवस्था विशेषकर वित्तीय व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, जो पहले से अर्थव्यवस्था तथा जी.डी.पी. के विकास की गिरावट से प्रभावित है, पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए किसी को भी देश के सबसे बड़े वित्तीय क्षेत्र के साथ टकराव करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। हमेशा ही प्रबंधन और यूनियनों ने अपनी समस्याओं का समाधान किया है; टकराव की कोई आवश्यकता नहीं थी और अब भी टकराव की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि विवाद को हल करने, अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने और द्विपक्षीय समझौता जो काफी लम्बे समय से लंबित है का हल सुनिश्चित करने के लिए और पूरे देश के लाभ हेतु औद्योगिक शांति की बहाली हेतु सकारात्मक नीति अपनानी चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, मैंने भी इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया: मैं सम्बद्ध होने के लिए आपको अनुमति देती हूँ। आप अपना नाम पटल पर भेज सकते हैं और आप श्री गुरुदास दासगुप्त से सम्बद्ध हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: अपने-आप को श्री गुरुदास दासगुप्त जी की बात से सम्बद्ध करते समय मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार आगे आए, वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शून्य काल के दौरान जो कुछ भी कहा जाता है सरकार उसका उत्तर नहीं देती। आप यह जानते हैं। अन्य सदस्यों को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री नामा नागेश्वर राव, श्री सैदुल हक, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बीजू और श्री ए. सम्पत को श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

केवल श्री सज्जन वर्मा जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: आप अपना नाम संबद्ध करने के लिए भेज दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को इस मुद्दे से संबद्ध करती हूँ।

अध्यक्ष महोदया: आप भी अपना नाम भेज दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया व्यवधान न डालें। अन्य सदस्यों को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: यह अत्यंत गम्भीर विषय है
...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं जानती हूँ कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। वे अपनी बात रख चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश में जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से आते हैं, कुछ राज्य सरकारों ने, जो यू.पी.ए. से अलग हट कर हैं, उन सरकारों ने अपने मंत्रिमंडल के माध्यम से आरक्षण की जो नीति संविधान के अंतर्गत थी, ये निर्णय लिए कि आरक्षित पदों को जनरल केटेगिरी से भरा जाए।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं भी इससे अपने को एसोसिएट करता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप स्लीप भेज दीजिए।

श्री सज्जन वर्मा: हाल ही में मध्य प्रदेश की बी.जे.पी. सरकार ने पिछले सप्ताह एक निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी बैकलॉग के पद हैं, उन्हें जनरल केटेगिरी से भरा जाए। उच्चाधिकारियों से मिल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश रची है, यह रिपोर्ट बनवाई है कि आरक्षित वर्ग के लोगों में योग्यता नहीं है। इन पदों के योग्य इस केटेगिरी में लोग नहीं मिलते हैं,...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। वर्मा जी को बोलने दीजिए, इनकी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा: इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर यह साजिश रची है कि आरक्षित वर्ग के कमजोर लोगों को और कमजोर किया जाए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से संरक्षण चाहता हूँ, यह केन्द्र सरकार का विषय है कि इस तरह के निर्णय जब राज्य सरकारें लेती हैं तो उन पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, यह मेरी मांग है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलने दीजिए। आप हर चीज पर क्यों उठ कर खड़े हो जाते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सज्जन वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन में और प्रदेशों में भी ये अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की आवाज दबाते हैं। ये इनकी नीति है।...(व्यवधान) आप अपनी सरकार से कहें कि इस तरह के गंदे एवं गलत निर्णय लेना बद करे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति को भी इस देश में जीने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस तरह के निर्णय जो राज्य सरकारें लेती हैं, उन पर संविधान की धाराओं के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे निर्णय वापस कराए जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री सज्जन वर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने के लिए डॉ. मंदा जगन्नाथ को अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए

आपको धन्यवाद। पूरे उत्तर प्रदेश में कोल जाति के लोग कई जिलों में निवास करते हैं। जिस तरह दक्षिण-भारत में द्रविड़ लोग हैं, उसी तरह उत्तर-भारत के कई राज्यों में कोल जाति के लोग भी बसते हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इलाहाबाद में दो लाख, चित्रकूट में एक लाख, बांदा में ढाई लाख, मिर्जापुर में तीन लाख, सोनभद्र में दो लाख, चन्दौली में एक लाख, बनारस में पचास हजार, झांसी में डेढ़ लाख और ललितपुर में एक लाख कोल जाति की आबादी है।

अध्यक्ष महोदया, देश को आजाद हुए 62 साल बीत चुके हैं, मैंने लोक सभा में इस बात को कई बार उठाया। अगर केन्द्र सरकार चाहे तो एक मिनट में इन्हें आरक्षण मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने इन्हें कोल जाति का दर्जा दिया था। इन्हें नौकरियां भी मिलने लगी थीं, लेकिन जब से वहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने इनका आरक्षण समाप्त कर दिया।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): आप उन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह: सभापति महोदया, जो किया गया है, क्या उसे हम कहेंगे नहीं? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, मैं उसी को कह रहा हूँ। माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले कोल जाति के लोगों को, कहीं गौण, खरवाड़, चैरो, वैंगा, अरिया, अगरिया, पनिका, पठारी, गुईयां और सहरिया आदि जातियों के नाम से आरक्षण दिया गया था, लेकिन उन्हें सीटों में आज तक आरक्षण नहीं मिला है, जिसके कारण वे लोग न तो पंचायत में चुनाव लड़ सकते हैं, न विधान सभाओं में और न लोक सभा में। जैसे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश में कोल जाति के लोगों को आरक्षण दिया था, उसी प्रकार केन्द्र सरकार कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे। मैं आपके माध्यम से यह मांग भी करता हूँ कि यदि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़े, तो उसे भी लाने की मैं मांग करता हूँ।

महोदया, कोल जाति के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में असंतोष

पैदा हो रहा है और लोग शस्त्र उठा रहे हैं। वे इस असंतोष के कारण नक्सलाइट गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं और कुछ लोग तो नक्सलवादी बन भी गए हैं। यह खतरा बना हुआ है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर सरकार तत्काल अपना वक्तव्य दे।

महोदया, मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि कई प्रदेशों में उन्हें अनुसूचित जनजातीय का दर्जा मिला हुआ है। जैसे बिहार, झारखंड, मेघालय और महाराष्ट्र आदि तमाम प्रदेशों में कोल जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी उन्हें तत्काल अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं गांवों और कस्बों में रहने वाली उन दुर्भाग्यशाली महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ जिन्हें कतिपय अनैतिक तत्वों द्वारा आकर्षक नौकरियां अथवा फिल्मों में भूमिका दिलाने के प्रलोभन देकर वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ऐसी बदकिस्मत युवा महिलाओं और लड़कियों को बलपूर्वक, जालसाजी, धोखाधड़ी के आधार पर अन्य देशों को ले जाया जाता है।

भारत से अन्य देशों को मानव तस्करी के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की हाल ही की रिपोर्ट तथा साथ ही अन्य प्रमुख संस्थानों ने यह बताया है कि भारत, पाकिस्तान, थाइलैंड, चीन और कम्बोडिया जैसे देश मानव तस्करी के बड़े स्रोत हैं। इन दुर्भाग्यशील महिलाओं में अधिकांश भारत और पाकिस्तान की हैं। इन्हें मध्यपूर्व रास्तों के होते अन्य देशों को भेज दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी उद्योग से सात से बारह बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक आय होती है। तस्करी की गई महिलाओं को वेश्यावृत्ति, यौन पर्यटन, व्यवसायिक विवाह और अन्य कार्यों जैसे घरेलू काम में लगा दिया जाता है। यह भी नोट किया गया है कि इन महिलाओं को अपने अंग बेचने को मजबूर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्कर की गई अधिकांश महिलाएं भारत और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संबंधित हैं। अनुमानतः ऐसी महिलाओं की संख्या 2.5 लाख है।

[श्री मधु गौड़ यास्वी]

मानव तस्करी सभी प्रकार के मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा का उल्लंघन हैं। इन महिलाओं को चयन की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। उन्हें गरिमाहीन और सामाजिक कलंकपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उनका समाज में कोई सम्मानपूर्ण स्थान नहीं है और वे एड्स सहित कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। यह विडम्बना है कि कानून तस्करों, दलालों, खरीदारों और वेशालयों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता और इसके उलट पीड़ित महिलाओं को अपराधियों के रूप में देखता है उन्हें पंडितों के रूप नहीं। देश के इन महिलाओं के बचाव और पुनर्वास के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के गैर कानूनी और अमानवीय कार्यों को तत्काल रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करे। मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय सहायता केन्द्र स्थापित करे जहाँ इन महिलाओं को सहायता, संरक्षण, परामर्श और पुनर्वास किया जा सके।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो एक महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

एन.डी.ए. सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस योजना को प्रारम्भ किया था, लेकिन यह अत्यन्त दुःखद है कि भारत सरकार से पर्याप्त धनराशि दिये जाने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में उन सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों का जो योगदान होना चाहिए था, वह आज भी नगण्य है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के अन्दर अभी वर्तमान में सातवें चरण की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण का काम प्रारम्भ होना था, लेकिन यह दुःखद है कि छठे चरण का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तीसरे और चौथे चरण के कार्य भी अभी पैडिंग पड़े हुए हैं।

गोरखपुर महानगर जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं। गोरखपुर को पिंपराइच से

जोड़ने, सहजनवां से बखिरा वाला मार्ग, गोरखपुर के महेवा मनोली तटबंध आदि तमाम ऐसे मार्ग हैं, जिन पर कार्य पिछले वर्ष ही सम्पन्न हो जाने थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण भारत सरकार की मंशा के अनुरूप इन योजनाओं पर कार्य न होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में सरकार की योजना थी, भारत सरकार की जो मंशा थी, उस पर स्थानीय माफिया, भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारी मिलकर पूरी तरह पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दी जाने वाली धनराशि की समीक्षा की जानी चाहिए और जो भ्रष्ट तत्व इसमें घुस आये हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बाधक बने हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण के जो कार्य अब तक सम्पन्न नहीं हुए हैं, उनके लिए समयबद्धता तय करके गुणवत्ता के साथ मानक के अनुरूप ये कार्य समय पर पूरे हों, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यहां से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री तापस पॉल (कृष्णानगर): इस सम्माननीय सभा में मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

यह प्रोब्लम सारे देश की प्रोब्लम है।

[अनुवाद]

भारत गांवों का देश है। गांवों के बल पर ही चकाचौंध करने वाले शहर फल फूल रहे हैं, लेकिन इस चकाचौंध में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे जीवित रखने के लिए सहायक हैं। मैं इस अवसर पर भारत के सभी भागों में बड़ी संख्या में रहने वाले उन कारीगरों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो एक उपेक्षित जीवन जी रहे हैं।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हुए मैंने देखा है और यह अनुभव किया है कि हमारा आदर्श वाक्य 'मां, माटी, मानुष' उन कलाकारों और कारीगरों पर सटीक रूप से लागू होता है अर्थात्, मानुष, लोग अपनी धरती मां और माटी से मिलकर बहुत ही अद्भुत

कला कृतियां बनाते हैं। लेकिन ये कारीगर गरीबी के दुश्चक्र में फँसकर बिचौलियों के हाथों की कठपुतली बन कर बहुत ही दयनीय जीवन यापन करते हैं।

मेरा विजन जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से प्रभावित है, वह है उनका उत्थान करना। मेरा प्रस्ताव है कि उनके हस्तशिल्पों को प्रदर्शित करने अथवा उनकी कला के संग्रहालय हेतु विशेष स्थान बनाए जाएं ताकि खरीदार सीधे उनके पास पहुँच सकें। मैं लघु और मझौले उद्यमों को विकसित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे मिलजुल कर अपनी कला को जीवित रख सकें। मैं महसूस करता हूँ कि कृष्णानगर के 'क्ले मॉडल' विश्व के हर हिस्से में पहुँचने चाहिए। उनके संग्रहालय और स्थायी मेला ग्राउण्ड बनाने के इस काम के लिए सरकार को भूमि आवंटित करनी होगी। मैं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कारीगरों से मिला हूँ जो बहुत ही दरिद्रतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनकी दरिद्रता को दूर किया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूँ कि हमारे नेता के कुशल नेतृत्व में मेरा यह विजन साकार होगा और हमें यह हमेशा हमारी बुनियाद से जुड़े लोगों से अवगत कराता रहेगा।

मैं एम.एस.एम.ई. विभाग के माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे प्राथमिकता के आधार पर इस मुद्दे पर ध्यान दें।

महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं विधानसभा में सूचना, संस्कृति, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति का सभापति था। मैंने कुमारटुली और पोटोपारा अर्थात् दक्षिण और उत्तर का दौरा किया था। वे इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस ओर प्रायोरिटी देकर ध्यान दें।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा बनाए गए पैमाने के आधार पर बिहार सरकार ने जो बी.पी.एल. सूची बनायी थी, उसके अनुसार बिहार में एक करोड़ बाईस लाख बाईस हजार बी.पी.एल. परिवार हैं, जबकि भारत सरकार मात्र पैंसठ लाख तेईस हजार बी.पी.एल. परिवारों के लिए खाद्यान्न दे रही है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो अवशेष

छप्पन लाख सतहत्तर हजार बी.पी.एल. परिवार हैं, उनको खाद्यान्न दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री बदरुद्दीन अजमल - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस देश के अंदर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी प्रदेशों में की गयी है। आज उनके सामने बहुत गहरा संकट छाया हुआ है। तमाम प्रदेश - चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो और अन्य राज्यों में भी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुयी है। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में उनको केवल मानदेय मिलता है। उनसे बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, वे पूरी तरीके से पढ़ाई भी कराते हैं। अन्य राज्यों ने उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए, उनके बराबर वेतन देने की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में, जो शिक्षा मित्रों को मानदेय दे रहे हैं, उनको स्थायी कर्मचारी नियुक्त करके, कम से कम जो शिक्षक प्राइमरी या जूनियर विद्यालय में हैं, उनको भी उसके बराबर वेतन दिया जाए।... (व्यवधान) लालू जी कह रहे थे कि यह बिहार में भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि उनको स्थायी कर्मचारी घोषित करते हुए जैसे अन्य राज्यों ने अपने यहां व्यवस्था की है, उसी तरह उन्हें भी प्राइमरी या जूनियर अध्यापक के बराबर वेतन देने की व्यवस्था करें।

मैं चाहूँगा कि आप सरकार को निर्देश करें और अगर बजट की व्यवस्था न हो, तो केंद्र सरकार राज्यों को बजट देकर उनको स्थायी कर्मचारी घोषित कर उसके बराबर वेतन दें, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। उनका बच्चों को पढ़ाने में मन भी लगे और वे बच्चों को पढ़ा सकें।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): मैडम, भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही राजीव गांधी स्वास्थ्य शिल्पी बीमा योजना, जो महत्वपूर्ण योजना है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि यह वर्ष 2006 में प्रारंभ की गयी थी। इससे मात्र सत्तर लाख लोगों को लाभ मिला है, जबकि उनकी कुल संख्या एक

[श्री राजाराम पाल]

करोड़ सत्तर लाख है। उनमें मात्र दस लाख लोगों के लिए, जो हथकरघा कारीगर हैं, उन्हें तो इस योजना के अंतर्गत 800 रुपए लाभार्थी से और 200 रुपए सरकार की ओर से दिया जाता है। वर्ष में उनके परिवार को 15,000 रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, लेकिन हस्तशिल्पकला के जो कारीगर हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हथकरघा कारीगरों को सौ प्रतिशत सरकार द्वारा योगदान दिया जाता है, जबकि हस्तशिल्प कारीगरों को 800 रुपए लाभार्थी को देना पड़ता है। यह योजना मात्र सत्तर लाख लोगों को अब तक दी गयी है, जबकि पूरे देश में एक करोड़ सत्तर लाख कारीगर हैं।

मैडम, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पूरे देश में एक करोड़ सत्तर लाख कारीगरों को समान रूप से दिया जाए। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री सी. शिवासामी (तिरुपुर): अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु का बुनाई उद्योग के लिए विख्यात तिरुपुर विशालतम और बहुत प्रसिद्ध निर्यातोन्मुखी औद्योगिक नगरों में से एक है। यह नगर प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा अर्जन में 11000 करोड़ रुपये का योगदान देता है। यह औद्योगिक नगर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से पांच लाख लोगों को रोजगार के अवसर और आजीविका प्रदान करता है।

एक महत्वपूर्ण सहायक उद्योग जो बुनाई उद्योग के साथ चलता है वह है रंगाई उद्योग। हजारों की संख्या में रंगाई इकाइयां जो अपने औद्योगिक कार्यकलापों को चलाती हैं, से बड़ी मात्रा में उत्सर्जनों का स्राव होता है जिनका न्यायिक न्यायालयों और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार शोधन किया जा रहा है। लगभग 800 करोड़ रुपये की लागत से 19 सामान्य उत्सर्जन शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से राजसहायता की प्रत्याशा में उद्योगपतियों ने वाणिज्यिक बैंकों से 600 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। बात तो यह हुई थी कि आने वाली

कुल लागत का 25 प्रतिशत उद्योगपतियों द्वारा दिया जाएगा जो तदनुसार किया गया है। शेष 75 प्रतिशत धनराशि का 15 प्रतिशत और 60 प्रतिशत क्रमशः राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उद्योगपतियों की लम्बे समय से चली आ रही लंबित मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है जिससे इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत चिन्ता हो रही है।

विगत दो वर्षों से संघीय सरकार के समक्ष राजसहायता की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन उत्सर्जन शोधन संयंत्रों का जारी रहना बहुत हद तक राजसहायता पर निर्भर है जो केन्द्र से प्राप्त होनी है। अन्यथा, उनके सामने बन्द होने की स्थिति आ रही है। इससे सरकार को विदेशी मुद्रा की कमाई से वंचित होने के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बुनाई इकाइयों में उत्पादन पर बहुत भारी असर पड़ेगा। लगभग पांच लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। निर्यात व्यापार में भी बहुत भारी गिरावट आ जाएगी। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन 19 सामान्य उत्सर्जन शोधन संयंत्रों को शीघ्रतिशीघ्र केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए जैसी कि पशु खालों से संबंधित चर्म-शोधन शालाओं को प्रदान की गई थी। केन्द्र द्वारा विशेष अनुदान के रूप में यह राजसहायता प्रदान करने के माध्यम से युद्ध स्तर पर इस समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकार द्वारा निष्ठापूर्वक कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब भी सरकार विभिन्न अन्य शीर्षों के अधीन राजसहायता अथवा अनुदान प्रदान करती है तो उससे सरकार को इतने भरपूर लाभ नहीं मिलते। इस मामले में राजसहायता जो बुनाई उद्योग के कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए इन रंगाई इकाइयों को दिए जाने की मांग की जा रही है, उससे तो और अधिक विदेशी मुद्रा और राजस्व अर्जन में सरकार को ही सहायता मिलेगी। उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ढंग से लगाए गए और संग्रहित किए गए अन्य शुल्कों से खजाने में और अधिक धन आएगा। बुनाई उद्योग के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों की ओर से मिल रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार को तिरुपुर से बुनाई के माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता के रूप में यह राजसहायता प्रदान कर युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह शीघ्रतिशीघ्र तिरुपुर में स्थित सामान्य उत्सर्जन शोधन संयंत्रों के लिए यह राजसहायता प्रदान करे।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री टी.के.एस. इल्लैंगोवन (चेन्नई उत्तर): महोदया, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं अपने आपको उन के द्वारा कही गई बातों से संबद्ध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया टेबल को नोटिस भेज दीजिए।

अगले वक्ता श्री के. करुणाकरन। श्री एम.बी. राजेश ने भी इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है। वे श्री करुणाकरन के साथ अपने आपको संबद्ध कर लें।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं सरकार का ध्यान गर्भवती महिलाओं की नियुक्ति और पदोन्नति अस्वीकृत किए जाने के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 11000 कर्मचारियों की भर्ती जो कि हाल के वर्षों में की गई सबसे बड़ी भर्ती है। लेकिन भर्ती के दिशा निर्देशों और भर्ती के मानदण्डों में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी आवेदक अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएँ। यह तो ठीक है। लेकिन इसके साथ ही यह भी विहित किया गया है - कि महिला आवेदक नियोजन के लिए तभी पात्र होंगी जब वे अपनी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगी और गर्भवती महिलाओं के मामले में अपने गर्भकाल के सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रकार की शर्त लगाना हमारे देश के लिए शर्म की बात है जहाँ की राष्ट्रपति महिला है। जहाँ पर लोकसभा की माननीय अध्यक्ष भी महिला है। जहाँ पर संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की अध्यक्ष महिला है। इस प्रकार की शर्त न केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नियोजन के लिए लागू है अपितु अन्य सभी सहायक बैंकों में भी यह लागू है। यह न केवल महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव है अपितु यह हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है जो राष्ट्र ने उनको प्रदान किए हुए हैं। इसलिए, सरकार को यह मुद्दा गंभीरता से लेना चाहिए। यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई महिला एक महीने की भी गर्भवती हो तो भी उसे एक वर्ष के वेतन और अन्य सभी लाभों से हाथ धोना पड़ेगा।

प्रसव के तीन माह के बाद उनको पुनः एक स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट देनी होती है। मैं समझ सकता हूँ कि निजी बैंक और अन्य बैंक महिलाओं को सभी प्रकार के लाभ दे रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों में भी प्रसव के समय बहुत से लाभों का आश्वासन दिया गया है। इसलिए, सरकार को इस संबंध में गंभीर कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदया: श्री पी.के. बिजू और श्री ए. सम्पत भी श्री पी. करुणाकरन के साथ अपने आपको सम्बद्ध कर रहे हैं।

*श्री पी. लिंगम (तेनकासी): महोदया, सर्वप्रथम मैं माचिस उद्योग की लघु औद्योगिक इकाइयों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के कई भागों में हमें लघु उद्योग क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के रूप में माचिस विनिर्माण इकाइयाँ मिलती हैं। माचिस आम लोगों के उपयोग की चीज होती है। तमिलनाडु में हमें ये इकाइयाँ तिरुनेलवेली, तुतीकोरीन, विरुदनगर, रामनाथपुरम, धर्मापुरी और वेल्लोर में मिलती हैं। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्यकलाप और वहाँ रहने वाले बहुत से लोगों की रोजी रोटी है। कई लाख परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए इन इकाइयों पर निर्भर रहते हैं। पोटेशियम क्लोरेट एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड जो बहुत कम मात्रा में मिलती है, से संबंधित इस रसायन का भारी अभाव है। लगभग 20 औद्योगिक इकाइयों जो पोटेशियम क्लोरेट का विनिर्माण कर रही थी, को बिजली कटौती और कई ऐसे ही कारकों के कारण बन्द कर दिया गया है। पुडुचेरी से इस रसायन को प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था में भी वहाँ से रसायन को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण समस्या आ गई है। इन रसायनों की अपर्याप्त आपूर्ति और अभाव के कारण लघु इकाइयों में माचिसों के विनिर्माण के कार्य पर बड़ी मार पड़ी है। लगभग 3500 इकाइयों में 2000 से भी अधिक इकाइयाँ पहले ही बन्द हो चुकी हैं और बहुत सी बन्द होने के कगार पर हैं। इन इकाइयों द्वारा नियोजित किए गए सभी श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और उनके परिवार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस उद्योग और हजारों लोगों को बर्बादी से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम क्लोरेट लोशन की आपूर्ति को सुनिश्चित करे। मैं संघ सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह श्रमिकों जो इन इकाइयों के बन्द हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए हैं, को विशेष भत्ते के रूप में पर्याप्त दितीय क्षतिपूर्ति प्रदान करे।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

*श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मुद्दा है हल्दिया बन्दरगाह की नौवहनीयता का। हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष लगभग सूखे का वर्ष है। वर्षा की दर बहुत ही कम रही है। भू-जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। अतः समुद्र में कोई ज्वार नहीं है और हल्दिया बन्दरगाह की नौवहन क्षमता में भारी गिरावट आई है। केवल छोटे पोत ही बन्दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा का प्रवाह मौसम के परिवर्तन पर निर्भर करता है। मानसून के दौरान उच्च ज्वार आता है और उससे नौवहन की क्षमता बढ़ती है। सर्दी के मौसम के दौरान ज्वार और नौवहन क्षमता दोनों में कमी आ जाती है। इस प्रकार मैं सरकार से खुदाई करने का कार्य तुरन्त शुरू करने और बन्दरगाह को बचाने का निवेदन कर रहा हूँ। न केवल पश्चिम बंगाल में अपितु समूचे पूर्वी भारत में यह बन्दरगाह निर्यात-आयात के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य तेल से लेकर पेट्रोलियम, डीजल, रसोई गैस, उद्योगों के लिए कच्चे माल को बन्दरगाह के माध्यम से ढोया जाता है और विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। अन्ततः पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की समूची व्यापारिक गतिविधियाँ चरमरा गई हैं। यदि बन्दरगाह समुचित रूप से कार्य नहीं करता है तो बहुत भारी नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा यह राष्ट्रीय चिन्ता का मामला है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह हल्दिया बन्दरगाह की सुध ले और इसकी नौवहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए ठोस कदम उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): महोदया, भारत में सर्वोत्तम 234 सरकारी क्षेत्र के संगठनों में नौ सरकारी उपक्रम कंपनियों में से बी.एच.ई.एल. एक है। बी.एच.ई.एल. के तैंतीस प्रतिशत शेयरों का पहले ही विनिवेश किया जा चुका है। इस 33 प्रतिशत शेयरों में से इक्कीस प्रतिशत शेयर विदेशी कंपनियों द्वारा खरीद लिए गए हैं। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने दस प्रतिशत और शेयरों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। बी.एच.ई.एल. लगातार मुनाफा कमा रही है और इसके वर्ष 2008-09 में 4530 करोड़

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। बी.एच.ई.एल. के पास कड़ी वैश्विक स्पर्धा के बीच 1,25,000 करोड़ रुपये के क्रयादेश हैं। यह वर्तमान वर्ष में 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के उपकरण मुहैया करवाने की योजना बना रही है। इस अवसर पर इसके दस प्रतिशत शेयरों को निजी कंपनियों के हाथों बेच देने से इस विशाल संगठन के विकास पर बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह जनहित में बी.एच.ई.एल. के दस प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करने के निर्णय पर पुनर्विचार करे।

अपराह्न 12.51 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

(एक) आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर में आचार्य रंगा कृषि विश्वविद्यालय, के लैम एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म में मिर्च और हल्दी बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए जाने और इस संबंध में आवश्यक निधियाँ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव: यह विदित तथ्य है कि आन्ध्र प्रदेश का गुंटूर जिला हल्दी और मिर्च जैसे मसालों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है जिसका बहुत ही विशाल निर्यात बाजार है। अप्रैल 2009 में 40177 मसालों का निर्यात किया गया था। जिसमें से 13500 टन मिर्चों का उत्पादन आन्ध्र प्रदेश में किया गया था। गुंटूर के किसान अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बड़े पैमाने पर अपना योगदान दे रहे हैं लेकिन उत्तम गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा उनको मुहैया करवाई जा रही सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के किसानों को उत्तम और कीटमुक्त बीजों की आपूर्ति करने के लिए कोई अनुसंधान केन्द्र अथवा संस्थान नहीं है। इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने में मिर्चों और हल्दी के अधिक उपज देने वाले उत्तम बीजों की अनुपलब्धता बहुत बड़ी बाधा है।

इन परिस्थितियों में, मैं आपके माध्यम से माननीय

*सभा पटल पर रखे माने गए।

वाणिज्य और उद्योग मन्त्री से पुरजोर आग्रह करता हूँ कि वे आचार्य रंगा कृषि विश्वविद्यालय के लाम कृषि अनुसंधान फार्म जिसके पास आवश्यक भूमि है, पर मिर्च और हल्दी का बीज उत्पादन फार्म स्थापित करें ताकि गुन्दूर के किसानों को उत्तम और कीट-मुक्त बीज प्राप्त हो सकें जिससे उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

विशाल निर्यात की क्षमता को देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री जी मिर्च और हल्दी के बीजों के उत्पादन के लिए फार्म स्थापित करने के अनुरोध को स्वीकार करेंगे और अनुसन्धान संस्थान के लिए निधियाँ प्रदान करेंगे।

(दो) कोलकाता पत्तन पर पड़ी आयातित दालों का स्टॉक प्रापण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): देश में दाल की कीमतों को कम करने के लिए बाहर से आयातित की गई पन्द्रह लाख टन दाल पिछले दो माह से कोलकाता पोर्ट के खिदिरपुर डॉक में पड़ी हुई है। जबकि पूरे देश में दालों के भाव बाजार में 100 रुपये किलो तक पहुँच गये हैं। यह दालें सड़ने लगी हैं। तीन साल पहले ही सरकार ने भांप लिया था कि दाल का उत्पादन कम होने से कीमतें आसमान पर पहुँचने वाली हैं। इसलिए अप्रैल, 2007 में पन्द्रह लाख टन दाल का आयात करने का फैसला किया था, जिसमें अरहर, मटर एवं उड़द की काली दाल करोड़ों रुपये खर्च करके विदेशों से आयात की गई। लेकिन जिस दाल को आम जनता तक पिछले डेढ़ महीने पहले जनता के पास पहुँच जाना चाहिए था, वह अभी भी देश के बंदरगाहों पर पड़ी है। एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी., नैफेड और पी.ई.सी. चार कम्पनियों को सरकार ने जिम्मेदारी दी थी। उठान न होने से सरकार का नुकसान हुआ तथा जनता को भी काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। इसलिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(तीन) केरल में अन्नानास उद्योग का पुनरुद्धार करने तथा इसके विकास हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): केरल में प्रतिवर्ष 3.25

लाख टन अन्नानास का उत्पादन होता है जिसका वार्षिक मूल्य लगभग 325 करोड़ रु. है। अन्नानास की खेती किए जाने वाले कुल भाग का 50 प्रतिशत भाग मेरे संसदीय क्षेत्र इदुक्की में आता है। इससे लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष आजीविका मिलती है और एक लाख से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से अन्नानास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र की उन्नति के लिए अन्नानास हेतु दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को कम करके 6 प्रतिशत तक कर दिया जाये। इस समय 3 लाख से अधिक किसान काफी ऊँची ब्याज दर का भुगतान कर रहे हैं। गत मई-जून के दौरान किसानों को भारी क्षति हुई। इसलिए ऋणों की अदायगी एक वर्ष तक स्थगित कर दी जाये। सहायता हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मानकों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह केरल में अन्नानास उत्पादकों की स्थितियों के अनुरूप हो। इसके अलावा, राज्य बागवानी मिशन सहायता हेतु क्षेत्रफल सीमा (चार हेक्टेयर) को हटाया जाये क्योंकि छोटे क्षेत्र लाभकारी नहीं है। वझाकुलम स्थित केरल कृषि विश्वविद्यालय के अन्नानास अनुसंधान केन्द्र को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाये। अन्नानास की खेती हेतु इसके समन्वयन, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाये।

(चार) राजस्थान के भरतपुर में स्थित न्यूनतम बोली लगाने वाले अर्थात् मेसर्स सिमको बिरला लिमिटेड, को रेल वैगन्स के निर्माण का कार्य सौंपने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सिमको बिरला लिमिटेड निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है। फैक्ट्री भरतपुर (राजस्थान) में स्थित है। फैक्ट्री में मूल रूप से रेलवे वैगन्स का निर्माण किया जाता रहा है। प्रतिमाह लगभग 500 वैगन्स बनाये जाते रहे हैं। ये वैगन्स सिमको बिरला लिमिटेड द्वारा अधिकांश भारतीय रेलवेज को ही सप्लाई किये जाते हैं। वैगन्स आर.डी.एस.ओ. के मानदण्डों के अनुरूप निर्मित किये जाते हैं। अभी दिसम्बर, 2008 में रेलवे बोर्ड द्वारा वैगन्स के क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं। उसमें सिमको बिरला लिमिटेड द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गयी हैं। दी गयी जानकारी के अनुसार सिमको बिरला लिमिटेड न्यूनतम कर दाता है। रेलवे बोर्ड वैगन्स निर्माण के क्रय आदेश मिलते ही वैगन्स का निर्माण प्रारंभ हो सकेगा तथा फैक्ट्री पुनः चालू हो सकेगी।

[श्री रतन सिंह]

रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। न्यूनतम कर दाता को क्रय आदेश दिया जाना न्यायोचित है। जिससे वैगन्स का आदेश मिलने पर फैक्ट्री चालू हो सके व मजदूर, किसान, व्यापारियों को रोजगार मिल सकेगा। इससे लगभग 5000 मजदूर व अधिकारियों को सीधा रोजगार मिल सकेगा।

(पांच) भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए नयी न्यूनतम कारबार शर्तों से संबंधित दिनांक 9-7-2009 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): दिनांक 9-7-2009 के असाधारण राजपत्र और भारतीय जीवन बीमा निगम के दिनांक 24-7-2009 के परिपत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं के लिए न्यूनतम कारबार शर्तों पर जोर दिया गया है। इस समय एक वर्ष में 12 जीवन बीमा और न्यूनतम बीमित राशि एक लाख रु. की न्यूनतम कारबार शर्त है। परन्तु नए संशोधनों में 12 जीवन बीमा पॉलिसी और साथ ही पहले वर्ष प्रीमियम आमदनी एक लाख रु. करने पर बल दिया गया है। इसलिए इस उद्योग में बने रहने के लिए अभिकर्ता द्वारा प्रीमियम एकत्र करने में काफी अधिक वृद्धि की गई है। लगभग 33 गुना वृद्धि की गई है जो वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में जबकि दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है, एक अत्यंत कठिन कार्य है। एल.आई.सी. को अपने गत वर्षों के कारबार को बरकरार रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और उसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। एजेंसी नियम में इस प्रकार के संशोधन से अभिकर्ताओं की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी; इस संशोधन से लाखों अभिकर्ताओं की आजीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए वित्त मंत्री जी को वर्तमान आदेश की समीक्षा करनी चाहिए और एजेंसी शर्तों में यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए।

(छह) आन्ध्र प्रदेश के आलमपुर में जोगुलाम्बा रेलवे हाल्ट को पूर्ण रूप से रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

डॉ. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल): दक्षिण - मध्य रेलवे के गडवाल और आलमपुर रेलवे स्टेशन के ब्लॉक खंड और हैदराबाद मंडल के मनोपड़ और आलमपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जोगुलाम्बा हाल्ट स्टेशन है। जहां केवल

प्लेटफार्म प्रतीक्षालय कवर्ड शेड और अन्य जन सुविधाओं जैसी सुविधाओं के बिना जहां केवल एक बुकिंग कक्ष है।

जोगुलाम्बा हाल्ट स्टेशन के आस-पास के गावों के स्थानीय लोगों की यह मांग है कि जोगुलाम्बा हाल्ट स्टेशन को पूर्ण रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए और वहां प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्म और अन्य जन सुविधाएं प्रदान की जायें क्योंकि काफी संख्या में यात्री जोगुलाम्बा हाल्ट स्टेशन का उपयोग आलमपुर तीर्थ स्थल आने-जाने के लिए करते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह यात्रियों की सुविधा के लिए जोगुलाम्बा हाल्ट स्टेशन को पूर्ण रेलवे स्टेशन में परिवर्तित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करे और उसे विकसित करें और जोगुलाम्बा रेलवे स्टेशन पर कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दिया जाए।

(सात) केरल और कर्नाटक के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 पर रात्रि के समय वाहन यातायात चलाए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास (वयनाड): वयनाड केरल का सुन्दरतम जिला है और शांत पर्यटक स्थल है। किन्तु यह दक्षिण भारत के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। यह एक जनजातीय जिला है और यह भारत सरकार द्वारा चिन्हित 90 अल्पसंख्यक जिलों में से एक है। वयनाड पर्यटन और मसालों के व्यापार और अन्य कृषि उत्पादों पर निर्भर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 212 एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कोझीकोड जिले को कर्नाटक से जोड़ती है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े हजारों विद्यार्थी और कर्मचारी इस सड़क का उपयोग करते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 212 जो कालीकट-कोल्लाविल मार्ग कहलाता है, दैनिक यात्रियों और अन्य यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। हजारों बसें हर रात इस सड़क पर चलती हैं और माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क पर वाहनों के यातायात के लिए उपयुक्त समय रात में होता है। जब यह सड़क बाधित होता है तो वाहनों को वैकल्पिक सड़कों से जाना पड़ता है जो यात्रा के लिए बहुत ही घटिया और खतरनाक है और विभिन्न मार्गों से यात्रा करने पर 125-400 किमी. अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त से इस मार्ग पर रात्रि में वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी

है। लोग आन्दोलन कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और वाणिज्य मंडल ने 6 अगस्त, 2009 से संयुक्त आन्दोलन करने का निर्णय लिया है। दोनों जिलों की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और इसलिए इस मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(आठ) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और आई.टी.आई. खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पर सरकार की ओर से शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है तथा विशेष फोकस जिले की हैसियत से यहां केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। इस जिले में कोई आई.टी.आई. तकनीकी संस्थान नहीं है और न ही कोई मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसके कारण यहां के छात्रों को दूसरे शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना पड़ता है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि लोहरदगा में केन्द्रीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं एक आई.टी.आई. की व्यवस्था इस क्षेत्र का सामाजिक विकास करने के लिए होनी चाहिए।

(नौ) बिहार में पटना के समीप तारेगना को खगोल विज्ञान के अनुसंधान व अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान आर्यभट्ट की कर्मभूमि तारेगना की ओर दिलाना चाहता हूं। आर्यभट्ट का जन्म 476 ई. में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहा जाता है कि तारेगना में उनकी प्रयोगशाला थी जहां वह बैठकर रात में तारे गिना करते थे एवं खगोलीय पिंडों की गति एवं उसकी प्रगति का अध्ययन करते थे। यह वही स्थान है जहां उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टिया की रचना की। इससे उन्होंने गणित और ज्योतिष विद्या का विशद वर्णन दिया। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया जो आज विज्ञान का आधार माना जाता है। यही वजह है कि जब देश ने 19 अप्रैल, 1975 को अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया तो उनके सम्मान में उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। यह

मात्र संयोग नहीं है कि लगभग 1500 वर्ष बाद फिर तारेगना खगोलीय घटनाओं को लेकर चर्चा में है। हाल ही में सूर्यग्रहण के दौरान तारेगना में देशभर के वैज्ञानिकों, खगोलविदों, एवं ज्योतिषों का मेला लगा हुआ था। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार यहां भारी संख्या में एस्ट्रो टूरिस्ट के आने का सिलसिला जारी था यहां लगभग दो लाख से अधिक लोगों का जमावड़ा हुआ। इस दौरान यहां वैज्ञानिकों ने कई तरह के शोध एवं प्रयोग किए। तमाम अध्ययनों के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पटना से सटे तारेगना में सूर्यग्रहण सबसे बेहतरीन ढंग से देखा जा सकेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तारेगना को खगोलिय घटनाओं के अध्ययन के लिए विकसित किया जाए और इसका विकास किया जाए।

(दस) हिमाचल प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना जिला ऊना में किया जाना प्रस्तावित है। ऊना के उपायुक्त द्वारा अप मोहल सम-लैहडी में 132 एकड़ भूमि इस हेतु विन्हित की जा चुकी है, जिसकी सूचना प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। अब उक्त संस्थान की स्थापना हेतु भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति आनी शेष है।

महोदया, मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के औसत के मुकाबले दुगना हाई एनरोलमेंट रेट प्राप्त कर लिया है। अतः वहां एक आई.आई.एम. की स्थापना किया जाना अनिवार्य हो गया है।

अतः मेरा आग्रह है कि उक्त दोनों संस्थानों की स्थापना हेतु तत्काल सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

(ग्यारह) मकानों के निर्माण हेतु बीड़ी कर्मकारों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हमारे देश में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की श्रेणी में एक क्षेत्र

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

बीड़ी मजदूरों का भी आता है। बहुत बड़ी संख्या में बीड़ी मजदूर सारे देश में आजीविका हेतु बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं। सरकार ने उनके कल्याण की भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं किन्तु आज भी बहुत सारे बीड़ी श्रमिकों का पंजीकरण ही नहीं हुआ है तब योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिल सकेगा। बीड़ी मजदूर आवास योजना में 40,000 रुपया अनुदान श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है। इस महंगाई के युग में यह राशि बहुत कम है। अतः आवास योजना की राशि को 40,000 रुपयों से बढ़ाकर एक लाख रुपया कर देना चाहिए अथवा विभाग को स्वयं पहल कर मकान बनाकर देना चाहिए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सैयदराजा और जमानिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उत्तर प्रदेश के चन्दौली में स्थित राजमार्ग-97 राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से सैयदराजा से जमानिया हेतु गाजीपुर-गोरखपुर जाने का मार्ग है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग सैयदराजा से जमानिया तक बहुत ही खराब हालत में है। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार ने धन भी दिया है। इस मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण भी होना है। इस मार्ग की निविदा भी हो गई है। विगत कई वर्षों से यह मार्ग क्षतिग्रस्त एवं खराब है। यह मार्ग लगभग 90 प्रतिशत खराब है। इस मार्ग पर गाड़ियों को चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जनता की गाड़ियां समय से पहले खराब हो रही हैं। पेट्रोल एवं डीजल की खपत अधिक हो रही है। निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। सैयदराजा से जमानिया तक जिसकी दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर ही है, को क्रॉस करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनता की परेशानियों को देखते हुए इस मार्ग का निर्माण अविलम्ब कराये जाने के आदेश दिए जायें।

(तेरह) लोक सभा के ऐसे सदस्यों जिनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं, को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले की संस्तुति करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): आपका ध्यान मैं ऐसे माननीय लोक सभा सदस्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ जो अपने लोक सभा क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय न होने की वजह से अपने कोटे के 2 बच्चों का एडमिशन केन्द्रीय विद्यालय में न करा पाने से महरूम हैं। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ क्योंकि 3 साल पहले मंजूर हुए केन्द्रीय विद्यालय सम्भल, जिला मुरादाबाद में अभी तक नहीं खुल पाया है जिसका अफसोस है।

मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन माननीय लोक सभा सदस्यों के क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है उन्हें विशेष छूट देकर यह व्यवस्था की जाये कि वह देश के किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में अपने कोटे से दो बच्चों का एडमिशन करवा सकें।

(चौदह) बिहार के खगड़िया जिले में नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): बिहार राज्य के खगड़िया जिला अंतर्गत नवोदय विद्यालय खगड़िया का अपना भवन नहीं है जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई सुचारु ढंग से नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार ने नवोदय विद्यालय खगड़िया के भवन निर्माण के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी है, लेकिन केन्द्र सरकार से राशि का आवंटन नहीं मिलने के कारण भवन निर्माण नहीं हो रहा है।

अतः सरकार नवोदय विद्यालय खगड़िया के भवन निर्माण के लिए आवंटन राशि शीघ्र उपलब्ध करा कर भवन निर्माण करा दें।

(पंद्रह) तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे प्रभावित मछुआरा समुदाय को राहत देने के लिए समुद्री अपरदन को राष्ट्रीय आपदा/प्राकृतिक आपदा की परिभाषा में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी में 82 किलोमीटर की लंबाई में 42 ऐसे गांव हैं जिनमें मछुआरे बसे हुए हैं। मेरे जिले में आय का मुख्य स्रोत मछली पकड़ना है। हमारे जिले के मत्स्य पालन क्षेत्र और मछुआरों को समुद्री कटाव, विशेष रूप से सुनामी के बाद से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रायः इन मछुआरों के दोनावे, जाल

और समुद्र में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं खो जाती हैं। समुद्री, कटाव की बजह से अनेक घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा की सूची में पहले से मौजूद चक्रवात, भूकम्प, आग, सुनामी और ओलावृष्टि के अतिरिक्त भू-स्खलन को शामिल किया है।

मैं केन्द्र सरकार से देशभर में तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय की रक्षा और बेहतरी के लिए राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा में समुद्री कटाव को शामिल करने के लिए तत्काल और आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करती हूँ।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूँ कि वह मछुआरों के गांवों के समुद्री तटों के साथ-साथ जहां कहीं भी कन्याकुमारी जिले में ये सुरक्षात्मक दीवारें नहीं बनाई गई हैं, वहां पर इन्हें बनाने के लिए निधियों की स्वीकृति के लिए उपयुक्त कार्यवाही करे।

(सोलह) उड़ीसा के कंधमाल जिले में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री रुद्रमाधव राय (कंधमाल): उड़ीसा में स्थित कंधमाल जिला उड़ीसा के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। वर्ष 2008 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक खाद्य सुरक्षा का संबंध है, इस जिले को उड़ीसा में सबसे नीचे के पायदान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 57 प्रति हजार की तुलना में इस जिले की शिशु मृत्यु दर 119 है। इस जिले को गरीबी के सभी मानदण्डों के अनुसार सबसे निचले पायदान पर माना जाता है। कुल आबादी में से 53 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और कुल भूमि का 65 प्रतिशत वनों से आच्छादित है और इसलिए कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। जहां तक इसकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा और संयोजकता का संबंध है, यह जिला उड़ीसा के के.बी.के. जिलों की तुलना में सबसे निचले पायदान पर है।

इस खाद्य असुरक्षा और असंतुलों पर काबू पाने और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए केन्द्र सरकार अपनी पूरी क्षमता से काम करे। इस जिले के कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 2500 है जिसमें से केवल 1350 ग्रामों में ही आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। और 250 ग्रामों में लघु आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए

हैं। चूंकि यह जिला अधिकांशतः वनों से ढका हुआ है और गांव नदियों तथा प्राकृतिक अवरोधों की वजह से एक दूसरे से अलग-थलग हैं, इसलिए यहां पर जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक अभी भी एकीकृत बाल विकास योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह 900 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान करे ताकि जिले के जनजातीय और दबे कुचले लोगों को लाभ पहुंच सके।

अपराहन 12.52 बजे

मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मद सं. 9, जो मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 है, को लेगी।

माननीय सदस्यों, मेट्रो रेल (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए लिया जा रहा है। चूंकि कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक आयोजित करने के लिए समय नहीं बचा है, इसलिए यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घण्टा आवंटित किया जा सकता है। मुझे आशा है कि सभा सहमत हो जाएगी।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय मन्त्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, आज की कार्यावली में प्राइस राइज पर चर्चा लिस्टेड है और बहुत दिनों से यह चर्चा चली आ रही है, किसी न किसी कारण से, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहती, वह टलती रही है। पूरा देश देख रहा है कि महंगाई पर लोक सभा में चर्चा नहीं हो पा रही है। हर बार सरकार इसके ऊपर कोई न कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस या कुछ और लगा देती है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री और जल संसाधन मन्त्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, इस बात पर मुझे आपत्ति है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

[हिन्दी]

यह कहना ठीक नहीं है कि उसके ऊपर कुछ और लगा देते हैं। दो बार इसके लिए समय तय हुआ था, पूरे सदन को मालूम है, बाहर लोगों को मालूम है कि किस कारण से वह नहीं लगा। दो बार आपने समय तय किया। सभी माननीय सदस्य मुझसे मुत्तफिक होंगे कि सरकार का जो लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, उसे प्राथमिकता देनी होती है। इसके ऊपर और कोई विषय नहीं लगा। अब जैसा इन्होंने कहा, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता कि क्यों नहीं लगा, लेकिन सभी जानते हैं कि वह क्यों नहीं हो पाया। पहलें दिन हमने उसके लिए माना था, शुरुआत में जब उसकी बात हुई थी, कीमतों की बढ़ोत्तरी की, तो हमने कहा था कि हम उस पर डिस्कशन करने को तैयार हैं। आज भी हम इन दो बिल्स के बाद उस पर डिस्कशन करने के लिए, बेशक थोड़ा मुश्किल है मंत्री साहब के लिए क्योंकि उनको राज्य सभा में पहुंचना है, अगर आप तैयार हैं तो यहां बहस चलती रहेगी। आप इसके लिए इजाजत दें, बाद में जैसा समय ठीक बैठेगा, आज या कल वह इसका जवाब दे देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप इन बिल्स को पारित कराने के तुरंत बाद प्राइस राइज की चर्चा शुरू करवा दीजिए, यही हमारा कहना है।...(व्यवधान) मैं चाहूंगी कि सरकार इसको मान ले।

श्री पवन कुमार बंसल: आपका यह कहना गलत है कि हम इसे नहीं चाहते हैं और हम इसके ऊपर दूसरे विषय लगा देते हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सरकार इसको मान ले। उस दिन अगर आप बुंदेलखण्ड का जवाब दे देते, तो चर्चा हो जाती।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आप जानती हैं कि क्या बात हुई थी, फिर भी एक तरीका बन गया था कि हाउस को चलाना नहीं है।...(व्यवधान) हमें उस दिन भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी।...(व्यवधान) आपकी वह बात वेबुनियाद थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग आपस में बात मत कीजिए। कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग शान्त रहिए। सदन का समय बहुमूल्य है। दो दिन बचे हैं। अभी हमें दो बिल्स पारित करने हैं, उसके बाद प्राइस राइज को लेकर सभी चिन्तित हैं, उस पर चर्चा करनी है। इसलिए कृपया आप सदन को सुचारु रूप से, शांतिपूर्वक चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 तथा दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं एक बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा। वर्तमान में मेट्रो रेल के विकास, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को शासित करने वाले तीन अधिनियम हैं, अर्थात:

(एक) अधिसूचना के माध्यम से मुम्बई और चैन्ने महानगरों तक के विस्तार के उपबन्धों सहित कोलकाता और दिल्ली महानगरों में मेट्रो रेल के निर्माण को शासित करने हेतु मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978।

(दो) कोलकाता महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण को शासित करने हेतु कलकत्ता मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अधिनियम, 1985।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण को शासित करने वाला दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002।

केन्द्र सरकार की दिल्ली मेट्रो का विस्तार नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के नियन्त्रणाधीन क्षेत्र और हरियाणा राज्य में गुडगांव तक किए जाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. ने पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अक्टूबर, 2010 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के मद्देनजर इन मेट्रो विस्तार

कार्यों को उस अवधि से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। वास्तव में, नोएडा तक मेट्रो सेवा 30-8-2009 तक शुरू हो जाने का कार्यक्रम है।

बंगलौर और चैन्नै के लिए भी मेट्रो रेल प्रणाली का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा कर दिया गया है और इन स्थानों पर भी निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। अन्य शहरों जहां इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने का विचार और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है, इन में चण्डीगढ़, हैदराबाद, कोच्ची और मुम्बई शामिल हैं। वर्तमान में ऐसे कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं हैं जो मेट्रो रेलवे के विकास, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए विधिक संरक्षण प्रदान कर सकें।

इसलिये मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 तथा दिल्ली मेट्रो रेलवे (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में समुचित संशोधन करना आवश्यक हो गया है ताकि इन दोनों अधिनियमों के उपबंधों को मेट्रो रेलवे के विकास, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महानगरों तथा अन्य महानगर क्षेत्रों में मेट्रो रेलवे हेतु लागू किया जा सके। दिल्ली मेट्रो (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंध कोलकाता के महानगर शहर में लागू किये जा रहे हैं क्योंकि कोलकाता मेट्रो रेलवे का प्रचालन तथा अनुरक्षण वर्तमान में कोलकाता मेट्रो रेलवे (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है।

इस विधेयक से उपर्युक्त उद्देश्य पूरे होंगे।

अध्यक्ष महोदया: इससे पहले कि मैं किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिये बुलाऊं हमारे पास इस विशिष्ट विधेयक हेतु बहुत ही कम समय है। अतः, मैं यह अनुरोध करती हूँ कि यदि सभा सहमत होती है तो हम 'भोजन-अवकाश' को स्थगित कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदया।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, क्या मैं एक अतिरिक्त अनुरोध कर सकता हूँ? चूंकि यह विधेयक बहुत ही तत्कालिक है तथा इस विधेयक का उद्देश्य देश में मेट्रो परिवहन क्रांति का सूत्रपात करना है इसलिये यह पूरी तरह से गैर-विवादस्पद मुद्दा है। मैं यह सुझाव देता हूँ कि हम बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को पारित कर सकते हैं क्योंकि यह विधेयक पहले भी लोक सभा में पारित हुआ था।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मध्यक्ष महोदया, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसे पास करवा दें।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस बिल पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है इसलिए इसे पास कर दिया जाए। हम लोग जल्द से जल्द महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

अपराहन 1.00 बजे

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मैडम, इस पर बहस कराने की जरूरत नहीं है, आप इसे पास कराइये। आप महंगाई पर बहस कराइये।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आपको एक मिनट बोलने के लिए दे देंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार से यदि सभा सहमत होती है तो हम बिना किसी चर्चा के इस विधेयक को पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): यह तरीका सही नहीं है। अगर उनकी कोई बात सुनी जाएगी, तो हमारी बात भी सुनी जाएगी।... (व्यवधान) गांधी जी का सपना आज साकार हो रहा है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: सभा तो यह चाहती है कि हम इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित कर दें।

प्रश्न यह है:

"कि मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 तथा दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपको भी बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप सभी को हम थर्ड-रीडिंग से पहले बोलने का मौका देंगे। आप बैठ जाइये। ऑनरेबल मैम्बर्स, आपको थर्ड-रीडिंग से पहले बुला लेंगे, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: मेरा इससे विरोध नहीं है लेकिन जब मैं रेल मंत्री था उस समय भी हमने इस सवाल को उठाया था कि यह रेल का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। यह जो मेट्रो-रेल है, इसमें इंजीनियर से लेकर टेक्नीकल-एक्सपर्ट तक रेलवे का है, स्टेट का नहीं है। इसका जाल सब जगह फैले, हमें इससे मतलब नहीं है, हम इसका सपोर्ट करते हैं लेकिन जो मेट्रो रेल है इसे

भारतीय रेल के समानांतर चारों तरफ खड़ा किया जा रहा है, इस पर आप विचार करिये। हमारी राय है कि जब इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हमारे हैं लेकिन भारतीय रेल को कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, उससे भारतीय रेल को कुछ मिल भी नहीं रहा है, इसलिए दो पैरलल संगठन इस देश में चलाये जाएंगे, यह मेरी समझ से उचित नहीं है। मेट्रो का काम भारतीय रेल के तहत रहना चाहिए। दो जगह कोलकाता और मुंबई में यह काम इंडियन रेलवे के प्रव्यू में आता है। लेकिन यह हर शहर में बन रही है और जो वहां हालात हो रहे हैं वे आपने देखे होंगे। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि यह सब्जेक्ट ऐसा है और आपको स्मरण होगा कि मैंने उस समय भी कहा था कि ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जाए, आपने स्टैंडर्ड गेज किया। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश भी थी और हम आपका ध्यान आकृष्ट हम कर रहे हैं कि इसे इंडियन रेलवे के हाथों में ही रहना चाहिए। यह स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश भी है, चिंता भी है। हर शहर में इसे देखा जा रहा है और सामान बाहर के देशों से आ रहा है, देश का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर से इसके डिब्बे और इंजन आ रहे हैं। मेरी समझ से ठीक है यह फैसिलिटी मिले, इसका हम विरोध नहीं करते हैं।

हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह रेलवे का विषय है। यह रेलवे के हाथ में होना चाहिए, न कि हर शहर की हर सरकार के हाथ में दिया जाए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: महोदया, राजीव गांधी जी मेट्रो को सबसे पहले दिल्ली में लाना चाहते थे। मेट्रो बहुत विस्तार रूप में दिल्ली में आई है। हमें बहुत खुशी है कि मेट्रो ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है और इसकी खुशबू दूसरे राज्यों में भी फैली है तथा दिल्ली से बाहर भी इसका विस्तार होने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे मेट्रो को दूसरे राज्यों में भी ले जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से जो नक्शा बनाया है, उसमें कुछ तब्दीली आपको करनी चाहिए। इस बारे में एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी अभी तक नहीं है, वह बनाई जानी चाहिए, ताकि पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्स की बात उसमें रखी जा सके। जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, वह दिल्ली के कुछ हिस्सों में हो रहा है। तीन चौथाई दिल्ली में सिर्फ तीन लाइनें डाली गई हैं, जबकि 70 प्रतिशत जनसंख्या दिल्ली के उन एरियाज में है, जहां मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ है। आप मेट्रो को गुडगांव ले जाएं, फरीदाबाद ले

जाएं, नोएडा ले जाएं, लेकिन दिल्ली के गरीब इलाके जैसे नार्थ ईस्ट का इलाका है, वहां ले जाएं।

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: महोदया, आपने लालू जी को ज्यादा बोलने का मौका दिया है, आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: आप कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: मेट्रो केवल पैसा कमाने की संस्था नहीं है, जिस समय मेट्रो शुरू की थी, उस समय आपने कहा था कि मेट्रो स्टेशन के साथ पार्किंग भी देंगे, लेकिन अब एक नई तब्दीली हो गई है कि पार्किंग की जो जगह दी जानी थी, उसका मेट्रो द्वारा कमर्शियलाइजेशन किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। इससे मेट्रो की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। मेट्रो से पैसा कमाना हमारा काम नहीं है, लोगों को सहूलियत देना हमारा काम है। आप किसी बिल्डर के कहने से, जिसका मेट्रो में एक नया पैसा भी नहीं लगा, आज लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि आप क्यों कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। आप वहां पार्किंग बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आप नए स्टेशंस बनाएं, स्टेशंस का विस्तार करें। मैं आशा करता हूं कि जब मंत्री जी उत्तर देंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे।

मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि मेट्रो का वापिस आने का जो समय है, वह बहुत कम है। इस वजह से पीक आवर्स में यात्रियों को मेट्रो के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। आप केंद्रीय सचिवालय या राजीव गांधी चौक से चारों तरफ जो लाइनें जाती हैं, उन लाइंस की स्टडी करवाएं, जिससे कि यात्रियों को जो तकलीफ हो रही है, वह दूर हो सके। मेट्रो दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो का विस्तार करने में बहुत मदद की है, केंद्रीय सरकार ने बहुत मदद की है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेट्रो का विस्तार गरीब इलाकों में भी करें।

श्री राकेश सिंह: महोदया, पूरे सदन की भांति मैं इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सत्य है कि आज मेट्रो हमारे देश की बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे आज मात्र आवागमन का साधन ही नहीं है, बल्कि देश के विकास की जो प्रक्रिया है, उसे गति प्रदान करने वाले उपक्रम भी है। आज हम 21वीं

सदी में हैं, लेकिन हम देश के विकास को कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित करके ही नहीं देख सकते हैं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या जिस तरह का दबाव देश पर पैदा कर रही है, आने वाले समय में पूरे देश के भीतर आवागमन को लेकर बहुत विचित्र स्थितियां पैदा होने वाली हैं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जब हम मेट्रो रेल की बात करें, तो इसे मात्र कुछ शहरों तक सीमित न करें। मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि आबादी की दृष्टि से हमें जहां महसूस हो रहा है कि इस क्षेत्र में मेट्रो पहले शुरू की जानी चाहिए, इससे मेरी सहमति है, लेकिन आज हम उन शहरों को, उन प्रदेशों को कैसे छोड़ दें, जो आजादी के बाद से लगातार पिछड़े हुए हैं और उपेक्षित हैं। मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि वह एक ऐसा प्रदेश है जो आजादी के बाद से विकास की दृष्टि से पीछे है, लगातार उसकी उपेक्षा हुई है। उस प्रदेश में भी मेट्रो की अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए। आज आप और भी शहरों के लिए मेट्रो रेल की अवधारणा को विकसित करने के लिए विचार कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि विशेष रूप से जिस लोक सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, आज वह भी 15 लाख से ऊपर की आबादी का शहर जबलपुर है। उसके साथ भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इंदौर है, ग्वालियर है। ये वो शहर हैं जहां पर मेट्रो रेल की अवधारणा को विकसित करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मेरा आपसे यह भी कहना है कि जो नजदीकी दो शहर हैं, उनमें भी आवागमन की दृष्टि से इस बात पर विचार होना चाहिए कि उनमें भी मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले कल में देश की जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए आप उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए मेट्रो रेल के प्रारम्भ करने पर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, कोलकाता मेट्रो रेलवे एकमात्र मेट्रो रेलवे है जिसका प्रचालन भारतीय रेलवे द्वारा होता है।

श्री लालू प्रसाद: मुम्बई मेट्रो भी।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: मुम्बई मेट्रो भी तो है... (व्यवधान)। जापान के सहयोग से 5400 करोड़ रुपये के निवेश से कोलकाता शहर में पूर्व-पश्चिम मेट्रो का प्रस्ताव किया

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

गया है। मैं यह उल्लेख करूंगा कि रास्ते तथा क्षेत्रों जिनका मेट्रो रेलवे हेतु चयन किया गया है वहां पर हजारों घरों को ढहाया जायेगा; हजारों लोगों को इस क्षेत्र से निकाला जायेगा और कोलकाता शहर वास्तव में पंगु हो जायेगा।

मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि जब भारतीय रेलवे के पास अच्छी अवसंरचना है - तो यह बहुत बड़ा मामला है तथा उसके पास सभी कुछ है - तथा अच्छा यह रहेगा कि कोलकाता शहर में मेट्रो रेलवे को भारतीय रेलवे को सौंपे जाने की अनुमति दी जाये जिसे कि वह इसे अच्छे तरीके से और आसानी से कार्यान्वित कर सके। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि शहरी विकास मंत्रालय कोलकाता शहर में इस रेलवे के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के साथ सरकार में इस तरह से कार्य क्यों करेगा जिससे कोलकाता शहर के लोगों को नुकसान हो। अतः, यह वह क्षेत्र है जो कोलकाता शहर में मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ के अधिकार-क्षेत्र के तहत पूरी तरह से है। संसद सदस्य के रूप में भी मेरे साथ इस संबंध में कभी भी चर्चा नहीं की गई है तथा मुझे कभी भी नहीं बुलाया गया है कि किस प्रकार से इस परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा। अतः, मैं राज्य के लोगों के हित के लिये तथा कोलकाता के लोगों के हित के लिये आपके समक्ष विनम्र रूप से यह कहता हूँ कि इस मेट्रो रेलवे परियोजना को कार्यान्वित किया जाये परन्तु इसे केवल भारतीय रेलवे के माध्यम से ही कार्यान्वित किया जाये।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, जब सब यह जानते हैं कि रेलवे विभाग हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा काम करता है तो मेट्रो का काम दूसरी एजेंसी को देने की जरूरत क्या पड़ी थी? जब हमारे पास ही सब कुछ उपलब्ध है तो विदेशों से मंगाने की आवश्यकता क्या है? इसके पीछे क्या कारण है, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। रेल मंत्री जी बहुत समझदार हैं, जानती हैं। लेकिन कलपुर्जे बाहर से मंगाने की जरूरत क्या है? जब सब कुछ हमारे देश में उपलब्ध है, पता नहीं विदेशी चीजों से लोग क्यों ज्यादा प्रभावित होते हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सच है कि यहां सब कुछ है।... (व्यवधान) हमारे इंजीनियर्स सबसे योग्य एवं सक्षम हैं, सब कुछ हैं लेकिन इसके बाद मैं आपको राय दे

रहा हूँ कि आप अपने देश के लोगों से ही काम कराइए और रेलवे की जो हमारी एजेंसी है, वहां के इंजीनियर्स हैं, वहां काम करने वाले लोग सबसे अच्छे माने जाते हैं और वे लोग ही काम कर रहे हैं, फिर बाहर पैसा क्यों दे रहे हैं? बाहर के लोगों को कमीशन देने का क्या फायदा है? हमारे रेलवे विभाग में ही जब योग्य से योग्य काम करने वाले लोग हैं, और यह मैं वास्तव में कह रहा हूँ कि रेल विभाग का देश में सबसे अच्छा काम है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस मुद्दे पर बहस की काफी गुंजाइश थी लेकिन महंगाई का सवाल कठिन है इसलिए इसे तत्काल लेना जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में हम लोगों ने लोक सभा के जरिए स्टैंडिंग कमेटी की एक व्यवस्था चालू की थी। मेरा आपसे कहना है कि आपके साथ जुड़ा मामला है कि सदन में हर चीज पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती इसलिए मिनी पार्लियामेंट बनाई गई और भीतर बहस करने का एक रास्ता खोला गया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी की जितनी सिफारिशें हैं, उनको लागू नहीं किया जाता है। माननीय मुलायम सिंह ठीक कह रहे थे कि कोलकाता में ब्रॉड गेज बनाया। दिल्ली में चार तरह के गेज बनाए - मीटर गेज, ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज बनाये और दिल्ली में चौथा गेज बना दिया जो न मीटर गेज है, न मेट्रो गेज है और न ब्रॉड गेज है। इस बारे में बहुत डिबेट स्टैंडिंग कमेटी में हुई है लेकिन आज इस पर बहस नहीं हो सकती। यदि आप इस बारे में बहस करा देतीं तो भी सब चीजें आगे चलतीं क्योंकि पार्टियों की संख्या ज्यादा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सदन में उधर बैठने वाले लोगों ने एक नया, बढ़िया और बेहतर तरीका निकाला था और उसमें बहुत विस्तार से बहस होती थी। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की जितनी रिकमेडेशन हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनको सरकार कूड़ेदान में फेंक देती है, लागू नहीं करती है। यह असली सवाल है क्योंकि इसमें ही ज्यादा बहुत शिद्दत से लोगों को भत्ता मिलता है, अफसर बैठते हैं, लोग बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं और सब तरह से तैयारी होती है। मैं आपके माध्यम से पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा काम है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को सरकार देखती भी नहीं है बल्कि अपने मन से रीति बनाकर आगे बढ़ती है।

महोदया, यह मेट्रो रेल का बिल आया है। रेल विभाग के पास हर तरह की ताकत है, सुविधा है। हमें

अपनी ताकत का विस्तार करना चाहिए था जबकि हमने विदेशों से सामान मंगाने के लिए रास्ता बना दिया। मैं नहीं कहता कि आपकी नीयत खराब है। लेकिन यह चला हुआ चलन है और आपने रास्ता बनाया है कि चाहे इंजन हो या डिब्बे हों, सब चीज बाहर से आ रही है। आपके पास पूरी तरह से शक्ति थी, कम्पिटेंस था। आपके पास रेल जैसा सक्षम विभाग था लेकिन आपने देश भर में ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ और मेरी विनती है कि इसका छोटे शहर में भी विस्तार होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो गलती हो गई है वह गलती बाकी जगह न हो। इसका विस्तार रेल के ब्रॉड गेज पैरामीटर में हो, कोलकाता में यही है, आप बाकी जगह भी करेंगे तो रास्ता ठीक बनेगा। यह देश के लिए भी ठीक रहेगा। इसे अलग रास्ते और संस्थाओं से चलाने का काम ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी की ताकत, शक्ति और बहस बेकार जा रही है इसलिए बहस रिवाइव करनी चाहिए, जीवंत करनी चाहिए जिससे पार्लियामेंट जीवित हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदया, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ क्योंकि सभा इस विधेयक पर चर्चा नहीं करने के लिये सहमत हो गई है।

महोदया, मैं इस देश के आम आदमी अथवा यू कहिये कि जनसाधारण के रूप में आपके ध्यान में दो बातें लाना चाहता हूँ। मैंने दिल्ली मेट्रो से यात्रा की है। मेरे विचार से अधिकांश माननीय सदस्यों ने दिल्ली मेट्रो से ज्यादा यात्रा नहीं की है; तथा मुझे संदेह है कि उद्घाटन अथवा विशेष उत्सवों के अलावा माननीय मंत्री ने कभी भी मेट्रो से यात्रा की है।

महोदया, मैंने दो बातें नोट की है जिन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि दिल्ली मेट्रो में आतंकवादी घटना हो सकती है। मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं अधिकांश राजनीतिज्ञों की तरह भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं उन सब बातों में असक्षम हूँ। परन्तु, महोदया, यदि आप मेट्रो स्टेशन जाते हैं तथा आप कोच में चढ़ते हैं तो आप अपने आप यह महसूस करेंगे कि किसी भी समय कुछ गलत हो सकता है; तथा पूरी तरह से कोई देखभाल नहीं की जा रही है। यह हमारी विचित्र भारतीय मानसिकता है जब कुछ हो जाता है तब हम ग्रीन अलर्ट,

रेड अलर्ट तथा ब्ल्यू अलर्ट घोषित कर देते हैं। उसके बाद तीन-चार दिन में सब कुछ सामान्य हो जाता है। बस यही होता है। इसके पश्चात्, तीन-चार दिन के भीतर सब कुछ सामान्य हो गया। यह एक बात है।

दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह कि हर किसी ने दिल्ली में जमरूदपुर दुर्घटना के बारे में सुना होगा। उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों को आज भी पानी नहीं मिल रहा है। परन्तु दिलचस्प बात यह है कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मुख्य इंजीनियर है जो भारतीय रेल से डी.एम.आर.सी. में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा था। जैसे ही यह दुर्घटना घटी इस व्यक्ति ने चतुराई दिखाते हुए डी.एम.आर.सी. प्रमुख को एक पत्र भेजा और कहा "यह त्रुटि मेरी वजह से हुई है। इसलिए मुझे मेरे मूल संवर्ग में वापस भेज दिया जाए" क्या यह दंड है? यदि कोई ऐसा करता है तो क्या सरकार उत्तरदायी नहीं है? यदि कोई दुर्घटना होती है, यदि लोग मारे जाते हैं, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए अथवा नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में सरकार और व्यवस्था सीधे और खुले तौर पर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके लिए मानव जीवन के कोई मायने नहीं हैं। दो-तीन आदमी मरें अथवा 60 आदमी मरें, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक एक बिलियन अर्थात् 100 मिलियन लोगों का विशाल देश है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: जी मैडम। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मंत्रालय द्वारा इन दो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर): अध्यक्ष महोदया, मुझे खेद है, कुछ मेरे मित्रों और नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस परियोजना को अनिवार्य रूप से केवल रेल मंत्रालय द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। मेरा भी यही मत था। साथ ही मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र चेन्नई में मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एस.आर.टी.एस.) की आधारशिला 1980 में रखी गई थी और यह तट से वेल्लाचेरी तक 2007 में पूरा की गई। इसमें 33 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 67 प्रतिशत राज्य सरकार की भागीदारी थी। इस परियोजना को वेल्लाचेरी तक पूरा होने में 27 वर्ष लगे।

महोदया, मेट्रो रेल की इस एम.आर.टी.एस. का

[श्री टी.आर. बालू]

रखरखाव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की भागीदारी के आधार पर किया जाता है।

परन्तु निधियों के अभाव में अनेक रेल योजनाएं जिनकी आधारशिला रख दी गई थी, कहीं नजर नहीं आती। ऐसी हजारों आधारशिलाएं रखी गई हैं। श्री बसुदेव आचार्य रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे। उन्होंने अनेक बार इसका उल्लेख किया है।

इसलिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री को उन सभी योजनाओं को पूरा करने के लिए कहा जाना चाहिए जिनकी आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है। केन्द्र-राज्य साझेदारी (सी.एस.एस.) की नई योजना चेन्नई परियोजना को पहले चरण में अम्बानुर तक विस्तार कर पूरा किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इन परियोजनाओं पर गौर करें जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें राज्य और केन्द्र सरकार की साझेदारी से पूरा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, यद्यपि विश्व भर में शहरी परिवहन व्यवस्था शहरी विकास मंत्रालय के अधीन है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैडम, हमारे देश को छोड़कर विश्व भर में जो शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वह शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। लेकिन हमारे देश में खासकर कोलकाता मेट्रो के लिए पिछले दिनों यह प्रयास हुआ था कि इसे भारतीय रेलवे से अलग करके शहरी विकास मंत्रालय के नियंत्रण में लाया जाए। परन्तु यह उस समय नहीं हो सका। हम लोगों ने भी इसका विरोध किया था कि कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल का भाग है। इसीलिए उसका अलग सिस्टम है। स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर गंभीरता से विचार हुआ और हमने उस समय कुछ सिफारिशें दी थीं। उसमें सिफारिश शहरी विकास मंत्रालय की तरफ नहीं, बल्कि रेलवे मंत्रालय की तरफ सिफारिश थी और लालू जी उस समय रेल मंत्री थे। पता नहीं, उन्होंने उस सिफारिश पर क्या किया? पहली सिफारिश सेफ्टी के बारे में थी। जो दुर्घटनाएँ घट रही हैं, उसकी जांच के लिये सेफ्टी कमिशनर होता है जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण में न होकर यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कंट्रोल में है। जहां तक दिल्ली मेट्रो रेल का सवाल है, उसकी

सेफ्टी के बारे में ऐसा कोई तंत्र नहीं है, यह होना चाहिये। दूसरी सिफारिश गेज के बारे में थी। कोलकाता मेट्रो रेल ब्रॉड गेज पर है। हमारे देश में रेलवे के जितने प्रोजेक्शन यूनिट्स हैं, चाहे वह आई.सी.एफ. हो, आर.सी.एफ. हो, सी.एल.डब्ल्यू. हो या डी.एल.डब्ल्यू. हो, वहां से रोलिंग स्टॉक मिलता है। इसलिये ब्रॉड गेज वाले रोलिंग स्टॉक को बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। इन यूनिट्स के शुरू होने से पहले बाहर से मंगाया गया था लेकिन उसके बाद नहीं। जहां तक दिल्ली मेट्रो रेल का सवाल है, इसका रोलिंग स्टॉक बाहर से आयात करना पड़ रहा है। इस संबंध में हमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इस प्रकार हमें बाहर के सामान पर निर्भर रहना पड़ेगा। मेरा कहना है कि मेट्रो रेल ब्रॉड गेज पर होना चाहिये। जब लालू जी के समय में इस संबंध में डिबेट हुआ था, उन्हें मालूम है या जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय, भी यूनिलेटरली सिद्धान्त लिया गया था कि दिल्ली मेट्रो रेल स्टैंडर्ड गेज पर होगा। यह हो गया है लेकिन दूसरे शहरों में ब्रॉड गेज पर होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदया, कोलकाता मेट्रो रेल का प्लान 1970 में बना था, 1972 में फाउंडेशन रखा गया जिसका 1978 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1985 में 10 किलोमीटर मार्ग चालू हुआ। इस काम में कितने साल लग गये? उस समय जो प्लान बना था, यह टॉलीगंज-दमदम नहीं, रामराजा तालाब-साल्ट लेक भी था लेकिन रेल मंत्रालय ने उस समय नहीं किया। टॉलीगंज-दमदम 15 किलोमीटर का काम किया गया। बाद में नीतीश कुमार जी ने गुड़िया तक एक्सटेंशन करने का सिद्धान्त लिया। लालू जी ने इंटरिम बजट में घोषणा की कि राज्य सरकार...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

[अनुवाद]

आप सिर्फ मुद्दे का ही उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं जानता हूं मैं सभा में था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया मुझे बोलने दें...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: नीतीश कुमार जी का सिद्धान्त था कि राज्य सरकार का 33 फीसदी का शेयर है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, कृपया समाप्त कीजिए। कृपया बैठ जाइये। आप पहले ही इतना समय ले चुके हैं।

अब, श्री दीपेन्द्र हुड्डा

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री दीपेन्द्र हुड्डा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त करिये। बसुदेव जी आपकी बात हो गई।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): महोदया, यह क्या है? वे इस प्रकार सभा की कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव): महोदया, कृपया हमें बोलने की अनुमति दें। जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सही नहीं है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: हम आपको नहीं बोलने देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: श्री हुड्डा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया: यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसे पारित होने दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इस विधेयक को पारित होने दीजिए। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांति रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, यह मेरा अंतिम बिंदु है...(व्यवधान) महोदया, यह क्या है? मैं पिछले 29 वर्षों से सांसद हूँ। मैंने सभा के सदस्यों का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा...(व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इन सदस्यों को नियंत्रित करना चाहिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: जब भी मैं खड़ा होता हूँ वे उसी तरह से व्यवधान डालते हैं। ऐसा हर बार होता है ... (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे बोलने का अधिकार है अथवा नहीं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बसुदेव आचार्य जी कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए और बैठ जाइये। मैंने हुड्डा जी का नाम पुकारा है। आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न है, उन्होंने कोलकाता के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का उल्लेख नहीं किया है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। इसमें बड़े पैमाने की कोई क्षति नहीं होगी। अधिकांश हिस्सा जमीन से ऊपर की संरचना पर होगा। इसमें शहरी विकास मंत्रालय की क्या भूमिका होगी? उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसका उल्लेख नहीं किया है। उन्हें कोलकाता के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के बारे में भी बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुरस्थापित किए जाने का स्वागत करता हूँ तथा ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक पुरस्थापित करने के लिए मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। गुडगांव तक मेट्रो के विस्तार को शामिल करने तथा चंडीगढ़ शहर में मेट्रो पर विचार करने के लिए मैं विशेष रूप से

माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। मेरे विचार से ये दोनों मेरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

महोदया, इसके साथ-साथ मैं मेट्रो की एक्सटेंशन को लेकर चार सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा पहला सुझाव है कि फरीदाबाद तक मेट्रो का सर्वे हो चुका है और तकरीबन यह योजना सिरे चढ़ने वाली है। फरीदाबाद तक मेट्रो के एक्सटेंशन की जो बात है, उसे जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाना चाहिए। दूसरी बात, रोहतक, झज्जर में पड़ने वाला बहादुरगढ़ शहर एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। ज़िंद, सोनीपत, भिवानी, रोहतक और पूरा हरियाणा, बहादुरगढ़ होकर दिल्ली के अंदर आता है। बहादुरगढ़ तक जो मेट्रो के एक्सटेंशन की बात चली है, उसको जल्दी सिरे चढ़ाना चाहिए।

तीसरा सुझाव मैं देना चाहता हूँ। हमारे बाहरी दिल्ली के सांसद महाबल मिश्रा जी भी यहां बैठे हैं। नजफगढ़ का इलाका बाहरी दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। वहां तक मेट्रो पहुंचनी चाहिए। इसके साथ-साथ आगे ढांसा बॉर्डर होते हुए बादली तक मेट्रो के एक्सटेंशन की बात होनी चाहिए। चौथा सुझाव है कि कुण्डली तक भी मेट्रो आनी चाहिए क्योंकि पंजाब से जितना ट्रैफिक दिल्ली में आता है, वह सोनीपत, पानीपत और कुण्डली बॉर्डर होते हुए दिल्ली में जाता है। इसलिए कुण्डली बॉर्डर तक भी मेट्रो होनी चाहिए।

[अनुवाद]

मेरे दो अन्य सुझाव हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में दिल्ली सरकार स्टेकहोल्डर और शेयरधारक है। अब मेट्रो का अन्य राज्यों - उत्तर प्रदेश में नोएडा तथा हरियाणा में गुडगांव और अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया जा रहा है। मेरे विचार से इन राज्य सरकारों को भी स्टेकहोल्डर और शेयरधारक माना जाए। इनका कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि गुडगांव, नोएडा या अन्य किसी स्थान तक मेट्रो के विस्तार हेतु अधिकांश व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए, इस सुझाव पर भी विचार किया जाए। दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार में केंद्र के अनुदान-अंश को बढ़ाया जाए ताकि इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके।

अंत में, मेरा अंतिम सुझाव है कि जहां कहीं भी

मेट्रो के अंतिम स्टेशन हैं वह रेलवे स्टेशनों के साथ भली-भांति जुड़े होने चाहिए क्योंकि काफी ट्रैफिक रेलवे के माध्यम से आता है। ई.एम.यू. प्रणाली न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बल्कि दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों के बीच बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। इसलिए, जहां कहीं भी दिल्ली के बाहरी इलाकों में मेट्रो का अंतिम स्टेशन है, ये अंतिम मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशनों के साथ बाधारहित ढंग से जुड़े होने चाहिए ताकि हम इस यातायात को आगे ले जा सकें।

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। समर्थन करते हुए मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूँ। राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए जिस तरह से शीला दीक्षित जी की सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से काम कर रही है, यह बहुत अच्छा और ऐतिहासिक काम हुआ है। दीपेन्द्र हुड्डा जी के तीन-चार सुझावों को मिलाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरा दिल्ली देहात मेट्रो से वंचित है। चाहे वह दिल्ली देहात गुडगांव से लगा हुआ हो, चाहे वह दिल्ली देहात बहादुरगढ़ से लगा हुआ हो, चाहे कुंडली से लगा हो, चाहे फरीदाबाद से लगा हुआ हो, दिल्ली देहात पूर्ण रूप से मेट्रो की सुविधा से वंचित है। आज दिल्ली देहात के लोग मेट्रो फैसिलिटी चाहते हैं। मैं तीन-चार सुझाव देना चाहता हूँ। मैं इन सुझावों के लिए मंत्री जी श्री जयपाल रेड्डी जी से आग्रह करूंगा कि मास्टर प्लान 2021 में इसका प्रावधान भी है। आज जिस तरह से हमारे यहां 28 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, दस साल के अंदर इसकी संख्या 65 लाख हो जाएगी। आज दिल्ली पर दबाव है। आज लोग अपनी गाड़ी से न आकर मेट्रो से चलते हैं। अभी सांसद साहब बोले कि हम मेट्रो से चलना पसंद करते हैं और इसके लिए वे जयपाल रेड्डी साहब को धन्यवाद देते हैं। लेकिन देहातों को जोड़ने के लिए नांगलोई से लेकर नजफगढ़ होते हुए कापसहेड़ा जयपुर रोड तक और ककरौला मौड़ से ढांसा बॉर्डर तक दिल्ली में गांव देहात के लोग इससे वंचित हैं। आज बहादुरगढ़ एक कॉमर्शियल सिटी बन गया है। गुडगांव भी कॉमर्शियल सिटी बन गया है। मैं स्वागत करता हूँ जो आप इसे नोएडा और गुडगांव तक ले जा रहे हैं। एन.सी.आर. 30 किलोमीटर तक का रीजन बनता है। हम तो कहते हैं कि मेट्रो को 30

किलोमीटर तक आप ले जाएं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन दिल्ली देहात जो आज अपूर्ण है, दिल्ली देहात को पूरा करके आप आगे बढ़ें। कॉमनवैलथ गेम्स को देखते हुए भी यह बहुत बड़ी सुविधा होगी। यदि आप दिल्ली देहात में मेट्रो का काम पूरा करने के बाद पूरे एन.सी.आर. में ले जाएं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): आदरणीय मैडम स्पीकर, मैं आपका और मेरे पक्ष भाजपा का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे "दि मेट्रो रेलवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2009" पर बोलने के लिए समय दिया गया है।

अपना भारत देश, आज विकासशील देश है और हमारा उद्देश्य है कि हम जल्द से जल्द विकसित देश का दर्जा दिला सकें। उसके लिए हमें कई क्षेत्रों में बहुत भारी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जहां तक शहरी विस्तार का सवाल है, खास करके देश के मेट्रो सिटी का सवाल है, हमें उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सुधार करना पड़ेगा। बड़े-बड़े शहरों में ट्रैफिक एक बड़ा मसला है और जिस तरह से वाहनों की संख्या में बढ़ावा हो रहा है और ट्रैफिक की समस्याएँ पैदा होती हैं इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा और मेरे ख्याल से मास ट्रांसपोर्टेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। हमें अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का मास ट्रांसपोर्टेशन जल्द कराना चाहिए।

मैं बघाई देना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो रेल इसका बेमिसाल उदाहरण है। आजकल दिल्ली मेट्रो का बड़े पैमाने पर विकास किया जा रहा है, वह अभिनंदनीय है।

केन्द्र सरकार ने दिल्ली के अलावा बंगलौर और चैन्नई में मेट्रो रेल का काम शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार ने दूसरे मेट्रो सिटी जैसे कि चंडीगढ़, हैदराबाद, कोजी और मुंबई में उसे चालू करने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ।

मगर, अहमदाबाद शहर जो मेरा मत विस्तार है, आजकल बहुत तेजी से विकास के पथ पर है। गुजरात सरकार की विकासशील नीतियों के कारण अहमदाबाद का विकास तेजी से हो रहा है। मुझे यह कहते आनंद होता है कि गुजरात सरकार के विकासशील नीतियों और वहां की स्थानीय प्रजा के सकारात्मक रवैये की वजह से बड़ी भारी संख्या में भारत के दूसरे प्रांतों के लोग वहां स्थायी हो रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अहमदाबाद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

की जनसंख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, शहर का विस्तार चारों दिशाओं में हो रहा है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि केन्द्र सरकार ने अहमदाबाद को मेट्रो सिटी घोषित भी किया है। अहमदाबाद के पास कुछ 24-30 कि.मी. की दूरी पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर का निर्माण किया गया है। वहां की भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और अहमदाबाद तथा गांधीनगर एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। यह दोनों ट्विन सिटी के लिए यातायात का मसला गंभीर है और वहां ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है।

मैं माननीय स्पीकर मैडम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और शहरी मंत्री को निवेदन करता हूँ कि अहमदाबाद-गांधीनगर ट्विन सिटी को मेट्रो रेल ट्रेन की सुविधा देना समय की मांग है। गुजरात सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है और उत्सुक भी है। मैं अहमदाबाद, गांधीनगर ट्विन सिटी में मेट्रो रेल उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[अनुवाद]

*डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): मेट्रो से संबंधित विधेयक पर काफी चर्चा हुई है। मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश में कोलकाता के बाद दिल्ली में मेट्रो का कार्य आरंभ किया गया, सरकार ने इस कार्य को उत्कृष्टता के साथ आरंभ किया जो काफी प्रशंसनीय है। देश में आवश्यकता है कि सभी राज्यों की राजधानियों सहित अधिकांश महत्वपूर्ण शहरों और मुंबई में तुरंत मेट्रो का कार्य शुरू किया जाए। विदेशों में वहां की सरकारों ने मेट्रो के कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है, धरती के नीचे तीन स्तरों पर मेट्रो सफलतापूर्वक चल रही है ताकि यातायात जाम से बचा जा सके। मानव जीवन की रक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो का कार्य उचित मार्गदर्शन और निरीक्षण में किया जाए क्योंकि दिल्ली में पहले ही दो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। गरीब मजदूर मर रहे हैं। उनका जीवन बचाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया जाए और उन गरीब लोगों को मुआवजा दिया जाए जिन्होंने अपना जीवन गंवाया है और साथ ही मैं आपसे सहायता मांगता हूँ कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में मेट्रो कार्य आरंभ करने के लिए अंगले बजट में अनुदान आबंटित करने के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाए। मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ कि यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा में मेट्रो कार्य तुरंत शुरू किया जाए। कटक और भुवनेश्वर दोनों बड़े शहर हैं और खुर्दा उड़ीसा की पूर्व राजधानी है जहां काफी ऐतिहासिक धरोहर है और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने ये सभी मेट्रो कार्य तुरंत आरंभ किए जाएं। महोदया, परियोजना कार्य आपके माध्यम से किए जाएं ताकि संबंधित विभागीय मंत्री पर आपके आदेश लागू हो सकें।

अध्यक्ष महोदया: अब, माननीय मंत्री।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदया, हमें दो मिनट दे दें, मुझे एक जरूरी बात कहनी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब ऑनरेबल मिनिस्टर को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदया, मैं भी बोलना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री, कृपया आरंभ करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, यह चर्चा बहुत छोटी होने वाली थी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्लीज, उनको ध्यान से सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री, कृपया आरंभ करें।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर देना शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, सर्वप्रथम,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर ही रिकॉर्ड में जाएगा।

(व्यवधान)...

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का ऐसा बिना शर्त और तहेदिल से समर्थन करने के लिए सदन में उपस्थित सभी दलों के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसका कारण यह है कि हम सभी मिलकर शहरी मेट्रो परिवहन क्रांति का सूत्रपात करना चाहते हैं...(व्यवधान) हम सभी इस बात को मानते हैं कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर बढ़ती निर्भरता की आवश्यकता भी बढ़ रही है। सार्वजनिक परिवहन के संबंध में भी किसी को भी इतना अच्छा, इतना आधुनिक, इतना तीव्र और अरामदायक नहीं माना जा सकता जितना कि मेट्रो रेल को। इसीलिए सदन में इस तरह की सर्वसम्मति देखने को मिली है।

दूसरी बात यह है कि मैं इस विधान का उल्लेख करना चाहता हूँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति और 10 लाख और उससे अधिक की आबादी तथा निधियाँ जुटाने की इच्छा हो तो भारत के सभी शहरों में मेट्रो रेल सुविधा के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। महानगरों का अर्थ होगा भारत के सभी नगर और न कि केवल वही शहर जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण में किया है।

श्री लालू प्रसाद दशकों से मेरे विशेष मित्र रहे हैं। उनके मन में मेरे प्रति बहुत स्नेह है और मैं भी उनसे उतना ही स्नेह रखता हूँ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अब लालू जी सरकार में पैदल दोस्त हैं।

(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदया: कृपया चेयर को एड्रेस कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, कृपया पीठ को...

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: लेकिन, महोदया, मैं श्री लालू प्रसाद यादव को बताना चाहता हूँ कि वे अपने मौलिक नारे की ओर वापिस चले गए हैं कि सारे मेट्रो परिवहन का संचालन रेल मन्त्रालय द्वारा किया जाए। मैं पूरी विनम्रता से उनको और सभी मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि हमें तो मेट्रो रेल चाहिए चाहे इसे रेल मन्त्रालय चलाए या शहरी विकास मन्त्रालय चलाए या फिर इसको राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया जाए। यह सिर्फ कहने के लिए बात है। लेकिन जहां तक इस मामले का संबंध है, इस पर कई वर्षों तक चर्चा की गई थी जब श्री लालू प्रसाद रेल मन्त्री थे - और मंत्रिमण्डल में एक निर्णय लिया गया कि मेट्रो रेल सुविधा को विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से चलाया जाए, और यह विशेष कार्यकलाप शहरी विकास मन्त्रालय को सौंपा जाए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी मेट्रो रेल के विस्तार की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा था कि हमें मेट्रो स्टेशनों के पास उपलब्ध भूमि का वाणिज्यिकरण नहीं करना चाहिए। मैं इस सामान्य कारण से उनसे सहमत नहीं हो सकता कि मेट्रो रेल परिवहन का सस्ता साधन नहीं है। यह अधिक पूंजी आवश्यकता वाली परियोजना है। सरकारों को न केवल भारी भरकम राजसहायता देनी पड़ती है अपितु प्रचालनों को गैर मेट्रो-राजस्व के स्रोतों के माध्यम से राजसहायता देने की आवश्यकता पड़ती है। तथापि, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वाणिज्यिकरण के कारण पार्किंग सुविधाओं और ऐसी ही अन्य सुविधाओं की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। चाहे हवाई अड्डा हो या मेट्रो, इतनी विशाल परियोजनाओं के लिए गैर-केन्द्रीय राजस्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं हूँ कि हम पुरानी अवधारणाओं से मुक्त हो जाएं।

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

उन्होंने यातायात के लिए व्यस्त समय की समस्या का भी उल्लेख किया है। जन परिवहन की यही समस्या है। व्यस्त समय के दौरान हम देखते हैं कि हमेशा बेहद भीड़ होती है। जब व्यस्त समय नहीं होता तो यात्रियों की संख्या कम होती है। यह समस्या पूरे विश्व में देखने में आ रही है। यह केवल दिल्ली अथवा भारत के किसी शहर तक सीमित नहीं है। तथापि, हम जितना संभव हो सके, इस समस्या का समाधान करेंगे।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल और श्री महाबल मिश्रा ने और अधिक विस्तारों की मांग की है। हमें इन विस्तार प्रस्तावों की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता संबंधी पहलुओं को देखना होगा। राकेश सिंह जी ने भोपाल, जबलपुर और अन्य शहरों जैसे मध्य प्रदेश के कई प्रमुख शहरों तक मेट्रो रेल सुविधा का विस्तार किए जाने की मांग की थी। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि पहल राज्य सरकारों द्वारा ही की जानी चाहिए। मैं मुलायम सिंह यादव जी को बताना चाहूंगा कि हम लखनऊ में भी मेट्रो रेल परिवहन को शुरू कर सकते हैं। हम अपने हिस्से की निधियां जुटाने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार 50 प्रतिशत भागीदारी देने के लिए तैयार है बशर्ते कि राज्य सरकारें शेष भागीदारी का पैसा जुटाने के लिए आगे आए। जहां भी संभव हो, मुम्बई और हैदराबाद की तरह पी.पी.पी. मॉडल अपना रही हैं। अतः मैं संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मामले में पहल करे और भारत सरकार इस संबंध में सहयोग करने से कभी पीछे नहीं हटेगी।

श्री सुदीप बन्धोपाध्याय ने पूर्व-पश्चिम गलियारे का प्रश्न उठाया है। मुझे उनकी पार्टी के सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हम उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने व्यापक स्तर पर विस्थापन के संबंध में सवाल उठाए हैं। हमारा पश्चिम बंगाल सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है। मैं आप से आज केवल यही कह सकता हूँ कि हम उससे अधिक विस्थापन नहीं होने देंगे जितना कि बेहद आवश्यक है। मैं न इसका खण्डन करता हूँ और न ही पुष्टि। हम पश्चिम बंगाल सरकार से बात कर रहे हैं कि क्या आपके द्वारा बताए गए तथ्य सही हैं। प्रामाणिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा।

मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम विदेशी कलपुर्जों को अपनाते हैं। हमें स्वदेशी कल पुर्जों पर भरोसा करना चाहिए। मैं सिद्धान्त रूप में उनसे सहमत हूँ। लेकिन

मेट्रो रेल एक नया क्षेत्र है जहां वैश्विक रूप से नई प्रौद्योगिकियां उभर कर सामने आ रही हैं। हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। तथापि, विश्व के विभिन्न भागों से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय स्वदेशीकरण की आवश्यकता के संबंध में हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हुए हैं। भारत में हम प्रत्येक संभव चीज का स्वदेशीकरण करने के लिए भारत अर्थमूवर्स का सहयोग ले रहे हैं। अब जबकि हम देश के विभिन्न राज्यों में मेट्रो का विस्तार करने की दिशा में सोच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में स्वदेशीकरण करना बहुत जरूरी है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए श्री शरद यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस प्रश्न का समाधान कर लिया गया है कि यह स्टैण्डर्ड गेज या ब्रॉड गेज की होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के प्रश्नों को हर समय दुबारा से उठाना चाहिए। मूलभूत मुद्दों को दुबारा से नहीं उठाया जाना चाहिए। आज जरूरत है कार्यवाही करने, विकास और प्रगति करने की। इस प्रश्न पर कभी भी खत्म न होने वाली बहस की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि श्री लालू प्रसादजी और सभी अन्य ब्रॉड गेज के पक्ष में अनेक तर्क दे सकते हैं लेकिन इस मुद्दे को बन्द कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में होने वाले विस्तारों में हम स्टैण्डर्ड गेज को अपना रहे हैं। क्या इससे कोई अन्तर पड़ेगा? सवाल यह है कि चाहे आपके पास वही ब्रॉड गेज रहे या, स्टैण्डर्ड गेज, आपको ट्रेन तो बदलनी ही पड़ेगी। गेज महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रेन इंटरचेन्ज अपरिहार्य है।

श्री बसुदेव आचार्य: दिल्ली में यह संभव नहीं है। लेकिन अन्य शहरों के बारे में क्या कहेंगे?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: हर जगह आपको गाड़ी बदलनी ही पड़ेगी। यात्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाड़ी विशेष ब्रॉड गेज में है या फिर अगली गाड़ी स्टैण्डर्ड गेज की है। पूरे विश्व में यही स्थिति है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। स्टैण्डर्ड गेज को विश्व के अधिकांश भागों में अपनाया जा रहा है। इसलिए, जब हमें आपातकालीन अवसरों पर पर्याप्त हिस्सों पुर्जों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटियों से जुड़ने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आयात करते रहें, हमें स्वदेशीकरण करते रहना चाहिए। लेकिन हम उभरते हुए वैश्विक पैटर्न से भी अलग नहीं हो सकते।

श्री शरद यादव जी ने स्थायी समिति की सिफारिशों

को गंभीरता से लेने की आवश्यकता का उल्लेख किया है। मैं उनको और मेरे अपने दल के सदस्यों सहित सभा के सभी सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि स्थायी समिति की सिफारिशों को समुचित महत्व दिया जाता है। हम स्थायी समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के साथ सभा में वापस लौटेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हमने स्टैंडिंग कमेटीज को इसलिए बनाया था कि वह एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेंगी, लेकिन कहीं भी, किसी जगह भी, कोई सुझाव नहीं माना जाता है। यदि स्टैंडिंग कमेटीज के 20 परसेंट या 30 परसेंट सुझाव भी सरकार द्वारा माने जाएं, तो वह भी नहीं हो पाता है। आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं। आप तो एक जिम्मेदार मिनिस्टर हैं। आप तो इस बात को जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज का जो सवाल है, वह गम्भीर सवाल है। ऐसे विषयों पर सदन में बहस नहीं हो पाती है। बहस तो वहीं होती है और कितना धन, सम्पत्ति और समय, सब कुछ खर्च होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। मेरे विचार से माननीय सदस्यों को अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: स्थायी समिति के महत्व के संबंध में मैं उनसे सहमत हूँ।

माननीय सदस्य सत्पथी जी ने आतंकी हमलों की सम्भावना के बारे में बात की है। ऐसी सम्भावनाओं के लिए वैश्विक स्तर पर खराब हालात और अंतर्निहित परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। परन्तु मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उच्च स्तर के संरक्षा और सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सुरक्षा के सभी सम्भव उपाय किए गए हैं। परन्तु घटनाएं फिर भी घटित हो जाती हैं वह एक अलग बात है। हम सुरक्षा में कमी नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने हाल की घटनाओं का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ इस घटना के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं निर्माण के चरण में घटित होती हैं हम बेकार काम नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में वैश्विक बेंचमार्क हैं और हम उन्हीं का पालन कर रहे हैं, मैं आपको यह बता सकता हूँ कि हम सिंगापुर से काफी आगे हैं और लंदन से थोड़ा पीछे हैं।

पिछले सात वर्षों में जब दिल्ली चरण-एक सफुल आरम्भ हुआ, मैं यह कह सकता हूँ कि एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। निर्माण कार्य के दौरान दुर्भाग्य से घटित दुर्घटनाओं और प्रचालन चरण में हुई दुर्घटनाओं में अंतर करने की आवश्यकता है। अभी तक हम दुर्घटनाओं को टालने में सफल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली मेट्रो रेल नियमित रूप से प्रशंसनीय ढंग से कार्य कर रही है। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित हर किसी ने यह नोट किया है।

मैं लालू जी को उनके तहेदिल से समर्थन के लिए बधाई देता हूँ। बसुदेव आचार्य जी ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो का उल्लेख किया है। मैं सभी दलों के संसद सदस्यों से बात-चीत कर चुका हूँ - मैं पश्चिम बंगाल सरकार और सभी स्टैक होल्डरों से बातचीत कर रहा हूँ। इस विषय को बातचीत की प्रक्रिया से हल किया जाना चाहिए।

दीपेन्द्र हुड्डा जी ने और विस्तार की बात कही है - उन्होंने उन कस्बों का उल्लेख भी किया है जिससे मेट्रो रेल की व्यापक लोकप्रियता पुनः सिद्ध होती है। उन्होंने इसकी बेजोड़ तरीके से मल्टी-मॉडल संघटन की आवश्यकता पर बल दिया है। यही हमारा लक्ष्य है। अकेले में मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। इसे तीव्र बस परिवहन व्यवस्था, रेलवे प्रणाली तथा परिवहन के अन्य साधनों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। हम इस पर कार्य कर रहे हैं और यही हमारा लक्ष्य है।

महाबल मिश्रा जी ने भी विस्तार की मांग की है। मैं मिश्रा जी को बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार का विस्तार धन से जुड़ा है। इस प्रकार विस्तार के अनुमोदन हेतु महत्वपूर्ण मानदंड आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता है। मैं पूर्णतः अर्थक्षम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें जे.ए.आई.सी.ओ. से काफी सस्ता ऋण मिल रहा है; हम अपने बजट से धन की व्यवस्था करते हैं और राज्य सरकारें अपने-अपने बजटों से धन जुटा रही हैं। यद्यपि मेट्रो रेल प्रचालन काफी खर्चीला है। यदि ये अर्थक्षम पाई गई तो उन पर कार्य किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आप उसे गुड़गांव ले जा रहे हैं, फरीदाबाद ले जा रहे हैं, तो क्या आप दिल्ली में नहीं ले जाएंगे? क्या यहां के लोग पैसा नहीं दे रहे हैं?... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया उत्तर देने दीजिए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: उत्तर तो दें, लेकिन जो जवाब ये दे रहे हैं, वह जवाब सही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि यहां लोग टिकट के पैसे नहीं देते?...*(व्यवधान)*

श्री महाबल मिश्रा: आप कहीं भी ले जाइये, लेकिन 70 परसेंट दिल्ली के लोग मेट्रो से वंचित हैं और आप दूसरी जगह ले जाने की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: आप यह कहिये कि हां, हम वहां भी ले जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उत्तर देने दीजिए। कृपया स्थान ग्रहण करिये। आप भी बैठिये।

श्री महाबल मिश्रा: आज दिल्ली देहात के लोग हर जगह जाने में असमर्थ हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उत्तर देने दीजिए। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री महाबल मिश्रा: आप यहां से मेट्रो ले जाने की बात कर रहे हैं, जबकि 70 परसेंट दिल्ली देहात के लोग मेट्रो से वंचित हैं। वहां गरीब लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, वे मेट्रो से जाना चाहते हैं। आज वहां पूर्वांचल के लोग हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महाबल मिश्रा जी, यह नोट कीजिए कि जब हम गुड़गांव अथवा नोएडा तक विस्तार कर रहे हैं तो संबंधित राज्य सरकारें भी विस्तारों को अर्थक्षम बनाने में सहायता कर रही हैं। यदि आपका विस्तार अर्थक्षम पाया जाता है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महाबल मिश्रा: आप जो गुड़गांव तक ले गये, हमने उसका स्वागत किया है। लेकिन दिल्ली में नजफगढ़ एक ऐसी जगह है, जहां सड़क पर 8-8 घंटे जाम रहता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उनको बात पूरी करने दीजिए।

श्री महाबल मिश्रा: ककरौला मोड़ से लेकर नजफगढ़ तक आप कह रहे हैं कि वायबिलिटी नहीं है तो आप सर्वे कराइये, वायबिलिटी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उनको बात पूरी करने दीजिए।

श्री महाबल मिश्रा: आपका यह कहना गलत है कि देहात के लोग पैसा नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जो मंत्री महोदय कह रहे हैं केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैंने यह नहीं कहा कि वायबिलिटी नहीं है। मैंने यह कहा कि अगर वायबिलिटी है तो एक्सटेंशंस कंसीडर किए जाएंगे।

[अनुवाद]

इसलिए, इसे विस्तारपूर्वक देखे बिना मैं सभा में आश्वासन नहीं दे सकता।

अपराहन 2.00 बजे

यह सभा शक्तिशाली है, मैं इसके प्रति उत्तरदायी हूं। इसलिए मैं इसे विस्तारपूर्वक देखने के पश्चात ही आश्वासन दे सकता हूं। दिल्ली के संबंध में सभी प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

अपराहन 2.02 बजे

रबड़ (संशोधन) विधेयक, 2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 12, श्री पृथ्वीराज चव्हाण।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): अध्यक्ष महोदया, श्री आनंद शर्मा की ओर से मैं प्रस्ताव * करता हूं:

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"कि रबड़ अधिनियम 1947 में और संशोधन करने पर विचार किया जाए।"

देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में प्राकृतिक रबड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रबड़ के पौधों से लगभग 35,000 विभिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु आवश्यक मुख्य कच्ची सामग्री मिलती है।

अपराहन 2.02½ बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भारतीय रबड़ प्लांटेशन उद्योग चार लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और इससे जुड़े कार्यकलापों में काफी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

लगभग 6.5 लाख हैक्टेअर में रबड़ उगाया जाता है। 10 लाख से भी अधिक छोटे और मझौले किसान हैं जिनकी जोतों का औसत क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेअर है और जो रबड़ की खेती में लगे हुए हैं...(व्यवधान) छोटे जोत क्षेत्र रबड़ उत्पादन क्षेत्र का 89 प्रतिशत है। अब भारत का उत्पादकता में पहला और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है।

रबड़ के विकास एवं नियंत्रण को रबड़ अधिनियम, 1947 के अधीन विनियमित किया जाता है। 1947 के इस अधिनियम को भारतीय विधि आयोग की 159वीं रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया जा रहा है। पूर्व में इस अधिनियम को 1994 में संशोधित किया गया था। तथापि, विकास को ध्यान में रखते हुए, रबड़ अधिनियम, 1947 के उपबंधों में उपयुक्त संशोधन किया जाना आवश्यक है।

जो प्रमुख संशोधन लाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं; प्रथम संशोधन छोटे उत्पादकों की परिभाषा से संबंधित है जिनमें परिवर्तन करके 20 हैक्टेयर की मौजूदा सीमा को 10 हैक्टेयर किया जा रहा है। इससे रबड़ बोर्ड छोटी जोतों के विकास हेतु उपलब्ध निधियों का सार्थक ढंग से उपयोग कर सकेगा...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या ये एम.ओ.एस. कॉमर्स हैं? ये एम.ओ.एस. कॉमर्स भी नहीं हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बिल आ रहा है, तो न कैबिनेट मिनिस्टर हैं और न...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय ने उनको अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अनुमति तो दी है, लेकिन क्या बिल के लिए अनुमति है? अगर कोई चीज ले करनी है, उसके लिए अनुमति हो सकती है, पेपर ले करना है, उसके लिए अनुमति हो सकती है, एक बिल पारित कराने के लिए उस विभाग के न कैबिनेट मंत्री हों, न राज्य मंत्री हों और यहां से बिल को पारित कराया जाए, मुझे लगता है, शायद यह पहली बार हो रहा है। आज तक लोक सभा के सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: इतनी क्या जल्दी है? अगर बिल इतना महत्वपूर्ण है, तो बिल महत्वपूर्ण होने के नाते बिल का महत्व सरकार भी तो दिखाती।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: सरकार इस बिल के प्रति गंभीर नहीं है। यह मेरा आरोप है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: दोनों मंत्री विदेश गए हैं और यहां बिल पारित किया जा रहा है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): कैबिनेट मिनिस्टर को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जाना था, वहां जाना उनके लिए पहले तय हुआ था। हमारा ख्याल था कि यह बिल पहले आ जाएगा, लेकिन कई बातों के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि इस बिल को आज ही लाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि...(व्यवधान) जो बात मुझे कहनी है, कृपया पूरी कह

[श्री पवन कुमार बंसल]

लेने दीजिए। पिछले कई दिनों से इस बिल को हम लाना चाह रहे थे। ऐसा इत्तेफाक रहा कि आज हम इस बिल को पार्लियामेंट में, लोक सभा में ला पाए, इस कारण वे मंत्री आज यहां उपस्थित नहीं हैं। इसीलिए इससे पहले कि एम.ओ.एस. खड़े होकर आपके सामने इसको प्रस्तुत करें, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए बाकायदा स्पीकर साहिबा से परमीशन ले ली गयी थी। मैं इसके लिए को-आपरेशन चाहूंगा। ऐसा इत्तेफाक से हो गया है।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या एम.ओ.एस., कॉमर्स भी गए हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: वे भी गए हुए हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों मंत्री नहीं हों और बिल पारित हो रहा हो। हमारे कुछ प्रश्न हैं जो अनुत्तरित रह जाएंगे। हमारे ऐसे प्रश्न हैं जो आसियान से जुड़े हुए हैं। रबड़ प्लांटेशन के हमारे प्रश्न हैं।... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसे ऐसे ही पास कर दीजिए। आप प्रश्न उठाइए, प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।... (व्यवधान) जैसे कहा गया है, उस पर बाकायदा पूरी डिबेट होगी।... (व्यवधान) एक घंटा क्या, हमने इसके लिए दो घंटे तय किए थे।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल यह जानना चाहती हूँ कि क्या आज बिल की डेडलाइन है? अगर आज बिल की डेडलाइन नहीं है तो नवम्बर में जब अगला सत्र आएगा, उस समय दोनों में से कोई मंत्री आ जाएंगे, उस समय इसे पारित कर देंगे। दोनों मंत्रियों की गैर-मौजूदगी में इस बिल को आज ही पारित करना क्यों जरूरी है?... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी की बात भी सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: जैसे मंत्री महोदय आपको बताएंगे कि छोटे ग्रोअर्स के घरों में इसका एक-एक पेड़ भी होता है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वे बहुत दिनों से वंचित हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: रबड़ का पेड़ नहीं होता। जहां तक ग्रोअर्स का सवाल है... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: पेड़ होता है। मैं जो कह रहा हूँ, वह शब्द आपने उठा लिया है।... (व्यवधान) उसे काटकर लेटेक्स लिया जाता है। मुझे मालूम है लेटेक्स क्या होता है, लेकिन ग्रो होता है।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: हां, ग्रो होता है।... (व्यवधान) लेकिन पेड़ और पौधे में भी अंतर होता है। बेल भी होती है।... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: लेकिन उस पर काट लगाकर — ... (व्यवधान) मुझे उस चीज के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आपसे और बातों के लिए पूछ लेता हूँ। इसके लिए आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे मालूम है जो मैं कह रहा हूँ।... (व्यवधान) जो लोग बहुत छोटी-छोटी झुगियों में रहते हैं, उन लोगों को भी इसका फायदा है, प्लांटेशन होता है, इसका उन्हें फायदा होता है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है तो हम इसे रोक नहीं सकते।

... (व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): दोनों मंत्री विदेश कैसे जाते हैं?... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया है, हम उसी पर कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों मंत्री न हों और बिल पारित हो रहा हो।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कैबिनेट में ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही होती है।

... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: इसे तीन महीने के लिए नहीं रोकना चाहिए। इसलिए हम इसे लेकर आपके पास आए हैं और तभी इसके लिए इजाजत दी गई है।... (व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: हम ऐलाऊ नहीं करेंगे। यह परम्परा नहीं है, प्रॉपराइटी नहीं है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हम कुछ नहीं कर सकते।

... (व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: सरकार को सोचना चाहिए।... (व्यवधान)
यह पूरे दक्षिण भारत के लिए अहम मुद्दा है।... (व्यवधान)
दोनों मंत्री विदेश चले जाएंगे।... (व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: यह बहुत पुराना कमिटीमैंट है।
... (व्यवधान) देश के हित में है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

समझौते पर हस्ताक्षर करना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: यदि सरकार का कमिटीमैंट होता तो एक मंत्री यहां रहते।... (व्यवधान) दोनों मंत्री कैसे छोड़कर गए।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई पर चर्चा शुरू करवाइए, इस बिल को छोड़िए।... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: यह बात सही नहीं है।... (व्यवधान)
सुषमा जी ने पहले कहा था कि इस बिल को बिना बहस के पास करवा सकते हैं।... (व्यवधान) आप इसे बिना बहस के पास करवा रही थीं और अब कह रही हैं कि हमने प्रश्न पूछने हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने इसे बिना बहस के नहीं माना था।... (व्यवधान) मैंने आपसे कहा कि दो घंटे में दोनों बिल पारित कर देंगे।... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: जब मेट्रो रेल बिल लगा था तो आपकी पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ से सब ने खड़े होकर कहा था कि इस बिल को बिना बहस के पास कर सकते हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने यह नहीं बताया था कि मंत्री जी नहीं हैं।... (व्यवधान) जब हमने चव्हाण साहब को देखा तब कहा।... (व्यवधान) आप प्राइस राइज पर चर्चा शुरू करवाइए।... (व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: रबड़ नैगेटिव लिस्ट में है, आसियान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न तीन बजे पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, सुबह जो बात उठायी गयी थी, वैसे उनकी बात की इज्जत करते हुए हम इस बिल को पोस्टपोन करना चाहेंगे। लेकिन मैं उस संदर्भ में एक-दो बात जरूर कहना चाहूंगा, ताकि कम से कम रिकार्ड ठीक रहे। सबसे पहले मैं रूल 76 का यहां जिक्र करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि-

[अनुवाद]

नियम 76 कहता है:

"परन्तु यदि किसी विधेयक का प्रभारी सदस्य, ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे।"

न कि उन कारणों से जिनको सभा में सदस्यों द्वारा पर्याप्त समझा गया,

"उसके पुरःस्थापन के बाद के किसी प्रक्रम पर उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर सकेगा।"

[हिन्दी]

दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रिंसिडेंस नहीं है और ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है। इसके दो उदाहरण हैं। अगर आप कहें, तो मैं उनका जिक्र यहां कर देता हूँ। मैंने उन्हें रिकार्ड से ले लिया है कि पहले भी ऐसा किया गया है और हाउस ने उसे माना है। आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि क्लैक्टिव रिस्पोसिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। उसके कारण ही यह कानून इस ढंग से बनाया गया है कि

[श्री पवन कुमार बंसल]

अगर मिनिस्टर किसी वक्त मौजूद नहीं हैं और वे स्पीकर साहब के पास जाकर उसके लिए इजाजत ले लें और उनको अनुमति मिल जाये, तो उसके बाद उस बिल को दूसरे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना कहते हुए मैं सिर्फ इसी बात पर आना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात पर एतराज उठाया गया है। वह पत्र भी दिया गया है, जिसके तहत यह हुआ है, लेकिन एतराज उठाया गया है, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं के खिलाफ हाउस में बात की जाये। बेशक हम यह मानते हैं कि यह स्मॉल ग्राउंड को फायदा पहुंचाने के लिए था। इसमें बहुत छोटी सी एक्साइज ड्यूटी थी, जिस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से एतराज लगे हुए थे। इसलिए हम समझते थे कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन ग्राउंड को इस चीज का फायदा होना था, इसलिए हमें इसे पारित करना था। लेकिन आपकी बात की पूरी कद्र करते हुए हम इस बिल को अगली बार लेने के लिए कहेंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने सांसदों की भावनाओं की कद्र करते हुए इस बिल को स्थगित करने की बात की है। उन्होंने जो दो बातें रखी हैं, वैसे तो अच्छा था कि वे सीधे इस बिल को स्थगित करते और ये दो बातें न रखते, लेकिन रखी हैं, इसलिए मुझे जवाब देना आवश्यक हो गया है। जहां तक स्पीकर साहब की एप्रुवल का सवाल है, हम सब जानते हैं कि अगर स्पीकर साहब की एप्रुवल न हो, तो कोई भी मोशन मूव ही नहीं हो सकता। लेकिन स्पीकर साहब की एप्रुवल के बाद जब मोशन्स आते हैं, तो एतराज सदन में ही उठता है और मैम्बर्स ही उठाते हैं। जहां तक पूर्व उदाहरण का सवाल है, तो पूर्व में यदि प्रतिपक्ष सतर्क नहीं रहा और उन्होंने इस तरह की चीज होने दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आज का प्रतिपक्ष भी सतर्क और सावधान न हो और अपने अधिकारों की मांग न करे। यह बात बहुत साफ है कि दोनों ही मंत्री नहीं हैं और बिल पारित होने के लिए दोनों मंत्रियों की अनुपस्थिति में आये, यह सही नहीं है। लेकिन मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों की भावनाओं को मानते हुए इस बिल को स्थगित किया है। वे अगले सत्र में इस बिल को ले आयें, हम इस बिल को पारित करायेंगे। अभी प्राइस राइज की चर्चा बहुत देर से लटकी हुई है, उसे आप प्रारंभ करायें।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अपराहन 3.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, आप संक्षेप में बोलें। इस पर बोलने वाले और भी कई माननीय सदस्य हैं। आप पहले भी बोल चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्राइस राइज के संदर्भ में एक बात कहनी है, जिसे मैं सदन में रखना चाहूंगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर दूसरे हाउस में व्यस्त हैं। वहां भी इसी विषय पर यानी प्राइस राइज पर चर्चा हो रही है। पता नहीं वहां कितना समय लगेगा। दूसरे मंत्री जो एम.ओ.एस. हैं, वे बीमार हैं और काफी समय से अस्पताल में हैं। इसलिए उस मंत्रालय के दोनों मंत्री इस वक्त यहां हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन यह भी आपकी भावना है कि उनकी गैर हाजिरी में इस पर चर्चा करनी है। यह बात हम पर न पड़े कि वे मंत्री भी इस वक्त यहां नहीं हैं। इसलिए इस पर चर्चा शुरू हो जाये।... (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मंत्री जी जवाब आज या कल दें, लेकिन आज महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: ठीक है, मंत्री जी इसका जवाब आज या कल देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): बिल और चर्चा में अंतर है। हमने बिल पर आपत्ति की थी, महंगाई पर चर्चा प्रारंभ कराएं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह इसके नोट्स लें।... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): संक्षेप में कैसे बोलेंगे। उस दिन तो मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। उस दिन बहुत डिस्टर्बेंस और इन्ट्रप्शन हो रहा था कि मैं बोल नहीं सका।

[अनुवाद]

महोदय, हम मुद्रास्फीति के बारे में सुनते आ रहे हैं। अब नई आर्थिक बात सामने आई है खाद्य स्फीति।

ऐसा खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण हो रहा है। जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तो मैंने आजकल मूल्यों में वृद्धि के प्रतिशत के संबंध में उल्लेख किया था जब यह सरकार सत्ता में आई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पढ़ा कि बंगलौर शहर में आलू के मामले में गत वर्ष की तुलना में कीमतों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो लगभग 100 प्रतिशत है। दिल्ली शहर में ये आपको 30 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे।

[हिन्दी]

30 रुपए से कम कहीं नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

खाद्य तेल के मामले में कीमत 80 रुपए से कम नहीं है।

[हिन्दी]

80 रुपए से कहीं भी कम नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

दालों के संबंध में, जिसे गरीब आदमी का प्रोटीन कहा जाता है।

[हिन्दी]

गरीब मानुष का एक ही प्रोटीन है - दाल और रोटी।

[अनुवाद]

दालों का मूल्य, चाहे वह अरहर हो, 80 रुपए से लेकर 90 रुपए से भी अधिक है। मसूर, तुर, मूंग आदि की स्थिति भी यही है। मानसून में देरी, कृषि में देरी और कम उत्पादन के कारण ऐसा हुआ। अगले वर्ष उत्पादन में और कमी होगी और यह संकट और गहरा जाएगा। इस वर्ष, इसकी कीमत 80 रुपए से 95 रुपए है और अगले वर्ष यह 150 रुपए पर पहुंच जाएगा।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित तथा तेज वृद्धि का एक अन्य कारण है सब्जियों, अनाज एवं दालों की आपूर्ति में कमी। दालों के कृषि क्षेत्र में आधे क्षेत्र की कटौती और उत्पादन स्थिर रहने के कारण ऐसा हुआ है। गत दस वर्षों से यह 13.5 मिलियन टन है। दालों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आबादी बढ़ रही

है; आपूर्ति घट रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। अनिवार्य वस्तुओं के वायदा कारोबार के माध्यम से वस्तु विनिमय में अनुमानित कारोबार को बड़े पैमाने पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण भी मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है।

चौदहवीं लोकसभा में भी कई बार सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। आज, श्री शरद यादव यह मुद्दा उठा रहे थे कि किस प्रकार मंत्रालय स्थायी समिति की सिफारिशों की उपेक्षा कर रहे हैं। यहां हमें इस बात का ज्वलन्त उदाहरण मिलता है। स्थायी समिति लघु संसद है। खाद्य और नागरिक पूर्ति संबंधी स्थायी समिति ने एक मत से वस्तुओं के वायदा कारोबार को समाप्त करने की सिफारिश की है। जब श्री पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने पांच या छह वस्तुओं के मामले में वायदा कारोबार को समाप्त किया था। परंतु बाद में, उस समाप्ति के आदेश को भी वापस ले लिया गया था या बल्कि रद्द कर दिया गया था।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वस्तु विनिमय के मामले में शुद्ध मूल्य में अचानक वृद्धि कैसे हो गई। इस वर्ष 1 जून से 15 जून की अवधि में, वस्तु विनिमय का शुरु मूल्य 15, 64, 114.96 करोड़ रुपए था। वर्ष 2007 की इसी अवधि में, यह आंकड़ा 2,21,880.06 करोड़ रुपए था। दो वर्ष के भीतर इसमें सात गुना वृद्धि हुई है। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? यह भारतीय वायदा बाजार आयोग की रिपोर्ट है। भारतीय वायदा बाजार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु विनिमय के शुद्ध मूल्य में सात गुना वृद्धि हुई है। सरकार को इसकी जानकारी है। परंतु सरकार इसे रोकने में असमर्थ रही है। सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने या नियंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई अथवा उपाय नहीं किया है।

इस सरकार को हमारे देश के आम आदमी से कोई चिन्ता नहीं है। देखिए ये सरकार कैसे उदासीन बनी हुई है। आपको वित्त मंत्री के बजट भाषण या उनके मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा में वित्त मंत्री के उत्तर अथवा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री के उत्तर में बढ़ती कीमतों के संबंध में एक शब्द नहीं मिलेगा। हमने बढ़ती कीमतों के बारे में कई प्रश्न पूछे। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बारे में एक वाक्य भी नहीं कहा गया।

मूल्य वृद्धि को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस सरकार की क्या आकस्मिक योजना है? उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि वित्त मंत्री ने वित्त

[श्री बसुदेव आचार्य]

विधेयक, 2009 पर चर्चा में उत्तर देते समय कुछ नहीं कहा। उनको आम आदमी की दुर्दशा से कोई सरोकार नहीं है। लोग मर रहे हैं। आज हर चौथा भारतीय भूखा है। कई राज्यों में भूख से लोग मर रहे हैं। उनका क्या कहना है? वे राज्य सरकारों पर इसका दायित्व डाल रहे हैं, मानो अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में संघीय सरकार या संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

परंतु वे कहेंगे कि उन्होंने खाद्य राज-सहायता में वृद्धि की है। हां उन्होंने इसमें 2008-09 के संशोधित अनुभाग की तुलना 6000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। संशोधित अनुमान 46,000 करोड़ रुपए था और इसको बढ़ाकर 52,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ था। एम.एस.पी. में वृद्धि के बजाए हम कृषि, कृषकों और किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के पक्ष में हैं। परंतु एम.एस.पी. में वृद्धि करने के लिए उनको खाद्य राजसहायता में वृद्धि करनी होगी और इससे गरीब लोगों की बड़ी आबादी बंचित होगी। उन्होंने क्या किया है? मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। यह वर्ष 2001 में एन.डी.ए. की सरकार से आरंभ हुआ था। श्री शाहनवाज हुसैन, हमें ज़रूरत का उल्लेख करना होगा। और आपको भी यह स्वीकार करना होगा। उन्होंने लक्षित जन संवितरण प्रणाली टी.पी.डी.एस.) के साथ गरीबों को विभाजित किया है। इस सभा का हर पक्ष बी.पी.एल. सूची के बारे में शिकायत कर रहा है कि कैसे बी.पी.एल. सूचियों में तोड़-मरोड़ की गई है। अब, सरकार कहेगी कि वे योजना आयोग के मार्गनिर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। यदि उन्हें केवल योजना आयोग के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करना है, तो एन.डी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति का निर्धारण करने के लिए अभिजीत सेन समिति की नियुक्ति क्यों की थी? अभिजीत सेन समिति की क्या सिफारिश थी।

जैसा कि आप जानते हैं, अभिजीत सेन योजना आयोग के सदस्य थे और वे वर्तमान योजना आयोग के सदस्य भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें कई गरीबों को वापस लाया जाए। समिति ने जो कहा है मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा:

"समिति लंबे समय से अनुशंसित एकीकृत पी.डी.एस. में तुरंत बदलाव की अभियुक्ति करती है। हालांकि गत कुछ वर्षों में इस प्रणाली में कई बार परिवर्तन

हुए हैं और यह एक अन्य परिवर्तन होगा, हमें विश्वास है कि इसके काफी लाभ होंगे।"

उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकीकरण की सिफारिश भी की थी। संप्रक सरकार के पहले कार्यकाल में हमने बाहर से समर्थन दिया था। अब उसी संप्रग सरकार में न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है क्योंकि अब वह वाम समर्थन पर निर्भर नहीं है। यदि वह हमारे समर्थन से चलती तो उन्हें न्यूनतम साझा कार्यक्रम रखना पड़ता। इसलिए उन्होंने प्रमुख कृषि विज्ञानी, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कृषि की समस्याओं के बारे में सिफारिश करने के लिए किया है। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकीकरण की सिफारिश भी की है। खाद्य सुरक्षा के बारे में न्यूनतम साझा कार्यक्रम में क्या था? उसमें था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। सुदृढ़ करने से तात्पर्य है अधिकाधिक गरीब वर्गों के लोगों को शामिल करना।

यह सरकार सार्वसमावेशी विकास की बात करती है जबकि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इसके विपरीत है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो आहत है, को शामिल नहीं किया गया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि हम ग्रामीण लोगों कृषि यात्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सुखा पड़ता है तो विशेषकर मेरे जिले पुरलिया में 10 प्रतिशत पौध नहीं लग पाती है, इसलिए सबसे अधिक कृषि प्रभावित होती है।

श्री शरद यादव: अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट का क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य: अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट जिसे गत वर्ष अगस्त, 2008 में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि मुझे याद है कि उसमें कहा गया है कि हमारी जनसंख्या का 77 प्रतिशत भाग प्रतिदिन 20 रुपये पर निर्भर है।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मंत्री ने यह स्पष्ट किया था कि रिपोर्ट सही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारी जनसंख्या के 77 प्रतिशत लोग 20 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं, यदि वे 20 रुपये प्रतिदिन पर निर्भर है और यदि चावल का प्रति किलो मूल्य 30 रुपये हो जाता है तो...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): बड़े लोगों का कृत्ता रोज 50 रुपए का सामान खा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया शांत रहिए, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री बसुदेव आचार्य: आप जानते हैं कि बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बनती है। ज्यादातर सब्जियां आलू डालकर बनाई जाती हैं। हम लोग, जो पांच-छह प्रतिशत डायबिटीज के शिकार हैं, आलू नहीं खाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया चेयर को संबोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ। गत वर्ष आलू का उत्पादन कम हुआ, यह 16 से 20 रुपये किलो है। पश्चिम बंगाल आलू का निर्यात करता था...(व्यवधान) मछली कहां से आएगी, पानी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मछली इतनी महंगी है, कहां से गरीब आदमी मछली खरीदेगा? इसलिए गरीब लोगों को दाल चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। चावल, दाल, नमक, चीनी बहुत महंगी है। चीनी तीस रुपए किलो है, तो गुड़ का भाव चीनी से भी ज्यादा, 35 रुपए किलो है। क्या आप महंगाई के बारे में नहीं सोचोगे?

[अनुवाद]

इस सरकार की आकस्मिक योजना क्या है; क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग जमाखोरी को रोकने के लिए किया जाता है? अनाज, दलहन, सब्जियों आदि मूल्य बढ़ने का मूल कारण इन वस्तुओं की जमाखोरी और वायदा बाजार है। गरीबों को अधिक खाद्यान्न राजसहायता देने की बजाय, माननीय वित्त मंत्री ने सट्टे को प्रोत्साहित करने हेतु जिन्स कारोबार कर को समाप्त कर दिया और इस सट्टे के कारण मूल्य बढ़ रहे हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए डॉ. सेनगुप्ता समिति के कहे अनुसार हमारी 77

प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करने हेतु जिन्स के वायदा व्यापार को वापस लेने पर विचार कर रही है। मैं अनुरोध करता हूँ कि गरीबों को मत बांटिए।

मैं नहीं जानता कि श्री नीतीश कुमार ने लोगों को प्रत्यक्ष राजसहायता की मांग क्यों की है। मैं श्री शरद यादव का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि श्री नीतीश कुमार बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकीकरण की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं।

मैं केन्द्र सरकार से टी.पी.डी.एस. को समाप्त करने और सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने का अनुरोध करता हूँ ताकि हमारे देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या इसमें शामिल हो सके। उचित दर की दुकानों के माध्यम से चावल, गेहूँ, चीनी और मिट्टी के तेल को ही नहीं, बल्कि सब्जियों, आलू तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री की जानी होगी।

महोदय, देश में स्थिति अत्यधिक गम्भीर है। देश में गंभीर स्थिति है। कई राज्यों में भूख से मौतें हो रही हैं। करोड़ों लोगों को खाली पेट सोना पड़ता है...(व्यवधान)

श्री वी. नारायण सामी: कृपया सदन को गुमराह न करें...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। आज जो हालत हमारे देश 80 फीसदी लोगों की है, सरकार को इसके लिए कोई चिन्ता नहीं है इसीलिए तो सरकार को इस चर्चा को यहां लाने में इतने दिन लगे। एक शब्द भी नहीं है, न वित्त मंत्री जी के भाषण में, न जवाब में और न खाद्य मंत्री जी के जवाब में इस बारे में एक शब्द भी नहीं है। सरकार उनके लिए चिंतित नहीं है। क्या आप कमोडिटी ट्रेडिंग बंद करेंगे?

[अनुवाद]

जमाखोरी को रोकने के लिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। इस अधिनियम के महत्व को राजग शासन के दौरान कम कर दिया गया था...(व्यवधान), तत्कालीन राजग सरकार ने इस अधिनियम के महत्व को कम कर दिया था। हम यह भी मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार जो कुछ राजग ने किया था उसे रद्द करे। हमने तत्कालीन संप्रग सरकार को चार वर्ष और दो माह तक समर्थन

[श्री बसुदेव आचार्य]

दिया था तब से हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने की मांग करते रहे हैं। जिससे कि कानून और कड़ा हो ताकि जमाखोरी जो आज हो रही है और जो सट्टेबाजी हो रही है, को रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं जानता हूँ कि अभी प्राइस राइज इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बसुदेव आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस विषय को यहां उठाया, नियम 193 के तहत चर्चा हो रही है। यह सही है कि वो अब इस पर चर्चा करा रहे हैं। सी.पी.एम. के लोग देर से जागते हैं। पांच साल तक यू.पी.ए. की सरकार को जिसमें साढ़े चार साल तक उनके साथ ये बैठकर उनका समर्थन करते रहे और कई बार बाहर बयान देते थे और प्रधान मंत्री कार्यालय में इनको कभी डिनर पर बुलाया जाता था और कभी ब्रेकफास्ट पर बुलाया जाता था।... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: एक बार भी डिनर पर नहीं बुलाया गया।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया चेयर को संबोधित करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: नहीं हमें तो ऐसी ही खबर है।... (व्यवधान) बसुदेव दादा को वहां पर लोग नहीं बुलाते थे लेकिन ये बयान तो देते थे और डिनर और लंच के बाद ये फिर हाउस में आकर इनकी मदद करते थे।... (व्यवधान) यह महंगाई आज बढ़ी नहीं है। यह महंगाई साढ़े चार साल तक यू.पी.ए. की सरकार बढ़ाती रही और उसमें सी.पी.एम. के साथी उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। न्यूक्लियर डील पर तो ये बहुत सख्त हो गये। काश ये महंगाई के मुद्दे पर अगर समर्थन वापस ले लेते तो आज देश में न इनकी ऐसी हालत होती और न आम आदमी की ऐसी हालत होती।... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, वह भी मुद्दा था।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: नहीं, ये तो ये जोड़ रहे हैं लेकिन देश में किसी को नहीं मालूम कि आपने महंगाई

के विषय पर समर्थन वापस लिया। आपने महंगाई के विषय पर समर्थन वापस नहीं लिया। इस सरकार का अभी हनीमून पीरियड है। यह हमने पहली बार देखा है कि जो पहला बजट सत्र होता है, उस पहले सत्र में ही इस सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ियां मारना शुरू कर दिया है। यह सरकार सौ दिन का एजेंडा लाई थी। लेकिन यहां मुझे लगा कि इन्हें पांच साल के लिए बहुमत मिला है। लेकिन इन्हें पांच साल की चिंता नहीं है। इन्होंने सौ दिन का एजेंडा बनाया और उसमें भी दो-तिहाई वक्त बीत चुका है, यानी 75 दिन बीत गये हैं, आज 76वां दिन है। वैसे राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था, उसमें इन्होंने बड़े-बड़े सुनहरे वायदे किये थे। लेकिन उसमें एक लाइन भी महंगाई के लिए इन्होंने नहीं कही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन 76 दिनों के अंदर जो इन्हें मैनडेट मिला था, जो इन्होंने जनता से कहा था कि कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ, आज कांग्रेस का वह हाथ आम आदमी की गरदन की पहुंच गया है। आम आदमी की जिंदगी इन्होंने दुश्वार कर दी है। जनता को यह अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस हाथ को बटन दबाकर वे जिता रहे हैं, वही हाथ उनकी गरदन पर आयेगा। आज आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो गई है। यह सरकार सत्ता में आई और इन्हें इतना बड़ा बहुमत मिला। इन्हें जो बहुमत मिला है, उसे देखकर कई बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग 205 को 410 गिन रहे हैं। इनका जो व्यवहार है, उसमें कांफिडेंस लैवल इतना ज्यादा है कि इन्हें लगता है कि अब हम चाहे कुछ भी करें, अभी हमें मैनडेट मिला है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। इन्हें बोलने दिया जाए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष जी, यह ऐसे हो गये हैं कि विपक्ष का एक शब्द भी सुनने के लिए राजी नहीं हैं। इनके कान में अहंकार का शीशा डाल दिया गया है। ये विपक्ष की एक लाइन भी नहीं सुन सकते। ये लोग ख्याब देखते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब आपको श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में तीन-चौथाई बहुमत मिला था तो उसके बाद दूसरी बार आपको सत्ता नहीं मिली थी। यह इतिहास है और आप इतिहास से कुछ सीखा कीजिए। आप उससे भी कम आये थे। लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वह इस तरह की है, जैसे आपको 405 सीटें मिली हों।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष जी, जितना ये लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे...(व्यवधान) मैं जब भी बोलता हूँ, कांग्रेस के हमारे मित्र हमें बहुत प्यार करते हैं और बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और ये मुझे जितना डिस्टर्ब करेंगे, जब इनका वक्ता बोलने के लिए खड़ा हो तो उसके समय में यह समय काटिये।

श्री वी. नारायणसामी: आप महंगाई के बारे में बात कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं महंगाई के बारे में ही बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान) जैसे ही ये लोग सरकार में आये, सत्ता के अहंकार में इन्होंने जनता को पहला तोहफा दिया कि 2 जून, 2009 को इन्होंने पेट्रोल में पांच रुपये, डीजल तीन रुपये और आम आदमी के इस्तेमाल की रसोई गैस के दाम पचास रुपये बढ़ाकर यह संकेत दे दिया कि जनता को इनाम के तौर पर ये लोग यही देना चाहते हैं। इसी के लिए ये हुकूमत में आए हैं। जब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ती है और यह सरकार महंगाई को निमंत्रण दे रही थी कि अब हम सत्ता में आ गये हैं और जो महंगाई बढ़ाने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो कसर बच गई थी, वह सारी कसर ये पूरी करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज जब श्री बसुदेव/आचार्य दादा बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ चीजों के रेट्स बताये। आज आप बाजार में चले जाइये। हम लोग बाजार कम जाते हैं, क्योंकि संसद में समय देना पड़ता है। हमारी पत्नी कई बार सामान खरीदने बाजार जाती हैं और आजकल चीजों के जो रेट्स हैं, जब उन रेट्स के बारे में हमने उनसे पूछा कि आजकल बाजार में क्या रेट्स चल रहे हैं।

कांग्रेसराज में आलू 20 से 25 रुपये, टमाटर 35 से 40 रुपये, घीया 35 से 40 रुपये, गोभी 60 रुपये, मटर 80 रुपये प्रति किलो हो गये हैं। और तो और कांग्रेस कहती रही है कि वह गरीबों की चिन्ता करती है लेकिन इस सरकार ने गरीबों के मुँह से निवाला तक छीन लिया है। दाल-रोटी महंगी हो गई है। गरीब लोग कहा करते थे कि वे दाल-रोटी खाकर गुजारा करते हैं

लेकिन आज देखिये दालों का रेट क्या हो गया है? दाल मूंग 70 रुपये, उड़द 100 रुपये प्रति किलो के रेट पर मिल रही है। कीर्ति जी की पत्नी दाल खरीदने गई तो शायद कम पैसा लेकर गई थी। दाल वाले ने कहा कि दाल इतनी महंगी है कि ज्यूलरी शॉप पर जितना पैसा लेकर जाते हैं, उतना पैसा लेकर आओ तब दाल मिलेगी। यह हाल है। चावल का रेट 100 रुपये किलो से ऊपर हो गया है। कांग्रेस सरकार एन.डी.ए. सरकार से तुलना कर रही है। जब दादा बसुदेव जी बोल रहे थे, अभी-अभी तो वहां से हटे हैं, थोड़ा मोह उनकी तरफ तो रहता है। उन्हें अटक कांग्रेस सरकार पर करना था, नुकसान वह कर रहे हैं लेकिन हमारी ओर देखकर कह रहे थे कि एन.डी.ए. के समय ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यह ठीक है कि दादा को कांग्रेस कम लिफ्ट दे रही है लेकिन मोह अभी भी उनकी तरफ है। जब देश में अटल बिहारी जी की सरकार थी, मैं वर्ष 2004 की वर्ष 2009 से तुलना करना चाहूंगा। जब हमने सरकार छोड़ी थी, तब आटे का भाव 10 रुपये किलो था जो आज 16-20 रुपये प्रति किलो हो गया है। परमल चावल 14 रुपये से 25 रुपये, गेहूं 6 रुपये से 11 रुपये किलो और दाल 26 रुपये से बढ़कर 100-120 रुपये किलो तक आ गये हैं। उस समय जो चीनी 14 रुपये किलो थी, वह आज 28 रुपये किलो पर आ गई है।

उपाध्यक्ष जी, श्री शरद पवार ने जिस दिन राज्य सभा में इस आशय पर बयान दिया कि इस बार चीनी का उत्पादन कम होगा, उसी दिन रात में चीनी का रेट बढ़ गया। मंत्री जी लोगों का दुख-दर्द कम करने के लिये या उसे बढ़ाने के लिये खड़े हुये थे? उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि चीनी का इस बार आधा उत्पादन होगा, चीनी के रेट बढ़ सकते हैं। जब बयान दे दिया तो चीनी का रेट 3 रुपये ऊपर हो गया।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये इस सरकार पर इलजाम लगाना चाहता हूँ कि...(व्यवधान) चना-गुड़ नहीं मिल रहा है। गुड़ का दाम बढ़ चुका है। दादा एन.डी.ए. की बात कर रहे थे। मैं तो यह समझता था कि दादा हमारे नजदीक आयें, उन्हें शरद भाई के पास में सीट मिली है। हम सोच रहे थे कि वह थोड़ा ज्यादा अटक उधर करेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष जी, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से और इधर के लोगों से भी कहूंगा कि यह बहस

[श्री शरद यादव]

गम्भीर है। मैं कहूंगा कि दाल रोटी के दामों में आग लगी हुई है। अगर उधर से छेड़खानी होगी तो गम्भीर बहस नहीं हो पायेगी। इसका कोई रास्ता हम लोगों ने निकालना है। इसलिये जो आदमी बोल रहा है, उसे बोलने दीजिये। मैं सभी से संयम रखने की विनती करता हूँ। यह बहस तभी सार्थक हो पायेगी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहें। किसी और का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, ये बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। महंगाई के विषय को इन्होंने मजाक बन दिया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, कांग्रेस के लोग महंगाई पर डिबेट कराना नहीं चाहते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। जब आपका समय आएगा तब बोलिएगा। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, ये लोग महंगाई ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी के अलावा किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(व्यवधान)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आप पहली बार चुनकर आये हैं, क्यों बोलने की इतनी जल्दी कर रहे हैं।...(व्यवधान) आप सुनिए। सत्ता का इतना ज्यादा अहंकार ठीक नहीं है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय से आज चीजों के दाम 50 कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से 500 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। इसलिए आज भी देश की जनता इन चीजों को याद करती है। आज दाल की हालत क्या है? आज दिल्ली सरकार ने अखबार में विज्ञापन दिया कि वह दाल बेच रही है। सरकार दाल बेच रही है और कह रही है कि 5 रुपये कम बेचेंगे। यानि आप दाम 200 रुपये बढ़ा दीजिए और कहिए कि एक रुपये घटाकर बेचेंगे। यह जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। जो काउंटर खोला गया, वहां एक घंटे में दाल खत्म हो गयी।

महोदय, इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री इस देश को, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी से उबारेंगे। आज एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद यह देश महंगाई की गर्त में जा रहा है और लोग महंगाई से बहुत चिन्तित हैं। महंगाई के ऊपर डिबेट बहुत देर से आयी है, हम इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे गंभीरता से सुनें। अगर आपको मेरी बात का जवाब देना होगा तो आपकी तरफ से कोई वक्ता खड़ा होकर जवाब देगा। आप नोट कीजिए और फिर हमारी बातों का जवाब दीजिए।

महोदय, यह सरकार बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए गंभीर नहीं है और भोली-भाली जनता को आंकड़ों के जाल में फंसा चाहती है, यह जनता को उलझा रही है। यहां सरकार कह रही है, अखबार में छपता है कि महंगाई घट रही है। महंगाई दर क्या होती है, हम लोग, यू.पी., बिहार के अंदर पढ़ते हैं कि महंगाई दर घट रही है तो लोग समझते हैं कि सामान कुछ सस्ता हो जाएगा। ये महंगाई दर के आंकड़ों का आकलन होल सेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से होता है, जबकि आम आदमी से संबंधित महंगाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है।

महोदय, हमारा कहना है कि एक तरफ यह सरकार कह रही है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से होल सेल प्राइस इंडेक्स मायनस 1.6 परसेंट घट गया है। इसी तर्क के सहारे सरकार जनता को धोखा दे रही है और कह रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10 से 20 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विश्व के 157 देशों में खुदरा भाव यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है और इन देशों में अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। भारत उन 24 देशों में है,

जहां होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात होती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि अगर आप इस देश में चर्चा करें तो अधिकांश देश जिस तरह की बात करते हैं, आप तो हर बात में अमेरिका और ब्रिटेन की नकल करते हैं, लेकिन आप इस मामले में उनकी नकल नहीं करते हैं। जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होती है तो आप उनकी नकल नहीं करते हैं। यू.पी.ए. सरकार को जनता को दुख देना कम कर देना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फूड स्टॉक का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्ष में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, जब भी हम वायदा बाजार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यह आपके जमाने में ही शुरू हुआ था। हम उस जमाने में सरकार में थे।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप विषय पर बोलिए। उनका जवाब मत दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, ये वायदा बाजार की बात करते हैं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उस वक्त कुछ खाने-पीने की चीजों को हमने वायदा बाजार से अलग करने का प्रयास किया था। लोक सभा की स्टैंडिंग कमेटी ने, दादा ने अभी कहा कि एग्रीकल्चर ने, कीमत की बढ़ोत्तरी को वायदा कारोबार से अलग करने के लिए बातें कही थीं। आज मैं आपके जरिये इस विषय को उठाना चाहता हूँ क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लोग स्टॉक कर लेते हैं, किसान सामान पैदा करते हैं और उससे पहले ही लोग कंप्यूटर पर बैठकर उसे खरीद लेते हैं।

आज कहीं पर भी आपने खाद्यान्न को जमा करने के लिए कोई उपाय नहीं किये। कुछ गोदाम हैं जो बाबा आदम के जमाने के बने हैं। उसके बाद एन.डी.ए. की सरकार ने जब शरद यादव जी मंत्री थे, तो होने बड़े-बड़े गोदाम बनाए। कोसी के बैल्ट में भी बनाए। हमने इनसे रिव्यूस्ट किया और इन्होंने बनाए। आज जब हम क्षेत्र में जाते हैं, उपाध्यक्ष जी, आप भी जाते होंगे तो देखते हैं कि किसान पैदावार पैदा करके नेताओं के दरवाजे पर जाता है। कहता है कि हमारा सामान खरीद करवा दीजिए। लेकिन यह सरकार उसकी खरीद नहीं करवा रही है। यह सरकार किसान को मजबूर करती है तभी अपने सामान को जमाखोरों और बिचौलियों को बेचना पड़ता है। अगर गांव के अंदर किसान के लिए छोटे-छोटे गोदाम बनाते तो अनाज उनके पास जाता। जैसे ही

महंगाई बढ़ती है, बड़े-बड़े लोग खरीद कर लेते हैं जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती है। उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य निर्धारण के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। लागत तय करने के लिए और कीमत तय करने के लिए उसको छूट देनी चाहिए। उद्योग से जो माल तैयार होता है, उसकी कीमत मनमानी तौर पर निर्धारित की जाती है लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत को तय करने वाला उसको पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं होता, कोई बिचौलिया तय करता है।

उपाध्यक्ष जी, आज कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद और कीमत का संतुलन बनाने की जरूरत है। आज कीमत 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाती है। इस देश में जो कृषि योग्य भूमि है, वहां शहरीकरण हो रहा है, किसानों की जमीन घट रही है, पैदावार कम हो रही है। आज पूरे देश में सूखा है। इस बार इस देश पर पता नहीं कैसा अभिशाप आया है क्योंकि इतना बड़ा सूखा पहले कभी नहीं पड़ा। अभी सूखे की शुरुआत हुई है और इतनी बड़ी तादाद में रेट बढ़ गए हैं। मैं आपके जरिये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस विषय को वाद-विवाद का विषय न बनाएं। महंगाई के विषय पर हमारी अलग-अलग आवाज नहीं जानी चाहिए। महंगाई के विषय पर अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ तो उस आवाज पर आपको साथ देना चाहिए क्योंकि महंगाई पार्टी का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, यह आम आदमी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ विषय है। आज चावल का विषय भी महत्वपूर्ण है। पिछली बार जीरो आवर में गोपीनाथ मुंडे जी ने सवाल उठाया था कि 2500 करोड़ रुपये मूल्य के चावल अमीरा फूड के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी के जरिये दूसरे देशों में बेचा गया। आज सरकार ने 21 देशों को चावल निर्यात की सूची में रखा है। उन देशों को चुनने की प्रक्रिया क्या थी? जबकि उनमें से कुछ देश खुद चावल निर्यात करते हैं? जब सरकार को गरीब देशों को चावल देना था तो किसी निजी कंपनी या अमीरा फूड के बजाय किसी सरकारी एजेंसी का उपयोग क्यों नहीं किया? मैं आपके जरिये यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप गरीब के मुंह से निवाला मत छीनिये। हम भी सत्ता में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोग सत्ता में आए। एक बार नहीं, दो-दो बार आए। राजनीति में सत्ता और विपक्ष मिलती रहती है, जनता के हाथ में है। लेकिन आप यह इंतजाम कीजिए कि जो आम आदमी की जिन्दगी है, वह दुश्वार न हो जाए। आम आदमी के मुंह से निवाला मत छीनिये। मैं

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक चैनल पर देखा कि पोर्ट पर दाल पड़ी हुई है और उसे उठाने वाला कोई नहीं है। आज 40 हजार टन दाल पोर्ट पर पड़ी है और वह सड़ रही है। दूसरी तरफ लोगों को दाल नहीं मिल रही है। जब पता किया तो पता चला कि आयात करने वाली सरकारी कंपनी ने माल नहीं उठाया क्योंकि उनके पास निरीक्षक नहीं हैं। इस कारण से आपने इतने पैसे को बरबाद करने का काम किया।

उपाध्यक्ष जी, जब मैं आ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि इस सरकार ने क्या काम किया? उपाध्यक्ष जी, हम लोग बिहार से हैं, हम दाल-रोटी खाने वाले लोग हैं, लिट्टी-चोखा खाने वाले लोग हैं। वह तो महंगा हो गया है। मेरा बच्चा जो बरगर खा रहा था, मैंने उससे पूछा कि इसका रेट क्या है, क्या यह बढ़ा है पिछले तीन-चार महीने में? तो पता चला कि वही 22 रुपये का है। जो 'हैप्पी मील' मैकडोनेल्ड पर मिलता है, वह देखा कि वह 88 रुपये का ही था। आपकी सरकार बनी तो दाल-रोटी महंगी हो गई लेकिन बरगर महंगा नहीं हुआ।

बरिस्ता में मैंने पास्ता का रेट पूछा कि उसका रेट क्या है, तो पता लगा वही 162 रुपये है। जब से आपकी सरकार आयी है, तब से बर्गर, पिजा, पास्ता और मैकडोनेल्ड के हैप्पी मील का रेट नहीं बढ़ा है, उसके लिए आपको साधुवाद मिलना चाहिए, लेकिन आपने आम आदमी की जिंदगी दुश्वार कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को महंगाई पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। आज महंगाई पर चर्चा हो रही है। यह सही है कि कृषि मंत्री दूसरे सदन में हैं, लेकिन महंगाई पर चर्चा क्या मामूली विषय है? इस देश के अंदर आज लोग भूख से मर रहे हैं। लोग कुपोषण के शिकार हो गए हैं। एक रिपोर्ट आयी है, जिसके अनुसार झारखण्ड में 15 हजार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहां तो आप ही का शासन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि महंगाई के विषय पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप आम लोगों की जिंदगी को दुश्वार करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। लोगों ने यदि आपको मंडेट दिया है तो लोगों के दुख और दर्द को कम कीजिए, वरना गरीबों की आह, उनके आंसू और गरीबों की भूख बड़ी से बड़ी सत्ता को निगल जाती है। आप सत्ता के अहंकार में मत रहिए और गरीबों के लिए काम करना शुरू कीजिए। किसी को परमानेंट

मेन्डेट नहीं मिलता है। अभी आप जीतकर आए हैं, लेकिन पंजाब के उपचुनाव में तीनों सीट अकाली दल जीत गयी है। आपकी क्या हालत हुई? अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, इसका आपको खामियाजा भुगतना होगा। झारखण्ड में तो आपकी कोई उम्मीद ही नहीं है। यहां तृणमूल के मेरे साथी बैठे हैं, आप भले ही दादा से लड़ते रहिए, आप लोगों का कोई कॉमन मिनीमम प्रोग्राम नहीं बना है, आपने महंगाई के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनवाया है। आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि यह सरकार जनता के दबाव में नहीं है, यह सरकार किसी के दबाव में नहीं है। इस सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप लोगों की दाल रोटी मुंह से मत छीनिए, उनके मुंह से नीवाला मत छीनिए। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि आम आदमी की जिंदगी दुश्वार न हो। आपने जो भी कीमतें बढ़ाई हैं, चाहे वह पेट्रोल की हो अथवा डीजल की, उसे तुरंत वापस लें क्योंकि महंगाई आपकी वजह से बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि नरेगा में बहुत पैसा दे रहे हैं। आपने सौ रुपये कर दिया है, लेकिन सौ रुपये की तो दाल ही मिलती है। जिसका परिवार बड़ा होगा, वह दाल खरीदेगा तो रोटी नहीं, रोटी खरीदेगा तो दाल नहीं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपने रेट बढ़ाया, लेकिन महंगाई बढ़ा दी। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, लेकिन क्या आप इस देश में गरीबों को महंगाई भत्ता देने वाले हैं? यह सब आपकी जिम्मेदारी है। यह सरकार चुनाव जीतकर लौटी है, लेकिन इनके क्या-क्या कमिटमेंट हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन यह जानबूझकर महंगाई बढ़ा रहे हैं। हर बार यह होता है, जब-जब कांग्रेस आयी है, कमरतोड़ महंगाई है। यह नारा हम लोग समाजवादी आंदोलन के समय से लगाते रहे हैं। आपने उस नारे को पूरी तरह से सार्थक कर दिया है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: यदि आप शिवसैनिक नहीं रहे... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको जवाब मत दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, अब वह शिवसैनिक नहीं रहे और हमारे समाजवादी होने पर एतराज कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यह सरकार भाषण से काम न चलाए, महंगाई रोक कर दिखाए। हमारा पूर्ण सहयोग महंगाई को रोकने के लिए होगा।

[अनुवाद]

डॉ. के.एस. राव (एलरू): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैंने माननीय सदस्य श्री आचार्य को सुना, वे मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने में इस सरकार की असफलता की शिकायत कर रहे थे। वे एक अच्छी बात बता रहे थे कि जिस अवधि के दौरान, प्रथम पांच के दौरान जब वामपंथी दल यू.पी.ए. सरकार का समर्थन कर रहे थे यह अच्छा था और जैसे ही उन्होंने समर्थन वापस लिया तो वह खराब हो गया। ठीक उसी प्रकार माननीय सदस्य श्री शाहनवाज हुसैन ने वामपंथियों की ओर इंगित किया कि उन्होंने असैनिक परमाणु करार के मुद्दे पर समर्थन वापस लिया, मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर नहीं।

ढाई वर्ष पूर्व मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब सभी दलों की बैठक बुलाई गई भाजपा, वामपंथी और हर किसी ने किसानों के लिए उनके क्षेत्र में उगाये जाने वाले अन्य कृषि उत्पादों के अतिरिक्त धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग की, मैंने उन्हें बताया कि जब कोई दल विशेष विपक्ष में होता है वे सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और वे धरने पर बैठते हैं, बसें जलाते हैं और हर सम्भव कार्य करते हैं और कहते हैं कि किसान का उत्पाद जो देश की मेरुदंड है की सही कीमत नहीं लगाई गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करनी होगी। यह बात कहने में अच्छी लगती है। परन्तु जैसे ही वे सत्ता में आते हैं वे इसके बारे में भूल जाते हैं। वे किसानों के किसी उत्पाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी मूल्य अथवा इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। विपक्ष में होने पर ही इस प्रकार की बातें करने का कारण यह है कि वे हर किसी को आकर्षित करते हैं और आम लोगों के मस्तिष्क में यह प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं कि वे गरीबों, आम आदमी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अपराहन 3.56 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना पीठासीन हुए)

जैसे ही खाद्य उत्पादों, विशेषकर खाद्यान्नों, आवश्यक वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होती है, तो बाजार में भी मूल्य वृद्धि होती है। जब वही लोग जिनकी पहले सरकार थी और जो सभा में सत्ता पक्ष में बैठते थे वे जब विपक्ष में आते हैं वे यह कहते हैं कि सरकार अर्थहीन और असक्षम है। मेरे सहयोगियों ने कहा कि दाल की कीमतें 20 रु. से बढ़कर 40 रु. हो गयी है; खाद्य तेल की कीमत 60 रु. से बढ़कर 120 रु. हो गयी है। उन्होंने आम व्यक्ति की सहायता के बारे में कुछ नहीं कहा है; वे आम आदमी के बारे में कभी नहीं सोचते; वे किसानों के बारे में नहीं सोचते। कभी लम्बे समय से विभिन्न दलों का यही रवैया है।

उपर्युक्त बैठक में, मैंने यह कहा था कि जो दल भी सत्ता में हो यदि वह सोचे कि उन्हें अगले चुनावों में सत्ता में नहीं आना है, और यदि उन्हें यह निर्णय लें कि कृषि उत्पादों का मूल्य उसी आधार अथवा उसी सिद्धान्त पर नहीं लगाया जाये जिस पर औद्योगिक माल का मूल्य निर्धारण किया गया है, और यदि वे विपक्ष से दोषारोपण लेने को तैयार हों, यदि वे चुनावों में हारने को तैयार हैं, तो तभी वे किसानों के साथ न्याय कर पायेंगे अन्यथा नहीं।

मैंने कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रु. प्रति क्विंटल से कम नहीं होना चाहिए। आज भी वही बात हो रही है। आज जब वे विपक्ष में हैं तो मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया गया है। मैं आपको इसका एक कारण बताता हूँ कि यह मुद्दा क्यों उठाया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि यू.पी.ए. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य विशेषरूप से गत एक वर्ष में अर्थात् वर्ष 2008-09 में किस प्रकार से बढ़ाया गया है। एक वर्ष में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एन.डी.ए सरकार के शासन के दौरान इस स्थिति का आपको उदाहरण दे सकता हूँ।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): वे मूल्य वृद्धि को न्यायोचित ठहरा रहे हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप ध्यानपूर्वक सुनें। माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री वी. नारायणसामी: वे तथ्यात्मक स्थिति बता रहे हैं।

डॉ. के.एस. राव: एन.डी.ए. सरकार के दौरान वर्ष 2003-04 में धान का मूल्य 450 रु. था और आज यह 930 रु. है। ठीक उसी प्रकार, एन.डी.ए. शासन के दौरान गेहूं का मूल्य 630 रु. था जो अब 1080 रु. है। हमें यह समझना चाहिए कि जब वे सरकार में थे, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पन्नता के बारे में कभी नहीं सोचा।

अपराहन 4.00 बजे

हम सब यह जानते हैं कि 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सम्पन्नता शहरों तक सिमट कर रह गई है। सम्पन्नता ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है। केवल यू.पी.ए. सरकार के दौरान सम्पन्नता शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची है। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे हुआ। ऋण माफी योजना के अंतर्गत 70,000 करोड़ रु. ग्रामीण क्षेत्रों में गए...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: वह क्या कह रहे हैं?... (व्यवधान)

सभापति महोदय: आप अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य श्री के.एस. राव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*...

डॉ. के.एस. राव: नरेगा के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों को हजारों करोड़ रु. भेजे गए...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको अवसर मिलेगा। आप बाद में उसका खंडन कर सकते हैं।...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: अब वे व्यवधान उत्पन्न क्यों कर रहे हैं?... (व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*...

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों कृपया जो सदस्य

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोल रहा हो उसमें व्यवधान न डालें। आपको अवसर मिलेगा आप उसका खंडन कर सकते हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह: उन्हें कुछ प्रासंगिक बोलना चाहिए।

सभापति महोदय: आप नोट करें। आप भी तथाकथित प्रासंगिक बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: क्या आपका मतलब यह है कि वह जो चाहें वह बोल सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. के.एस. राव: हमने ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में भारी बढ़ोतरी की है...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय सदस्य के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*...

डॉ. के.एस. राव: सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर हमने हजारों करोड़ रु. का आवंटन किया है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबकों और किसान दोनों समुदायों के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। उनके समय में यह स्थिति नहीं थी। उनके शासन के दौरान, न तो गरीबों और न किसानों के पास ही आवश्यक वस्तुएं खरीदने की भी क्रय शक्ति थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति में भारी वृद्धि हुई है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): सभापति महोदय, माननीय सदस्य 'नरेगा' का कार्यक्रम बता रहे हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत मिट्टी का काम बरसात शुरू होने से पहले बन्द हो जाता है। इसलिए बरसात के कारण यह कार्यक्रम सारे देश में बन्द है। देश में गरीब लोगों के प्राण निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें इस योजना के अन्तर्गत काम नहीं मिल रहा है। आपकी क्या तैयारी है, आप क्या कर रहे हैं, आप सरकारी दल में बैठे हैं, यह सब बताइए, जिससे हम लोग कुछ सीखें और जब हम लोग बोलें, तो हम भी अपने सुझाव दे सकें। दिन भर वही, भारत निर्माण, नरेगा, फलाना-फलाना।...(व्यवधान) ये बी.जी.पी. के लोग हमारे राज्य के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समय यह था और तुम्हारे राज्य में ऐसा है, यही बात करते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि फेंका-फेंकी से काम नहीं चलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखिए और माननीय सदस्य के भाषण के दौरान व्यवधान मत डालिए। उन्हें बोलने दें।

डॉ. के.एस. राव: हमने किसानों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 80,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,30,000 करोड़ रुपये कर दिया है। स्पष्ट है कि आज लाखों करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अन्तरित किए जा रहे हैं। अब मेरे माननीय मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं जो केवल शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई थीं। हमारे बीच में से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। यदि किसानों के लिए खाद्यान्नों के दाम बढ़े हैं तो कृषि मजदूरों की भी दिहाड़ी में भी काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस वृद्धि का गांव के कृषि मजदूरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आवश्यक सब्जियों और फलों के मूल्य पर आऊंगा जो बाढ़ में खराब हो जाते हैं। अभी मैं खाद्यान्नों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो कुछ बोला है उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में पड़ेगा। मैं इससे सहमत हूँ।

कितने प्रतिशत लोगों पर? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 28 से 30 प्रतिशत लोगों पर। उनमें से धनाढ्य और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आय में आवश्यक वस्तुओं पर होने वाले व्यय का हिस्सा बहुत ही कम रहता है। फिर, कितनी प्रतिशत आबादी इससे प्रभावित हो रही है? मैं महंगाई का समर्थन बिलकुल भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन विरोधी पक्ष का जोर पूरी तरह से उन 15 प्रतिशत लोगों पर है जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। वे हर समय शोर मचाते रहते हैं...*(व्यवधान)* हम हर समय चर्चा करते रहते हैं *(व्यवधान)* क्या आपने कभी सोचा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बाद में समय दूंगा। अब आप उनके साथ टोकाटाकी मत कीजिए। आप बाद में उस समय उनका खण्डन कर सकते हैं जब आपकी बारी आएगी।...*(व्यवधान)*

श्री बी. नारायणसामी: महोदय, इस सम्मानित सभा में सबको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

सभापति महोदय: मैंने उनको यही बताया है। श्री राजीव, कृपया अब आप बैठ जाइए। कुछ भी रिकॉर्ड में शामिल न किया जाए। श्री राव, आप जारी रखिए।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया आप उनके भाषण के बीच टोकाटाकी मत कीजिए। आप बाद में उनकी बात का खण्डन कर सकते हैं। कुछ भी रिकॉर्ड में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)...*

डॉ. के.एस. राव: राजग शासन के दौरान क्या उन्होंने कभी गरीब आदमी के बारे में सोचा था? क्या उन्होंने कभी आम आदमी के बारे में बोला है? क्या उन्होंने कभी ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में सोचा? वे शेयर सूचकांक की बात करते रहते थे। वे निर्यात संवर्धन की बात करते थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आपको भाषण अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बाहर जा सकते हैं लेकिन सभा में व्यवधान मत डालिए।

डॉ. के.एस. राव: आज हम गरीबों को पेन्शन दे रहे हैं; हम हजारों गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। हम गांवों में गरीब लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन सबके कारण न केवल उनकी क्रय-शक्ति बढ़ी है अपितु खपत में भी वृद्धि हुई है। स्वाभाविक है कि समाज के गरीब तबके उस समय इन आवश्यक वस्तुओं की और अधिक खपत करेंगे जब वे उनके लिए वहनीय होंगी, चाहे ये खाद्यान्न हों, सब्जियां हों, मांस हों या फिर अण्डे। हां, मूल्य में वृद्धि हुई थी। इससे न केवल हम सहमत हुए थे अपितु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों ने भी सहमति व्यक्त की थी कि देश में खाद्य पदार्थों की खपत भी बढ़ी है।

जहां तक शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये के शीघ्र खराब होने वाले फल और सब्जियां नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, समय है कि सरकार...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया उसका संज्ञान मत लीजिए।

... (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। कुछ भी रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। निःसन्देह आप खण्डन कर सकते हैं। खण्डन करने से आपको कौन रोक रहा है? कृपया बैठ जाइए।

डॉ. के.एस. राव: यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि इन शीघ्र खराब होने वाले सभी पदार्थों का परिरक्षण करने के लिए हमारे पास नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का समय है। उन्होंने पर्याप्त प्रोत्साहन दिए हैं। उन्होंने शीत भण्डारों की स्थापना करने को प्रोत्साहित किया। यही नहीं शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों को उन लोगों तक पहुंचाने, जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, किसानों को शीत भण्डारण वैन दी गई हैं ताकि एक तरफ तो किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकें और दूसरी तरफ उपभोक्ता उनके माल को उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकें।

जहां तक दलहनों और तिलहनों का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि 70 लाख टन तिलहनों का आज भी आयात किया जा रहा है। हमारे पास खाद्यान्नों का अभाव है। जहां भी कहीं संभव हो, सरकार लाभप्रद मूल्य प्रदान करके पामोलीन बागानों को प्रोत्साहन दे रही है। वास्तव में, पामोलीन का उत्पादन 6300 से घटकर 4000 तक पहुंच गया है। यह सही समय है कि सरकार किसान का बचाव करने के लिए आगे आए और कम से कम विभिन्न बाजार हस्तक्षेप योजनाओं के माध्यम से उसकी सहायता करे। ऐसा करके हम हजारों करोड़ रुपये के खाद्य तेलों का आयात करने से बच सकते हैं और हमारे अपने किसान प्रोत्साहन दिए जाने के बाद उतनी ही मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि हम हर बात में सरकार का समर्थन करते हैं चाहे वह कितनी भी गलतियां करे। तथापि, प्रतिपक्ष को भी यह बात समझानी चाहिए कि इसका कर्तव्य मात्र वर्तमान सरकार की आलोचना करना भर नहीं है चाहे इसकी नीतियों में कोई गुण भी हो।

उनको समाधान भी खोजने चाहिए अथवा सुझाव देने चाहिए। श्री आचार्य ने क्या सुझाव दिए? उनका पूरा ध्यान केवल वायदा बाजार पर था। क्या कोई अन्य सुझाव था?

मूल्यों में भारी बढ़ोतरी का एक कारण कालाबाजारी और जमाखोरी हैं और यह भयानक अभाव के कारण नहीं हुई है। इसे व्यापारियों ने, जिनको मूल्यों को विनियमित

करना होता है, और अधिक बढ़ाया है। इसमें घालमेल किसने किया है? यह सब राजग सरकार ने किया था। एक अवस्था में तो अधिनियम में यह उपबन्ध था जिसमें यह कहा गया था कि यदि कोई व्यापारी कालाबाजारी अथवा जमाखोरी करे तो यह गैर-जमानती अपराध है और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी व्यापारी को नहीं बचा सकते। जब उस अधिनियम में घालमेल हो जाती है तो उनको कालाबाजारी करने का उकसावा मिलता है। अब किसको प्राधिकृत किया गया है? राज्य सरकारों को कालाबाजारी पर नियन्त्रण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे क्या नियन्त्रण कर रही हैं? उनको कालाबाजारी और तस्करी को बन्द करने से कौन रोक रहा है? कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए भारत सरकार को दोष नहीं दिया जाना चाहिए चाहे वह कांग्रेस की हो या भा.ज.पा. की। वे ऐसा नहीं करती हैं। वे संसद सदस्य के रूप में दोषारोपण करते हैं इसलिए हम इसकी आलोचना कर रहे हैं।

मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ कि सरकार को इन चीजों को रोकने के लिए कुछ उपाय करने होंगे लेकिन वे अल्पावधि आधार पर न हों। यदि खाद्यान्नों की कमी हो तो आज दो मिलियन टन गेहूं या कल खाद्य तेल का आयात करने से स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। हमें स्थायी समाधान खोजना होगा।

नदियों को जोड़ने का कार्य किया जाना है। कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करनी होगी। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने ही चाहिए। इन सब चीजों का भण्डारण करने के लिए प्रौद्योगिकी होनी ही चाहिए। प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। इसे प्राप्त करना अब कोई कठिन कार्य नहीं है जब पश्चिमी विश्व ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं।

इसलिए, यह सब चीजें सरकार को करनी हैं। हम इस बात से सहमत हैं। परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ। अब सरकार हर संभव बातें कर रही है। इसने ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया है। यह पहला पहला मुद्दा है। यह हो चुका है।

इसलिए, संक्रमण काल में दामों में बढ़ोतरी होगी। इस पर नियन्त्रण करना होगा। मैंने उसके लिए समाधान खोज लिया है और वह मैं दूंगा।

जब तक तिलहनों, बीजों अथवा दलहनों का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक हम अस्थायी आधार पर दामों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और वर्ष दर वर्ष 'महंगाई' पर चर्चा करना आम बात हो जाएगी चाहे सभा में सत्तापक्ष की तरफ कोई भी दल बैठा हो।

इसी प्रकार शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं संबंधी प्रौद्योगिकी में भी सुधार करना होगा। हमें सभी शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का भण्डारण करने में समर्थ बनना होगा।

इसी प्रकार, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना होगा। हमें अनिवार्य रूप से सभी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का भण्डारण करने और इनको सभी किसानों के लिए लाभप्रद मूल्यों पर खरीदने, इन्हें शीतागार में रखने; उन स्थानों पर स्थानांतरित करने जहां इनका मूल्य अधिक है अथवा इनको परिरक्षित करने; और ऐसे समय पर बेचना होगा जब इनका उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि टी.पी.डी.एस. को सुदृढ़ बनाया जाए; मैं इससे इनकार नहीं करता। बार-बार, जब भी सर्वेक्षण किए जाते हैं; कुछ राज्यों में यह देखा गया है कि भारत सरकार से लिए गए खाद्यान्न को शत-प्रतिशत काले बाजार में भेज दिया जाता है। यह स्थिति बड़ी दयनीय है। इस संबंध में राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं? वे इन बातों पर नियंत्रण नहीं करती।

जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है। हमने भी सुझाव दिया था कि इस टी.पी.डी.एस. को न केवल सुदृढ़ बनाया जाए, बल्कि अधिकांश अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही की जाए। जब ऐसा हो जाएगा, जब अधिकांश जनता, विशेषकर गरीब लोगों को शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं सहित सभी आवश्यक वस्तुएं चाहे वह हल्दी हो, नमक हो, चीनी या अन्य कोई आवश्यक वस्तु दी जाएगी तो हम मूल्यों को नियंत्रित कर पाएंगे। मेरा यह विचार भी है, कि यह कहना बहुत दुःखद है कि पी.डी.एस. में सर्वत्र भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस पर नियंत्रण करना होगा। यहां न तो किसी सरकार की बात है; न ही किसी दल की; बल्कि पूरी प्रणाली में ही सुधार करना होगा।

अब, हमने न केवल नरेगा के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपयों से क्रियान्वित की जा रही

सभी योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा आरंभ की है। इसमें केवल कर्मचारी शामिल नहीं हैं। गांव में सदैव कुछ अच्छे लोग होते हैं, हमेशा कुछ लोग चरित्रवान होते हैं, आपको दल, दलीय नीति को ध्यान में रखे बिना इन लोगों को चुनना होगा। आप 3-4 लोगों को चुन सकते हैं; वे लेखापरीक्षा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये अच्छा है अथवा वो अच्छा है, या वहां कुछ और हुआ था।

यदि इस मामले पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए, तो हम निश्चित रूप से मूल्यों को कम कर सकते हैं।

वायदा कारोबार के संबंध में, मेरे मित्र, श्री आचार्य ने कहा है कि पूरी पैदावार को वायदा कारोबार में डाल दिया गया है और बीजेपी के माननीय सदस्य ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने वायदा कारोबार आरंभ किया है। स्थायी समिति ने कहा कि कम से कम अनिवार्य वस्तुओं पर इसे लागू नहीं किया जाए। मेरा भी यही मत है कि आवश्यक वस्तुओं को सट्टाबाजार में नहीं डाला जाए। यह ठीक नहीं है और इससे सहायता नहीं मिलती। इसलिए हमें इसको विनियमित करना होगा और यह देखना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह स्थायी समाधान नहीं है क्योंकि उत्पादन बढ़ाना होगा।

महोदय, मैं मूल्य वृद्धि का समर्थन नहीं कर रहा हूँ परंतु वह जो दिखा रहे हैं कि यह वृद्धि 100 गुना और 200 गुना है यह इस देश की घटना नहीं बल्कि वैश्विक घटना है। जिस दिन वैश्विक बाजार को पता चलता है कि गेहूँ की कमी है तो यदि पहली खेप 160 डॉलर प्रति टन पर खरीदी गयी है तो अगले ही दिन मूल्य बढ़ जाएंगे। चीन और भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता हैं। यदि भारत या चीन कहीं से भी वैश्विक बाजार में कोई बात आती है कि किसी वस्तु विशेष की कमी है तो मूल्य बढ़ जाएंगे और एक सप्ताह में दोगुने हो जाएंगे। हमने यह अनुभव किया है। जब इस सरकार ने पहली खेप खरीदी थी तो आरंभ में मूल्य 160 डॉलर था परंतु जब वे बाजार में गए तो इसका मूल्य 300 डॉलर हो गया। इसलिए हमें देखना होगा कि इस संबंध में वैश्विक परिदृश्य क्या है।

चीनी के संबंध में, अप्रैल की तुलना में मई माह में चीनी के वैश्विक मूल्य में 17.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत में यह वृद्धि 0.9 प्रतिशत है। सोयाबीन के

[डॉ. के.एस. राव]

लिए अप्रैल की तुलना में मई में वैश्विक मूल्य में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और भारत में यह 1.9 है; और कपास के लिए, वैश्विक मूल्य वृद्धि 8.8 प्रतिशत है और भारत में यह 1.8 प्रतिशत है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि इस पर नियंत्रण करना होगा। इसकी केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए। उन्हें कुछ सुझाव लाने दें या उन्हें कुछ गलतियों का पता लगाने दें। इसलिये, यह कोई तरीका नहीं है।

मेरे मित्र ने कहा कि 1950 में, यदि किसी वस्तु विशेष का मूल्य 1 रुपए था, तो आज इसकी कीमत 4 रुपए है। परंतु जी.डी.पी. विकास दर क्या है? जब जी.डी.पी. विकास दर बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से मूल्यों में वृद्धि का रुझान होगा। उनके शासन काल में जी.डी.पी. विकास दर क्या थी? यह औसतन कभी भी पांच या उसके ऊपर नहीं गई, और आज यह सभी पांच वर्षों में औसतन 8.7 से अधिक है। इसलिए, जब विकास होता है, तो मूल्य वृद्धि की संभावना होती है, परंतु इसको भी नियंत्रित करना होगा। इस संबंध में मैं आप सभी से सहमत हूँ। ऐसा तभी हो सकता है जब हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। हमें विशेषकर कृषि उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने, ग्रामीण गरीब जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि करने और फिर मूल्यों को नियंत्रित करने के संबंध में एकजुट होकर निर्णय लेना होगा। ये सभी बातें आवश्यक हैं। इस संबंध में मैं इनके साथ हूँ और मैं यह भी कहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार ने एक प्रयोग किया है और सारगर्भित ढंग से कृषि उत्पाद का मूल्य बढ़ाने का दृढ़ निर्णय लिया है जो उनके समय में पहले नहीं किया गया था। इस तत्काल घटना के लिए यह एक कारण हो सकता है। परंतु इसको भी नियंत्रित किया जाएगा। सरकार ने मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही कार्रवाई की है।

मेरे मित्र डब्ल्यू.पी.आई. के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब मुझे बताया गया कि मुद्रास्फीति नकारात्मक हो गई है, तो मुझे आश्चर्य हुआ मैंने यहां तक सोचा कि यह हास्यास्पद है।

परंतु हम सभी जानते हैं कि मुख्य वस्तुओं, बड़ी वस्तुओं जैसे स्टील, सीमेंट और ऐसी अन्य वस्तुओं के मूल्यों में काफी कमी हुई है। स्टील का मूल्य जो लगभग 54,000 रुपए था अब 27,000 रुपए है।

महोदय, कुछ सदस्यों ने थोक मूल्य सूचकांक का

उल्लेख किया है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सूचकांक है। यह सही है। परंतु आज हम यहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं थोक मूल्य सूचकांकों की नहीं। यह कुल मूल्य सूचकांक के बारे में नहीं है। हमारे देश में गरीब लोग हैं विशेषकर वे जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए, हमें अनिवार्य रूप से मूल्यों को नियंत्रित करना होगा। परंतु इसे केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 15 प्रतिशत गरीब लोगों तक ही सीमित नहीं रखा जाए। हमें अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की सहायता करने के लिए मूल्यों को नियंत्रित करने का रास्ता ढूंढना है। यदि हम आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कटौती करके उनके हितों की रक्षा कर पाएंगे, तो फिर शहरी गरीबों के हितों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी और पूरे देश में मूल्य विनियमित हो जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बड़ी जट्टोजहद के बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हुई है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से जो विचार आए, उन्हें मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। महंगाई का मुद्दा एक तरह से राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन मैंने देखा है कि प्रतिपक्ष का वार सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष का वार प्रतिपक्ष पर बराबर आया। कोई ठोस सुझाव नहीं आया कि इस महंगाई को हम कम कैसे करें। सब केवल अपनी-अपनी गा रहे थे।... (व्यवधान) हम महंगाई पर बोलेंगे।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया पीठ को सम्बोधित करें अन्यथा मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: इस सदन में हम प्रति वर्ष चाहे वह सूखे, बाढ़ या महंगाई पर हो, चर्चा करते हैं। लेकिन यू.पी.ए. सरकार ने वादा किया था कि हम सौ दिनों के अंदर दाम कम कर देंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही सत्र शुरू हुआ, रात्रि में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। यही कारण है कि

आज देश में सूखे की स्थिति है जिसके कारण आज खरीफ या मोटे अनाज की पैदावार की कम बुवाई हुई। यह भी महंगाई का मुख्य कारण है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उससे भी महंगाई दुगुनी बढ़ी है। सरकार ने बजट में और महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहा कि आने वाले समय में हम बी.पी.एल. लोगों को 25 किलोग्राम चावल और गेहूं तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसे कैसे करेंगे, कैसे इसका वितरण करेंगे? दूसरी तरफ दाल बाजार से बिल्कुल गायब मिली। जब दालों के दाम बढ़े, चूंकि यहां लोक सभा और राज्य सभा का सत्र चल रहा है, तो दिल्ली सरकार ने केवल दिखावे के तौर पर 80 जगहों पर दाल बेचने का सेंटर खोला। पहले दिन पता लगा कि लोग सुबह आठ बजे से ही लाइन में लग गए, लेकिन उन्हें किसी-किसी सेंटर में तो दाल ही नहीं मिली। आज स्थिति यह है कि आप जितने सेंटर खोलेंगे, उन सेंटर्स से बिचौलिए, जमाखोर और चोर बाजारी करने वाले लोग ही दाल खरीदकर ले जाते हैं और डंप कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी।

मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जस के बारे में बताना चाहता हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्जस भी काफी बढ़ गए हैं। यदि हम दिल्ली से मुम्बई, चेन्नई, आन्ध्र प्रदेश, कोलकाता आदि जो भी व्यावसायिक महानगर हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जस देखें तो वे 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है।

मैं दालों के बारे में थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। मैं मुख्यतः उन चार दालों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें गरीब लोग खाते हैं। यह बात सत्य है कि गरीब आदमी कहता है कि हम नमक-रोटी खा लेंगे, दाल-रोटी खा लेंगे। वह यह भी कहता है कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। यह पुरानी कहावत है। लेकिन अगर दाल की कीमत देखी जाए तो एक माह पूर्व अरहर की दाल का दाम 62-64 रुपए से बढ़कर वर्तमान में 70-80 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी तरह एक माह पूर्व मूंग की दाल का दाम 52 से 54 रुपए था, जो बढ़कर 57 से 56 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, उड़द की दाल का दाम 40 से 42 रुपए था, जो बढ़कर 45 से 55 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, मसूर की दाल का दाम 50 से 54 रुपए था, जो बढ़कर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: चने की दाल का दाम भी बता दीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उसको आप बता दीजिएगा। कुछ मैं बता देता हूं, कुछ आप बता दीजिएगा।

सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। नमक का दाम बढ़ा है, चीनी का दाम बढ़ा है, चने की दाल का दाम बढ़ा है। आज देश में खुदरा बाजार में एक माह के अन्दर 45 प्रतिशत की तेजी से महंगाई बढ़ी है। आलू की बात कही गयी, इस वक्त बाजार में आलू का दाम कम से कम 15 से 20 रुपए किलोग्राम है। पिछले वर्ष हमारे यहां इलाहाबाद जनपद में करीब चार लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ था। गोदामों एवं शीतगृहों में आलू सड़ गए, उसके बाद लोगों ने निकालकर बाहर फेंका और दूसरी बुवाई करने के बाद लोगों ने उसको फिर डंप करना शुरू किया। यह स्थिति होती है। हम उसको कहीं भेज नहीं पाते हैं। यहां तक कि हमारे जो शीतगृह हैं, खाद्यान्न के जो भण्डार हैं, समुचित व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी 50 प्रतिशत खाद्यान्न, फल एवं सब्जियां बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। यही नहीं, महंगाई का असर हमारी शिक्षा पर भी पड़ी है। देखा जाए तो जैसा हमारे कुछ साथियों ने बताया कि 15 लाख टन दाल कहां से कब आयात किया गया, आज भी कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ रहा है। वह केवल इसलिए पड़ा हुआ है कि उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच नहीं हो पाई है कि वह खाने योग्य है या नहीं। सरकार को यह सुध नहीं है कि उसके लिए जल्दी से व्यवस्था करके, उसका जहां पर उपयोग करना हो करे। वह सड़ गया है, उसको फेंकने में कितना खर्च आएगा, उसको बचाने में कितना खर्च आएगा, यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। शिक्षा जगत में निजी संस्थानों में मनमानी चल रही है। राज्य सरकार के विश्वविद्यालय कम नहीं हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एम.बी.ए. में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई 37000 रुपए प्रति वर्ष महंगी हुई है, एम.जे.एम.सी. की शिक्षा 20,000 रुपए महंगी हुई है। शिक्षा के लिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह 30 प्रतिशत फीस बढ़ी है जो डेढ़ गुना-दो गुना से ज्यादा है। इस तरह शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। आज मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है।

दूसरी तरफ, धान की खेती की अब तक स्थिति देखी जाए तो धान की बुवाई 50 प्रतिशत से भी कम हो

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

पाई है और खरीफ की फसल, मेरे ख्याल से 25-30 प्रतिशत कम हुई है। सब्जियों के दाम की बात कही है। अभी मैंने घर में हरी मटर मंगवाया, पालक और सेम के जो बीज होते हैं। पहले उसका दाम 25 रुपए था, अब 60 रुपए है। पालक का दाम पहले पांच रुपए था, अब दस रुपए है। बीन का दाम 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया है। हर वस्तु के दाम लगभग डेढ़ से दो गुना बढ़े हैं। बाजार में कोई भी वस्तु लेने जाइए तो सही मायने में नहीं मिल पाती है। अभी विश्व हेल्थ संगठन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार आज भी भारतवर्ष में 50 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनके लिए हमने अभी तक व्यवस्था नहीं की है। इस समय महंगाई इतनी जबर्दस्त बढ़ी है, जिससे बहुत बुरा हाल है। आम आदमी की थाली में दाल बिल्कुल है नहीं। वे बेचारा कैसे खाना खा रहा है, यह सोचने की बात है। एफ.सी.आई. गोदाम के बारे में अभी हमारे साथी कह रहे थे, जहां पर हम खाद्यान्नों का भंडारण करते हैं, वहां की स्थिति यह है कि एक दशक के दौरान कम से कम दस लाख टन से ज्यादा अनाज सड़ गया है। आयातित दाल, जो कच्ची चीनी आती है, 6.19 लाख टन लालफीताशाही के हमारे लोगों द्वारा व्यवस्था न कर पाने के कारण आज भी बन्दरगाहों पर सड़ रही है। 15 लाख टन आयातित चीनी, दाल खिदिरपुर, कोलकाता के बन्दरगाह पर सड़ गयी है। जिसकी कीमत 1,600 करोड़ रुपए है, जो बंदरगाह पर पड़ी-पड़ी सड़ गई है। वर्ष 1997 से लेकर 2007 तक की अगर बात करें, 2008-2009 की बात तो छोड़ दें, देखा जाए तो 83 लाख टन गेहूं, 3.95 लाख टन चावल, 22,000 टन धान और 110 टन मक्का सड़ गया है। अगर वर्ष 2008-2009 को भी जोड़ दिया जाए, तो इसका प्रतिशत और बढ़ जाएगा। इसी तरह 60 लाख टन अनाज केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली में सड़ गया है। इसी तरह 8,615 करोड़ रुपए गोदामों में रखे अनाज को सड़ने से बचाने और 60 लाख रुपए सड़े अनाज के निष्पादन में खर्च हुए हैं। इसके अलावा पांच लाख टन अनाज असम, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा और झारखंड में सड़ा है। उस अनाज को सड़ने से बचाने के लिए कम से कम 122 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसी तरह वहां सड़े हुए अनाज के निष्पादन के लिए कम से कम 65 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा आप देखें कि 43,063 टन अनाज आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में सड़ा है। इस अनाज को बचाने में 25 करोड़

रुपए खर्च हुए हैं और 34,867 रुपए उसके निष्पादन में खर्च हुए। ये आंकड़े मैं प्रदेशवार सदन में बता रहा हूं।

अगर सच्चाई देखी जाए तो एफ.सी.आई. के गोदामों में जो अनाज सड़ा है, उससे हम एक वर्ष तक डेढ़ करोड़ लोगों का पेट भर सकते थे, लेकिन वह सारा अनाज पड़ा-पड़ा बर्बाद हो गया। इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसके अलावा स्थान और रख-रखाव के अभाव में 20 प्रतिशत अनाज हमारे देश में सड़ जाता है। इसे दूर करने की भी व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए, जबकि हमने बजट पर हुई बहस में भी इस पर चर्चा की थी।

हमारे देश में शीत गृहों में 1,085 करोड़ रुपए मूल्य के फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट देखें, तो उसके अनुसार हमारे देश में 63 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी यहां किया है। आप देखें कि फुटपाथों पर, झुग्गी-झोंपड़ियों में और तमाम ऐसी जगहों में ये बच्चे भूखे पेट घूमते रहते हैं और जो भी मिल गया, खा लिया, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है कि प्रति वर्ष 10.5 लाख बच्चे भूख से हमारे देश में मरते हैं। सरकार ने 1.2 करोड़ टन अनाज जिस दर पर निर्यात किया है, उस दर से गरीबों को वह अनाज बेचने के लिए आज की तारीख में हम तैयार नहीं हैं। इसलिए कोई न कोई माकूल व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी।

जहां तक आयातित 1.3 लाख टन दाल का सवाल है, 4.83 लाख टन कच्ची चीनी का सवाल है, दो माह से कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कांडला और कोच्चि बंदरगाहों पर पड़ी सड़ रही है, जिसकी आज तक सरकार उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। जहां तक इसमें जो कमी आई है, वह सेंट्रल फूड लेब्रोटरी की अनुमति न मिलने के कारण ये खाद्यान्न सड़े हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मुझे महंगाई के मुद्दे पर और भी कई बातें कहनी थीं, लेकिन समयभाव के कारण नहीं कह सकता। मेरे से पूर्व जिन माननीय

सदस्यों ने मुद्दे उठाए हैं, जो हमारा अनाज सड़ रहा है, बेकार पड़ा हुआ है, कम से कम उसे संरक्षित करने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं मांग करना चाहूंगा कि आयात-निर्यात पर रोक लगाई जाए और जितना भी अनाज आपके पास है, मंत्री जी जो दावा करते हैं कि हमारे भंडार भरे हुए हैं, भुखमरी से कोई नहीं मरेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो कम से कम उस अनाज को निकालें और महंगाई पर रोक लगाएं। सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे राष्ट्रीय आपदा समझकर इस पर विचार करे। इसके अलावा राजनीतिक दलों पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप न लगाकर जो सुझाव महंगाई को रोकने पर आए हैं, उन पर विचार करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस विषय पर कई माननीय सदस्यों को बोलना है। यदि कुछ माननीय सदस्य अपने भाषण को सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, प्राइस राइज का मुद्दा अत्यंत गम्भीर मसला है। यह मसला किसी खास दल और किसी खास सांसद का सवाल नहीं है, यह देश के प्रत्येक परिवार का मसला है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, अमीर तो कम हैं, गरीब ज्यादा हैं, हर परिवार के बीच में आज महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हम यह नहीं कहते कि सरकार या कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि अखबार में मेरा नाम छप गया है। स्थिति बहुत भयावह है और निकट भविष्य में और भी भयावह होने वाली है। जो एमपीज हैं और खास करके जो सत्ताधारी दल के एमपीज हैं, या राज्य सरकार में जो लोग हैं या हम भी हैं, जब कल के बाद सदन से जनता के बीच में जाएंगे, तो मुझे अंदेशा है कि हर जगह पिटाई होगी। हम यहां पर आंकड़े देकर, एक-दूसरे पर आरोप लगाकर बच नहीं सकते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि इस संकट से हम कैसे निकलें, इस संकट का समाधान कैसे हो? कैसे इस संकट से गरीब लोगों को निकालें? महंगाई घटे या बढ़े, इससे

अमीर लोगों को कोई असर नहीं पड़ता है। इस देश में निम्न मिडिल-क्लॉस, मिडिल क्लॉस, बी.पी.एल. और किसान लोग हैं। हमें उन कारणों पर भी विचार करना चाहिए जिनके कारण यह सिचुएशन बढ़ से बढ़तर होती जा रही है। लहसून, मिर्ची, धनिया, दाल, तरकारी-सब्जी आदि भोजन से लेकर कपड़ा-लत्ता, दवा-दारू आदि सब पर बढ़ा भारी असर पड़ा है और लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। विगत दिनों माननीय शरद पवार जी ग्रांट पर ग्रांट अपने विभाग की पेश कर रहे थे। उन्होंने आगे के लिए भविष्यवाणी की और सच्चाई को रखा कि ग्लोबल वार्मिंग है और इसका असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ने वाला है। जो हमारी रबी की फसल है, उसके होने की संभावना की जो हम सोच रहे हैं, इस पर भी बढ़ा भारी असर पड़ने वाला है। धान तो खत्म हो गया, उसका तो सवाल ही नहीं है और इसे स्वीकार किया गया है। इसे सभी लोग जानते हैं 15 प्रतिशत भी इसे रोपने का काम नहीं हुआ है और अब संभावना भी नहीं है। उस दिन माननीय मंत्री जी ने हाउस में स्वीकार किया था कि स्थिति को हम वॉच कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होगी, लेकिन अब तो अगस्त का महीना है और कहीं भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यह तो ग्लोबल वार्मिंग का असर है। एक हथिया नक्षत्र बचा है। माना जाता है कि हाथी के पांव से बारिश होती है तो सवा भर, एक भर सोना गिरता है। इसका असर यह होता था कि बचा हुआ धान तो हो ही जाता था लेकिन आगे जो रबी की फसल, जिसे गोहूँ बोलते हैं, जो बोलते हैं या सब्जी बोलते हैं, जैसे टमाटर, गोभी, आलू, धनिया आदि की खेती लहलहाती थी और दशहरे के बाद बड़े पैमाने पर खेती होती थी, लेकिन हमें लगता है बारिश नहीं होने वाली है। यू.पी.ए. गवर्नमेंट में हम थे और पार्लियामेंट का चुनाव जब हो रहा था तो हम चारों तरफ कम्पेन कर रहे थे कि अनाज के मामले में, चावल-गोहूँ के मामले में देश आत्म-निर्भर हो गया है। यह सच्चाई भी है और माननीय मंत्री जी जब आयेंगे तो बताएंगे। इसलिए हम बोलते थे कि हमने अपने देश के किसानों को समर्थन मूल्य गोहूँ और चावल में दिया तो हमारे किसानों ने हमारे भंडारों को भर दिया। आज आटे के दाम, रोटी के दाम बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि तूर दाल जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, उसकी पैदावार हमेशा कम रहती है। लेकिन जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह जो मुम्बई की सट्टेबाजी है, इस जुएबाजी को खत्म करिये। उस समय भी दाल को एक्सपोर्ट किया

[श्री लालू प्रसाद]

गया था। फारवर्ड मार्केट में दाल को भी लोगों ने रखा था। देश में जो मुनाफाखोर हैं, जमाखोर हैं, उन्हें मालूम है कि अगले महीने में दाम बढ़ने वाले हैं। वे चीजों को दबा कर रखते हैं, क्योंकि हर व्यापारी चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा कमाई करे। हमारे साथियों ने ठीक कहा है कि एफ.सी.आई. के गोदाम प्रचुर मात्रा में न होने के कारण खुले आकाश के नीचे अनाज रखने में मजा आता है और बाद में यह बहाना बनाया जाता है कि अनाज चूहे खा गए। जब गोदामों में गड़बड़ी हो जाती है, तो यह लिख दिया जाता है कि चूहे अनाज खा गए या अनाज सड़ गया है। अनाज कम सड़ता है, लेकिन खेल यह होता है कि सड़ने के नाम पर घटिया क्वालिटी का गेहूं जानवरों को खिलाने के लिए निर्धारित रेट से कम रेट में दे देते हैं। क्यों गेहूं, आटा, दाल का दाम बढ़ रहा है? दाल का रेट छह रुपए से अस्सी रुपए तक जा रहा है। सरकार को मालूम होना चाहिए, राज्य सरकारों को मालूम होना चाहिए कि डाटा देकर आप एक-दूसरे को ब्लेम करके बच नहीं सकते हैं। हमारा देश ऐसा है कि प्याज के नाम पर सरकार बदल जाती है। अगर प्याज मार्केट से गायब हो गया, तो आप समझिए कि सरकार सत्ता से चली जाती है। सरकार को बढ़ती महंगाई के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे पुराने स्टॉक की वर्तमान स्थिति यह है कि स्टॉक में सारा सामान है, दाल है, गेहूं है, लेकिन इन चीजों को दबा कर रखा गया है। कोई आदमी देखने वाला या सुनने वाला नहीं है, जो जमाखोरी पर अंकुश लगा सके।

महोदय, आप जानते हैं कि इसके अलावा हमारे ऊपर क्या खतरा पैदा हो गया है। नकली घी देश में बन रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते होंगे कि नकली घी बहुत अधिक मात्रा में हड्डियों से या अन्य चीजों से बनाया जा रहा है। हम जो अमूल बटर खा रहे हैं, वह पता नहीं कितनी खतरनाक चीज से बन रहा है। यहां तक कि दूध भी नकली बन रहा है, यूरिया से बन रहा है। क्या यह देश के लिए मामूली खतरा है? खोया भी नकली बनाया जाता है। हम चर्चा करते हैं कि चीनी का दाम बढ़ गया है। आज देश का हर व्यक्ति आशंकित है और मिठाई को छू नहीं रहा है। सरकार को जमाखोरी के खिलाफ, मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ाई से पेश आना चाहिए। हमें किस चीज की देश में जरूरत है, क्योंकि यह फसल तो गई और मैं बताना चाहता हूं कि अगली फसल भी नहीं बचेगी, आगे भी कुछ होने

वाला नहीं है। एक साल सरकार का तैयारी में निकल जाएगा, दूसरे साल भी कुछ नहीं होगा और तीसरे साल सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। प्रणब बाबू, आपने जो इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया है, इसके लिए शुरू में हमने कहा था कि आप जो भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए। हमें सभी राज्य सरकारों के मुखिया को बुलाकर तैयारी करनी चाहिए, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बी.जे.पी. की सरकार है, कहीं सी.पी.एम. की सरकार है या किन्हीं राज्यों में वहां क्षेत्रीय दलों की सरकार है, इस संकट को, भूख के संकट को प्राथमिकता के साथ निपटने की तैयारी करनी चाहिए। पानी की भी समस्या है। पीने के लिए पानी नहीं है। अंडर ग्राउंड पानी का स्रोत नीचे जा रहा है। जहां किसान ट्यूबवेल चला रहे हैं, वहां भी चापाकल खत्म हो गये हैं और कुएं में तो पानी नहीं है। कहीं से पानी पीने के लिए मेंढक, सांप इत्यादि सब कुएं में गिरे हुए हैं। इसलिए हमें अपनी जनता के लिए, अपने मालिकों के लिए चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, मांस-मछली, अंडा इत्यादि कितना चाहिए क्योंकि अगर यह आन्ध्र प्रदेश नहीं हो तो बिहार में लोगों को मछली, अंडा भी नहीं मिलने वाला है। ये सारा आन्ध्र प्रदेश से आता है और वे भी बेचारे उधार दे देते हैं और जो उधार लाता है, ऐसा भी होता है कि कई जगह पैसा भी नहीं देते हैं। इसलिए जब बारिश नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी, नदियां नहीं भरेंगी तब फिर भारी संकट हमारे सामने आने वाला है। मांस, मछली, अंडा, बकरा इत्यादि लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने स्टॉक को असेस करिए कि कितना आपके पास चावल और गेहूं इन महीनों तक खिलाने के लिए है। यह नोट कर लीजिए। मैं बोल कर जा रहा हूं कि आपके यहां गेहूं, मक्का भी नहीं होने वाला है क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, खेतों में हाल नहीं रहेगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, इस खतरे से बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन नॉर्थ-इंडिया में होता है, इससे आगे और खतरा होता जाएगा। नतीजा क्या होगा, मारामारी तो होगी ही, डकैती, चोरी बढ़ेगी, गांव-गांव में लूट बढ़ेगी, मारकाट बढ़ेगी। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सभी जगह खराब होगी। इसलिए सरकार को और सरकार में प्रणव बाबू जैसे जिम्मेवार, रीजनेबल लोग वहां बैठे हुए हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब को ठीक कराइए।

प्रधान मंत्री जी को कहिए। मैंने देखा है कि प्रधान मंत्री जी ने सारे राज्य के सैक्रेटरीज की शायद कोई बैठक बुलाई है। तैयारी करिए। ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बता दिया गया है, पवार साहब ने यह भी कहा कि हम अपने साइंटिस्ट्स के द्वारा अन्न की ऐसी वैराइटी तैयार कर रहे हैं कि उसका असर कम हो। जब जवाब देने लिएगा तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके साइंटिस्ट्स ने किसानों के लिए क्या सजेस्ट किया है ताकि हम लोग क्योंकि जब पानी ही नहीं है और जब फिर पछुआ हवा बहेगी, जब दूध आएगा, इतना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा कि समूचा दूध मुरझा जाएगा, समूचा दूध सूख जाएगा। इसलिए पेट पर भारी खतरा है, हर आदमी के पेट पर खतरा है। इसलिए खतरा सबके ऊपर है। अबोध जनता नहीं जानती है, लोग बातों को नहीं समझते हैं लेकिन जब सभी जगह सबके ऊपर देला, ईट फेंकना लोग शुरू करेंगे तो आप तैयारी करिए और सभी एम.पीज की सुरक्षा के इंतजाम करिए। ... (व्यवधान)

* आपको जो बता रहा हूँ इसे आप लाइटली मत लीजिए। या तो अपने क्षेत्र में वे नहीं जाएंगे और यदि जाएंगे तो लोग कुटाई करेंगे कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए उसके लिए भी सरकार तैयारी करे और चावल, गेहूँ, मांस, मछली, अंडा, कपड़ा, बीमारी और दवा का इंतजाम करे। ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपने तो ये सब चीजें खाना छोड़ दिया था। ... (व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: हम खा रहे हैं। अब हम खाएं या नहीं खाएं, हमारे नहीं खाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। इसलिए गेहूँ, चीनी चावल का पूरा डी-होर्डिंग करवाइए। ये जो जमाखोर लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों यह सरकार आते-आते दाम इतने बढ़ गये? इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं कि बनावटी करके यह जो हो रहा है, इसलिए आप डी-होर्डिंग करवाइए और सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों को आप कलेंडर बनाकर दीजिए कि आप अपने-अपने राज्य में डी-होर्डिंग करिए, सामान को पकड़िए और ऐसे लोगों को जो डी-होर्डिंग करते हैं, कानून के तहत उनको गधे पर बैठाकर घुमाइए। ... (व्यवधान) हिंसा नहीं, अहिंसात्मक तरीके से करिए। कानून के तहत हर कलैक्टर जिम्मेदार है। ... (व्यवधान) जीप में ले जाइएगा तो तेल का खर्चा होगा। ... (व्यवधान)

महोदय, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जल्दी से सभी लोगों की मीटिंग बुलाकर जिम्मेदारी दीजिए। इसके

अलावा आप बताइये कि हम एम.पीज का क्या दायित्व है, सरकार की हम सभी दलों के लोगों और एम.पीज से क्या अपेक्षा है? चूंकि स्थिति बहुत खतरनाक है।

महोदय, यदि भूख के कारण हमारा पेट सूखा रहेगा तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी। इससे पहले जो यू.पी.ए. नम्बर वन था, उसमें हम लोगों ने काम किया था। लेकिन यू.पी.ए. नम्बर दो जो सरकार आई है, इसमें हम देखते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): नम्बर दो क्या है?

श्री लालू प्रसाद: जो सरकार दोबारा बैठी है। नम्बर दो का मतलब यू.पी.ए. को जो दोबारा पीरियड मिला है। हम देखते हैं कि इनमें किसी में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इतने सवाल उठाये गये, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और विपक्ष तथा सभी लोगों को कांफिडेंस में लेना पड़ेगा। आप बताइये, हम लोगों को क्या करना है? आप बताइये कि यदि हमें दो-तीन महीने की तनखाह छोड़नी है तो हम सभी लोग तनखाह छोड़ देंगे। आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? आज यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इससे निपटने के लिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को भूख से बचाने के लिए क्या करना है? जब डीजल के दाम बढ़े तो सारे सामान के दाम बढ़ गये, वह अलग बात है। जो सामान ट्रक से जाता है, यदि कोई लायेगा तो क्या अपने घर से पैसा देगा, वह पब्लिक से चार्ज करेगा, आम जनता से चार्ज करेगा। यदि पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसका खर्चा सरकार के ऊपर आता है, वह अलग बात है। लेकिन डीजल के दाम बढ़ने से भी असर पड़ा है।

महोदय, अब प्याज गायब हो जाएगा। आलू 16-17 रुपये किलो मिलता है और उस आलू में भी कोई स्वाद नहीं है। पता नहीं यह आलू कहां का है। हम देखते हैं कि सारे फूल, फल, तरकारी महंगे हो गये हैं। हमने टी.वी. पर भी देखा कि घटिया और मिलावट वाली चीजें बेचते हैं। इसमें संबंधित विभाग के मंत्री को देखना चाहिए कि ऑरेंज को रंगकर, पेन्ट करके उसे सुई लगा रहे हैं। सरकार इस मार्केट को देखेगी या नहीं, सरकार मार्केट को कंट्रोल करेगी या नहीं? सरकार यह देखे कि नागरिकों को शुद्ध और क्वालिटी का सामान मिल रहा है

[श्री लालू प्रसाद]

या नहीं। यह स्थिति सरकार को ब्लेम करने की नहीं है। जो दैवीय आपदा आ रही है, इससे निपटने के लिए हम सबको मिलकर रास्ता निकालना चाहिए।

महोदय, पत्रकार लोग जो दाल, रोटी, मूंग, तुअर और तड़के वाली दाल खाते थे, इनके ऊपर भी असर पड़ा है। ये अखबार के लोग ठीक बोल रहे थे। इन्हें भी हम लोगों की तरह चिंता है। ये लोग बोल रहे थे कि इतने इम्पार्टेंट इश्यु पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ... (व्यवधान)

सभापति महोदय: लालू जी, प्लीज अब आप समाप्त कीजिए।

श्री लालू प्रसाद: क्या प्लीज से समस्या का समाधान हो जाएगा? इसके अलावा हमारे माननीय साथी और अन्य दलों के नेता बोलेंगे और अपने सुझाव देंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसे मिटाने के लिए और कदम से कदम मिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमें क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है, आप देश की जनता को कांफिडेंस में लीजिए और सरकार देश के हर ब्लॉक, हर पंचायत पर सस्ती दर पर दो रुपये में भरपेट रोटी और तरकारी का इंतजाम करे। दो रुपये में लोगों को भरपेट भोजन मिले। सप्ताह में भले एक दिन दाल मिले, लेकिन रोटी और तरकारी झलदार मिले।... (व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): दूध के बारे में भी कहिये।

श्री लालू प्रसाद: दूध कहां से देंगे।

श्री विजय बहादुर सिंह: भैंस महंगी हो गई।

श्री लालू प्रसाद: भैंस महंगी भी हो गई है और भैंस जीभ निकाल कर हांफ रही है, उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट आया है। इसलिए इसका समाधान हम सभी मिलकर कैसे निकालें और अपने देश की जनता का पेट भरने के लिए कम से कम भोजन, शुद्ध पानी और दवा कैसे मुहैया करायें। आज अशुद्ध पानी के कारण डायरिया फैल रहा

है। आप जाकर देखिये कि डीहाईड्रेशन हो रहा है। गांव-गांव में बीमारी फैल रही है। जहां-तहां हैजा, मलेरिया फैल रहा है। आदमी जहां-तहां का अशुद्ध पानी पी रहा है। इससे स्थिति भयावह हो गई है। सरकार इसे देखे और हम लोग भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। अन्य सदस्यों को भी अपने सुझाव देने हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आज नरेगा में काम बंद है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अन्य सदस्य भी अपने सुझाव देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: सत्ताधारी दल में श्री नारायणसामी जी और बंसल जी दोनों पंचकुअल रहते हैं। बाकी जितने इम्पार्टेंट लोग हैं, गायब हैं, पता नहीं कहाँ गये हैं?

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: सायं 5.00 बजे मंत्रिमंडल की बैठक है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: नारायणसामी जी और बंसल जी समझते हैं कि यही सरकार चला रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं। ईमानदारी में दोनों पर कोई आंच नहीं है। एक चिड़िया होती है जो दोनों पैर ऊपर टांगे रहती है और वह समझती है कि वह ही आकाश को टांगे हुये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कई अन्य माननीय सदस्य भी अपने सुझाव देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें भी बोलने दें। मैं आपको कुछ समय दूंगा। कृपया उतने ही समय तक बोलें।

[हिन्दी]

* श्री राधामोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): आवश्यक वस्तुओं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की कमतों में वृद्धि के बारे में आज चर्चा हो रही है। इस अवसर पर मुझे एक बात याद आ रही है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अन्त में कहा था। उन्होंने कहा था कि "मैं महात्मा गांधी के वचन को उद्धृत करना चाहूंगा, लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतर्निहित है।"

महात्मा गांधी जी ने जिस स्वराज और लोकतंत्र की बात की थी - सचमुच उसमें देश के आम आदमी की खुशहाली का सपना था। गांधी जी के जमाने से लेकर सत्तर के दशक तक हिन्दुस्तान के आम आदमी की जुबान पर एक बात होती थी कि "दाल रोटी खाओ-प्रभु के गुण गाओ।" बाद में हिन्दुस्तान के आम आदमी की एक खास बात हर जगह सुनाई पड़ती थी - बस दाल रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं।

महोदय, एक समय था जब हम लोग कालेज में पढ़ते थे, होटल में खाने जाते थे तो दाल निःशुल्क मिलती थी। बड़े होटलों में बहुत दिनों तक मीनू कार्ड में तो दाल का नाम तक नहीं होता था।

महोदय, आज की यू.पी.ए. सरकार में लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक और आर्थिक हितों की, कितनी चिन्ता कर रही है जिसका परिणाम है दालों की कीमतें दो गुने से ज्यादा बढ़ी हैं। फरवरी, 2008 में अरहर दाल की कीमत 44 रुपए प्रति किलो थी जो अब सीधे 80 से 90 रुपए प्रति किलो हो गयी है। मूंग, मसूर, चना एवं उड़द की दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दिल्ली सरकार की नौटंकी भी देश की राजधानी में सफल नहीं हो पायी। राजमा 45 रुपए प्रति किलो से बढ़कर सीधे 60 से 70 रुपए प्रति किलो हो गये हैं। चावल और आटा एन.डी.ए. शासन काल में 10 रुपए और 8 रुपए प्रति किलो मिलता था अब काफी महंगा हो गया है, इसी तरह चीनी अब इतनी महंगी हो गयी है कि उसे आम आदमी को चाय में डालने से पहले सोचना पड़ता है कि कितने चम्मच डाले जाएं। दाल की कीमतों में लगी आग से अभी लोग उभर भी नहीं पाये थे कि चीनी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब चीनी प्रति किलो 40 रुपए के हिसाब से मिलेगी। 30 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी के दाम घटने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं। चीनी के उत्पादन के आंकड़े यदि देखा जाए तो इस

साल 113 लाख टन की गिरावट दर्ज की गयी है। उत्पादन बढ़ाने की कोई भी सरकारी पहल दिखाई नहीं दे रही है। खाद्य तेलों की महंगाई ने भी आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। डीजल, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी ने तो यू.पी.ए. सरकार में सारे रिकार्ड तोड़ दिये हैं और अब पी.डी.एस. के जरिये केरोसिन तेल केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित करने की सरकार की योजना के कारण देश के करोड़ों लोगों के लिए केरोसिन तेल भी निश्चित रूप से काफी महंगा होने वाला है।

महोदय, आम आदमी के हितों की चिन्ता से आंख मूंदकर चलने वाली यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में आम घरों में स्थिति ऐसी है कि परिवार के लोग दिन चढ़ने पर सोचना शुरू कर देते हैं कि वे आज दाल खायें या फिर सब्जी? महोदय, सबसे सस्ती सब्जी आलू अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है। आलू के भाव आम की बराबरी करने में लगे हैं। जो लौकी, तुरई, करेला 10 रुपए किलो बिकता था आज उसके भाव भी आसमान छू रहे हैं। दिल्ली खुदरा बाजार में जहां आम आदमी सब्जी खरीदने जाता है आज बीन्स 40-48 रुपए, भिण्डी 32-40 रुपए, घिया 40-42 रुपए, करेला 30-35 रुपए, बैंगन 20-24 रुपए, मिर्च 40-50 रुपए, गोभी 60-65 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं। हर आदमी महंगाई के चौतरफा दबाव से आहत है। घर का बजट बिगड़ चुका है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार में बैठे देश के रहनुमाओं से मा. प्रधान मंत्री जी एवं मा. वित्त मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों के हाथ - आम आदमी के साथ न रहे - मुझे कोई आपत्ति नहीं है, देश के आम लोग भी "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ" के नारे को अवश्य भूल गया होगा, किन्तु कृपा कर अभी कम से कम आम आदमी के पॉकेट पर अपना हाथ साफ न करें।

महोदय, कीमतों में उतार-चढ़ाव किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक स्थिति है। कठिनाई तब ज्यादा होती है जब इस अर्थव्यवस्था पर बाजार का जोर ज्यादा चलता है। सरकार बाजार के साथ खड़ी दिखायी देती है और आम आदमी बस मुंह ताकता रह जाता है। देश में इस समय जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की तो इसने कमर तोड़ दी है।

देश के आर्थिक, विशेषज्ञ श्री आनन्द प्रधान जी ने

[श्री राधामोहन सिंह]

21 जुलाई को राष्ट्रीय सहारा के अपने लेख में स्पष्ट कहा है कि "ऐसा लगता है कि सरकार "मूदहूँ आंख कतहूँ कछू नाहीं" की खुशफहमी में जी रही है। सच यह है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा लगता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खेतिहर मजदूरों के लिए मुद्रास्फीति की दर 10.5 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए यही मुद्रास्फीति दर 8.7 प्रतिशत है।" इससे साफ है कि आम आदमी महंगाई से किस कदर परेशान है। सरकार को भगवान भरोसे बैठने के बजाय सक्रिय होना पड़ेगा। यू.पी.ए. की सरकार को यह ध्यान में रखना होगा कि जब-जब देश में कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनती है, इस सरकार की कोख से महंगाई का ही बच्चा जन्म लेता है। क्योंकि घोटाले के दरवाजे खुल जाते हैं। बिचौलियों के भाग्य चमकने लगते हैं। जमाखोरों और काला बाजारियों के खिलाफ कार्यवाही शिथिल पड़ जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई रोकने के लिए ईमानदार प्रयास करें।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

महंगाई जैसी समस्या पर कई विद्वान और अनुभवी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन यह सच है कि जब यह सदन चलता है तो देश के 120 करोड़ लोगों की आस्था, श्रद्धा, आशा और आकांक्षा इस पर टिकी रहती है। मैं एक ऐसे सुदूर क्षेत्र से आता हूँ जहां की स्थिति काफी दयनीय है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसका असर गांव, के गरीबों पर और मजदूरों पर निश्चित तौर पर पड़ता है। आज महंगाई पर चर्चा जोरों से हो रही है किन्तु मुझे लगता है कि इस चर्चा से और तर्क-वितर्क से इस समस्या का समाधान सम्भव नहीं है।

सभापति जी, आपको मालूम है कि जब देश में एन.डी.ए. की सरकार थी तो सिर्फ सब्जी और प्याज महंगे हुये थे और यहां पर कई माननीय सांसद विराजमान हैं, उन्होंने उस सरकार की कितनी धज्जियां उड़ाई थीं जिसके चलते कई राज्यों में सरकारें भी गिर गईं। यह बात सही है कि हमारे बीच विद्वान और अनुभवी अर्थशास्त्री बैठे हुये हैं लेकिन वे इस समस्या का समाधान नहीं

निकाल पा रहे हैं। इस विषय पर बहुत ही गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इस प्रकार के तर्क दिये जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल महंगे हो गये हैं, इस वजह से तेजी आती है, फलस्वरूप महंगाई बढ़ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग इस मसले को जानते नहीं, समझते नहीं हैं। मैं किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि देश के किसान यह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अरहर, चना, गेहूँ, चावल जो किसान खेत में उपजाते हैं और खेत में उसकी कीमत होती है, जैसे चावल की कीमत 1200-1800 रुपये प्रति क्विंटल होती है तो वह बाजार में 2000-3000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने लगता है।

अपराहन 5.00 बजे

जब अरहर किसान के घर से निकलता है यानी किसान को अरहर 3 से साढ़े 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल देते हैं, लेकिन वह बाजार में 8 से 9 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकने लगती है। किसान गेहूँ 900 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल बेचते हैं तो वह बाजार में 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिकने लगता है। इसी तरह से व्यापारी लोग चना 2 हजार से 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसान से लेते हैं और वह बाजार में 4 हजार से साढ़े 4 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिकता है।

अपराहन 5.01 बजे

(डॉ. एम. तम्बिदुरई पीठासीन हुए)

महोदय, यह बीच की इतनी बड़ी राशि कहाँ जाती है? यह सच है कि मुनाफाखोर या बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों की जेब में ये पैसे जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि गेहूँ, चावल या धान का दाम 900 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन व्यापारी लोग इन्हें 600 या 700 रुपए प्रति क्विंटल लेते हैं। क्या इस बीच में कोई टैक्स लगाया जाता है या कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है? इस तरह से यह स्थिति बनी हुई है।

महोदय, किसान डी.ए.पी. खाद 900 रुपए प्रति बोरी खरीदते हैं। सरकार कहती है कि हम उस पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का कोई असर, सब्सिडी का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इस बीच में जो बिचौलिये हैं, मुनाफाखोर हैं, उन पर अंकुश कौन लगायेगा? सरकार का यह दायित्व है कि इन पर अंकुश लगाया जाए। यह बात सही है कि हमारी अर्थव्यवस्था

कृषि आधारित है, लेकिन कृषि पर सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, हमेशा से औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाता रहा है और इससे यह हुआ कि विश्व में निर्यात तो होता रहा, विश्व बैंक में पैसे तो जमा हुए, लेकिन किसानों की फसल, अनाज का मूल्य कभी भी निर्धारित नहीं हुआ। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ और यह सदन जानता है कि दिल्ली के बाजारों में अगर कोई साबुन 13 रुपए में मिलता है तो बिहार के सुदूर क्षेत्रों में भी वह साबुन 13 रुपए में ही मिलता है। किसानों की खून-पसीने की जो उपज है, अनाज है, इसमें कभी भी एकरूपता दिखाई नहीं देती है।

महोदय, आपको मालूम है कि जो ग्रामीण लघु उद्योग धंधे हैं, कुम्हार लोग, चर्मकार लोग, बढ़ई लोग, आदि जो काम करते हैं, वे बहुत मेहनत करते हैं, वे जितनी पूंजी लगाते हैं, उनकी उतनी पूंजी भी वापस नहीं आती है। उसकी कीमत नगण्य है और उसकी कुछ कीमत नहीं लगायी जाती है।

महोदय, लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं। इसलिए विपक्ष की तरफ से जो सुझाव आते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मैं कृषि के संबंध में बताना चाहता हूँ कि कृषि के उपकरण 10 गुना महंगे हो गये हैं। कुदाल, खुरपी, कछिया और अन्य उपकरण जिन्हें किसान कृषि कार्य में उपयोग करते हैं, वे 10 से 15 गुना महंगे हो गये हैं। आपको मालूम होगा कि कीटनाशक दवाओं की कीमत 10 गुना बढ़ गयी है और इसीलिए किसान कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृषि संयंत्रों की कीमत भी 10 गुना से लेकर 20 गुना अधिक हो गयी है।

महोदय, आपको मालूम है कि इस देश में कम्युनिटी एक्शन का प्रावधान है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो फूड आइटम्स हैं, उन्हें इससे निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आपको मालूम है, अभी चर्चा हो रही थी कि बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आप गांवों की हालत देखिए, गांव में गरीब लोगों के बच्चों को दवा नहीं मिल पाती है, वे दवा खरीद नहीं पाते हैं, वे कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, खाने का सामान नहीं खरीद पाते हैं। इससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है।

महोदय, इसलिए जब तक कृषि नीति नहीं बनायी जाएगी, किसानों के हित में कोई कारगर उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि महंगाई पर अंकुश लग सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हम सभी देश में बढ़ती महंगाई से बहुत चिंतित हैं। भूखे लोग भुखमरी आदि से जूझ रहे हैं। इसीलिए हम इस समस्या से चिंतित हैं। वर्तमान चर्चा आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के संबंध में है हमें यह पता लगाना है कि कीमतों को कैसे नियंत्रित किया जाए अथवा इस समस्या को कैसे हल किया जाए। मैं कुछ वक्ताओं से सहमत हूँ जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि शीघ्र ही जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। अनैतिक और बेईमान जमाखोर और काला बाजारी करने वाले इस विकट स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है परन्तु वे 10, 15 अथवा 30 दिनों के पश्चात जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। हमें ऐसी परम्परा स्थापित करनी होगी जिसमें ऐसे वर्ग से संबंधित जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, को कठोर कारावास दिया जाए। इन लोगों की प्रशासन अथवा पुलिस अधिकारियों अथवा यहां तक की राजनेताओं तक अच्छी पहुंच है। एक समय के पश्चात अथवा एक स्तर के पश्चात उन्हें जमानत मिल रही है। इस वर्ग के लोगों को ऐसे मामलों में अभी तक कोई कठोर दंड नहीं दिया गया है।

हमारे अनुसार बाजार में एक नियमित निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभागों को सक्रिय होना चाहिए। उन्हें कीमतों को नियंत्रण से बाहर जाने पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। यदि आज किसी वस्तु की कीमत 5 रु. प्रति कि.ग्रा. है तो कल यह 7 रु. प्रति कि.ग्रा. हो जाती है और उससे अगले दिन 10 रु. प्रति कि.ग्रा. हो जाती है। इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं है। केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर निगरानी व्यवस्था को प्रवर्तन विभागों के माध्यम से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जमाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाने का परिपत्र जारी किया है, परन्तु ऐसा मेरा दृढ़ मत और विश्वास है कि कुछ राज्यों ने ही इस दिशा-निर्देश का पालन किया है। उन्होंने न ही तो जमाखोरी के विरुद्ध

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

कोई अभियान चलाया है, न ही कालाबाजारी करने वालों के गोदामों पर छापे मारे हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार को देश के मान्यता प्राप्त व्यापार संगठनों से विचार-विमर्श करना चाहिए। व्यापार संगठनों के परिसंघ हैं और व्यापार संघों के परिसंघ हैं। विभिन्न राज्यों में वे भिन्न तरीकों से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में वे खुदरा बाजार पर नियंत्रण रखते हैं। हमें इन संगठनों अथवा संघों के साथ नियमित अन्तराल के पश्चात् विचार विमर्श करना चाहिए, वे इस पहलू पर नया प्रकाश डाल सकते हैं। मैं इस सभा अथवा प्रधानमंत्री अथवा सरकार को यह प्रस्ताव करता हूँ कि हमें इस प्रकरण को देखने के लिए व्यापार मंत्रालय का गठन करना चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में धीरे-धीरे उत्पादन में गिरावट आ रही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुद्रा स्फीति का पता लगाने हेतु उपयुक्त सूचकांक का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित मुद्रा स्फीति दर में अंतर देखा गया है।

किसान काफी उत्पादन कर रहे हैं परन्तु अंततः उन्हें अपने उत्पाद औने-पौने दामों पर बेचने पड़ते हैं। गत तीन-चार वर्षों से पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक किसान काफी मात्रा में आलू का उत्पादन कर रहे हैं, परन्तु अन्ततः उन्हें अपना उत्पाद औने-पौने दामों पर बेचना पड़ा। वहां कोई कोल्ड स्टोर नहीं है जहां वे अपने उत्पाद रख सकें। इसलिए उन्हें एक रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से औने-पौने दामों पर उत्पाद बेचने पड़ते हैं।

इस प्रकार दोनों ओर से ही यह सब हो रहा है। बिचौलिए पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं। वे निचले स्तर तक जा रहे हैं अर्थात् किसान स्तर तक खाद्यान्न सामग्री एकत्र कर रहे हैं उन्हें अपने पास अथवा शहरों के पास लाते हैं और उसके पश्चात् उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि कृषि उत्पादों हेतु मूल्य नीति जो कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिश पर निर्धारित किए जाते हैं और 24 महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की सिफारिश भी करता है इस संख्या में वृद्धोत्तरी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त संसद के

सदन में उपस्थित सदस्यों के परामर्श से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अथवा राशन व्यवस्था के माध्यम से सूची के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा सकता है। मेरे विचार से कुछ सकारात्मक कदमों से ही मूल्य वृद्धि को कम किया जा सकता है। सरकार को सावधान रहना चाहिए और इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय: धन्यवाद, श्री भर्तृहरि महताव अगले वक्ता हैं। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री भर्तृहरि महताव (कटक): महोदय, पिछले एक वर्ष से कीमतें बढ़ रही हैं। इस चर्चा के लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया है और इस विषय पर विचार-विमर्श हेतु पर्याप्त समय आवंटित किया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि वामपंथी दलों और गैर कांग्रेस और गैर-भाजपा दलों द्वारा आयोजित धरने के पश्चात् सरकार सभा में मूल्य वृद्धि पर चर्चा के लिए सहमत हुई है। यह प्रतीत होता है कि बढ़ती हुई कीमतों विशेषकर दालों, चीनी, सब्जियों और खाद्यान्नों के संबंध में हमारी चिंताओं के बारे में सरकार की हकीकत सामने आ गई है। सरकार को दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए उन वस्तुओं जिनकी आपूर्ति कम है, की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद्य वस्तुओं का आयात करना चाहिए था। बारिश के मौसम में आपूर्ति में कमी के कारण कुछ मूल्य वृद्धि अवश्यमभावी है, परन्तु इस बार कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हैं। काफी लम्बे समय से कीमतें ऊपर थी और उनमें अभी भी वृद्धि हो रही है।

आज जब मैं समाचार-पत्र पढ़ रहा था, मैंने पाया कि उदाहरण के तौर पर तूर दाल की कीमत एक वर्ष पहले 43.50 रु. प्रति कि.ग्रा. की तुलना में 82 रु. प्रति कि.ग्रा.; चीनी की कीमत पिछले वर्ष 19 रु. प्रति कि.ग्रा. की तुलना में 30 रु. प्रति कि.ग्रा.; खुली चाय की कीमत गत वर्ष 121 प्रति कि.ग्रा. की तुलना में 146 प्रति कि.ग्रा.; दूध की कीमतें गत वर्ष 19 रु. प्रति लीटर की तुलना में 21 रु. प्रति लीटर; आलू जिसके बारे में श्री सुदीप जी बता रहे थे एक वर्ष पहले 11.50 रु. की तुलना में अब 18 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से बेचा जा रहा है।

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकार इस प्रकार व्यवहार कर रही है कि गेहूँ और गैर-बांसमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के पश्चात् सीमित नीति है।

इसके कारण भी कीमतों में वृद्धि हुई है। आज कोई भी यह कह सकता है कि तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण भी मूल्य वृद्धि हुई है। इस वर्ष मानसून का देरी से आना और कम आना भी चिंताजनक है। कृषि मंत्री ने कहा है कि धान की बुआई गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक कम हुई है। 14.52 मिलियन हेक्टेअर से कम होकर यह 11.46 मिलियन तक पहुँच गई है। इसका पूर्ण प्रभाव यथा समय में सामने आएगा। यह तर्क की सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार है ठीक नहीं है। एक वर्ष पूर्व मूल्य वृद्धि चिंता का विषय बन गई थी यद्यपि हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और रिकार्ड स्तर का विदेशी मुद्रा का भंडार था जिसके माध्यम से यदि आवश्यकता होती तो खाद्यान्नों का आयात किया जा सकता था। भले ही कृषि क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 17% से थोड़ा-सा अधिक है फिर भी लगभग 55% हमारी जनसंख्या कृषि आय पर निर्भर है।

खरीफ फसल जो काफी हद तक दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर है देश के कुल कृषि उत्पादन का 57% है। इस तरह संतुष्टि (निश्चिन्तता) की बजाए चिंता की बात ज्यादा है। यह बात दिमाग में रखना फायदेमंद है कि भले ही समग्र महंगाई केवल 1.54% है फिर भी खाद्य कीमतों संबंधी महंगाई काफी ज्यादा अर्थात् 11.7% है। कई माह से जबरदस्त रुझान बना हुआ है जो गरीब लोगों की मूलभूत भोजन की उपलब्धता को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हाल ही की रिपोर्ट में एक बहुत बड़े पर्यावरणीय कार्यकर्ता वंदना शिवा ने भारत को "खाद्य सुरक्षा के अभाव से पीड़ित 214 मिलियन लोगों वाली विश्व की भूख से ग्रस्त राजधानी" कहा है। उप-सहारा अफ्रीका की तुलना में यह आंकड़ा ज्यादा है। जी हाँ, खाद्य कीमतों में वृद्धि की अनवरत कहानी जनसंख्या की है जो कि अनाज की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से दुःखी कर दिया इस निगोड़ी मानसून ने। खाद्य संबंधी महंगाई सप्ताह में एक प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों ने बहुतों को रुला दिया है। परन्तु सरकार भी हमें मौसम के बेरहम होने का दोष बताती है। यदि आप यह कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है तो अब इसका उत्तर यह है कि इसके लिये दीर्घावधि उपाय किये जायें। जब हम कीमत वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लघुवधि उपायों के बारे में बात करते हैं। सरकार क्या कर रही है? नेशनल, कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज

लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री ने यह कहा था कि सितम्बर से पहले कीमतों में गिरावट नहीं होगी। क्या सरकार उस विचार से सहमत है? क्या सरकार थोक विक्रेताओं पर निगरानी रख रही है ताकि वे कालाबाजारी तथा जमाखोरी न करें।

अब मैं एक अन्य पहलू पर आता हूँ जो मिड-डे मील स्कीम से संबंधित है। विद्यालयों में दिया जा रहा मिड-डे मील राष्ट्रीय महत्व का एक कार्यक्रम है। यह विशेष रूप से देश के गरीब क्षेत्रों हेतु महत्वपूर्ण है जहाँ विद्यालय में मिड-डे मील पूरे दिन में विद्यार्थियों का मुख्य भोजन है। इसलिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में तथा बिना किसी बाधा के यह भोजन प्रदान किया जाये। हालांकि यह देखा गया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति बच्चा लागत बहुत कम है जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही के महीनों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस आबंटन को वर्ष 2006 में निर्धारित किया गया था जब अरहर दाल की कीमत 32 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास थी। भोजन के आवश्यक घटकों में इस प्रकार की कीमत वृद्धि ने उड़ीसा सहित कई राज्यों में इस कार्यक्रम को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसलिये मैं इस सरकार से प्रति बच्चा लागत संबंधी मानदण्डों में समुचित ढंग से संशोधन करने हेतु अनुरोध करता हूँ ताकि इस कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

जब मैं अरहर दाल अथवा मसूर दाल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इस सभा तथा इस सरकार को भी यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि यह कैसे हो रहा है कि मसूर दाल जिसे 100 रुपये प्रति किलोग्राम खुदरा बाजार में बेचा जा रहा है। जो वास्तव में सारे देश में समुद्र पत्तनों पर पड़ी हुई है। लाखों टन दालें तथा चीनी भी जो कि 1600 करोड़ रुपये की है मुख्य पत्तनों पर बिना किसी दावे के पड़ी हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये इंसान के खाने के लायक हैं अथवा नहीं। हमें मीडिया के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि 6.19 लाख टन आयातित दालें तथा कच्ची चीनी अनेक पत्तनों पर पड़ी हुई है चूंकि संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इन पण्यों की उन्हें दी गई मात्रा को नहीं उठाया है। मैं सरकार से इसका उत्तर चाहता हूँ। क्या ऐसा है अथवा यह गुणवत्ता क्लीरिंग्स निरीक्षकों की कमी के कारण है? क्या वे इसे प्रमाणित नहीं कर रहे हैं अथवा क्या वे इसे प्रभावित करने हेतु उपलब्ध नहीं है? दालों की कीमतों में विगत एक माह में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

सरकार क्या कर रही है? कम से कम, म्यांमार जैसे देशों से आयातित 1.36 लाख टन दालें तथा 4.83 लाख टन कच्ची चीनी कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कांडला तथा कोच्ची में विभिन्न पत्तनों पर दो माह से भी ज्यादा समय से पड़ी हुई है। नेफेड, एम.एम.टी.सी. तथा पी.ई.सी. भण्डार (स्टॉक) को उठाने में क्यों विफल रहे? मंत्रिमंडलीय सचिव ने विगत माह 22 जुलाई को इस बारे में सुध ली।

फिर क्या हुआ? दो सप्ताह तो पहले ही बीत चुके हैं। क्या पोत परिवहन मंत्रालय महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के खण्ड 62 के अनुसार इसकी नीलामी करने जा रहा है? यह प्रश्न अभी भी दिमाग में बार-बार आता है: कि क्या यह अभी भी इंसान के खाने लायक है?

अगला प्रश्न यह है कि इन दालों को करदाताओं के धन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा गया था। सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों को कितना घाटा हुआ है? यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं सरकार को यह आह्वान करता हूँ कि वह इस संबंध में स्पष्ट रूप से बताये। कुछ सूत्रों ने इसे 700 करोड़ रुपये के आस-पास बताया है। क्या सरकार इस संबंध में स्पष्ट रूप से बतायेगी? इसमें अपराधिक लापरवाही है। जो व्यक्ति इसके लिये जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलनी चाहिये। अव्यवस्था के बीच व्यवस्था को बहाल करने में सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। हाल ही की महंगाई के पीछे बताये गये कारण सही नहीं लग रहे हैं। वे 'एडवाइजरीज' भेज सकते हैं जो उन्होंने तैयार कर रखी है। मुझे लगता है कि दो सप्ताह पहले विभिन्न राज्यों को जमाखोरी रोकने के लिए 'एवाइजरीज' भेजी जा चुकी हैं। परन्तु इसकी भूमिका सीमित है। अब स्थिति बहुत विवादपूर्ण है। जो चाहें उसे हम व्यक्तिगत रूप में लेने की स्थिति में नहीं है, परन्तु हम यह सब कैसे वहन करें। यह कब तक चलेगा? मैं माननीय मंत्री से उत्तर चाहता हूँ।

[हिन्दी]

*श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि महंगाई देश का सबसे

बड़ा मुद्दा है। इससे देश की समूची आबादी खासतौर पर 80 फीसदी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।

लोकतंत्र में किसी भी सरकार की सबसे बड़ी विफलता महंगाई को न रोक पाना है। आज उपभोग की हर वस्तुओं के दामों में 500 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो चुकी है, निरंतर दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। देश में वैसे भी भयंकर सूखा एवं अकाल है, जिसका सीधा असर 80 प्रतिशत जनता पर पड़ने वाला है। भयंकर मुखमरी फैलने की आशंका है। आज लोगों की जेब खाली है, गांव में गरीब के घर में सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं है। दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं, लोग घर-घर में बीमार हो रहे हैं। वर्षों से बदन पर कपड़ा तथा पांव में जूते नहीं हैं। इस साल तो देश के करोड़ों परिवारों में बच्चे स्कूल में फीस जमा न होने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यह सब बढ़ती हुई गरीबी के कारण हो रहा है। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो दिन में पांच रुपये खर्च करने की क्षमता नहीं रखते, ऐसी स्थिति में हालात कोई बाजार से सामान कैसे खरीद सकता है? आज आटा, दाल, तेल, मसाला, सब्जी, गुड़, शक्कर, दवाईयां, कपड़ा सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। सिर्फ महंगाई से गरीब आदमी ही प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरकार का बाजार से नियंत्रण एकदम से खत्म हो गया है। मुनाफाखोरों ने बाजार में एकाधिकार बना रखा है, क्या सरकार की यह विफलता नहीं है? क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकती, यदि कर सकती है तो इस पर तत्काल कार्य योजना बनानी चाहिए। देश के प्रत्येक स्टॉकर को हर रोज चीजों की उपलब्धता की जानकारी बोर्ड में देनी होगी, यह अनिवार्य किया जाये तथा उपलब्धता के आधार पर सरकार सप्ताह भर का रेट हर आवश्यक चीज का दाम तय करके लोगों को महंगाई से बचाया जा सकता है।

सभापति जी, इसके साथ-साथ हमारे पास जितना खाद्यान्न उपलब्ध है, उसकी जानकारी खुले रूप में करते हुए उसकी पूरी सुरक्षा किया जाना आवश्यक है, तिलहन एवं दलहन पर स्थिति और गंभीर बनती जा रही है, उस पर कोई ठोस कारगर कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को तत्काल दूध, सब्जी जैसी वस्तुओं को तत्काल अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा कस्बा क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की जानी चाहिए जिस तरह रिलायंस की एवं अन्य दुकानें हैं। उनकी स्थापना करके लोगों को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महंगाई से बचाया जा सकता है। आज केन्द्र सरकार को मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना होगा।

सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार गंभीरता से विचार करके इस भीषण समस्या से लोगों को बचाने का काम करेगी। मैं वस्तुओं के मूल्यों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने एक एक चीज के दामों का यहां उल्लेख किया है।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देश में महंगाई पर चर्चा करने के लिए विपक्ष और पक्ष, कई दिनों से गम्भीर चर्चा कर रहे हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि देश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। सदन में सत्ता पक्ष की ओर देखने से पता चलता है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर कतई गम्भीर नहीं है।

महोदय, देश में आज गरीब रोटी के लिए परेशान है। देश में जो महंगाई बढ़ी है, उसके कारणों में हमें जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार और जमाखोरों के बीच जो साठगांठ है, वही इस देश की महंगाई का मुख्य कारण है।...*(व्यवधान)* मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपकी जो नेता, मैडम सोनिया गांधी जी हैं, उनके कहने के बाद भी यह सरकार महंगाई को रोकने के लिए कतई गम्भीर नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान: सभापति महोदय, जब यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आई, तो जनता से इन्होंने अनेक कमिटमेंट्स की और केवल जनता से ही नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से, जिनका इस देश की सरकार को चलाने में हमेशा सहयोग रहा है, उनसे भी इनकी कमिटमेंट रही है।

यही कारण है कि उन जमाखोरों को लाभ पहुंचाने की गरज से या उन बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को,

पूँजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से अचानक इस देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाये गये। इससे निश्चित रूप से महंगाई की मार आम गरीब पर, आम आदमी पर पड़ी है, इसके मुख्य कारण के बारे में हमारे तमाम सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। ट्रांसपोर्टेशन के कारण भी यह महंगाई बढ़ी है।

मई के महीने में दाल जो 45 से 50 रुपये किलो मिलती थी, आज इस महीने में 80 से लेकर 100 रुपये किलो बिक रही है। आलू को निर्यात करने की बात आप कह रहे थे, आज वह गरीब आदमी, जो गांवों में रहता है, झोपड़ियों में रहता है, उसे आलू भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आज प्याज का दाम हो, चाहे सब्जी का दाम हो, चाहे नमक का दाम हो, सब्जी से लेकर दाल, चीनी आदि सारी चीजों का दाम असमान छू रहा है। मैं समझता हूँ कि देश में रहने वाले जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, बुनकर हैं, जो सीमित संसाधन में किसी तरीके से अपना पेट पालते थे, आज उन्हें दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। वही देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीब है, जो खेती पर निर्भर है, जो असंगठित मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। आज महंगाई को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि देश का बहुत बड़ा हिस्सा भूखे पेट इस मुल्क में सोने को मजबूर है।

सभापति जी, आपको निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए कि आज यह महंगाई का कारण है। मैं दो दिन पहले सुन रहा था, हमारे देश के जिम्मेदार मंत्री कह रहे थे, वे शिक्षा के अधिकार के बारे में दूसरे मुल्कों का उदाहरण दे रहे थे कि सारे विकसित देशों में शिक्षा का जो स्तर है, उससे हमारे मुल्क में शिक्षा का स्तर कम है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकार को भी संसद के सामने इस बात को जरूर बताना चाहिए कि दूसरे मुल्कों में उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक चीजों का दाम तय किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन हमारे देश में उपभोक्ता को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि जमाखोरों और जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष जो सत्ता में आने में मदद करते रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में महंगाई बढ़ी है।

सदन में जो मिलावट की चर्चा हुई है, उस पर भी लोगों ने चर्चा की है। आज सीमेंट का दाम तीन गुना बढ़ा है। आज चाहे सीमेंट का या चाहे लोहे का दाम बढ़े, चाहे और आवश्यक चीजों का दाम बढ़े, उससे सारे

[श्री दारा सिंह चौहान]

लोग प्रभावित होते हैं। जो कच्चा धागा बनाने पर आपने टैक्स लगाया, उस नाते जो बुनकर रोज कमाता था, रोज खाता था, आज उसके मुंह की रोटी आपने छीन ली। गरीब जो सस्ता कपड़ा पहनता था, आज इससे वह सस्ता कपड़ा भी महंगा हो गया है, इसलिए मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आपने सरकार बनाने के पहले भी और बाद में भी नरेगा का और कर्ज माफी का बड़ा हल्ला किया था।

मैं समझता हूँ कि आपने इस देश में गरीबों के लिए कर्ज माफी का जो एहसान किया है, इस देश में महंगाई लाकर आज उसका बदला ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने जो कर्ज माफ किया, उसी को वसूल कर रहे हैं। आज इस देश में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। यह राष्ट्रीय समस्या है। चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, सभी जगह गरीबी है। सारे गरीब लोग आज परेशान हैं। आज यहां मिलावट की चर्चा हुयी। कल रक्षाबंधन का त्यौहार था, बहुत से लोग डर के मारे दुकानों से मिठाई नहीं खरीद पाए कि पता नहीं इसमें कौन सी चीज मिली हो? मावा के बारे में इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया, इससे लोग मिठाई भी नहीं खरीद पाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस महंगाई को रोकने के लिए आपको सारे दलों से बातचीत कर एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आपने जो कमिटमेंट इस देश के लोगों से किया है, वह पूरा हो। इस देश को दो जून की रोटी मिल सके, वे सुकून से जीवन व्यतीत कर सकें, किसानों को राहत मिल सके। यह मैं सरकार से चाहता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति महोदय, जो जीवनावश्यक चीजें हैं, उनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। उसकी मार देश के आम आदमी पर पड़ रही है। आम आदमी परेशान है। इसलिए इस महंगाई पर, जीवनावश्यक चीजों के बढ़ते दामों पर चिंता करने के लिए बसुदेव आचार्य जी ने इस बहस को इस सदन में शुरू किया। हर दल की ओर से बढ़ती महंगाई के बारे में यहां चिंता जतायी जा रही है, लेकिन केवल चिंता जताने से हम

इस महंगाई को रोक नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ी है। यदि सरकार इस बात को स्वीकार करती है, तो निश्चित रूप से महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश में महंगाई बढ़ी है।

सभापति जी, कृषि मंत्री जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसी सदन में पिछले हफ्ते उन्होंने एक जवाब में कहा था कि देश में चीनी का उत्पादन कम हुआ है। चीनी का उत्पादन कम होने के कारण हमें चीनी आयात करनी पड़ेगी। उन्होंने तब यहां पर आशंका जतायी थी कि जो चीनी आज 30-35 रुपए प्रति किलो बिक रही है, वह 50 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है।

महोदय, मैं उन्हीं के एक बयान को इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा। कृषि मंत्री जी का जो बयान था, उसको मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने दो महीने पहले बयान दिया था कि हमारे देश में चीनी का उत्पादन इतना बढ़ा है कि एक समय जो ब्राजील दुनिया में नंबर वन था, आज हम उससे आगे निकल गए हैं। यह बयान उन्हीं कृषि मंत्री जी का है, जिन्होंने यह बयान दिया था कि हम ब्राजील से भी आगे निकल चुके हैं और चीनी के उत्पादन में भारत नंबर वन है। चुनाव से पहले उन्हीं कृषि मंत्री जी का एक बयान था कि हमारे देश में पिछले कई वर्षों में, पिछले दस सालों में जो खाद्यान्न उत्पादन हैं, उसमें सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2008-09 में इस देश में हमारे किसानों ने किया। उन्होंने चुनाव से पहले लगातार जो कहा, आपने टेलीविजन पर देखा होगा, बड़े-बड़े पोस्टर्स देखा होगा, किसानों को धन्यवाद देते हुए आपने कई बार हमारे कृषि मंत्री को देखा होगा। हमारे किसानों ने देश में वर्ष 2008 और 2009 में सर्वाधिक अनाज पैदा किया। मैं सरकार से सवाल करना चाहूंगा कि यदि किसानों ने सर्वाधिक अनाज पैदा किया है तो आज हमें इम्पोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? यह दिक्कत क्यों है? आज हमारे पास अनाज की कमी क्यों है? हमें गेहूं क्यों इम्पोर्ट करना पड़ा? आज हमें चीनी इम्पोर्ट करने के बारे में क्यों सोचना पड़ रहा है? यहां जब चीनी की बात आई और कृषि मंत्री जी का बयान आया तो मीडिया ने मुझसे एक सवाल किया कि आपकी क्या राय है। हमने कहा कि हमारे देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। गन्ना उत्पादक किसानों में इतनी

क्षमता है कि वे देश की मांग को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। हम काफी समय से लगातार देखते आ रहे हैं, पिछले वर्ष और चुनाव से पहले भी जब गेहूँ आयात किया गया था, तब सरकार ने एक सरल सस्ता अपनाया कि अनाज की कमी हुई, इम्पोर्ट कर लो, चीनी की कमी हुई, इम्पोर्ट कर लो। यदि हमारे यहां अनाज की कमी होती है तो इम्पोर्ट ही एक सौल्यूशन है। सरकार ने यह जो मानसिकता बनाई है, वह बिल्कुल गलत है। इम्पोर्ट इसका उपाय नहीं है। इसका सही उपाय यह हो सकता है कि किसान जो अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज की पैदावार को बढ़ावा दें।

मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा। आज गेहूँ के लिए सर्वाधिक दाम 1000 रुपये या 1050 रुपये मिले हैं। जब हम किसान को 1050 रुपये क्विंटल दे रहे हैं, उसी समय हमने 1900 रुपये क्विंटल पर गेहूँ आयात किया है।... (व्यवधान) सरकार को बाहर के किसानों की चिन्ता नहीं है बल्कि अनाज इम्पोर्ट करने वाले बिचौलियों की चिन्ता ज्यादा है। मुझे सदन में कहना पड़ रहा है कि जो बिचौलिए अनाज इम्पोर्ट कर रहे हैं, सरकार को उनकी चिन्ता ज्यादा है, हमारे देश के किसानों की चिन्ता नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूरे देश के अनाज की जरूरत को पूरा किया। एक जमाने में हम 100 प्रतिशत गेहूँ इम्पोर्ट करते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर हैं। इसका अधिकतम श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह पंजाब और हरियाणा को जाता है जिन्होंने गेहूँ के मामले में इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। पंजाब के किसानों में आज भी वह क्षमता है कि वे अनाज के मामले में इस देश को हमेशा के लिए आत्मनिर्भर कर सकते हैं। हम किसानों को ज्यादा नहीं देते, लेकिन दुगुने भाव में इम्पोर्ट कर रहे हैं। आज चीनी के मामले में वही होने जा रहा है। यदि हम कल चीनी इम्पोर्ट करते हैं तो वह 50 रुपये किलो होगी। सभापति जी, शायद वह दिन दूर नहीं जब यू.पी.ए. के राज में गरीब व्यक्ति को नमक भी 50 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा। यह इस देश के गरीब व्यक्ति की आज की स्थिति है। इस सदन में केवल बहस करने से और कन्सन्स मंत्री जी द्वारा नियम 193 के अंतर्गत चल रही बहस का जवाब देने से देश की महंगाई कम नहीं होने वाली है। यदि सरकार सचमुच देश की महंगाई कम करना चाहती है तो उसे इस बात को स्वीकार करना चाहिए, प्रधान

मंत्री जी को बयान देना चाहिए कि हाँ, सचमुच देश में महंगाई बढ़ी है, हम उससे चिन्तित हैं और हमारी सरकार चाहती है कि महंगाई को रोके और इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

यह बयान प्रधान मंत्री जी का होना चाहिए। लेकिन सिर्फ नियम 193 पर चर्चा होती है और मंत्री जी जवाब देते हैं। कांग्रेस और यू.पी.ए. की ओर से जो सदस्य बोलते हैं, वे ग्लोबल महंगाई की बात करते हैं कि सिर्फ भारत में ही महंगाई नहीं बढ़ी है, बल्कि दुनिया में महंगाई बढ़ी है, जिसका परिणाम हम पर हो रहा है। भारत में जो महंगाई बढ़ी है, उसकी जिम्मेदारी दुनिया की नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भारत में राज करने वाली सरकार पर है। इसलिए सबसे पहले सरकार की यह मानसिकता होनी चाहिए और उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय, लालू जी यहां बोलकर गये हैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आज बहुत बड़ी जमाखोरी हो रही है। हमारे बसपा के नेता ने भी इस बात का जिक्र किया कि देश में बहुत बड़ी जमाखोरी होती है। हमारे जे.डी.यू. के सांसद चौधरी जी भी यहां बोलकर गये कि बी.जे.पी. की चार सरकारें केवल प्याज के दाम पर गयीं। वे चार सरकारें थीं - मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। उस समय प्याज 40 रुपये किलो हो गया था। सेब 20 रुपये किलो था, जबकि प्याज उससे चार-पांच गुना ज्यादा बढ़ गया।

सभापति महोदय, उन दिनों यदि आप शायद दिल्ली में होंगे। जब दिल्ली में चुनाव होने थे, उस समय कांग्रेस अपने प्रचार में पंजे का प्रयोग नहीं करते थे। उनके प्रचार के व्हीकल के ऊपर बड़ा प्याज रखा गया था। वे लोगों को दिखाते थे कि प्याज कितना बढ़ गया है। एक प्याज के मामले में चार-चार सरकारें गयीं। लेकिन आज इतनी महंगाई बढ़ी है, आज सरकार इस बारे में बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है। उसके बाद दिल्ली में एक जमाखोर पकड़ा गया, जिसके ऊपर मुकदमा चला। उस एक व्यापारी के गोदाम से तीन लाख टन प्याज मिला। आज इस प्रकार की बड़ी जमाखोरी हर राज्य में हो रही है। मैं मानता हूँ कि राज्यों की भी यह जिम्मेदारी है, लेकिन भारत सरकार इस जिम्मेदारी को केवल राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जमाखोरी को रोकने का प्रयास करे। किसानों को जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं, उतनी सहूलियत हमें किसानों को देनी चाहिए।... (व्यवधान)

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सभापति महोदय, मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। पहले एक कहावत थी कि दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, तो आज दाल भी महंगी हो चुकी है। आज दाल-रोटी भी गरीब के मुँह से छिन गयी है। आज अरहर की दाल सौ रुपये किलो है, जबकि बाकी सारी दालें 80 रुपये किलो से ऊपर हैं। सब्जियों के दाम भी 60 रुपये किलो से ऊपर हैं। तेल महंगा हो चुका है और चीनी महंगी होने जा रही है। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। उस समय सरकार ने एक फैसला लिया और पांच साल के लिए पी.डी.एस. के ऊपर पांच चीजों के दाम कायम रखे, जिसमें गेहूँ, चावल, चीनी, तेल और दाल थी। ये पांच चीजें पी.डी.एस. के तहत दी जाती थीं। हमारी सरकार ने इन पांच चीजों के दाम पांच साल के लिए कायम रखे थे। उसमें जो भी घाटा आता था, उसे महाराष्ट्र सरकार स्वीकार करती थी। लगभग छः-सात हजार करोड़ रुपये सालाना का बोझ राज्य सरकार ने उठाया। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार को भी इस प्रकार की योजना लागू करने की आवश्यकता है। देश के हर राज्य में पी.डी.एस. के तहत गरीबों या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को अनाज या जो भी चीजें दी जाती हैं, उनमें पांच चीजें - गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, राज्य में तो खाने वाला तेल चलता हो, और दाल के दाम कम से कम पांच साल के लिए कायम रखने चाहिए। यदि यू.पी.ए. सरकार अपने इन पांच साल के समय में इन पांच चीजों के दाम कायम रखेगी, तो निश्चित रूप से इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक सोचे।

अंत में, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूँ। अभी लालू जी यहां बोलकर गये हैं कि दो रुपये में रोटी और सब्जी मिलनी चाहिए। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जब हमारी सरकार थी, तब हमने एक योजना चलायी थी, जिसके तहत हम एक रुपये में झुणका भाखर देते थे। अब भाखर मतलब रोटी और झुणका मतलब बेसन का आटा। चने की दाल के आटे से जो गाढ़ा बेसन बनता है, उसे मराठी में हम झुणका कहते हैं। हमने झुणका भाखर की स्कीम एक रुपये में बनायी थी। एक रुपए में उसे चार रोटी और झुणका दिया जाता था और एक रुपए में निश्चित रूप से उस

गरीब का पेट भरता था। आज यदि सरकार चाहती है कि आम आदमी को महंगाई से बचाना है, राहत देनी है और कम से कम उस गरीब को एक वक्त का खाना मिले, तो इस प्रकार की योजना भारत सरकार को पूरे देश में चलानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

पिछले सप्ताह, देश में सूखे और बाढ़ से उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद सदन में पेयजल की समस्या पर चर्चा हुई। आज, हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु वास्तविक स्थिति यही है।

अब यू.पी.ए. सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बनाने और पाकिस्तान के साथ वार्ता करने में बहुत रुचि दिखा रही है। यू.पी.ए. सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने में इतनी रुचि नहीं ले रही है। तथापि, इस मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब आम आदमी केवल एक नारा बन कर रह गया है। मूल्यों को नियंत्रित करने में राज्य अपने उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं।

मैं यहां कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूँ। चार में से एक भारतीय भूखा रह जाता है। हालांकि केंद्र सरकार खाद्य राजसहायता पर 32,600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय करती है, प्रति व्यक्ति खाद्य खपत वर्ष 1991 में 186 किलोग्राम प्रति व्यक्ति वार्षिक से घटकर 2001 में 152 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। वर्तमान में यह और भी कम हो सकती है। यदि कृषि उपज में भारी वृद्धि नहीं होती है, तो मूल्य वृद्धि जारी रहेगी। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। किसान आशा लगाए हुए हैं। आम आदमी बढ़ते मूल्यों से जूझ रहा है, केंद्रीय सरकार कहती है कि यह वैश्विक घटना है। कोई प्रभावी मूल्य नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं है। एन.आर.ई.पी.ए. स्कीम के तहत 100 रुपए के मजदूरी संशोधन के बाद वस्तुओं के मूल्यों में पांच-गुना वृद्धि हुई है।

तमिलनाडु में दालों का मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। यह अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि आवश्यक

वस्तुओं की सट्टेबाजारी और वायदा कारोबार के कारण हुई है। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि यू.पी.ए. सरकार अनिवार्य वस्तुओं के समस्त वायदा कारोबार और सट्टेबाजार को निश्चित रूप से प्रतिबंधित करे। डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में बढ़ोतरी इस मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, सरकार को इसे नियंत्रित करना चाहिए। अनिवार्य रूप से सरकार की प्राथमिकता लोगों का कल्याण होना चाहिए। सरकार को लाभ अर्जित करने वाला निकाय नहीं होना चाहिए। इसके बीच में गरीब आदमी फँस जाता है। अब कोई प्रभावी मूल्य नियंत्रण तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि साप्ताहिक आधार पर मूल्य स्थिति की निगरानी करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु केबिनेट मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का तुरंत गठन किया जाए।

स्थिति नियंत्रण से बाहर होने से पहले सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। किसी एक या दूसरे कारण का सहारा न लें। अतः, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस ज्वलंत मुद्दे का शीघ्रतापूर्वक हल निकालें, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें विष के समान बढ़ रही हैं। विष केवल उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है जो उसे खाता है, परंतु मूल्य वृद्धि हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। मूल्य वृद्धि के कारण, जो व्यक्ति भोजन प्राप्त करने योग्य नहीं है वह गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए बाध्य हो जाता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि इस मूल्य वृद्धि के कारण, आपराधिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए, इससे न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है।

इसलिए, सरकार को लापरवाह नहीं होना चाहिए। सरकार को सावधान रहना चाहिए। मैं सरकार को स्मरण कराता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है। सही समय पर सही कार्य करें और वो भी जल्द से जल्द।

[हिन्दी]

*श्री अर्जुन राम मेघावाल (बीकानेर): मैं आपके माध्यम से सदन में जो मूल्य वृद्धि पर चर्चा हो रही है इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह सर्वविदित है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन

करने वाले और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अतः मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मेरे सुझाव निम्नांकित हैं:-

1. मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा कारण वायदा व्यापार है। होर्डिंग वाले लोग कम्प्यूटर के माध्यम से लाखों टन वायदा वस्तुओं के व्यापार करते हैं और इससे वस्तुओं का दाम बढ़ते हैं। अतः खाने-पीने की चीजों को वायदा व्यापार मुक्त करें और इस हेतु जल्दी वायदा व्यापार कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। आवश्यक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए शोर्ट ट्रायल की व्यवस्था की जावे एवं शीघ्रता से दण्डित करने का प्रावधान करना चाहिए।
3. आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की जाये वर्तमान में मानसून की खराबी के कारण देश में अन्न का संकट है और ऐसी स्थिति में चावल का निर्यात किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। अतः तुरन्त चावल के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिए।
4. जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में खाने-पीने की चीजों के बारे में डेली रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था सम्बन्धित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जब तक मूल्यवृद्धि में सुधार नहीं हो तब तक आवश्यक रूप से भारत सरकार को प्रतिदिन इस सम्बन्ध में रिपोर्ट करें ऐसी व्यवस्था ई-मेल के जरिये की जा सकती है।
5. मानसून की अनिश्चितता के कारण महंगाई ज्यादा बढ़ी है। अतः मिलावटकर्ताओं एवं जमाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये तथा जो कार्यवाही हो रही है, उसकी प्रतिदिन भारत सरकार स्थिति में सुधार तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट प्राप्त करें।
6. पेट्रोल व डीजल में मूल्यवृद्धि होने के कारण भी महंगाई बढ़ी है। अतः मूल्यवृद्धि को वापस लेने का निर्णय करें, जिससे महंगाई का असर कम हो सके।
7. मानसून की अनिश्चितता एवं सूखे के कारण

[श्री अर्जुन राम मेघावाल]

महंगाई और बढ़ने की संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों को निर्देशित करें कि सूखे एवं मानसून की अनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें। इनमें ऐसे कुछ सुझाव हो सकते हैं, जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माईक्रो ईरिगेशन का ज्यादा प्रयोग, ओर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिये अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए, बी.पी.एल. को छोड़कर शेष आदमियों को दी जाने वाली सुविधाओं को तत्काल बंद किया जाये, क्योंकि इसका लाभ आम-आदमी को नहीं मिलकर होर्डिंग करने वाले को ज्यादा मिल रहा है, विशेष करके कैरोसीन के क्षेत्र में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे जो पैसा बचेगा उसका प्रयोग महंगाई नियंत्रण करने वाले साधनों पर किया जाना चाहिए।

श्री विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इसे अपना सौभाग्य समझूँ या दुर्भाग्य, क्योंकि कल संसद का सत्र समाप्त हो रहा है और देश की जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है, वह इसलिए भेजा है कि हम उनके दुःख-दर्द को यहां अभिव्यक्त कर सकें। लेकिन इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत कम समय मिला है और मुझे बोलने का अवसर मिला है इसलिए मैं अपने आपको भाग्यवान भी कह सकती हूँ। अभी कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन शीघ्र प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे फ्रांस की रानी मैरी क्वीन की वह बात याद आ रही है, जब उस देश में रोटी के दाम बहुत बढ़ गए थे और लोग रोटी खरीद नहीं सकते थे, तब उन्होंने कहा था कि आप रोटी नहीं खरीद सकते, तो केक खरीद लो। देश में आज रोटी के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन पिज्जा और बर्गर के दाम नहीं बढ़े हैं। मुझे लगा कि कहीं यह माननीय सदस्य यहां यह

बात ही न कह दें कि अगर आप दाल-रोटी नहीं खरीद सकते, तो पिज्जा खरीद लो। आज जितनी महंगाई बढ़ रही है, इससे ज्यादा दुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

आधारभूत और अनिवार्य वस्तुओं, मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने देश के आम आदमी को इस ढंग से प्रभावित किया है कि इससे लोगों का जीवन ही तबाही व बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। थोक बिक्री सूचकांक या संबंधित आंकड़ों या संख्या के बारे में सरकार जो भी बातें कहती है, आम आदमी को उनसे कोई लाभ नहीं है, जो भूख के कारण मौत के समीप जा रहे हैं।

क्या संबंधित विभाग ने मेट्रो शहरों से लेकर सभी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संबंधित समस्त आंकड़े एकत्र किए हैं? चयनित क्षेत्रों से एकत्रित किए गए आंकड़े वास्तविक परिदृश्य नहीं दर्शाएंगे। यही हो रहा है। सरकार, चुने हुए क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र करती है, उन परिवारों को चिन्हित करती है जिन्हें राजसहायता से लाभ मिला है और सरकार उन भाग्यहीन लोगों पर ध्यान नहीं देती जो इसकी स्कीम के लाभ से वंचित हैं। आज लोगों को जिस खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है उसके उचित आकलन के लिए सरकार ने कितना यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाया है। क्या सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, छोटे कस्बों, बेरोजगार और सीमांत लोगों के बीच संकट का आकलन करने की ओर भी ध्यान दिया है? मूल्य वृद्धि ने न केवल गरीबी की रेखा से नीचे या गरीबी की रेखा में रहने वाले लोगों को प्रभावित किया है बल्कि इसने हर व्यक्ति को प्रभावित किया है, जो समाज के विभिन्न तबकों में रह रहे हैं। गरीबी की रेखा में रहने वाले लोगों के अलावा इससे मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोगों पर भी प्रभाव पड़ा है, जो कुपोषण के शिकार हैं। वे लोग अपना नियमित भोजन भी नहीं जुटा पा रहे हैं जिसके वे आदी हैं, चूंकि मूल्य अधिक हैं इसलिए वे इनका खर्च वहन नहीं कर सकते।

इस सामान्य स्थिति का बुरा प्रभाव न केवल लोगों के जीवन पर बल्कि हर पहलु पर पड़ा है क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, हर किसी पर प्रभाव पड़ेगा। जब लोग भूखे हों और जीने के लिए न्यूनतम भोजन भी न मिल सके, तो इससे जीवन का

मूल सार प्रभावित होता है। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार में संबंधित मंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि वे इस समस्या पर ध्यान दें। यदि भोजन महंगा होगा, तो देश की गरीब जनता कैसे जिंदा रह पाएगी? यह कल्याणकारी देश किसके लिए काम करेगा। उन सभी महान कथावतों और कार्यों का क्या लाभ यदि सरकार गरीब लोगों को न्यूनतम कीमतों पर एक निवाला भोजन भी नहीं दे सकती?

महोदय, विकास की गति खत्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय संकट या वैश्विक परिदृश्य में मूल्य वृद्धि का उदाहरण देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा देश अलग है। हमारी अपनी प्रणाली है। क्या सरकार ने समग्र प्रणाली का आधुनिकीकरण करके कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए ध्यान दिया है? क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि लगभग 78 प्रतिशत लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वे केवल 20 रुपये प्रति दिन कमाते हैं? फिर, आम आदमी का क्या होगा? यह वाक्यांश एक राजनैतिक मुहावरा भर रह गया है।

महोदय, हाल के दिनों में आत्महत्या या गैर-भोज्य वस्तुओं का सेवन करना नियमित घटना है। एन.डी.ए. सरकार के कार्यकाल में, तत्कालीन प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कड़े नियंत्रण में रखा गया था। जब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में आई, इसके केवल चार महीने बाद ही, सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई और ये कीमतें आसमान छूने लगीं। बढ़ते मूल्यों की कोई सीमा नहीं है।

मैं कोई तुलना नहीं करना चाहती। मेरे से पहले वाले वक्ता श्री शाहनवाज हुसैन ने इस बारे में विस्तार से बताया है।

मैं केवल एक चीज अर्थात् सीमेन्ट का उल्लेख करना चाहती हूँ। फैक्ट्री पर सीमेन्ट की दर केवल 68 रुपये है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान लोगों को सीमेन्ट 120 रुपये के हिसाब से दी जाती थी। अब, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट का मूल्य लगभग 300 रुपये प्रति बोरी है। इसके पीछे क्या कारण हैं? उत्पादन की लागत वही है लेकिन मूल्यों में इतनी बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है? इसका कोई उत्तर नहीं।

इसके अलावा, आलू गरीब लोगों के लिए एक मात्र सब्जी होती है। अब आलू का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो

हो गया, और दाल का मूल्य तो और भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी मां अपने बच्चों को दाल नहीं खिला सकती है?

[हिन्दी]

मेरी कांस्टीट्यूएन्सी गांव में पड़ती है और मैंने वहां देखा है कि जब बच्चा अपनी मां से दाल मांगता है तो मां पानी में हल्दी-नमक मिलाकर बच्चे को दे देती है। आज इस तरह से मां बच्चे को दाल पिला रही है, लेकिन कल जब महंगाई और बढ़ जाएगी तो क्या पिलाएगी?

[अनुवाद]

इसलिए यह स्थिति है...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या केन्द्र सरकार ने व्यापारी समुदाय से बातचीत की थी या नहीं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्या कहेंगे? इसकी स्थिति डाँवाडोल है। इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। क्या सरकार ने यह देखने की कोशिश की थी कि खाद्य उत्पादक क्षेत्र में क्या मूल्य है? क्या सरकार ने इसकी परवाह की? इसलिए, महोदय, मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि आदिम काल में आदिम लोग मानव मांस खाते थे। क्या हम इसी आदिम प्रवृत्ति का सहारा लेने जा रहे हैं? क्या हम उसी रास्ते को अपनाने जा रहे हैं जिसका अनुसरण पहले करते थे।

सायं 6.00 बजे

इसलिए, यह केन्द्र सरकार की विफलता है। यह माननीय मंत्री जी की तरफ से बाजार पर नियन्त्रण रख पाने की विफलता है।

क्या सरकार ने यह देखने की परवाह की है कि स्रोत पर ही मूल्य की क्या प्रतिक्रिया होती है? यह बहुत आवश्यक है। यदि सरकार स्रोत पर ही मूल्यों पर नियन्त्रण कर सके तो एडमिट करना नियन्त्रण में रहेगा। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने तस्करी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियन्त्रण करने की ओर ध्यान दिया? जब यह भारत में रोलिंग मुवमेन्ट है तो उपभोक्ता आन्दोलन का क्या हुआ?

अब समय है कि केन्द्र सरकार अपनी गहरी नींद से आगे और इस समस्या का सकारात्मक समाधान तलाशे। मुझे लगता है कि ऐसा करना कठिन नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

[श्री विजया चक्रवर्ती]

[हिन्दी]

सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार जो चाहे, वह करे। अगर सरकार कभी केयर नहीं करेगी, तो जो भूखे लोग हैं,

[अनुवाद]

के कुछ भी कर सकते हैं,

[हिन्दी]

जैसे फ्रांस में हुआ था। सारा राजतंत्र खत्म कर दिया था।

[अनुवाद]

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से और केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें। उन्हें मूकदर्शक की भूमिका में नहीं रहना चाहिए अपितु सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह बात सही नहीं है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। वह उन पर भली भाँति नियन्त्रण कर सकती है। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे मूल्य वृद्धि को रोकने और गरीबों तथा पददलितों, आम आदमी जो बहुत कष्ट उठा रहे हैं को राहत पहुँचाने और उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यथार्थपरक कदम उठाए।

आम आदमी को जमाखोरी में नहीं होना चाहिए। आम आदमी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होना चाहिए। आम आदमी को समाचार पत्रों में नहीं होना चाहिए? लेकिन सरकार को आयोजना के सच्चे अर्थों में आम आदमी के प्रति वास्तविक चिन्ता होनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से केवल इसकी अपेक्षा करती हूँ।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मेरे पास कुछ और सदस्यों की सूची है जिन्हें अभी बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो हम सभा का समय एक घण्टे और बढ़ा सकते हैं ताकि हम और अधिक वक्ताओं को दो-तीन मिनट देकर समायोजित कर सकें और चर्चा को आज ही समाप्त करने का प्रयास कर सकें? माननीय मंत्री जी आज उत्तर देंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हां, महोदय।

सभापति महोदय: ठीक है, सभा का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे सहयोग करें, संक्षेप में बोलें और केवल बिन्दुओं पर ही बोलें। जो माननीय सदस्य अपने भाषणों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। वे भाषण कार्यवाही का हिस्सा होंगे।

[अनुवाद]

*श्री के. नारायण राव (मछली पटनम): माननीय सभापति महोदय, मुझे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चल रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय आवश्यक वस्तुओं के दाम आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं और उसे यह ज्ञात नहीं है कि वह अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करे। महोदय, मूल्यों पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य और केन्द्र सरकार दोनों का है। यद्यपि मूल्य तो बढ़े हैं पर आम आदमी के वेतन और दिहाड़ी में वृद्धि उस अनुपात में नहीं हुई है। सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में चार गुणा बढ़ोतरी हुई है। क्रयशक्ति कम हुई है और परिणामस्वरूप आम लोग घटिया वस्तुएं खरीद कर अपने स्वास्थ्य से ऐसी स्थिति में सरकार को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

वर्ष 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उनसे महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। उस बैठक के बाद उस मुद्दे पर कोई समीक्षा नहीं हुई। ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों के संबंध में अनुवर्ती कार्यवाही करना सरकार का उत्तरदायित्व है। महंगाई के पीछे मुख्य कारण मांग की तुलना में अपर्याप्त आपूर्ति होना है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले कृत्रिम मांग उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार वे वस्तुओं को उच्च मूल्य पर बेच रहे हैं और मुनाफा कमा कर अपनी जेबें भर रहे हैं।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाए और महंगाई को रोकने के कदम उठाने पर चर्चा करे। कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसी वस्तुओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाए और आवश्यक वस्तुओं के अवैध भण्डारण

*मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

का पता लगाने के लिए छापे मारे जाएं। चूककर्ताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि कोई भी कालाबाजारी करने की हिम्मत न करे। कालाबाजारी महंगाई का एकमात्र कारण है।

सरकार को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए नागरिक आपूर्ति और विपणन परिसंघों को रिवाँल्विंग फण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करके जब कभी मूल्य वृद्धि हो तो लोगों को इन वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है। वर्ष 2004 से पहले आन्ध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के शासन में रैयत बाजार (किसान बाजार) आयोजित किए गए थे जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिला। सुनिश्चित हुआ क्योंकि इसमें बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ राज्यों ने रैयत बाजार के मॉडल का अनुसरण किया। सन् 2008 में कांग्रेस सरकार ने नागरिक आपूर्ति और विपणन परिसंघों के लिए मात्र 30 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए हैं जो जारी भी नहीं किए गए। आन्ध्र प्रदेश के इस वर्ष के बजट में इस निधि का कोई उल्लेख नहीं है। नागरिक आपूर्ति और विपणन परिसंघों के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन करके इन एजेंसियों द्वारा आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं और इनका भण्डार किया जा सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये वस्तुएं लोगों को मुहैया करवाई जा सकें। इस ढंग से हम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

*श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, पिछले कई सत्रों से शायद ही कोई ऐसा सत्र होगा जब हम सभी लोगों ने महंगाई पर चर्चा न की हो। सरकार ने महंगाई दूर करने के लिए कई ठोस उपाय किये हैं लेकिन वे उपाय गरीबों, किसानों और मजदूरों तक अफसरशाही के कारण 100 प्रतिशत पूरे नहीं हो पाये हैं। सरकार ने नरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने का एक्ट बनाया लेकिन सरकार का मानना है कि अभी 50 दिन का ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। महंगाई का मुद्दा गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अमीर लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अमीर आदमी आज पांच लाख से लेकर पांच करोड़ तक की कार खरीद रहा है, लेकिन गरीब आदमी दो जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। उसे साल भर रोजगार नहीं मिल

रहा है। जब भी महंगाई की बात होती है तो यह उन लोगों के लिए होती है जो गरीब हैं, जिनके पास साधन और पैसे की कमी है, जिनका जीना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ देश में करीब 30-35 परिवार ऐसे हैं जो अरबपति हैं, जिनके लिए महंगाई कोई समस्या नहीं है, उनके लिए यह इकोनोमिक ग्रोथ है, लेकिन जो 30-35 करोड़ गरीब परिवार हैं, उनके लिए महंगाई हाहाकार है। उनके लिए सोचने की बात है कि कैसे वे अपना आत्म-सम्मान और जीवन-स्तर कायम रख पायेंगे या आर्थिक कमजोरियों और विवशताओं के कारण कहीं न कहीं कोई नैतिक समझौता करना पड़ेगा। यह बहुत चिंता का विषय है। आज अखबारों और मैगजीन्स में छप रहा है कि जो खाने-पीने के आइटम्स हैं, चाहे सब्जियां हों, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, मसाले, सीमेंट, स्टील हो, सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, आज आम आदमी की रसोई का खर्च दुगुना-तिगुना हो चुका है। सवाल यह है कि आम आदमी महंगाई से कैसे निपटे। इसी सत्र को प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नरेगा के अंतर्गत बंगाल में वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 में क्रमशः 14 दिन, 25 दिन और 26 दिन रोजगार का औसत रहा। अब चूंकि यह स्टेट सब्जैक्ट है, इसलिए राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे गरीबों को रोजगार देने की पूरी कोशिश करें। सरकार इससे आगे बढ़कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी ऐसे विधेयक की बात कर रही है जो भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, इससे उस रोजगार गारंटी कानून में चार चांद लग सकते हैं, जो पिछली सरकार द्वारा ठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हम सरकार की इस सोच की वंदना करते हैं तथा माननीय प्रधान मंत्री और यू.पी.ए. की अध्यक्षा माननीय सोनिया जी को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन साथ ही इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी कानून की कानूनी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके लाभार्थी कौन लोग होने चाहिए और इस तरह का कानून कैसे लागू हो सकता है, ये ज्वलंत प्रश्न हैं। इस संबंध में सरकार ने जो ठोस बात कही है वह यह है कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को हर महीने तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25 किलोग्राम अनाज मुहैया कराएंगे। सरकार का मकसद बी.पी.एल. के लाभार्थियों को पोषक भोजन की संतुलित खुराक, स्वच्छ पेयजल, चाइल्ड केयर व दूसरी जरूरतों को पूरा करना है। हम सरकार की भावना की सराहना करते हैं और माननीय प्रधान मंत्री जी व यू.पी.ए. अध्यक्षा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री महाबल मिश्रा]

जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन सस्ता अनाज उपलब्ध कराना अच्छे और संपूर्ण आहार मुहैया कराने की एक कड़ी मात्र है। मेरा सरकार से पहला निवेदन यह है कि वह इस योजना के कार्यान्वयन से पहले बी.पी.एल. लोगों की संख्या का सही आकलन कराये क्योंकि अभी तक बहुत से मजदूर-किसान और गरीब लोग ऐसे हैं जो बी.पी.एल. में सम्मिलित नहीं हैं।

मैं दिल्ली से सांसद हूँ और पश्चिमी दिल्ली से जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ मिली-जुली जनसंख्या निवास करती है। मेरे क्षेत्र में रिक्शे वाले, ठेले वाले, पान-बीड़ी-सिगरेट वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले, मायापुरी, मंगोलपुरी के कारखानों में काम करने वाले गरीब मजदूर रहते हैं जिनके लिए महंगाई एक ज्वलंत समस्या है। आज मेरे क्षेत्र में जो गरीब मजदूर रहते हैं उनके बिजली के बिल 2000-2500 रुपये आ रहा है, जबकि उनकी महीने की कमाई ही 2500 रुपया है, वह कैसे इस बिल को चुकाएगा। उनके लिए कोई बिजली नीति बननी चाहिए कि बी.पी.एल. के नीचे रहने वाले लोगों को 300-350 रुपये महीना ही बिजली का बिल देना पड़े। ऐसी कोई नीति सरकार को बनानी चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 6 चीजें गेहूँ, दाल, चावल, चीनी, खाद्य तेल व केरोसीन सरकार पी.डी.एस. के माध्यम से सप्लाई करे और पांच साल तक इन 6 चीजों के दामों में वृद्धि न की जाए। चाहे इसके लिए सरकार को कितनी ही सब्सिडी क्यों न देनी पड़े। अगर ऐसा होता है तो इन गरीब लोगों को महंगाई से कुछ निजात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें करप्शन बिल्कुल न हो। क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं कि शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लोग इन दुकानों से राशन का कोई सामान नहीं लेते लेकिन उनके कार्डों पर भ्रष्ट दुकानदार और इंस्पेक्टर मौज उड़ाते हैं। जो दुकानदार या बिचौलिया गरीबों के हिस्से के सामान को ब्लैक में बेचते पकड़ा जाए, उसे सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी सरकार करे। एक अनुमान के अनुसार हिंदुस्तान की गरीब जनता को जिंदा रहने के लिए 30,000 करोड़ रुपया रिश्त देनी पड़ती है। हमारे देश की जनता को छोटे-मोटे कामों - जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, राशन-कार्ड बनवाना है, रिक्शे का टोकन बनवाना है, एफ.आई.आर. लिखानी है, लाइसेंस बनवाना है, या फिर

बैंक से लोन लेना है, इन कामों के लिए गरीब आदमी को रिश्त नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जो सपन्न आदमी हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन्हें किसी प्रकार की रिश्त नहीं देनी पड़ती है, उनके काम अपने आप हो जाते हैं। गरीब जनता जिसके लिए एक-एक पैसे की कीमत है, उन्हें लगभग 30,000 करोड़ रुपया बेईमान अधिकारियों-इंस्पेक्टरों को रिश्त देनी पड़ती है। इसके लिए भी सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि दिल्ली मेट्रो में आज एक अरबपति आदमी भी कनाट-प्लेस, खारी बावड़ी, चांद्रनी चौक अपनी दुकान पर जाता है और गरीब मजदूर जो उसी की दुकान पर काम करता है, वह भी जाता है। सरकार को चाहिए कि बी.पी.एल. के लोगों के लिए मेट्रो में पास की सुविधा की जाए और उसका किराया आम पैसंजर से आधा रखा जाए, जिससे गरीब आदमी को महंगाई से कुछ राहत मिले।

मेरे क्षेत्र में करीब 30-35 हजार गरीब लोग रिक्शा चलाने का काम करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के पास रिक्शे का टोकन नहीं है। सरकार एक सीमा तक ही दिल्ली में टोकन इश्यू करती है। इसलिए दुगुने या तीन गुने रिक्शे बिना टोकन के ही चल रहे हैं। और वे इन रिक्शों के मालिक भी नहीं हैं। रिक्शे का मालिक कोई और अमीर आदमी होता है। इन गरीब लोगों पर महंगाई की मार का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन लोगों के परिवारों को अगर नमक से रोटी भी नसीब हो जाए तो पूरा परिवार खुशी से रह लेता है। मेरा चौथा निवेदन है कि इन सभी लोगों को रिक्शे के टोकन इश्यू किये जाएं और जो आदमी रिक्शा चला रहा है वह रिक्शा उसी के नाम हो, वह उसका मालिक हो। अगर ऐसा होता है तभी हम उनकी आय में कुछ बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

मेरा पांचवां निवेदन यह है कि आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और वितरण की व्यवस्था आपको ठीक करनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कठोरता से नियंत्रण करना होगा अन्यथा सरकार की सारी स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी। गेहूँ, दाल, चावल, चीनी, खाद्य तेल, केरोसीन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को वायदा बाजार के दायरे से बाहर रखना होगा। आवश्यक वस्तु कानून और उपभोक्ता कानून की फिर से समीक्षा करके होर्डिंग और करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना पड़ेगा ताकि जमाखोरों और कालाबाजारियों

के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सके। अगर ऐसा होता है तभी हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं और गरीब आदमी को राहत दे सकते हैं। हां, यह जरूर है कि जमाखोरों के खिलाफ कुछ जगहों पर छापे मारे गये हैं, लेकिन पूरे देश में बड़े पैमाने पर इन छापों का दौर चलना चाहिए।

जब भी पेट्रोल और डीजल की बात आती है तब कहा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइज ज्यादा हो रहे हैं, हम क्या करें? यह सही है कि इंटरनेशनल प्राइज में जब कमी आई तब सरकार ने कुछ प्राइस घटाया भी लेकिन अब क्या हो रहा है? हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में फ्यूल का प्राइस हमारे देश से कम है। पेट्रोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल दाम के साथ जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली लाने के लिए भी सोचना होगा।

मेरा छठा निवेदन यह है कि जो आम लोगों का, 70 प्रतिशत लोगों का भारत है और जो गांवों में बसता है वह एक तरफ है और सुविधाभोगी, संपन्न इंडिया दूसरी तरफ है। इस इंडिया में बसने वाले लोग तीन या चार परसेंट हैं जिनको हम हर सुविधा देने का काम कर रहे हैं। उनके लिए एस.ई.जेड. की व्यवस्था कर रहे हैं, मगर खेत और खलिहान में काम करने वाले 70 प्रतिशत लोग महंगाई के कारण परेशानी और बदहाली की हालत में हैं। यह कोई शुभ संकेत देने वाली बात नहीं है। मध्यम परिवार के लोग आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। वे महंगाई की मार झेल रहे हैं और बहुत ही बदहाली में हैं। अगर आपने इन 70 प्रतिशत लोगों को गांव में ही रोजगार देने का, उनके खेत-खलिहानों में डाले जाने वाले बीज, खाद, उर्वरक और पानी का उचित प्रबंध नहीं किया तो इस आबादी का बोझ शहरों पर पड़ेगा और आप शहरों में चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं वह अधूरी रहेंगी। आप किसानों को उन्नत, बीज, कृषि उपकरण और कीटनाशक दवाएं सब्सिडाइज्ड दामों पर दिलायें। आज किसान अपना खून-पसीना एक करके जो उत्पादन कर रहे हैं, उन उत्पादित वस्तुओं की कीमत हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनका आकर्षण खेती के प्रति कम हुआ है और हमारी उत्पादन क्षमता भी घट रही है। मैं सत्ता पक्ष का हूँ, हमारी सरकार है लेकिन मैं गरीब आदमी की पीड़ा बोल रहा हूँ।

मैंने जो सुझाव सरकार को दिये हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी, जिससे गरीब, कमजोर, निर्धन वर्ग के लोगों पर महंगाई की मार कम

पड़े और भविष्य में अपने बच्चों को रोटी-कपड़ा और मकान मुहैया करा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, आज देश में संकट की स्थिति है। यह संकट कहीं और से नहीं आया है और न ही किसी ने इसे बाहर से भेजा है। यह संकट पैदा हुआ है। यू.पी.ए. सरकार की अर्थव्यवस्था के कारण। और यह संकट है, महंगाई और मात्र महंगाई नहीं बल्कि भीषण महंगाई।

महोदय, देश का आम आदमी गरीब आदमी पिस रहा है। पहले कहा जाता था गरीब का भोजन है दाल-रोटी। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि आज दाल-रोटी गरीबों का भोजन नहीं रह गया है क्योंकि दाल का भाव आज आसमान छू रहा है। दाल का पानी भी आज गरीब के लिए पकवान से कम नहीं है क्योंकि दाल 60 से 100 रुपये प्रति किलो तक बाजार में बिक रही है। सब्जियां आम आदमी के बजट से बाहर हो गई हैं। आटा, चावल, नमक, तेल, घी, शक्कर यहां तक कि गुड़ भी पहुंच के बाहर होता जा रहा है।

सभापति महोदय, यह स्थिति कोई एक दिन में नहीं बनी है। यू.पी.ए. सरकार के पिछले कार्यकाल से ही महंगाई तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ लेकिन कांग्रेस का हाथ आज आम आदमी की गर्दन दबा रहा है। लोक सभा के अंदर और लोक सभा के बाहर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये महंगाई देश की जनता का बजट बिगाड़ रही है इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो देश में अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कालाबाजारियों और सट्टेबाजों ने बाजार पर कब्जा कर लिया और आज सरकार का कोई नियंत्रण ही बाजार पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए कीमतें रोज बढ़ रही हैं।

महोदय, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि बढ़ी हुई इन कीमतों का कोई भी लाभ किसानों को नहीं हुआ। किसान तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसने बाजार में अपनी उपज बेची तो उसे तो सामान्य कीमतों पर ही संतोष करना पड़ा लेकिन बिचौलियों ने इसका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राकेश सिंह]

लाभ उठाया और केन्द्र की सरकार को जहां इसे नियंत्रित करना था वहां केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है।

महोदय, सबसे अधिक डर की बात जो है वह है देश में दस्तक देता हुआ सूखे का संकट। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या महोदय मौसम की मार पूरे देश में हुई अत्यंत कम वर्षा ने देश के अधिकांश भाग को सूखे की चपेट में ले लिया है।

सभापति महोदय, यह पूरे देश के लिए आने वाले कल का खतरनाक संकेत है। क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि देश में अनाज सहित सभी खाने-पीने की वस्तुओं की पैदावार कम होगी और इस स्थिति के लिए सरकार की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है बल्कि केन्द्र सरकार आंकड़ों का हवाला देकर यह बताने की कोशिश बार-बार करती है कि कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन महोदय सरकार महंगाई का आकलन करती है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जबकि आम आदमी का थोक मूल्य सूचकांक से कोई लेना देना नहीं होता। यदि सरकार को महंगी दर का वास्तव में आकलन करना है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर करना चाहिये। जो यह सरकार नहीं करना चाह रही है। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार आंकड़ों के भ्रमजाल से बाहर निकल कर सच्चाई का सामना करे ताकि देश की जनता को राहत देने के ठोस उपाय सरकार के स्तर पर हो सकें।

सभापति जी सबसे पहले सरकार को वायदा बाजार पर ही नियंत्रण करना चाहिए। विशेष रूप से खाने पीने की वस्तुओं के वायदा बाजार पर तत्काल रोक लगा देना चाहिये जिसके जरिये बिचौलिये और काला बाजार करने वाले गरीबों का खून चूस रहे हैं।

यदि सरकार में इच्छा शक्ति और जनता के प्रति संवेदना हो तो सब कुछ हो सकता है और इसे साबित किया था महोदय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, जिसने आम आदमी के हित में सट्टेबाजों और कालाबाजारियों पर कड़ा नियंत्रण कर महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था।

कुछ आंकड़ों की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एन.डी.ए. शासनकाल में काल में दाल का भाव था 26 रुपये किलो जो आज है

60 से 100 रुपये, आटा था 10 रुपये किलो, जो आज है 20 से 25 रुपये किलो। चावल जो 15 रुपये किलो था वह आज 50 रुपये है। चीनी जो 12 रुपये किलो थी वह 26 रुपये है। लगभग सभी वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं लेकिन इसका कोई फायदा किसान को नहीं हुआ क्योंकि किसान को तो थोक की सस्ती दर पर ही अपनी उपज बेचनी पड़ती है और इसलिए आसमान छूती इन कीमतों के बावजूद भी किसान कर्ज में है। इतना ही नहीं खाने पीने की वस्तुओं के अलावा, सीमेंट, कपड़ा, दवाईयां, लोहा सभी कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरा देश एकमत है। महंगाई के विषय पर हम सब आपके साथ आने को तैयार हैं। इस महंगाई को रोकने के लिए। इसलिए आम आदमी के दर्द को समझिये और इस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाइये।

सभापति महोदय, आपने इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

*डॉ. रतन सिंह अजनाला (खंडूर साहिब): महोदय, मैं अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बासठ वर्ष बीत चुके हैं, परंतु समस्याएं कम होने की बजाए कई गुना बढ़ गई हैं। आज, भारत कई समस्याओं से ग्रस्त है। पेयजल के अभाव की समस्या है। भारत में वायु-प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे 'घी' में मिलावट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। परंतु हमारे सामने आ रही सर्वाधिक गंभीर समस्या मूल्यों में वृद्धि है।

सभापति महोदय, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर को सही निदान करना चाहिए। केवल तभी वह मरीज का सही उपचार कर सकता है। यदि मरीज को पेट में दर्द है और डॉक्टर उसे सिर दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवा देता है तो मरीज का उपचार नहीं हो पाएगा। हम मूल्य-वृद्धि की समस्या का सामना कैसे करें? किसान इस समस्या के केंद्र में है। किसान ही खाद्यान्नों का उत्पादन करता है। जब तक हम किसान को उन समस्याओं से नहीं निकालेंगे जिनसे वह धिरा हुआ है, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूँढ पाएंगे।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

मैं एक गांव में रहता हूँ। मान लीजिए, एक किसान फूलगोभी का उत्पादन करता है। वह अपने उत्पाद को बाजार ले जाता है जहां वह उसे पांच रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तथापि, दो घंटे के बाद वही फूलगोभी दुकान में 20 रुपए प्रति कि.ग्रा. की दर से बेची जाती है। किसान को 5 रुपए की मामूली कीमत मिलती है जबकि उपभोक्ता को उसी वस्तु के लिए 20 रुपए देने पड़ते हैं, इसमें बिचौलियों को दोहरा लाभ होता है क्योंकि वे उसी वस्तु पर 15 रुपए हड़प लेते हैं। जब तक हम इन लालची बिचौलियों को इससे नहीं हटाएंगे और लाभ का प्रतिशत निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूँढ पाएंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादक को कम से कम उत्पादन की कीमत वापस मिले। किसानों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति अवश्य मिलनी चाहिए।

आजकल, जब आप सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो पांच सौ रुपए का नोट भी पर्याप्त नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। सभी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। चाहे वह मटर हो, टमाटर हो या प्याज हो, आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी के जीवन को कठिन बना दिया है। दुकानदार सभी वस्तुओं की अत्यधिक कीमत लेकर उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं, उपभोक्ता स्वयं को पूर्ण रूप से असहाय पाता है। वह दुकानदारों के रहमोकरम पर है। इसी प्रकार, किसान हानि उठा रहे हैं। किसान और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करनी होगी। केवल तभी हम बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण कर पाएंगे।

हाल ही के दिनों में, गेहूँ, मूंग-मसूर और दालों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। तथापि, इन खाद्यान्नों का उत्पादन करने वाला उत्पादक गरीबी और दुख का दयनीय जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्हें बाजार में उनके उत्पाद की नगण्य कीमत मिलती है। समय की मांग है कि किसानों की सहायता की जाए।

महोदय, इन सम्मानीय सभा में, हम विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। परंतु सत्ता पक्ष में हमारे मित्र अन्य देशों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों के बारे में वैश्विक आंकड़े बताते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों की दशा भारत के किसानों की दशा में अंतर है। भारत में खाद्यान्नों के मूल्य की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल्यों से करना एक बेकार है।

महोदय, सरकार द्वारा बार-बार डीजल व पेट्रोल की

कीमतों में वृद्धि की गई है। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, तब से सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक या दो बार कटौती की गई है, जब केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार सत्ता में आई, तो लोगों को बड़ी आशाएं थीं क्योंकि नेताओं ने आम आदमी से बड़े-बड़े वादे किए थे। परंतु जनता को थोड़ी राहत देने की बजाए, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करके उनका दुख बढ़ाया है। इसका उत्तरोत्तर प्रभाव पड़ा था। इसके अनुरूप वस्तुओं की परिवहन लागत में वृद्धि के कारण सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसलिए, सरकार आवश्यक रूप से डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करने के अपने आग्रह पर नियंत्रण रखे। केवल तभी यह बढ़ती कीमतों को रोक सकती है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों द्वारा औने-पौने दामों में की गई बिक्री के लिए उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए। किसानों को अपने उत्पाद के लिए जो मूल्य मिलता है उसे मूल्य सूचकांक तक बढ़ाया जाए। यह दुखद है कि भारतीय किसानों द्वारा सरकारी प्रापण अभिकरणों को बेचे गए गेहूँ के लिए उनको केवल 1000 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत मिलती है जबकि सरकार खुशी-खुशी विदेशों से 1900 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ आयात करती है। यदि सरकार पंजाब के किसानों से 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भी गेहूँ खरीदने को तैयार हो जाती है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि गेहूँ के आयात की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पंजाब के किसान पूरे देश का पेट भरने के लिए सहर्ष अतिरिक्त गेहूँ का उत्पादन करेंगे। विदेशी किसानों से ऊँचे मूल्यों पर गेहूँ का आयात करके सरकार उनको समृद्ध बना रही है और भारतीय किसानों में गरीबी फैला रही है। यह एक विध्वंसकारी नीति है...(व्यवधान) लालू जी, आपने सही कहा कि वैश्विक ऊष्णता और बढ़ती कीमतें आम आदमी पर कड़ा प्रहार करेंगी...(व्यवधान)

इसलिए, सभापति महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के सभी पक्षों से अपील करता हूँ कि वे दलगत भावना से ऊपर उठें। हमें अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों का हित सुरक्षित रहे और लालची बिचौलियों को दंडित किया जाए। अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए।

महोदय, पंजाब में गन्ना उत्पादक किसान बर्बाद हो गए थे। उन्हें 4 से 5 वर्षों तक उनके उत्पाद का भुगतान

[डॉ. रतन सिंह अजनाला]

नहीं मिला। इसलिए, पंजाब के किसानों ने गन्ना नहीं उगाने का निर्णय लिया। इससे चीनी के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित ही है। किन्तु, सरकार सोई हुई है। सरकार की नीतियां अदूरदर्शी हैं। सरकार के पास एकमात्र समाधान है विदेशों से वस्तुओं का आयात करना। परंतु, यह एक एकाएक होने वाली प्रतिक्रिया है। इस समस्या का सही समाधान यह है कि हम किसानों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत दें। तभी, किसान अधिकाधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। केवल किसानों के हितों की रक्षा करके ही हम मूल्य वृद्धि की समस्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। केवल इस सम्मानित सभा में भाषण देने की रस्म पूरी करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं लालू जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णरूपेण सहमत हूँ कि भविष्य धुंधला दिखाई पड़ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें और सरकार को बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने दें क्योंकि इससे आम आदमी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, मूल्य वृद्धि के मुद्दे को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। हमने सत्र की शुरुआत में ही इस मुद्दे पर नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए सूचना दी थी। लेकिन इस मामले को इस सत्र के अंतिम चरण में लिया जा रहा है। इसलिए यह इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर वर्तमान सरकार के रुख को दर्शाता है। हमने वामपंथियों और गैर-कांग्रेसी और गैर-भाजपा सदस्यों के साथ इस सदन के बाहर धरना दिया था। मेरा यह मानना है कि सं.प्र.ग. सरकार ने हमारे धरने के बाद इस मामले को विचारार्थ लिया था क्योंकि अन्यथा इससे देश में एक गलत संदेश जाता।

मैं नहीं जानता कि कैसे इस प्रकार की चर्चा से इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पर दबाव पड़ेगा। वर्तमान सरकार यह दावा करने के लिए हर सप्ताह आंकड़े जारी कर रही है कि देश में मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक है। इसके बावजूद भी लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। कांग्रेस की तरफ से एक माननीय सदस्य डॉ. के.एस. राव ने बहुत सी बातें बताई और कहा कि सरकार अपनी तरफ से सर्वोत्तम काम कर रही है - न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, ग्रामीण ऋणों में वृद्धि की है, कर्जा माफी और कर्ज राहत योजना, प्रोत्साहन पैकेज, बफर स्टॉक आदि-आदि। वे पहले से ही सर्वसमावेशी विकास, जिसमें आम आदमी को शामिल करने

और ये सभी बातें करते आ रहे हैं। उनमें से कुछेक अपने हर भाषण में 'मां, माटी और मानुष', शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है? मैं उन आंकड़ों के ब्योरो पर नहीं जाना चाहता जो पहले के वक्ताओं ने बहुत स्पष्ट और जोरदार ढंग से दिए हैं। सरकार को बताना चाहिए कि वह थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर के सूत्र को अपना रही है। भारत मुद्रास्फीति दर का आकलन करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को क्यों नहीं अपना रहा? यद्यपि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में भिन्न-भिन्न होता है, वास्तविक मूल्य भी भिन्न होता है। खुदरा मूल्य भी बहुत अधिक भिन्न होता है।

उन्होंने कई मामलों में स्थिति के बारे में अलग-अलग तरह से उल्लेख किया है। लेकिन स्थिति क्या है? जहां तक लघु किसान, गरीब आदमी, कृषि मजदूर और असंगठित मजदूरों का संबंध है, यदि किसी एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण किया जाए तो यह पता चलेगा कि उनकी कमाई का 58% खाद्य सामग्री को खरीदने पर ही खर्च हो जाता है और वे अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर 20% से भी अधिक व्यय करते हैं। इस प्रकार उनकी आय का 75% से भी अधिक आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर ही खर्च हो जाता है। अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट के अनुसार यह पता चलता है कि 77% आबादी के पास 20 रुपये प्रतिदिन कमाने की भी क्षमता नहीं है। इसलिए यह हालत है। एक एजेन्सी ने किसानों की दशा पर अध्ययन किया था। इसमें कहा गया है कि एक किसान परिवार की आय में 1.5% की वृद्धि हुई है लेकिन इसके साथ ही उसका व्यय 5% बढ़ा है।

हालत यही है और हम बफर स्टॉक की बात कर रहे हैं।

महान नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमृत्य सेन का कहना है कि बंगाल के अकाल के दौरान भूखमरी स्टॉक की कमी के कारण नहीं हुई थी अपितु यह लोगों की खरीद न पाने की क्षमता के कारण आई थी।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पांडा: यहां खुदरा मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि का मूलभूत कारण कृषि उपज में वायदा व्यापार को शुरू करना है विशेष रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम से जमा करने की अधिकतम सीमा वाले खण्डों को हटा देने सहित खाद्य उत्पादों में।

कांग्रेस पार्टी के श्री राव ने राजग पर आरोप लगाया है कि हम भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का दोष राजग को देते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार अर्थात् संप्रग सरकार इसको ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राजग पर दोषारोपण करने मात्र से समस्या नहीं सुलझ जाएगी।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। इस मुद्दे पर अभी बहुत से वक्ताओं को बोलना है।

श्री प्रबोध पांडा: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। इस रियायत का फायदा जमाखोरों और सट्टेबाजारियों द्वारा उठाया जा रहा है चूंकि पहले तो उत्पादकों के साथ उनके उत्पादों को बहुत कम कीमत पर खरीद कर धोखा किया जाता है और बाद में सट्टेबाजी के माध्यम से स्टॉक को निकाले बिना ही दामों में धीरे-धीरे वृद्धि की जाती है।

इस मुद्दे के संबंध में मेरे पास कुछ ठोस प्रस्ताव हैं। प्रथम तो 15 जिन्स अथवा आवश्यक वस्तुएं विशेषकर चावल, गेहूँ, खाद्य तेल, चीनी और दाल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर मुहैया करवाया जाए। दूसरी बात यह है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का विस्तार करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करने का काम किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक अंतरिम उपाय के रूप में गरीबी रेखा से ऊपर के वर्ग के लिए आवंटन को बहाल किया जाए। तीसरी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और इसकी समीक्षा की जाए। चौथी बात यह है कि वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाए। अन्त में, राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक नेताओं की एक आपात बैठक आयोजित की जाए ताकि हम इस आपात समस्या, जिसका सामना हमारे देश को करना पड़ रहा है, का समाधान करने के लिए सांझा और दृढ़ रुख अपना सकें।

सायं 06.23 बजे

(डॉ. गिरिजा व्यास पीठासीन हुईं)

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इस मुद्दे पर बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप का आभारी हूँ।

श्री एस.एस. रामासुबु (तिरुनेलवेल्ली): सभापति महोदय, आवश्यक वस्तुओं के दामों में महंगाई की यह वास्तव में महत्वपूर्ण समस्या है। विपक्ष तथा सत्तापक्ष की तरफ से लगभग सभी सदस्यों ने इस मुद्दे के संबंध में तथ्य और आंकड़ों का उल्लेख किया है।

आवश्यक वस्तुओं की महंगाई सभी लोगों के लिए वास्तव में सांझी समस्या है। वास्तव में, यह एक विश्व स्तरीय समस्या है। आजकल, विश्वव्यापी मंदी और जलवायु परिवर्तन से न केवल भारत में अपितु सभी पूंजीवादी अथवा विकासशील देशों में आवश्यक वस्तुओं के दामों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। लगभग सभी देश इस समस्या से प्रभावित हैं।

लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार इन बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और लगभग हर तरीके से मूल्यों को घटाने की कोशिश कर रही है। आयात नीति के अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि दलहनों, अनाज इत्यादि का हमारे देश में कितना घरेलू उत्पादन हुआ है और फिर हम अन्य देशों से वस्तुओं के आयात के संबंध में निर्णय लेते हैं।

आजकल, ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूँ का उत्पादन कम हो गया है और वे इसका प्रचूर मात्रा में उत्पादन नहीं कर रहे हैं। आयात करने वाले देश अब अपने आयातों में कटौती कर रहे हैं। हमें अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा। हमें इसका कोई न कोई समाधान खोजना होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। हमें वर्तमान समस्या को विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में देखना होगा। हम "अभाव के बीच गरीबी" में जी रहे हैं और इसी प्रकार आर्थिक अर्थों में वर्तमान समस्या का वर्णन किया जा सकता है। वस्तुएं कम हो गई हैं और उनकी कमी विश्व स्तर पर हुई है। हमें इसको इन कठिन परिस्थितियों में संभालना होगा। सं.प्र.ग. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की क्रयशक्ति में बढ़ोतरी की है जैसा कि इस सभा में पहले ही डॉ. के.एस. राव द्वारा उल्लेख किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन गरीब लोगों को 100 रुपये प्रति दिन मिल रहे हैं जबकि पहले उनको 80 रुपये मिल रहे थे और अब इसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। अधिकांश गरीब लोगों को इन योजनाओं से लाभ हो रहा है।

सभापति महोदय: श्री रामासुब्बू, कृपया समाप्त कीजिए क्योंकि प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए केवल तीन मिनट का समय दिया जा रहा है।

श्री एस.एस. रामासुब्बू: उनको लाभ हो रहा है और इन वस्तुओं को खरीदना उनके लिए आसान हो गया है। गरीब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि की गई है। हमारी संप्रग सरकार आम आदमी की सरकार है। अब हमें कृषि की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम उनके द्वारा उपजाई गई कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के किसान और अधिक वस्तुओं को उपजाने के लिए आगे आएंगे। जब वे प्रचुर मात्रा में अनाजों, दलहनों, सब्जियों और फलों का उत्पादन करेंगे तो दाम तेजी से घट जाएंगे।

हमें इन वस्तुओं को उपजाने के लिए गांवों में किसानों को और अधिक जल संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे। हमें घरेलू उत्पादन पर अधिक निर्भर रहना होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है। घरेलू उत्पादन में न केवल सरकार को सहायता से अपितु वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके भी सुधार किया जा सकता है। केन्द्र सरकार अपने बफर स्टॉक को बढ़ा रही है और राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज और दलहनों को जारी कर रही है, लेकिन वितरण प्रणाली का समुचित कार्यकरण बहुत महत्वपूर्ण है विशेष रूप से राज्य सरकारों को ये वस्तुएं सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरित करनी होंगी और तभी जाकर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम किया जा सकता है।

*श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक मनुष्य इस धरती पर जीवन यापन करने के लिए आया है और जीवन यापन के लिए भोजन खाना होता है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। चावल, गेहूं, दालें, चीनी और आलू की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है। परन्तु जब स्वयं कांग्रेस सरकार द्वारा सभी के लिए संवर्धित राशन और सांविधिक राशन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ की गई थी उस समय काफी संदेहजनक थी। परन्तु आज कांग्रेस सरकार सभी के लिए भोजन की बात नहीं कर रही है वह मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर पूर्णतः शान्त है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महंगाई में गिरावट आ गई है, कीमतों में कमी आयी है। परन्तु वास्तविकता कुछ अलग है।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

परन्तु जब हम बाजार जाते हैं तो पाते हैं कि कीमतें काफी अधिक हैं। इसका मुख्य कारण पार्टी द्वारा विनिवेश और निजीकरण की नीति अपनाया जाना है जिसके कारण जमाखोरी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली नष्ट हो गई है। वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1429 मदों को विनियंत्रित किया गया था। इसके पश्चात से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने जमाखोरी आरम्भ कर दी है और आवश्यक वस्तु अधिनियम शक्तिहीन हो गया है जिसके परिणाम-स्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था चरमा गई है। राशन व्यवस्था ओछी राजनीति की शिकार बन गई है। राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर चावल और गेहूं वितरण कराया था। इससे भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हजारों गरीब लोगों का नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं है। इस प्रकार वे सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। वहीं दूसरी ओर सूखे जैसी स्थिति, के चलते तेल कीमतों में वृद्धि के चलते अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है।

यदि आम लोग ही जीवित नहीं रहेंगे तो इस देश में कौन रहेगा? हम राजनीतिक लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ेंगे? इसलिए मैं सरकार के समक्ष कतिपय प्रस्ताव रखना चाहता हूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वव्यापक बनाया जाए; जमाखोरी पर रोक लगानी चाहिए; नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी जायें; बी.पी.एल. सूची को संशोधित किया जाये; आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाये। इसके पश्चात ही कीमतें कम होंगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्रशान्त जी, आप अपनी बाकी की स्पीच ले कर दें।

श्री लालू प्रसाद: सभापति महोदय, हाउस कब तक चलेगा? आज मंत्री जी का जवाब तो होना नहीं है, कल होना है।

सभापति महोदय: आज हाउस सात बजे तक चलेगा और मंत्री जी का जवाब कल होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

*श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूचबिहार): माननीय सभापति महोदय सभा नियम 193 के अंतर्गत मूल्यवृद्धि विषय पर चर्चा कर रही है। इस सम्माननीय सभा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय हम वामपंथी हैं और हम एक विशेष सिद्धान्त का पालन करते हैं। हमने चुनाव लड़ा और संसद के लिए निर्वाचित हुए। प्रत्येक पार्टी चुनावों में अपने-अपने एजेंडों पर चुनाव लड़ती है। चुनाव प्रचार के दौरान यू.पी.ए. सरकार के वर्तमान नेताओं ने कांग्रेस आम आदमी के साथ है के नारे के साथ अपने-अपने पोस्टर चिपकवाए। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक दल लाखों लोगों के हित में काम करते हैं और जब हम चुनाव जीतते हैं, हम इस पवित्र मंच पर उनकी शिकायतों को व्यक्त करते हैं। सभी माननीय सदस्य देशवासियों की दशा के बारे में निष्ठापूर्वक बात कर रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार के सत्ता में आने से पूर्व उन्होंने अनेक वायदे किए थे। अभी तक, सौ दिन नहीं बीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया था कि 100 दिनों के भीतर कालाबाजारी को समाप्त कर दिया जाएगा। यह वायदा भी किया गया था कि गरीब लोगों, निचले तबके के लोगों, कृषि श्रमिक, मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और गरीबी से ग्रस्त देशवासियों के लाभ के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों और श्रमिकों के हित में पूरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के पुनरुद्धार का वायदा किया था। परन्तु वास्तविकता कुछ अलग है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आम आदमी के साथ नहीं है। हाथ गला घोट कर मारना चाहता है।

चुनावों से ठीक पहले अप्रैल-मई में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी कम थी। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए। यू.पी.ए. को सत्ता में आए बहुत दिन हो गए हैं। परन्तु कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। यदि किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार पड़ता है और यदि डॉक्टर दवा के साथ थोड़ी चीनी लेने को कहे तो उसके माता-पिता चीनी नहीं खरीद सकते क्योंकि

चीनी की कीमतें काफी अधिक हैं। परन्तु यू.पी.ए. सरकार कह रही है कि वह लोगों के साथ है।

महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य उपस्थित हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वामपंथियों द्वारा चिन्हित की गई आवश्यक वस्तुओं जैसे जावल, दालें, चीनी, मोटा आटा, ज्वार आदि की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। इनका प्रयोग अधिकांशतः समाज के गरीबों, मध्यम वर्ग के तबके के किसानों, श्रमिक और मजदूरों द्वारा किया जाता है। हमें एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। यह सभी राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और सभी राजनीतिक दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है। तथापि संघीय ढांचे में केन्द्र सरकार अधिक उत्तरदायी है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक गरीब, वंचित लोगों को बी.पी.एल. सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे स्वस्थ माहौल में जीवन जी सकें; ताकि वे देश के सभ्य नागरिक बन सकें; ताकि उनका, भविष्य उज्ज्वल हो सके। हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए और इस संबंध में विधेयक लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): सभापति महोदय, हमारे नेता श्री बसुदेव आचार्य जी ने नियम 193 के अन्तर्गत मूल्य वृद्धि पर रोक के संबंध में जो चर्चा प्रारम्भ कराई थी, उस पर आज बहस हो रही है। पूरे देश में यह महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि जब सदन में आम आदमी के बजट पर चर्चा चली थी, तब हमने कहा था कि इस बजट में कहा गया है कि यह बजट आम आदमी के लिए है। यह बजट आम आदमी के लिए नहीं है यह बजट खास आदमी के लिए है। अब जब प्राइस-राइज के ऊपर डिसकशन हो रहा है, तब सरकार की तरफ से कहा गया कि फूड प्राइस की इन्फ्लेशन 8 परसेंट और फूड ग्रेन की प्राइस इन्फ्लेशन 11 परसेंट हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि रिटेल मार्केट में शुगर की प्राइस 47 परसेंट इन्क्रीज हुई है। सबसे ज्यादा प्याज की प्राइस 111 परसेंट इन्क्रीज हुई है। अब चारों तरफ सरकार का स्लोगन "जय हो" चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस की जय बोली जा रही है? सदन में गरीब आदमी के बारे में कितनी भी चर्चा हो, लेकिन हमें मालूम है कि सरकार की तरफ से कोई पॉजीटिव एक्शन

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री बंस गोपाल चौधरी]

की आशा नहीं की जा सकती है। हम इस सरकार से किसी सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण की राजनीति की दृष्टि से नहीं बल्कि देश के पूंजीवादी और बड़े जमींदारों के हितों की दृष्टि से भी यह सरकार मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाने में पूर्णतः असमर्थ है। सरकार कह रही है कि एन.डी.ए. गवर्नमेंट के जमाने में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, उसे बदल दिया गया था। अब जब यू.पी.ए. की सरकार है, तो उस एक्ट को बदलने के लिए क्यों कदम नहीं उठाया जाता है? इस बारे में यू.पी.ए. गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए और उस एक्ट को जिसे एन.डी.ए. ने बदल दिया था, उसे पुनः बदलकर जनता के हित का काम करना चाहिए।

सभापति महोदया, केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को जो फूड स्टॉक दिया जाता है, उसमें 84 परसेंट की कटौती होती है, यह सबसे बड़े दुख की बात है। यह कटौती, बी.पी.एल. और ए.पी.एल. लेवल पर होती है। इस सरकार ने जो सबसे खराब काम किया है, वह यह कि 5.5 मिलियन टन खराब गेहूं का इम्पोर्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि प्राइस राइज के डिसकशन का रिप्लाय जब मंत्री महोदय दें, तो इस बारे में जरूर बताएं कि खराब किस्म का गेहूं सरकार ने क्यों इम्पोर्ट किया? यह गेहूं हमारे देश की जनता के खाने योग्य नहीं है। सरकार द्वारा एग्रो-बिजनेस हाउसेस को प्रमोट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रमोशन ऑफ एग्रो-बिजनेस हाउसेस की पॉलिसी को बन्द करना चाहिए।

सभापति महोदया: आपकी तरफ से आचार्य साहब आधा घंटा बोल गये।

श्री बंस गोपाल चौधरी: मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

महोदया, होर्डर्स के खिलाफ सरकार को भारी कदम उठाने के लिए सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा, सदन के अन्दर चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए इनको पालिसी बनानी चाहिए और दूसरी तरफ हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, पी.डी.एस. के द्वारा इनकी सप्लाई की ज्यादा जरूरत है।

आज रूल 193 के मोशन पर इस चर्चा के बाद मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करता हूँ।

[अनुवाद]

*श्री टी.के.एस. इलैंगोवन (चेन्नई उत्तर): माननीय सभापति महोदया, मैं प्रसन्न हूँ कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने हेतु सहमत हुई है।

महोदया, विभिन्न वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों वस्तुओं की पहले की कीमतों तथा उनकी वर्तमान कीमतों की सूची दे रहे थे।

मैं यह जानता हूँ कि मेरी पत्नी माह के किराने के सामान के बजट के लिये दो हजार रुपये अधिक की मांग करती है तथा सब्जियों के लिये एक हजार रुपये से थोड़ी ज्यादा की मांग करती है। इसमें चावल और दूध शामिल नहीं है क्योंकि हम सरकारी आपूर्ति से दूध खरीदते हैं तथा चावल मेरे गांव से आता है।

महोदया, हमारे माननीय सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु अनेक सुझाव दिये थे।

हमारे माननीय श्री बसुदेव आचार्य यह बता रहे थे कि सरकार को किसानों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बजाए लाभदायक मूल्य देना चाहिये।

उन्होंने कुछ अन्य सदस्यों के साथ सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा चावल, चीनी, मिट्टी के तेल आदि के साथ सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से महत्वपूर्ण अनाजों को भी वितरित करने के बारे में भी चर्चा की।

महोदया, तमिलनाडु में माननीय मुख्यमंत्री तथा हमारे नेता डॉ. कलाइगनार एम. करुणानिधि ने 1 रुपये प्रति किलो की लागत पर सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल की आपूर्ति करने संबंधी योजना को कार्यान्वित किया है। उन्होंने आज की लगभग 10 वस्तुओं, जिनका उपयोग समान्यतः भोजन बनाने के लिये किया जाता है को तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 50 रुपये की लागत पर आपूर्ति करने की योजना को भी कार्यान्वित किया है।

कई उल्लेखनीय योजनायें हैं तथा कई राज्य सरकारों ने पहले ही अपने राज्यों में भी इन योजनाओं की घोषणा की है। भारत सरकार ने भी सरकारी वितरण प्रणाली के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिये 3 रुपये प्रति किलो चावल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

महोदया, खाद्यान्नों की तेजी से बढ़ती लागत से गरीब तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को बचाने हेतु यह सभी उपाय किये गये हैं। इसका यह अभिप्राय होगा कि लोग वस्तु के लिये कम मूल्य देंगे तथा सरकार शेष मूल्य को वहन करेगी।

सरकार कब तक राजसहायता के बोझ का वहन करेगी? एक ऐसा समय आयेगा जब राजसहायतायें देश की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी तथा उसी तरह जैसे पेट्रोलियम राजसहायता में हो रहा है, सरकार के पास राजसहायता को वापस लेने अथवा उसमें कटौती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

महोदया, मेरा यह सुझाव है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम दुबारा से बनाना चाहिये। वर्तमान अधिनियम को वापस लिया जाये तथा एक नये अधिनियम, जिसमें एक प्रभावी मूल्य नियंत्रण तंत्र तथा जमाखोरों के लिये सख्त दण्डात्मक उपाय भी हो, को तुरंत प्रभाव से बनाया जाना चाहिये।

केवल इस उपाय से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण लगेगा। अन्यथा, सरकार तथा उपभोक्ताओं को बढ़ती हुई कीमतों का बोझ उठाना पड़ेगा तथा बाजार पर किसी का नियन्त्रण नहीं रहेगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्वार): सभापति महोदया, आज नियम 193 के तहत जो प्रस्ताव लाया गया है, उसके समर्थन में मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर विभिन्न सदस्यों ने बातें की हैं।

हम लोग आज जिन मूलभूत समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं कि देश कैसे प्रगति करे, हम लोग देश को कैसे आगे ले जायें, यह ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ ही जो जनता है, वह कैसे बचे, कैसे खाये, कैसे अपना पेट भरे, उस सम्बन्ध में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। सरकार ने आगे जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जनता के जीवन के लिए जो उपयोगी चीजें

हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों को सटीक ढंग से लागू करने के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार द्वारा अपने ढंग से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है। इस सरकार के द्वारा खाली चीजों का दाम ही नहीं बढ़ाया गया, बल्कि हर चीज के दाम इतने बढ़े हैं कि आम जनता का जीना दूभर हो गया है। सरकार इस ढंग से व्यवस्था करे, सरकार इस ढंग से कदम उठाये कि आम आदमी आगे बढ़कर अपनी जरूरत पूरी करके सरकार की उन्नति में सहभागी हो सके, क्योंकि अगर इनकी समस्या रहेगी कि हम क्या खायें, कैसे रहें, कैसे महंगाई से बचें तो इन समस्याओं के रहते हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको ठीक करने का काम सरकार का है। इसी कारण हमारे देश की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

आज हम जानते हैं कि ईसरजेंसी का मामला है, नक्सलवाद का मामला है, दूसरे क्षेत्रों का मामला है, माओवाद की समस्या है, यह आज क्यों आ रही है? आज यही कारण है। जनता इनका साथ क्यों दे रही है, आज पुलिस फोर्स, मिलिट्री फोर्स इनके साथ परास्त क्यों होती जा रही है तो इस गम्भीर समस्या का समाधान सोचने का विषय हो गया है। आज यदि इस मामले में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो रोजमर्रा की जिस हैं, उनको सही ढंग से दिलवाई जायें। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की तरफ से और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि इस जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 14 प्रकार की आवश्यकता की जो जिस हैं, सरकार को चाहिए कि इनको वहाँ से सस्ते दाम में दी जायें, सब को दी जायें और रिटेल वालों को विशेष रूप से पाबन्द किया जाये, जिससे इनको ये चीजें आसानी से सस्ते दाम पर मिलें। बेचने के काम में सरकार को आगे आना चाहिए और यही पहला मुद्दा होना चाहिए, नहीं तो हम जितना भी चांद पर चले जायें, बहुत प्रगति कर लें और लोगों के खाने-पीने का बन्दोबस्त नहीं कर सकें तो देश में जो संसाधन हैं, जो उत्पादित जिस हैं, उन पर यदि हम सही ढंग से अमल नहीं कर सकेंगे और उनका सही आबंटन उस तरीके से नहीं कर सकेंगे तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमारे देश में उत्पादन तो है, लेकिन उसका वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए आबंटन व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैंने आपके माध्यम से सरकार को आवेदन किया।

इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब मूल्यवृद्धि पर वाद-विवाद समाप्त होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा अब 'लोक महत्व के अविलंबनीय मामलों' पर चर्चा करेगी। डॉ. रामचन्द्र डोम।

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलंबनीय मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषकर मणिपुर राज्य में हाल ही की घटनायें पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही भयानक हैं। इस वर्ष 23 जुलाई को इम्फाल जिले में दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें सशस्त्र सुरक्षा बलों के साथ मणिपुर पुलिस ने कथित विद्रोही नौजवान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। परन्तु उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, तथा अंधाधुंध गोलीबारी के कारण रंजीत नाम का एक नौजवान दिन दहाड़े मारा गया और ज्यादा दर्दनाक घटनायें भी हुई हैं।

सभापति महोदया: यह राज्य का विषय है।

डॉ. रामचन्द्र डोम: यह राज्य का विषय नहीं है। यह विद्रोह के बारे में है। मैं राज्य सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। यह वास्तव में चिंता का विषय है क्योंकि एक नवयुवती एक गर्भवती मां बनने वाली महिला भी मारी गई। सात और व्यक्ति गोलियां लगने से बुरी तरह घायल हो गये। अगले दिन, यह बात मीडिया में आई। वहां पर तहलका ने भंडाफोड़ किया था तथा कई अन्य चैनलों ने वास्तविक तथ्य उजागर किये कि यह एक नकली मुठभेड़ थी। आजकल, इस तरह की नकली मुठभेड़ें देश के कई हिस्सों में हो रही हैं। मैं वास्तविक जांच तथा दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ। जो व्यक्ति इस अंधाधुंध गोलाबारी तथा विद्रोह को दबाने के नाम पर भोले-भाले लोगों को मारने के लिये जिम्मेदार है, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही लोगों को विश्वास में लेकर विद्रोह का मुकाबला करना चाहिये। लोग इस मुद्दे पर आन्दोलित हैं। एक मां मारी गई है, निर्दोष लोग मारे गये हैं तथा एक निर्दोष व्यक्ति घायल हुआ है। उन्हें सुरक्षा बलों की इस अविवेकपूर्ण कार्यवाही को भुगतना पड़ा था।

इसलिये, मैं सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वह वहां पर मौजूदा स्थिति के बारे में लोगों में संदेह का निवारण करने हेतु एक वक्तव्य दे। स्थिति को सामान्य करने के लिये तुरंत ही कफ्थू हटा देना चाहिये, मारे गये लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिये तथा वहां पर उपचार का उचित प्रावधान होना चाहिये। इस सम्माननीय सभा से मेरा यही कहना है।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदया, 2 अक्टूबर पूज्य बापू का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है, बल्कि एक नये राष्ट्र का जन्मदिन है। राष्ट्रीय आजादी को हमारे बापू ने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। वे दलितों की बस्ती में गये, * सफाई का काम करने लगे।

सभापति महोदया: यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है। यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

डॉ. भोला सिंह: यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है। यह संसदीय शब्द है और मैं श्रद्धा के साथ कह रहा हूँ, यह शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने 'हरिजन पत्रिका' के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना के दीप जलाए। लेकिन साठ वर्षों के बाद आज भी 25 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं, शुष्क पखाने का व्यवहार करते हैं और वह सिर पर मैला ढोने की कलंकित परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। खुले में शौच करने के कारण उनके साथ बलात्कार होता है। वे सामाजिक अनाचार के शिकार बनते हैं। भारत सरकार के शहरी गरीबी उन्मूलन उपशमन विभाग के अनुसार बिहार में दो लाख परिवार शुष्क पखाने का प्रयोग करते हैं। वहां जलयुक्त पखाना बनाने के लिए भारत सरकार ने दो सौ करोड़ रुपए देने का वचन और आश्वासन दिया। उसने 2 अक्टूबर, 2009 ईसवी तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने का कदम उठाया।

मैडम, हम आपके माध्यम से भारत सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर सामने है और उस दिन बिहार और संपूर्ण देश में भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर हम बापू के प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): हम सभी को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना का आकार योजनागत बैठकों में निर्धारित होता है तथा विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिये विभिन्न मानदंड लागू किये जाते हैं, विशेषकर जम्मू-कश्मीर राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु विभिन्न मानदंड लागू होते हैं। इन राज्यों के पास अपनी सरकारें चलाने के लिये पर्याप्त राजस्व संग्रह नहीं होता है। अतः, वे संघ सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदानों पर निर्भर रहते हैं।

4 अगस्त को हाल ही में हुई इस प्रकार की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हुई थी, मेरे राज्य मणिपुर को प्रस्तावित योजना आकार के अनुसार हिस्सा देने से इंकार किया गया। राज्य को पूर्ववर्ती योजना से 20% की भी वृद्धि देने से इंकार किया गया जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य ऐसे ही राज्यों को पूर्ववर्ती वर्ष की योजना से 30 से 35% की वृद्धि दी गई थी। आयोग ने केवल 10% वृद्धि देने का प्रस्ताव किया था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बैठक में वांछित सद्भाव का अभाव था। तथापि, यह पता चला है कि पूर्ववर्ती वर्ष की योजना से 20% की वृद्धि पर अब सहमति बन गई है। इस तरह का मोलभाव राजनीति के लिये अच्छा नहीं है। इस आशय का कोई आदेश अभी

तक जारी नहीं किया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन परिस्थितियों के तहत योजना आयोग को इन विशेष श्रेणी के राज्यों, विशेषकर मेरे राज्य मणिपुर, जो विद्रोही गतिविधियों से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, के अनुरोध पर विचार करना चाहिये। इन राज्यों पर और ज्यादा मानवीय ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि राज्यों के विकासात्मक कार्यों को सफलतापूर्वक तथा समय पर कार्यान्वित किया जा सके। इससे भविष्य में अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं तथा मणिपुर जैसे समस्याग्रस्त विशेष श्रेणी के राज्यों के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान निकलेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: भोला सिंह जी द्वारा बोले गए शब्द को हटा दिया जाए क्योंकि वह अनपार्लियामेंट्री है।

अब सभा शुक्रवार, अगस्त, 2009, 16 श्रावण, 1931 (शक) पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 16.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 अगस्त, 2009/16 श्रावण, 1931 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-1

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री नवीन जिन्दल	461
2.	श्री वैजयंत पांडा श्री देवजी एम. पटेल	462
3.	श्री संजय निरुपम	463
4.	श्री रुद्रमाधव राय	464
5.	श्री अशोक कुमार रावत	465
6.	श्री आनंदराव अडसुल	466
7.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह श्री अनंत कुमार हेगड़े	467
8.	श्री जोस के. मणि श्री के. सुधारकरण	468
9.	श्री मनीष तिवारी	469
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	470
11.	श्री रामकिशुन श्री वीरेन्द्र कश्यप	471
12.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	472
13.	श्री महेश जोशी	473
14.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्रीमती सुप्रिया सुले	474
15.	श्री एन.एस.वी. चित्तन श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	475
16.	श्री उदय सिंह श्री मधु गौड यास्खी	476
17.	श्री अधीर चौधरी	477
18.	श्री तुफानी सरोज	478

1	2	3
19.	श्री टी.आर. बालू	479
20.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसुल, श्री आनंदराव	4584, 4614, 4623, 4647
2.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	4541, 4600
3.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	4502, 4574
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4495, 4569, 4640, 4649
5.	एंटोनी, श्री एंटो	4549
6.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	4536, 4593
7.	बालू, श्री टी.आर.	4592
8.	बाबर, श्री गजानन घ.	4523, 4554, 4661
9.	बलराम, श्री पी.	4501, 4550, 4572, 4639
10.	बासके, श्री पुलीन बिहारी	4504, 4568
11.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	4539, 4550, 4598, 4630, 4652
12.	बेग, डॉ. मिर्जा महबूब	4531, 4599
13.	भगत, श्री सुदर्शन	4552, 4609
14.	भोंसले, श्री उदयनराजे	4510
15.	चौधरी, श्री अधीर	4580

1	2	3
16.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4517
17.	देवरा, श्री मिलिंद	4509
18.	धोत्रे, श्री संजय	4531, 4550, 4604
19.	दुबे, श्री निशिकांत	4546, 4604, 4634, 4655, 4664
20.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	4535
21.	दत्त, श्रीमती प्रिया	4519
22.	ददवी, श्री मुकेश भैरवदानजी	4506, 4550
23.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4511, 4575, 4597, 4628
24.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	4500
25.	हक, शेख सैदुल	4649
26.	हेगडे, श्री अनंत कुमार	4585
27.	हुसेन, श्री सैयद शाहनवाज	4543
28.	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव	4531, 4550
29.	जाधव, श्री बलीराम	4535
30.	जाखड, श्री बद्रीराम	4507, 4607
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	4530, 4612
32.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	4534
33.	जिन्दल, श्री नवीन	4560, 4616, 4646
34.	जोशी, श्री महेश	4566, 4642, 4660
35.	जोशी, श्री प्रहलाद	4649
36.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	4658
37.	खेरे, श्री चंद्रकांत	4515

1	2	3
38.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	4597, 4628
39.	खत्री, डॉ. निर्मल	4547
40.	कृष्णास्वामी, श्री एम.	4557
41.	कुमार, श्री मिथिलेश	4489
42.	कुमार, श्री पी.	4522
43.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	4526
44.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4605, 4636, 4656
45.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4587
46.	महाराज, श्री सतपाल	4508, 4611, 4644, 4662
47.	महतो, श्री नरहरि	4497
48.	माझी, श्री प्रदीप	4516, 4597, 4628, 4661, 4666
49.	मणि, श्री जोस के.	4586
50.	मणियन, श्री ओ.एस.	4557
51.	मुत्तेमवार, श्री विलास	4487, 4576, 4635
52.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	4534, 4590
53.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	4518
54.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4496, 4564
55.	पाल, श्री जगदम्बिका	4542
56.	पांडा, श्री वैजयंत	4582
57.	पांडा, श्री प्रबोध	4544, 4602
58.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	4520, 4591
59.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	4525

1	2	3
60.	पटेल, श्री देवजी एम.	4561, 4641
61.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4538, 4595
62.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4516, 4556, 4597, 4628, 4661
63.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	4488, 4570, 4584, 4619, 4648
64.	राजगोपाल, श्री एल.	4517
65.	रामासुब्बु, श्री एस.एस.	4490, 4562, 4617
66.	रामकिशुन, श्री	4588, 4624
67.	राणे, श्री निलेश नारायण	4505, 4550, 4571
68.	राव, डॉ. के.एस.	4649
69.	राव, श्री नामा नागेश्वर	4521, 4579, 4629, 4651
70.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4523
71.	रावत, श्री अशोक कुमार	4622, 4649
72.	राय, श्री रुद्रमाधव	4567, 4621
73.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4517, 4536, 4613, 4645
74.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	4494, 4539
75.	सेम्मलई, श्री एस.	4528
76.	सम्पत, श्री ए.	4486
77.	सरोज, श्रीमती सुशीला	4551, 4586, 4615
78.	सरोज, श्री तूफानी	4591
79.	सत्यधी, श्री तथागत	4537, 4594, 4627, 4650

1	2	3
80.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	4499, 4653
81.	शानवास, श्री एम.आई.	4545, 4603, 4633, 4654, 4663
82.	शर्मा, श्री मदन लाल	4539, 4550, 4598, 4630, 4652
83.	शिवाजी, श्री अघलराव पाटील	4584, 4585, 4610, 4623
84.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	4527, 4606, 4637
85.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	4492, 4625
86.	सिंह, श्री दुष्यंत	4585
87.	सिंह, श्रीमती मीना	4540
88.	सिंह, श्री मुरारी लाल	4503
89.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	4591
90.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	4513, 4581, 4620, 4659, 4665
91.	सिंह, श्री सुशील कुमार	4558
92.	सिंह, श्री उदय	4573, 4626, 4649
93.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	4548
94.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	4585
95.	शिवासामी, श्री सी.	4529, 4583, 4596
96.	सुधाकरण, श्री के.	4608
97.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4491, 4563
98.	सुगुमार, श्री के.	4524, 4578, 4631

1	2	3
99.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	4534, 4590, 4601, 4632
100.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	4498, 4557, 4565, 4618, 4653
101.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	4493, 4577, 4622, 4638, 4657
102.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	4514
103.	ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर	4532
104.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	4540
105.	थॉमस, श्री पी.टी.	4512, 4649

1	2	3
106.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4593
107.	वर्मा, श्री सज्जन	4559
108.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	4533, 4589, 4625
109.	वानखेडे, श्री सुभाष बापूराव	4550
110.	यादव, अंजनकुमार एम.	4593
111.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	4553, 4588, 4643
112.	यादव, श्री ओम प्रकाश	4555
113.	यास्खी, श्री मधु गौड	4575

अनुबंध-II**तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका**

रसायन और उर्वरक	:	464, 478
नागर विमानन	:	461, 463, 476
कारपोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	465
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	466, 467, 468, 469, 470, 471, 479
रेलवे	:	462, 472, 473, 477, 480
स्टील	:	474, 475
वस्त्र	:	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	4497, 4528, 4558, 4610, 4637, 4646, 4647
नागर विमानन	:	4486, 4508, 4517, 4521, 4523, 4542, 4555, 4563, 4568, 4575, 4576, 4580, 4582, 4599, 4613, 4626, 4651, 4652, 4666
कारपोरेट कार्य	:	4515, 4533, 4545, 4603, 4614, 4617, 4633, 4654, 4663
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	4516, 4572, 4623
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	4487, 4488, 4491, 4494, 4511, 4527, 4556, 4566, 4597, 4616
विधि और न्याय	:	4495, 4498, 4522, 4537, 4540, 4579, 4581, 4600, 4641, 4649, 4660
अल्पसंख्यक मामले	:	4501, 4564, 4569, 4640
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4489, 4490, 4525, 4534, 4541, 4548, 4549, 4553, 4554, 4561, 4573, 4590, 4593, 4604, 4606, 4607, 4608, 4621, 4624, 4628, 4630, 4635, 4650, 4662

रेल

: 4496, 4500, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507,
 4509, 4510, 4512, 4513, 4514, 4518, 4519, 4520,
 4526, 4532, 4535, 4536, 4538, 4543, 4544, 4547,
 4550, 4551, 4552, 4559, 4560, 4562, 4567, 4570,
 4571, 4574, 4577, 4583, 4585, 4586, 4587, 4588,
 4589, 4591, 4592, 4594, 4598, 4602, 4609, 4611,
 4612, 4615, 4618, 4620, 4627, 4629, 4642, 4643,
 4644, 4648, ~~4657~~, 4658, 4661, 4665

इस्पात

4492, 4493, 4601, 4605, 4622, 4632, 4636, 4659,
 4664

वस्त्र

4499, 4524, 4529, 4530, 4531, 4539, 4546, 4557,
 4565, 4578, 4584, 4595, 4596, 4619, 4625, 4631,
 4634, 4638, 4639, 4645, 4653, 4655, 4656.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।
